

वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2019-20

ESIC

सामाजिक सुरक्षा का अटूट वादा



श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय
भारत सरकार
Ministry of Labour & Employment
Government of India



कर्मचारी राज्य बीमा निगम
Employees' State Insurance Corporation

वार्षिक रिपोर्ट ANNUAL REPORT 2019-20



कर्मचारी राज्य बीमा निगम
Employees' State Insurance Corporation
Panchdeep Bhawan, C.I.G. Marg, New Delhi, 110002
www.esic.nic.in, www.esic.in, www.esichospitals.gov.in
www.facebook.com/esichq [@esichq](https://twitter.com/esichq)

विषय-सूची

अनुभाग	विषय	पृष्ठ संख्या
क.	क.रा.बी. निगम के सदस्य.....	01
ख.	स्थायी समिति के सदस्य.....	03
ग.	चिकित्सा हितलाभ परिषद् के सदस्य.....	04
घ.	क.रा.बी. निगम – एक नज़र में, 2019–20.....	05
ङ.	वर्ष 2019–20 की विशेष उपलब्धियाँ.....	06
च	ग्राफ.....	07
1.	कार्यान्वयन और व्याप्ति.....	10
2.	राजस्व प्रबन्धन.....	11
3.	चिकित्सा देखरेख.....	14
4.	नकद हितलाभ भुगतान.....	19
5.	वित्त.....	21
6.	क.रा.बी. निगम/स्थायी समिति/चिकित्सा हितलाभ परिषद् के महत्वपूर्ण निर्णय.....	23
7.	प्रशासन.....	29
8.	मानव संसाधन विकास.....	32
9.	सतर्कता गतिविधियाँ.....	33
10.	सार्वजनिक शिकायतों का निवारण.....	34
11.	राजभाषा हिन्दी का कार्यान्वयन.....	35
12.	सूचना एवं प्रचार.....	36
13.	परिशिष्ट I-A से VII तक.....	40

CONTENTS

Section	Subject	Pg. No.
a.	Members of ESI Corporation	01
b.	Members of Standing Committee	03
c.	Members of Medical Benefit Council	04
d.	ESIC at a Glance 2019-20	05
e.	Salient Achievements 2019-20	06
f.	Graphics	07
1.	Implementation & Coverage	10
2.	Revenue Management	11
3.	Medical Care	14
4.	Cash Benefit Payments	19
5.	Finance	21
6.	Important Decisions of ESIC/SC/MBC	23
7.	Administration	29
8.	Human Resource Development	32
9.	Vigilance Activities	33
10.	Redressal of Public Grievances	34
11.	Implementation of Official Language	35
12.	Information & Publicity	36
13.	Appendices I-A to VII	40



कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार)

अध्यक्ष

श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री
(स्वतंत्र प्रभार)
भारत सरकार

उपाध्यक्ष

सचिव
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
भारत सरकार

सदस्यगण		
अपर सचिव, भारत सरकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली	संयुक्त सचिव, भारत सरकार (ब्यूरो अध्यक्ष, सामाजिक सुरक्षा प्रभाग) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली	डॉ. एल.एस. ओझा निदेशक, ओझा अस्पताल 8, टैगोर टाउन, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश-211002
डॉ. केशव कुमार अग्रवाल कुलाधिपति, बरेली अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय बरेली, उत्तर प्रदेश	डॉ. प्रेम नारायण अरोड़ा प्रबंध निदेशक यशोदा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश	
नियोक्ताओं के प्रतिनिधि		
डॉ. हरीश मेहता राष्ट्रीय मानद कोषाध्यक्ष अखिल भारतीय निर्माता संगठन जीवन सहाकार, चतुर्थ तल सर पी.एम. रोड, फोर्ट मुंबई-400001	प्रोफेसर सौरभ अग्रवाल भारतीय वित्त संस्थान एसोचैम कॉर्पोरेट कार्यालय: 5, सरदार पटेल मार्ग, चाणक्यपुरी नई दिल्ली-110021	श्री श्रीनागेश्वर अध्यक्ष, दक्षिण भारत के नियोक्ता संघ की टीएन समिति (सी.आई.ई.) 861/862, अन्ना सलाई चेन्नै-600002
श्री एस.ए. खान जी.जी.एम. (कार्पोरेट कार्य) सार्वजनिक उद्यम स्थायी सम्मेलन (स्कोप) स्कोप कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड नई दिल्ली-110003	श्री विजय पदाते महानिदेशक भारतीय नियोक्ता संघ (सी.आई.ई.) 1703, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर-1 कफ परेड, मुम्बई-400005	श्री के. वी. शेखर राजू राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय लघु उद्योग एसोसिएशन संघ (एफ.ए.एस.आई.आई.), स्पन कंकरीट पाइप मैन्युफैक्चर्स एसोसिएशन ऑफ कर्नाटक बी-5 एवं 6, स्विस कॉम्प्लेक्स 33, रेस कोर्स रोड, बेंगलुरु-560001
श्री संजय भाटिया प्रबंध निदेशक हिंदुस्तान टिन वर्क्स लिमिटेड 426, डीएलएफ टॉवर ए, जसोला नई दिल्ली-110025 (एफ.आई.सी.सी.आई)	श्री एम. एस. उन्नीकृष्णन अध्यक्ष औद्योगिक संबंधों पर सीआईआई की राष्ट्रीय समिति, भारतीय उद्योग परिसंघ 23, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोदी रोड नई दिल्ली-110003	श्री दिनेश लाकड़ा मेसर्स लाकड़ा इंडस्ट्रीज लिमिटेड ई-200, फोकल प्वाइंट, फेज-IV लुधियाना (पंजाब)
श्री सुनील सिरसीकर राष्ट्रीय सचिव लघु उद्योग भारती(एल.यू.बी) अभ्यंकर नगर नागपुर-440010 (महाराष्ट्र)		



EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

(As on 31.03.2020)

CHAIRMAN

Minister of State (Independent Charge) for Labour & Employment,
Govt. of India

VICE-CHAIRMAN

Secretary
Ministry of Labour & Employment
Govt. of India

MEMBERS

Additional Secretary to the Government of India Ministry of Labour & Employment Govt. of India, New Delhi	Joint Secretary to the Govt. of India, [Bureau Head of Social Security Division] Ministry of Labour & Employment, New Delhi.	Dr. L.S. Ojha Director, Ojha Hospital, 8, Tagore Town, Allahabad, U.P. - 211002
Dr. Keshav Kumar Agrawal, Chancellor, Bareilly International University, Bareilly, U.P.	Dr. Prem Narayan Arora Managing Director, Yashoda Super Specialty Hospital, Ghaziabad, U.P.	

EMPLOYERS' REPRESENTATIVES

Dr. Harish Mehta, National Hon. Treasurer, All India Manufacturers' Organiza- tion, Jeevan Sahakar, 4 th Floor, Sir P.M. Road, Fort, Mumbai - 400001	Professor Saurabh Agarwal Indian Institute of Finance ASSOCHAM Corporate Office, 5, Sardar Patel Marg, Chanakyapuri, New Delhi – 110021	Shri Srinageshwar Chairman, TN Committee of Employers Fed. of South India (CIE). 861/862, Anna Salai, Chennai – 600002
Shri S.A. Khan GGM (Corp. Affairs) Standing Conference of Public En- terprises (SCOPE), SCOPE Complex, Lodhi Road, New Delhi – 110003.	Shri Vijay Padate Director General, Employers' Federation of India (CIE) 1703, World Trade Center – 1 Cuffe Parade, Mumbai - 400005	Shri K.V. Shekhar Raju National President, Federation of Associations of Small Industries of India (FASII), Spun Concrete Pipe Manufactures Association of Karnataka, B-5&6, Swiss Complex, 33, Race Course Road, Bengaluru - 560001
Shri Sanjay Bhatia Managing Director Hindustan Tin Works Ltd. 426, DLF Tower A, Jasola, New Delhi – 110025 (FICCI)	Shri M. S. Unnikrishnan Chairman, CII National Committee on Industrial Relations, Confederation of Indian Industry, 23, Institutional Area, Lodhi Road, New Delhi – 110003	Shri Dinesh Lakra M/s Lakra Industries Ltd. E-200, Focal Point, Phase – IV, Ludhiana (Punjab)
Shri Sunil Sirsikar National Secretary, Laghu Udyog Bharti (LUB), Abhyankar Nagar, Nagpur-440010 (Maharashtra)		



कर्मचारियों के प्रतिनिधि

श्री गोकुलानंद जेना बीएमएस, टीबी-56, डाकघर नालको नगर-759145 जिला-अंगुल (ओडिशा)	श्री वी. राधाकृष्णन बीएमएस, इंदीवरम, पेरुम्बिलिसरी वेस्ट चेरपु (डाकघर) तृशूर-680561, केरल	श्री घीसूलाल बी. कलाल बीएमएस, स्वस्तिक परिसर तिरुपति पार्क-2 जामनगर-361006
श्रीमती अमरजीत कौर सचिव ए.आई.टी.यू.सी., 139-ई, किचलू नगर सिविल लाइन्स, लुधियाना-141001	श्री प्रशांत नंदी चौधरी राष्ट्रीय सचिव, सी.आई.टी.यू. श्रमिक भवन, 53, आचार्य जगदीश चंद्र बोस रोड कोलकाता-700016	श्री शिव प्रसाद तिवारी महासचिव, टी.यू.सी.सी., 28, पूर्वी घोष पारा रोड डाकघर श्यामनगर जिला: उत्तर 24 परगना पश्चिम बंगाल
श्री सी.ए. राजश्रीधर अध्यक्ष हिंद मजदूर सभा 35, मल्लेश्वर कोइल स्ट्रीट मायलापुर, चेन्नै (तमिलनाडु)	श्री शंकर साह महासचिव अखिल भारतीय यूनाईटेड ट्रेड यूनियन सेंटर (ए.आई.यू.टी.यू.सी.) अखिल भारतीय समिति मुख्यालय, 77/2/1, लेनिन सरनी कोलकाता-700013	

चिकित्सा व्यवसाय के प्रतिनिधि

डॉ. नितिन एस. वोरा 4, दीपविला स्कीम, स्वागत ग्रीन विला पार्ट-III के सामने 100 फीट, थलतेज, हेबतपुर रोड, अहमदाबाद-380059, गुजरात	वैद्य श्री देवेन्द्र त्रिगुणा 30, सुखदेव विहार नई दिल्ली-110025
---	--

संसद के प्रतिनिधि

श्री जॉन बारला माननीय संसद सदस्य (लोकसभा) लखीपारा, टी गार्डन, डाकघर बनारहाट, पीएस बनारहाट जिला-जलपाईगुडी-735202	श्री रामकृपाल यादव माननीय संसद सदस्य(लोक सभा) 18, मदर टेरेसा क्रिसेंट, नई दिल्ली
सुश्री डोला सेन माननीय संसद सदस्य (राज्य सभा) सी-701, स्वर्ण जयंती सदन डॉ. बी.डी. मार्ग, नई दिल्ली.110001	

राज्य सरकारों के प्रतिनिधि

आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखंड, छत्तीसगढ़ तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकारों के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/आयुक्त व सचिव।

पदेन सदस्य

महानिदेशक
कर्मचारी राज्य बीमा निगम



EMPLOYEES' REPRESENTATIVES

Shri Gokulananda Jena BMS, TB-56, At./P.O. Nalco Nagar-759145, Distt. Angul (Odisha)	Shri V. Radhakrishnan BMS, Indeevaram, Perumbillissery West, Cherpu (P.O.), Thrissur – 680561, Kerala	Shri Ghisulal B. Kalal BMS, Swastik Complex, Tirupati Park – 2, Jamnagar – 361006
Smt. Amarjeet Kaur General Secretary, AITUC, 139-E, Kitchlu Nagar, Civil Lines, Ludhiana-141001.	Shri Prasanta Nandi Chowdhury National Secretary, CITU, Shramik Bhawan, 53 Acharya Jagdish Chander Bose Road, Kolkata-700016.	Shri Sheo Prasad Tiwari General Secretary, TUCC, 28, East Ghosh Para Road P.O. Shyamnagar, Dist: North 24 Parganas, W.B.
Shri C.A. Rajasridhar President Hind Mazdoor Sabha, 35, Malleswara Koil Street, Mylapore, Chennai (T.N.)	Shri Shankar Saha General Secretary All India United Trade Union Centre (AIUTUC), All India Committee Hqrs, 77/2/1, Lenin Sarani, Kolkata – 700013.	

REPRESENTATIVES OF MEDICAL PROFESSION

Dr. Nitin S. Vora 4, Deepvilla Scheme, Opp. Swagat Greenville Part – III, 100 feet, Thaltej, Hebatpur Road, Ahmedabad – 380059 , Gujarat	Vaidya Shri Devendra Triguna 30, Sukhdev Vihar, New Delhi-110025
--	---

REPRESENTATIVES OF PARLIAMENT

Shri John Barla Hon'ble Member of Parliament (Lok Sabha), Lakhipara, Tea Garden, P.O. Banarhat, P.S. Banarhat, Dist.- Jalpaiguri – 735202	Shri Ram Kirpal Yadav Hon'ble Member of Parliament (Lok Sabha), 18, Mother Teresa Crescent, New Delhi
Ms. Dola Sen Hon'ble Member of Parliament (Rajya Sabha), C-701, Swarna Jayanti Sadan, Dr. B.D. Marg, New Delhi-110 001	

REPRESENTATIVES OF STATE GOVERNMENTS

Additional Chief Secretary / Principal Secretary / Secretary / Commissioner & Secretary of Govt. of Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Goa, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Odisha, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, Telangana, Tripura, Uttar Pradesh, Uttarakhand, West Bengal, Sikkim, Jharkhand, Chhattisgarh & NCT of Delhi.

EX-OFFICIO MEMBER

Director General

Employees' State Insurance Corporation



स्थायी समिति
(31.03.2020 तक की स्थिति अनुसार)

अध्यक्ष

सचिव
श्रम और रोजगार मंत्रालय,
भारत सरकार

सदस्यगण		
संयुक्त सचिव, भारत सरकार (सामाजिक सुरक्षा प्रभाग – क.रा.बी.निगम के कार्य) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय नई दिल्ली	डॉ. एल.एस. ओझा निदेशक, ओझा अस्पताल 8, टैगोर टाउन, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश-211002	डॉ. केशव कुमार अग्रवाल कुलाधिपति, बरेली अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय बरेली, उत्तर प्रदेश
नियोक्ताओं के प्रतिनिधि		
श्री के. वी. शेखर राजू राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय लघु उद्योग एसोसिएशन संघ(एफ.ए.एस.आई.आई) स्पन कंकरीट पाइप मैनुफैक्चर्स एसोसिएशन ऑफ कर्नाटक बी-5 एवं 6, स्विस् कॉम्प्लेक्स 33, रेस कोर्स रोड, बेंगलुरु-560001	श्री एस.ए. खान जीजीएम(कार्पोरेट कार्य) सार्वजनिक उद्यम स्थायी सम्मेलन (स्कोप), स्कोप कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली – 110003	श्री संजय भाटिया प्रबंध निदेशक हिंदुस्तान टिन वर्क्स लिमिटेड 426, डी.एल.एफ. टॉवर ए, जसोला नई दिल्ली-110025 (एफ.आइ.सी.सी.आइ.)
कर्मचारियों के प्रतिनिधि		
श्री वी. राधाकृष्णन बीएमएस, इंदीवरम, पेरुम्बलिसरी वेस्ट, चेरपु (डाकघर) तृशूर-680561, केरल	श्री प्रशांत नंदी चौधरी राष्ट्रीय सचिव, सी.आइ.टी.यू. श्रमिक भवन, 53, आचार्य जगदीश चंद्र बोस रोड, कोलकाता-700016	श्री घीसूलाल बी. कलाल बीएमएस, स्वस्तिक परिसर तिरुपति पार्क-2 जामनगर-361006
चिकित्सा व्यवसाय के प्रतिनिधि		
डॉ. नितिन एस. वीरा 4, दीपविला स्कीम, स्वागत ग्रीन विला पार्क- III के सामने, 100 फीट, थलतेज, हेबतपुर रोड, अहमदाबाद-380059, गुजरात		
संसद के प्रतिनिधि		
सुश्री डोला सेन माननीय संसद सदस्य (राज्य सभा) सी-701, स्वर्ण जयंती सदन डॉ. बी.डी. मार्ग, नई दिल्ली.110001		
विशेष आमंत्रित		
अपर सचिव भारत सरकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, नई दिल्ली	अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार भारत सरकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, नई दिल्ली	

राज्य सरकारों के प्रतिनिधि

असम, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश राज्य सरकारों के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव

पदेन सदस्य

महानिदेशक
कर्मचारी राज्य बीमा निगम



STANDING COMMITTEE

(As on 31.03.2020)

CHAIRMAN

Secretary
Ministry of Labour & Employment
Govt. of India

MEMBERS		
Joint Secretary to the Govt. of India [Social Security Division – Dealing with ESIC] Ministry of Labour & Employment, New Delhi	Dr. L.S. Ojha Director, Ojha Hospital 8, Tagore Town, Allahabad U.P. - 211002	Dr. Keshav Kumar Agrawal Chancellor, Bareilly International University, Bareilly, U.P.
EMPLOYERS' REPRESENTATIVES		
Shri K.V. Shekhar Raju National President, Federation of Associations of Small Industries of India (FASII) Spun Concrete Pipe manufactures Association of Karnataka, B-5&6, Swiss Complex, 33, Race Course Road, Bengaluru - 560001	Shri S.A. Khan GGM (Corp. Affairs), Standing Conference of Public Enterprises (SCOPE), SCOPE Complex Lodhi Road, New Delhi – 110003.	Shri Sanjay Bhatia Managing Director, Hindustan Tin Works Ltd. 426, DLF Tower A, Jasola, New Delhi – 110025 (FICCI)
EMPLOYEES' REPRESENTATIVES		
Shri V. Radhakrishnan BMS, Indeevaram, Perumbillissery West Cherpu (P.O.) Thrissur – 680561, Kerala	Shri Prasanta Nandi Chowdhury National Secretary, CITU Shramik Bhawan, 53, Acharya Jagdish Chander Bose Road, Kolkata-700016.	Shri Ghisulal B. Kalal BMS Swastik Complex, Tirupati Park – 2 Jamnagar – 361006
REPRESENTATIVES OF MEDICAL PROFESSION		
Dr. Nitin S. Vora 4, Deepvilla Scheme, Opp. Swagat Greenville Part – III 100 feet, Thaltej, Hebatpur Road, Ahmedabad – 380059 , Gujarat		
REPRESENTATIVES OF PARLIAMENT		
Ms. Dola Sen Hon'ble Member of Parliament (Rajya Sabha), C-701, Swarna Jayanti Sadan, Dr. B.D. Marg, New Delhi-110 001.		
SPECIAL INVITEES		
Additional Secretary Government of India Ministry of Labour & Employment New Delhi	Additional Secretary & Financial Advisor Government of India Ministry of Labour & Employment New Delhi	

REPRESENTATIVES OF STATE GOVERNMENTS

Additional Chief Secretary / Principal Secretary / Secretary of Govt. of Assam, Tamil Nadu & Uttar Pradesh.

EX-OFFICIO MEMBER

Director General
Employees' State Insurance Corporation



चिकित्सा हितलाभ परिषद
(31.03.2020 तक की स्थिति अनुसार)

अध्यक्ष

महानिदेशक
क.रा.बी. निगम(पदेन)

सह-अध्यक्ष

महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं
भारत सरकार

सदस्यगण

चिकित्सा आयुक्त

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (पदेन)
नई दिल्ली

नियोक्ताओं के प्रतिनिधि

श्री जी.पी. श्रीवास्तव

मुख्य सलाहकार
एएसएसओसीएचएएम
5, सरदार पटेल मार्ग, नई दिल्ली

श्री एस.ए. खान

हैड (एच.आर. और सी.ए.)
स्टैंडिंग कांफ्रेंस ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज
(स्कोप), स्कोप कॉम्प्लेक्स, कोर-8,
प्रथम तल, 7, लोदी रोड,
नई दिल्ली-110003

श्रीमती मालती बाड

पूर्व निदेशक
गुजरात नियोक्ता संगठन
ट्राइडेंट कॉम्प्लेक्स, जीईआरआई कार्यालय
के सामने, रेस कोर्स
वडोदरा, गुजरात

कर्मचारियों के प्रतिनिधि

श्री एस मल्लेशम

अध्यक्ष (बीएमएस तेलंगाना राज्य)
भारतीय मजदूर संघ टीआरटी-141
जवाहर नगर, हैदराबाद (तेलंगाना)

श्री अरविंद एस परमार

आरडीएल-5, जीआईडीसी कॉलोनी
प्रथम तल, कलोल
जिला-पंचमहल, गुजरात

श्री राम किशोर त्रिपाठी

सचिव, हिंद मजदूर सभा (एचएमएस)
त्रियम्बक, 128/239, के-ब्लॉक
किदवई नगर, कानपुर (उ.प्र.)

चिकित्सा व्यवसाय के प्रतिनिधि

डॉ. विनय कुमार अग्रवाल

ए 14, पुष्पांजलि,
विकास मार्ग एक्स.,
दिल्ली-110092

डॉ. सरबरी दत्ता

डॉ. आनंद टी. गुदिवाड़ा

राज्य सरकारों के प्रतिनिधि

आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, झारखंड, और छत्तीसगढ़ राज्य सरकारों के निदेशक/प्रशासनिक चिकित्सा अधिकारी/श्रम आयुक्त।



MEDICAL BENEFIT COUNCIL

(As on 31.03.2020)

CHAIRMAN

Director General
ESI Corporation (Ex-Officio)

CO-CHAIRMAN

Director General, Health Services,
Ministry of Health & FW (Ex-officio)
Govt. of India

MEMBERS

Medical Commissioner
ESI Corporation (Ex-Officio)
New Delhi

EMPLOYERS' REPRESENTATIVES

Shri G.P. Srivastava Chief Advisor, ASSOCHAM 5, Sardar Patel Marg New Delhi	Shri S.A. Khan Head (HR and CA) Standing Conference of Public Enterprises (SCOPE) SCOPE Complex, Core-8, First Floor, 7, Lodhi Road, New Delhi-110003	Smt. Malti Baad Ex. Director, Gujarat Employers organization Trident Complex, Opp. GERI Office Race Course, Vadodara Gujarat.
---	---	--

EMPLOYEES' REPRESENTATIVES

Shri S Mallesham President (BMS Telangana State) Bhartiya Mazdoor Sangh, TRT-141, Jawahar Nagar, Hyderabad Telengana	Shri Arvind S. Parmar RDL-5, GIDC Colony, 1 st floor, Kalol, Distt- Panchmahal, Gujarat	Shri Ram Kishore Tripathi Secretary, Hind Mazdoor Sabha (HMS), Trayambak, 128/239, K-Block, Kidwai Nagar, Kanpur(U.P.)
---	---	--

REPRESENTATIVES OF MEDICAL PROFESSION

Dr. Vinay Aggarwal A 14, Pushpanjali, Vikas Marg Extn., Delhi-110092	Dr. Sarbari Dutta	Dr. Anand T. Gudivada
--	--------------------------	------------------------------

REPRESENTATIVES OF STATE GOVERNMENTS

Director/Administrative Medical Officer/Labour Commissioner of the State Govt. of Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Goa, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Uttarakhand, West Bengal, Jharkhand & Chhattisgarh.



क.रा.बी. निगम एक नज़र में 2019—2020

विवरण	31.03.2019	31.03.2020	2019—20 के दौरान भिन्नता
(1)	(2)	(3)	(4)
व्याप्त राज्य/संघ शासित क्षेत्र	34	35	1
कर्मचारियों की संख्या	31401920	30966930	-434990
बीमाकृत व्यक्तियों/परिवार एककों की संख्या	34967080	34144140	-822940
बीमाकृत महिलाओं की संख्या	5120174	6265035	1144861
कुल लाभार्थियों की संख्या	135672270	132479263	-3193008
व्याप्त नियोक्ताओं की संख्या	1211174	1236565	25391
शाखा कार्यालय/भुगतान कार्यालय	608/185	559/185	-49/185
औषधालय सह शाखा कार्यालय	-	49	49
क.रा.बी. अस्पताल	155	159	4
क.रा.बी. औषधालय/भा.चि.प. एकक	1520/307	1502/308	-18/1
चिकित्सक	8367	8626	259
बीमा चिकित्सा व्यवसायी	1134	1287	153
व्यय (₹ करोड़ में)			
नकद हितलाभ भुगतान व्यय	1171.00	1867.21	696.21
चिकित्सा हितलाभ व्यय	8721.39	9368.30	646.91
प्रशासनिक व्यय	1155.55	1727.76	572.21
आय तथा व्यय (₹ करोड़ में)			
राजस्व आय	27312.64	22161.91	-5150.71
राजस्व व्यय	11085.32	13033.26	1947.94



ESIC AT A GLANCE 2019-2020

PARTICULARS	As on		VARIATION During 2019 - 20
	31.03.2019	31.03.2020	
[1]	[2]	[3]	[4]
State/Union Territories covered	34	35	1
No. of Employees	31401920	30966930	-434990
No. of Insured Persons/Family Units	34967080	34144140	-822940
No. of Insured Women	5120174	6265035	1144861
Total No. of Beneficiaries	135672270	132479263	-3193008
Total No. of Employers Covered	1211174	1236565	25391
Branch Offices/Pay Offices	608/185	559/185	-49/185
Dispensaries Cum Branch Offices	--	49	49
ESI Hospitals	155	159	4
ESI Dispensaries/ISM Units	1520/307	1502/308	-18/1
Doctors	8367	8626	259
Insurance Medical Practitioners	1134	1287	153
EXPENDITURE (₹ In Crores)			
Expenditure on Cash Benefit Payments	1171.00	1867.21	696.21
Expenditure on Medical Benefit	8721.39	9368.30	646.91
Administrative Expenses	1155.55	1727.76	572.21
INCOME AND OUT-GO (₹ in Crores)			
Revenue Income	27312.64	22161.91	-5150.71
Revenue Expenditure	11085.32	13033.26	1947.94



वर्ष 2019—2020 की विशेष उपलब्धियाँ

- भारत सरकार द्वारा दिनांक 01.07.2019 से कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के तहत अंशदान की दर को 6.5 प्रतिशत घटाकर 4 प्रतिशत (नियोजक के अंशदान को 4.75 प्रतिशत से घटाकर 3.25 प्रतिशत और कर्मचारी के अंशदान को 1.75 प्रतिशत से घटाकर 0.75 प्रतिशत) किया गया है।
- कर्मचारी राज्य बीमा योजना 27 जिलों में पूर्ण रूप से कार्यान्वित की गई है, जहां इससे पहले आंशिक तौर पर कार्यान्वित थी। 25 जिला मुख्यालयों में भी योजना लागू की गई, जहां इससे पहले यह योजना लागू नहीं थी। इन जिलों में योजना लागू होने से व्याप्त कर्मचारियों की संख्या में 2,23,684 की अतिरिक्त वृद्धि हुई है।
- तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, पंजाब, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में कर्मचारी राज्य बीमा सोसायटी को स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार ने अनुमोदन प्रदान किया है।
- नियोजकों की संख्या पिछले वर्ष के 12,11,174 से बढ़कर 12,36,565 हुई है।
- रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा नकद हितलाभ के तौर पर 1,867.21 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया, जो पिछले वर्ष 1,171.00 करोड़ रुपये था। इसके अलावा, नकद हितलाभ भुगतान की संख्या बढ़कर 39.74 लाख हो गई जो वर्ष 2018—19 में 38.23 लाख थी।
- कर्मचारी राज्य बीमा औषधालयों / अस्पतालों से बाहर होने वाले प्रसव के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने प्रसव व्यय को 5000/- रुपये से बढ़ाकर 7500/- रुपये करने का अनुमोदन प्रदान किया है।
- मुद्रास्फीति के कारण स्थायी अपंगता हितलाभ एवं आश्रितजन हितलाभ के वास्तविक मूल्य के अपरदन की पूर्ति के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने स्थायी अपंगता हितलाभ/आश्रितजन हितलाभ की दरों में वृद्धि की है।
- वर्ष के दौरान चिकित्सा हितलाभ पर 9,368.30 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, जो पिछले वर्ष 8,721.39 करोड़ रुपये था।
- कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने "अन्य हितलाभार्थी और उनका परिवार, चिकित्सा सुविधा योजना, 2010" के अंतर्गत व्याप्त व्यक्तियों के लिए अल्प-उपयोगी औषधालय सह शाखा कार्यालय (डी.सी.बी.ओ.) में सेवाएं खोलने हेतु अनुमोदन प्रदान किया है।
- रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान 454.90 करोड़ रुपये की राजस्व वसूली की गई है। वर्ष 2018—19 के दौरान राजस्व वसूली 433.80 करोड़ रुपये थी।
- 102 निर्दिष्ट जिलों के नए कार्यान्वित क्षेत्रों में कर्मचारी राज्य बीमा हितलाभार्थियों को पी.एम.जे.ए.वाई. की सूची में शामिल अस्पतालों के माध्यम से द्वितीयक और तृतीयक चिकित्सा देखभाल सेवाएं प्रदान करने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ सहभागिता की है।
- इसी प्रकार, आयुष्मान भारत/प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के हितलाभार्थी कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा निगम के 15 अल्प-उपयोगी अस्पतालों से चिकित्सा देखभाल सेवाएं ले सकते हैं।
- वर्ष के दौरान रुद्रपुर (उत्तराखंड) में 100 बिस्तर के कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल और स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान एवं अस्पताल, बसईदारापुर, नई दिल्ली में आई.वी.एफ. और फर्टिलिटी केंद्र का क्रमशः 30.10.2019 और 29.11.2019 को उदघाटन किया गया।
- कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने कर्मचारी राज्य बीमा योजना अस्पताल, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल को 150 बिस्तर से बढ़ाकर 250 बिस्तर में उन्नयन के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया है। इसके अतिरिक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने श्रीनगर, जम्मू व कश्मीर में 100 बिस्तर का कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल और लेह, लद्दाख क्षेत्र में 30 बिस्तर का कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल स्थापित करने का अनुमोदन प्रदान किया है।
- रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, हैदराबाद के सनतनगर में क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के नये ओपीडी ब्लॉक एवं आंध्र प्रदेश के काकीनाडा और विजयानगरम में 100 बिस्तर के कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों के निर्माण की आधारशीला रखी गई। दिनांक 21.08.2019 को क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, सनतनगर, हैदराबाद को भी राष्ट्र को समर्पित किया गया।
- हितलाभार्थियों, तृतीय पक्ष और सभी अन्य आदाताओं को भुगतान करने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा भारतीय स्टेट बैंक के साथ एकीकृत ऑनलाइन प्रणाली उन्मुख ई-भुगतान सुविधा आरंभ की गई है।
- कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने 6 चिकित्सा महाविद्यालयों अर्थात् कर्मचारी राज्य बीमा निगम चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, राजाजीनगर (बेंगलुरु), जोका (कोलकाता), फरीदाबाद (हरियाणा), गुलबर्गा (कर्नाटक), के.के. नगर (चेन्नई) तथा सनतनगर (हैदराबाद) में स्नातकोत्तर (एम.डी./एम.एस.) पाठ्यक्रम को आरंभ/विस्तार करने का अनुमोदन प्रदान किया है।
- कर्मचारी राज्य बीमा निगम में विशेष सेवाएं पखवाड़ा आरंभ करने के लिए दिनांक 24.02.2020 को योजना की 68वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक समारोह अर्थात् एसिक दिवस का आयोजन किया गया। इस समारोह में वर्ष 2019 के दौरान कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत बीमाकृत व्यक्तियों और हितलाभार्थियों को सेवाएं प्रदान करने में उत्कृष्ट निष्पादन के लिए श्री संतोष कुमार गंगवार, श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), भारत सरकार द्वारा चिकित्सीय और गैर-चिकित्सीय श्रेणियों के अंतर्गत श्रेष्ठ कर्मचारी राज्य बीमा निगम / कर्मचारी राज्य बीमा योजना औषधालयों / अस्पतालों / चिकित्सा संस्थानों / कार्यालयों को पुरस्कार से सम्मानित किया गया।




Salient Achievements 2019-20

- The Government of India reduced the rate of contribution under the ESI Act from 6.5% to 4% (employers' contribution reduced from 4.75% to 3.25% and employees' contribution reduced from 1.75% to 0.75%) w.e.f. 01.07.2019.
- The ESI Scheme was implemented in 27 Complete Districts where Scheme was earlier partially implemented and 25 districts Hqrs. area where Scheme was not implemented earlier, covering additional 2,23,684 employees.
- The Central Government has accorded approval for formation of ESI Societies in the States of Tamil Nadu, Chhattisgarh, Maharashtra, Tripura, Punjab, Nagaland and Arunachal Pradesh.
- The number of employers has gone upto 12,36,565 from 12,11,174 in the previous year.
- During the year under report, ESIC has disbursed ₹ 1,867.21 crore as benefits in Cash as against Rs 1,171.00 crore in the previous year. Further, the number of Cash Benefits payments has gone up to 39.74 lakhs from 38.23 lakhs in year 2018-19.
- ESIC has approved the Enhancement of confinement expenses for confinement taking place outside ESI Dispensaries / Hospital from ₹ 5000/- to ₹ 7500/-.
- ESIC enhanced the PDB/DB rates to compensate the erosion in the real value of PDB & DB due to inflation.
- An expenditure of ₹ 9,368.30 crore was incurred on Medical Benefit, during the year as against Rs 8,721.39 Crore in the previous year.
- ESIC has approved for opening of services at under-utilized Dispensary Cum Branch Office (DCBO) to persons covered under "Other beneficiaries and their families, medical facility scheme, 2010".
- Revenue Recovery of ₹ 454.90 crore has been made during the year under report. The recovery during the period 2018-19 was ₹433.80 crore.
- ESIC has collaborated with Pradhan Mantri Jan Arogya Yojna (PMJAY) for providing Secondary and Tertiary medical care services to ESI Beneficiaries in newly implemented area of 102 designated Districts through PMJAY empanelled Hospitals.
- Similarly, the beneficiaries of Ayushman Bharat/Pradhan Mantri Jan Arogya Yojna (PMJAY) can avail medical care services at 15 underutilized ESIC Hospitals, in accordance with the provisions of the Act.
- During the year under report, 100 bedded ESIC Hospital at Rudrapur (Uttarakhand) and IVF & Fertility Centre at PGIMSR & Hospital, Basaidarapur, New Delhi were inaugurated on 30th October, 2019 and 29th November, 2019 respectively.
- ESIC has approved proposal for upgradation of ESIC Hospital, Durgapur, West Bengal from 150 Beds to 250 Beds. It has further approved the proposal of setting up of 100 bedded ESI Hospital at Srinagar, J & K and 30 bedded ESI Hospital at Leh, Ladakh region.
- During the year under report, foundation stone were laid for New OPD Block of ESIC Medical College & Hospital, Sanathnagar, Hyderabad and 100 bedded ESI Hospitals at Kakinada & Vizianagaram, Andhra Pradesh. ESIC Medical College & Hospital, Sanathnagar, Hyderabad was also dedicated to the nation on 21.08.2019.
- ESIC has integrated online system-oriented e-payment facility with SBI for payment to beneficiaries, third parties and all other payees.
- ESIC has approved Starting/Expanding PG(MD/MS) Courses at 06 ESIC Medical Colleges - ESIC Medical College & Hospitals at Rajajinagar (Bengaluru), Joka (Kolkata), Faridabad (Haryana), Gulbarga (Karnataka), K. K. Nagar (Chennai), and Sanathnagar (Hyderabad).
- To mark the beginning of special services fortnight in ESIC, a function on the 68th anniversary of the Scheme i.e. ESIC Day was organized in New Delhi on 24.02.2020. During this function Shri Santosh Kumar Gangwar, Minister of State (Independent Charge) for Labour and Employment, Govt. of India, awarded the best ESIC/ESIS Dispensaries/Hospitals/ Medical Institutions/ Offices in the Medical and Non- Medical Service Categories for outstanding performance in delivery of services to Insured Persons and Beneficiaries under ESI Scheme during the year, 2019.




व्याप्त कारखानों एवं स्थापनाओं की संख्या
No. of Factories & Establishments Covered
2016-2020



■ व्याप्त कारखानों एवं स्थापनाओं की संख्या No. of Factories & Establishments Covered


बीमाकृत व्यक्तियों तथा लाभार्थियों की संख्या
No. of Insured Persons & Beneficiaries
2016-2020



■ बीमाकृत व्यक्तियों की संख्या No. of Insured Persons ■ लाभार्थियों की संख्या No. of Beneficiaries




क.रा.बी. योजना के अन्तर्गत व्याप्त कर्मचारियों की संख्या
No. of Employees Covered Under the ESI Scheme
2016-2020



■ क.रा.बी योजना के अन्तर्गत व्याप्त कर्मचारियों की संख्या No. of Employees Covered Under the ESI Scheme


क.रा.बी. औषधालयों/औ. सह शा.का./भा.चि.प. एककों/चिकित्सकों/बीमा चिकित्सा व्यवसायियों की संख्या
No. of ESI Dispensaries/DCBOs/ISM Units/Doctors/IMPs
2016-2020




■ औषधालय/ औ. सह शा.का./भा.चि.प. एकक Dispensaries / DCBOs / ISM Unit ■ चिकित्सक/बी.चि.व्य. Doctors/IMPs



चिकित्सा एवं नकद हितलाभ पर व्यय
Expenditure on Medical Benefits and Cash Benefits
2016-2020




आश्रितजन हितलाभ/स्थायी अपंगता हितलाभ प्राप्त कर रहे लाभार्थियों की संख्या
No. of Beneficiaries on the Payroll of DB/PDB
2016 - 2020






नगद हितलाभ पर व्यय—एक नजर में
Expenditure on Cash Benefits-at A Glance
2019-2020

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)



- बीमारी हितलाभ
Sickness Benefits
- मातृत्व हितलाभ
Maternity Benefit
- अस्थायी अपंगता हितलाभ
Temporary Disablement Benefit
- विस्तारित बीमारी हितलाभ
Extended Sickness Benefit
- अंत्येष्टि व्यय
Funeral Expenses
- बेरोजगारी भत्ता
Unemployment Allowance
- अन्य हितलाभ
Other Benefits

बकाया वसूली
Recovery of Arrears
2016-2020



- बकाया वसूली Recovery of Arrears




कुल आय-वर्षवार
Total Income - Year Wise
2016 - 2020



■ अन्य आय Other Income ■ अंशदान से आय Income from Contribution

कुल व्यय-वर्षवार
Total Expenditure-Year wise
2016 - 2020



■ चिकित्सा हितलाभ Medical Benefit ■ नकद हितलाभ Cash Benefit ■ प्रशासनिक व्यय एवं मूल्यहास Administrative Expenses & Depreciation



क.रा.बी.नि.
E S I C

वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2019-20

अध्याय
1 से 12 तक

CHAPTER
1 to 12



1. कार्यान्वयन और व्याप्ति

परिचय

वर्षों पहले 25,000 कर्मचारियों और कार्यान्वित केन्द्रों दिल्ली एवं कानपुर के साथ 24 फरवरी, 1952 को प्रारंभ की गई कर्मचारी राज्य बीमा योजना ने पिछले 68 वर्षों के दौरान व्यापक प्रगति की है। यह क.रा.बी. योजना के अधीन आने वाले देश के कामगार वर्ग को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। यह योजना अधिसूचित क्षेत्रों में 10 या उससे अधिक व्यक्तियों की नियुक्ति करने वाले कारखानों एवं स्थापनाओं में लागू है। ऐसे कर्मचारी जिनका मासिक वेतन केवल ₹ 21,000/- तक है, (निःशक्त व्यक्ति के मामले में ₹ 25,000/-) क.रा.बी. अधिनियम की सीमा के अधीन आते हैं। योजना के अंतर्गत, बीमाकृत व्यक्तियों की विभिन्न आकस्मिकताओं जैसे-बीमारी, मातृत्व एवं रोजगार के दौरान चोट के कारण निःशक्तता या मृत्यु अथवा व्यवसाय जनित रोग में सुरक्षा होती है। क.रा.बी. औषधालयों एवं अस्पतालों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से बीमाकृत व्यक्तियों एवं उनके परिवारों को निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार प्रदान किया जाता है।

वर्ष दर वर्ष, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, क.रा.बी. अधिनियम के अधीन अधिक क्षेत्रों को व्याप्त करने तथा अधिकाधिक कारखानों और कामगारों के नाम दर्ज करने के भी प्रयास कर रहा है।

1.1 नए कार्यान्वयन

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, 27 पूर्ण जिले जहां पहले योजना आंशिक रूप से कार्यान्वित की गई थी तथा 25 जिला मुख्यालय, जहां पहले योजना कार्यान्वित नहीं की गई थी, वहां क.रा.बी. निगम 2.0 के अंतर्गत, अतिरिक्त 2,23,684 कर्मचारियों को व्याप्त करते हुए, योजना के कार्यान्वयन हेतु अधिसूचना जारी की गई। वर्ष 2019-20 के दौरान की गई नई व्याप्ति का राज्यवार विवरण परिशिष्ट-क में दिया गया है।

1.2 कर्मचारियों/बीमाकृत व्यक्तियों की संख्या

वर्ष 2019-20 के दौरान पंजीकृत कर्मचारियों और बीमाकृत व्यक्तियों की संख्या पिछले वर्ष के क्रमशः 314.02 लाख और 349.67 लाख की तुलना में क्रमशः 309.67 लाख एवं 341.44 लाख हुई है। बीमाकृत महिलाओं की संख्या 51.20 लाख से बढ़कर वर्ष 2019-20 में 62.65 लाख हुई है, जोकि 11.45 लाख की वृद्धि दर्शाता है।

1.3 क.रा.बी. लाभार्थियों की संख्या

पूरे देश में फैले क्षेत्रीय, उप-क्षेत्रीय तथा शाखा कार्यालयों द्वारा किए गए सफल प्रयासों से क.रा.बी. लाभार्थियों की संख्या में वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर 1324.79 लाख पहुंच गई है।

1.4 नियोक्ताओं की संख्या

नियोक्ता क.रा.बी. योजना का एक अभिन्न अंग है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, क.रा.बी. निगम के अंतर्गत 25,391 नये नियेक्ता पंजीकृत हुए। इसके परिणामस्वरूप कुल नियोक्ताओं की संख्या पिछले वर्ष की 1211174 से बढ़कर 1236565 हो गई है। वर्ष 2019-20 हेतु अंशदायी नियोक्ताओं की संख्या 603300 है।

वर्ष 2019-20 की समाप्ति पर प्रत्येक क्षेत्र में व्याप्त नियोक्ताओं की संख्या परिशिष्ट 1-ख के कॉलम 3 में दी गई है।

1.5 क.रा.बी. निगम 2.0 के अंतर्गत नई व्याप्ति कार्यान्वयन

क.रा.बी. निगम सुधार 2.0 तथा विजन-2022 के अंतर्गत राज्य सरकारों के परामर्श से नए क्षेत्रों में क.रा.बी. योजना का कार्यान्वयन किया गया था, जिसमें आंशिक रूप से कार्यान्वित जिलों को पूर्ण रूप से कार्यान्वित किया गया था और गैर-कार्यान्वित जिलों में, जहां योजना मौजूद नहीं थी, जिला मुख्यालय क्षेत्र या सबसे प्रमुख औद्योगिक केंद्र को शुरुआत में अधिसूचित किया गया था। इस संबंध में उपलब्धि राज्य सरकारों द्वारा चिकित्सा व्यवस्था पूरी करने पर निर्भर करती है क्योंकि योजना के अंतर्गत चिकित्सा देखभाल के प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार के पास रहती है। जिलों के अंतर्गत चिकित्सा देखरेख उपलब्धता के अनुपूरक के क्रम में प्रत्येक जिले में एक औषधालय सह शाखा कार्यालय (डीसीबीओ) खोले जाने का अनुमोदन किया जा चुका है, जो कि क.रा.बी.निगम द्वारा चलाया जाना है।

दिनांक 01.04.2019 से 31.03.2020 के दौरान प्राप्त की गई उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:-

	जिलों की संख्या	शामिल व्याप्त कर्मचारियों की संख्या
पूरे जिले में विस्तारित/अधिसूचित की गई क.रा.बी. योजना का प्रावधान	27	190,323
जिला मुख्यालय क्षेत्र/प्रमुख औद्योगिक केंद्रों हेतु विस्तारित में क.रा.बी. योजना का प्रावधान	25	33,361
कुल	52	223,684

विजन-2022 को सुविन्ध्यस्त किया गया है, जिसमें वर्ष 2022 तक समग्र देश में क.रा.बी. योजना की व्याप्ति विस्तारित करने का प्रस्ताव है। व्याप्ति हेतु लक्ष्य तैयार कर लिए गए हैं और विनिर्दिष्ट तिथि के अनुसार कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सा व्यवस्थाएं की जा रही हैं।



1. IMPLEMENTATION & COVERAGE

INTRODUCTION

Launched way back on 24th February, 1952 with two implemented centres at Delhi and Kanpur and 25,000 employees, the Employees' State Insurance (ESI) Scheme has made giant strides during the last 68 years. It provides social security to the working class of the country who come under the ambit of the ESI Scheme. The Scheme applies to factories and establishments employing 10 or more persons in the notified areas. Employees whose monthly wages are up to ₹ 21,000/- fall within the purview of the ESI Act (₹ 25,000/- in the case of persons with disability). Under the ESI Scheme, the Insured Persons are protected during contingencies such as sickness, maternity, death or disablement due to employment injury or occupational disease. Free medical care is provided to the Insured Persons and their family through a network of ESI Dispensaries and ESI Hospitals.

Year after year, the ESIC has been making concerted efforts to bring more areas under the coverage of the ESI Act and also to enroll more factories and workers.

1.1 Fresh Implementation

During the year 2019 –20, notification for implementing the Scheme was issued in respect of 27 Complete Districts where Scheme was earlier partially implemented and 25 Distt. Hqrs. area where Scheme was not implemented earlier under ESIC 2.0, covering additional 2,23,684 employees. The State wise details of new coverage achieved during the year 2019-20 are given at **Annexure-A**.

1.2 No. of Employees / Insured Persons

The number of registered employees and insured persons during financial year 2019-20 stood at 309.67 Lakhs and 341.44 Lakhs respectively as against the figure of 314.02 Lakhs and 349.67 Lakhs respectively in the preceding year. The number of insured women has increased to 62.65 Lakhs in 2019-20 from 51.20 Lakhs showing an increase of 11.45 Lakhs.

1.3 No. of ESI Beneficiaries

The efforts made by the Regional Offices, Sub-Regional Offices and Branch Offices spread across the country were successful in taking the number of ESI beneficiaries at the close of the financial year to 1324.79 Lakhs.

1.4 No. of Employers

Employers form an integral part of the ESI Scheme. During the period under report, 25,391 new employers were brought under ESIC coverage. As a result, the total employers increased to 1236565 from 1211174 in the previous year. The Count of contributory employers for the year 2019-20 is 603300.

The number of employers covered in each region at the end of 2019-20 is reported under Col. 3 of **Appendix 1-B**.

1.5 New Coverage Implementation under the ESIC 2.0

Under ESIC 2.0 reforms and Vision-2022, the implementation of ESI Scheme in new areas, in consultation with the State Governments, was under taken wherein partially notified districts were fully notified and in the non-implemented districts where the scheme was not present, the Distt. Hqrs area or most prominent industrial center was initially notified. The achievement in this regard depends on the completion of medical arrangements by the State Governments as the primary responsibility of administration of medical care under the scheme rests with the concerned State Government. Opening of one Dispensary Cum Branch office (DCBO) in each district to be run by ESIC has been approved in order to supplement the medical care availability within the districts.

The achievements made during 01.04.2019 to 31.03.2020 are given below:

	No. of Districts	No. of employees covered
Provisions of ESI Scheme Extended / Notified in Complete Districts	27	190,323
Provisions of ESI Scheme extended to Distt. Hqrs. area /Prominent Industrial Centres	25	33,361
Total	52	223,684

Vision-2022 has been formulated wherein it is proposed to extend the coverage of ESI Scheme to the entire nation by the year 2022. Targets for coverage have been formulated and medical arrangements are being made to ensure implementation as per specified date.



2. राजस्व प्रबंधन

2.1 अंशदान

क.रा.बी. अधिनियम की धारा 39 के तहत केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित दर पर कर्मचारियों और नियोक्ताओं के अंशदान को जमा करने की जिम्मेवारी प्रधान नियोक्ता की है। समय-समय पर अंशदान की दर परिशोधित की गई हैं। अंशदान दरें 01.07.2019 से परिशोधित की गई हैं जिसके अनुसार प्रत्येक मजदूरी अवधि के लिए कर्मचारियों को भुगतान/देय मजदूरी का 0.75 प्रतिशत भाग कर्मचारी का और 3.25 प्रतिशत भाग नियोक्ता का है। कर्मचारी राज्य बीमा योजना 35 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के 566 जिलों में अधिसूचित की गई है, जिसमें पूर्ण रूप से अधिसूचित 381 जिले और (जिला मुख्यालय केन्द्र) आंशिक रूप से अधिसूचित 185 जिले सम्मिलित हैं। योजना को अरुणाचल प्रदेश और लक्षद्वीप में कार्यान्वित किया जाना शेष है।

2.2 अंशदान का संग्रहण

पिछले वर्ष के 22286.76 करोड़ रुपये के अंशदान संग्रह की तुलना में वर्ष 2019-20 के दौरान कुल अंशदान के रूप में 17813.19 करोड़ रुपये का संग्रह किया गया था। दिनांक 01.07.2019 से अंशदान की दर को 6.5 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत करने के कारण अंशदान संग्रह में 20.07 प्रतिशत की कमी आई है। अंशदान आय में वसूली अधिकारी द्वारा चूककर्ता नियोक्ताओं से वसूला गया अंशदान भी शामिल है।

2.3 अंशदान का बकाया

चूककर्ता नियोक्ताओं के पास दिनांक 31.03.2020 की तिथि तक 4332.37 करोड़ की अंशदान राशि बकाया देय थी, जिसमें निजी क्षेत्र इकाइयों से संबंधित 3801.84 करोड़ एवं सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों से संबंधित 530.53 करोड़ की राशि शामिल है।

दिनांक 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार बकाया देयों का ब्यौरा निम्नानुसार है

वर्ष	राशि (₹ करोड़ में)	वर्ष	राशि (₹ करोड़ में)
प्रथम-दिन से दिनांक 31.03.1991 तक	72.08	2005-06	148.2
1991-92	7.86	2006-07	68.64
1992-93	12.13	2007-08	101.81
1993-94	14.81	2008-09	63.29
1994-95	19.58	2009-10	62.07
1995-96	16.51	2010-11	129.29
1996-97	16.45	2011-12	84.39
1997-98	32.58	2012-13	189.8
1998-99	38.37	2013-14	185.24
1999-2000	41.63	2014-15	306.25
2000-01	41.37	2015-16	272.32
2001-02	42.01	2016-17	112.22
2002-03	57.61	2017-18	395.38
2003-04	59.61	2018-19	380.49
2004-05	136.66	2019-20	1223.74
		कुल	4332.37

दिनांक 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार अंशदान और ब्याज के बकाये की वसूली के लिए 4332.37 करोड़ की राशि बकाया देय है, जिसमें से 2200.11 करोड़ की राशि निम्नलिखित विभिन्न कारणों से वर्तमान में गैर-वसूली योग्य है:

	वर्तमान में गैर-वसूली योग्य बकाया	राशि (₹ करोड़ में)
क.	क) न्यायालय में विवादित बकायों की राशि	1565.53
	ख) परिसमापन के अंतर्गत राशि	196.42
	ग) दावा आयुक्त के पास लंबित राशि	9.74
	घ) उन कारखानों/स्थापनाओं द्वारा देय राशि जो बंद हो चुके हैं और नियोक्ता का अता-पता मालूम नहीं है	229.70
	ङ) राशि जिसके लिए डिक्ली प्राप्त की गई परंतु कार्यान्वित नहीं की गई	1.19
	कुल	2002.58
ख.	रुग्ण उद्योगों से देय	
	i) उन कारखानों/स्थापनाओं के संदर्भ में मामले जो बी.आई.एफ.आर. से पंजीकृत हैं परंतु जहां पुनर्वास योजना अभी संस्वीकृत की जानी है	116.37
	ii) कारखाने/स्थापनाएं, जो रुग्ण घोषित किए गए हैं, तथा बी.आई.एफ.आर. द्वारा पुनर्वास योजना को संस्वीकृति दी गई है	81.16
कुल	197.53	
ग.	वसूली अधिकारी के पास वसूली के लिए लंबित वसूली योग्य राशि	2132.26
	सकल योग (क+ख+ग)	4332.37



2. REVENUE MANAGEMENT

2.1 Contribution

Under Section 39 of the ESI act, principal employer is responsible for depositing the employees' and employers' contribution at the rate as notified by Central Govt. The rates are revised from time to time. Contribution rates have been revised w.e.f. 01.07.2019, employee share is 0.75% of the wages and that of employer's share is 3.25% of the wages paid/payable in respect of employees in every wage period. The ESI scheme has been notified in 566 Districts in 35 states and Union Territories, which include 381 complete District notified, partially notified 185 districts (DHQ & Centers). The scheme is yet to be implemented in Arunachal Pradesh and Lakshadweep.

2.2 Collection of Contribution

A total contribution of ₹ 17813.19 Crores was collected during the year 2019-2020 as against the collection of ₹ 22286.76 crores in the preceding year. There has been a decrease of 20.07% in contribution collection mainly due to reduction of contribution rate from 6.5% to 4% w.e.f. 01.07.2019. The contribution income also includes the contribution recovered from the defaulting employers by the Recovery Officers.

2.3 Arrears of Contribution

Arrear of contribution amounting of ₹ 4332.37 Crores is outstanding dues up to 31.3.2020 against the defaulting employers, which includes the dues of ₹ 3801.84 Crores pertaining to the private sector and ₹ 530.53 Crores pertaining to the public sector units.

The break-up of outstanding arrear (as on 31.3.2020)

Year	Amount (₹ in Crores)
From A-day upto 31/03/1991	72.08
1991-92	7.86
1992-93	12.13
1993-94	14.81
1994-95	19.58
1995-96	16.51
1996-97	16.45
1997-98	32.58
1998-99	38.37
1999-2000	41.63
2000-01	41.37
2001-02	42.01
2002-03	57.61
2003-04	59.61
2004-05	136.66

Year	Amount (₹ in Crores)
2005-06	148.2
2006-07	68.64
2007-08	101.81
2008-09	63.29
2009-10	62.07
2010-11	129.29
2011-12	84.39
2012-13	189.8
2013-14	185.24
2014-15	306.25
2015-16	272.32
2016-17	112.22
2017-18	395.38
2018-19	380.49
2019-20	1223.74
Total	4332.37

An amount of ₹ 4332.37 crores are outstanding dues for the recovery of Arrear of contribution and interest as on 31.3.2020, out of which an amount of ₹ 2200.11 Crores is irrecoverable for the present, due to various reasons which are furnished as under: -

Arrears not recoverable for the present		Amount (₹ in Crores)
A.	a) Amount of arrears disputed in courts	1565.53
	b) Amount under liquidation	196.42
	c) Amount pending with Claim Commissioner	9.74
	d) Amount due from factories/Estt. Which have been closed and whereabouts of employers not known	229.70
	f) Amount for which decree obtained but not executed	1.19
	Total	2002.58
B.	Dues from sick industries	
	I) Cases in respect of Factories/Estts. Registered with BIFR but rehabilitation scheme yet to be sanctioned	116.37
	II) Factories/Establishments which have been declared sick and rehabilitation scheme sanctioned by BIFR	81.16
Total	197.53	
C.	Recoverable dues pending for recovery with Recovery Officer	2132.26
	Grand Total (A+B+C)	4332.37



2.4 उगाही/वसूल किए गए हर्जाने

नियोक्ता द्वारा अंशदान का भुगतान विलंब से किए जाने पर क.रा.बी., अधिनियम, 1948 की धारा 85-ख के अधीन हर्जानों की उगाही की जाती है। पिछले वर्ष 2018-19 के दौरान ₹ 33.38 करोड़ के वसूल किए गए हर्जानों की तुलना में वर्ष 2019-20 के दौरान ₹ 34.05 करोड़ की राशि के हर्जाने वसूल किए गए।

2.5 बकायों की वसूली

दिनांक 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार ₹ 4332.37 करोड़ की कुल बकाया राशि में से ₹ 2132.26 करोड़ की राशि, जो कुल बकाया का 49.22 प्रतिशत है, वसूली योग्य बकायों की श्रेणी में है। ₹ 2200.11 करोड़ की शेष राशि, जो कुल बकाया राशि का 50.78 प्रतिशत है, वर्तमान में न्यायालयों में विवादित होने के कारण, कारखानों के परिसमापन में चले जाने, औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड में पंजीकृत कारखानों, दावा आयुक्त के पास लम्बित राशि, कारखानों के बंद हो जाने तथा चूककर्ता नियोक्ताओं का अता-पता मालूम न होने आदि के कारण गैर-वसूली बकाया राशि की श्रेणी में आती है।

निगम के देयों की प्रभावी वसूली सुनिश्चित करने के क्रम में क.रा.बी. अधिनियम 1989 में संशोधन के माध्यम से प्रधान अधिनियम में धारा 45-ग से 45-झ तक उपबंध किए गए ताकि बकाया राशि की वसूली के लिए निगम अपना वसूली तंत्र स्थापित करने में सक्षम हो सके। तदनुसार, जनवरी, 1992 से निगम का स्वयं का वसूली तंत्र चरणबद्ध रूप से अस्तित्व में आ गया है, और वसूली तंत्र अब सभी क्षेत्रों/उप क्षेत्रों में कार्य कर रहा है। देयों की वसूली की प्रगति एवं क्षेत्रों/उप-क्षेत्रों में वसूली अधिकारियों के कार्यनिष्पादन की निगरानी हेतु मुख्यालय में भी वसूली प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है। वर्ष 2019-2020 के दौरान, ₹ 643.05 करोड़ की वसूली के लक्ष्य की तुलना में चूककर्ता नियोक्ताओं से ₹ 454.90 करोड़ वसूल किए गए थे। वर्ष 2018-19 के दौरान 433.80 करोड़ की वसूली की गई थी।

2.6 निरीक्षण

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान निगम के द्वारा 13759 निरीक्षण किए गए। निरीक्षणों का आबंटन एक एकीकृत वेब पोर्टल "श्रम सुविधा" द्वारा किया जाता है। निरीक्षण हेतु एककों का चयन जोखिम आधार मानदंड के अनुसार कम्प्यूटरीकृत प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। चूक और अपवचन की विनिर्दिष्ट शिकायतों का निपटान केंद्रीय विश्लेषण एवं आसूचना एकक, मुख्यालय की शाखा द्वारा किया जाता है।

2.7 सर्वेक्षण

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, व्याप्तियोग्य कारखानों/स्थापनाओं को क.रा.बी. अधिनियम की क्षेत्र सीमा के अधीन लाने की दृष्टि से कारखानों/स्थापनाओं के लगभग 18883 सर्वेक्षण किए गए।

2.8 अभियोजन मामले

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 85 के अंतर्गत तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 406/409 के अंतर्गत चूककर्ता नियोक्ताओं के विरुद्ध अभियोजन मामले शुरु किये गये थे। वर्ष के आरंभ में लंबित और वर्ष 2019-20 के दौरान इन उपबंधों के अंतर्गत दायर और निर्णित मामलों का ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

क्र. स.	विवरण	क.रा.बी. अधिनियम की धारा 85 (क से छ)	भारतीय दंड संहिता की धारा 406 तथा 409	सकल योग
1	मार्च, 2020 तक की स्थिति अनुसार लंबित अभियोजन मामलों की संख्या	11575	928	12503
2	01.04.2019 से 31.03.2020 के दौरान दायर अभियोजन मामलों की संख्या	129	0	129
3	कुल (1+2) उपर्युक्त	11704	928	12632
4	वापस लिए गए मामलों की संख्या	0	0	0
5	अवधि के दौरान निर्णित अभियोजन मामलों की कुल संख्या	163	2	165
क)	दोष-सिद्ध होने पर कारावास	1	0	1
ख)	दोष-सिद्ध होने पर जुर्माना	98	1	99
ग)	दोषमुक्त	4	0	4
घ)	समाप्त/खारिज	60	1	61
6	कुल (4+5) उपर्युक्त	163	2	165
7	दिनांक 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार लंबित अभियोजन मामलों की संख्या (3-6)	11541	926	12467



2.4 Damages levied/recovered

The damages are levied on belated payment of contribution by the employer under Section 85-B of the ESI Act, 1948. A Sum of ₹ 34.05 Crores was recovered as damages during the year 2019.20 as against ₹ 33.38 Crores recovered during the preceding year 2018-2019.

2.5 Recovery of Arrears

Out of the total arrears of ₹ 4332.37 crores as on 31.3.2020, an amount of ₹ 2132.26 crores accounting for 49.22% of the total arrears falls in the category of recoverable arrears. The remaining amount of ₹ 2200.11 crores accounting for 50.78% of the total dues falls in the category of non-recoverable arrears for the present due to claims disputed in courts, factories having gone into liquidation, factories registered with BIFR, amount pending with Claims Commissioner, closure of the factories and whereabouts of the defaulting employers in certain cases are not known.

In order to ensure effective recovery of the dues of the Corporation, the provision of Sections 45-C to 45-I has been made in the Principal Act by an amendment in ESI Act 1989, thereby enabling the Corporation to set up its own recovery machinery for realizing the dues of the Corporation. Accordingly, Corporation's own recovery machinery came into existence in phases from January, 1992 onwards and Recovery Machinery is now functioning in all the regions/Sub-regions. A Recovery Cell has also been set up at the Hqrs. Office to monitor the progress of recovery of the dues and watching the performance of the Recovery Officers in the regions/sub-regions.

During the year 2019-2020, the dues of ₹ 454.90 crores were recovered from the defaulting employers as against the target of recovery of ₹ 643.05 crores. The recovery during the period 2018-19 was ₹ 433.80 crore.

2.6 Inspection

During the period under report 13759 Inspections were conducted by the Corporation. Inspections are allotted through a unified web portal "Sharam Suvidha". Units for inspection are chosen via computerized system as per risk-based criteria. Specific complaints of default and evasion are dealt by the CAIU Branch of Hqrs.

2.7. Survey

During the year under report about 18883 Surveys of factories/establishments were conducted with a view to bring coverable factories/establishment under the purview of the ESI act.

2.8. Prosecution

Prosecution cases were launched against defaulting employers under section 85 of the ESI Act and under section 406/409 of the Indian Penal Code. The details of cases pending at the beginning of the year, and filed and decided during the year 2019-2020 under these provisions are as under: -

S.No	Particulars	Section 85 (a to g) of ESI Act	Section 406 & 409 of IPC	G. Total
1	No. of Prosecution cases pending as on March-20	11575	928	12503
2	No. of prosecution cases filed during the period 1.4.19 to 31.3.20	129	0	129
3	Total (1+2) above	11704	928	12632
4	Cases withdrawn	0	0	0
5	Total No. of prosecution cases decided during the period	163	2	165
a)	Convicted with imprisonment	1	0	1
b)	Convicted with fine	98	1	99
c)	Acquitted	4	0	4
d)	Closed/Dismissed	60	1	61
6	Total (4+5) above	163	2	165
7	Number of prosecution cases pending as on 31.3.2020 (3-6)	11541	926	12467

2.9 केंद्रीय विश्लेषण और आसूचना इकाई (सीएआईयू)

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा सं. जेड-20025/02/2002-सा.सु.-I दिनांक 21.06.2014 द्वारा क.रा.बी.निगम के लिए अनुमोदित निरीक्षण योजना के अनुसरण में, क.रा.बी.निगम ने सं. एस/11/12/02/2008-राज. II दिनांक 01.08.2014 द्वारा नई निरीक्षण नीति-2014 को अधिसूचित किया है और निरीक्षण योजना/नीति के भाग के रूप में क.रा.बी. निगम मुख्यालय में "केंद्रीय विश्लेषण और आसूचना इकाई" भी स्थापित की है। के. वि. और आ.इकाई स्थापित करने का उद्देश्य पारदर्शी और जवाबदेह श्रम निरीक्षण प्रणाली के लिए क्षेत्र स्तरीय आंकड़े संगृहीत करना और उनका विश्लेषण करना तथा निरीक्षण को केवल आंकड़ें एवं साक्ष्य पर आधारित करना है। सं. एस/11/12/02/2008-राज. II दिनांक 25.08.2014 के तहत जारी केंद्रीय विश्लेषण और आसूचना इकाई (सीएआईयू) की संरचना और कार्यपद्धति पर दिशा-निर्देशों के अनुसार, कारोबार के विनियमों को सरल बनाने, कारोबार करने में सुगमता के लिए सुधार करने और श्रम निरीक्षणों का पारदर्शी आवश्यकता आधारित तथा पक्षपात से मुक्त होना सुनिश्चित करने के दृष्टिगत एक ही इकाई की बारंबार निरीक्षण टाला जाता है। कारखानों/स्थापनाओं द्वारा अनुपालन में चूक से संबंधित क.रा.बी. निगम के किसी भी कार्यालय में प्राप्त सभी शिकायतें, जिनका निपटान केवल अभिलेखों के नियमित निरीक्षण के माध्यम से किया जा सकता है, उन्हें क्षेत्र कार्यालयों द्वारा अवलोकन और उपर्युक्त कार्रवाई के अनुमोदन के लिए के.वि. और आ.इकाई को भेजा जाता है। मामलों को निपटान होने तक मॉनीटर किया जाता है और इसलिए, क्षेत्र कार्यालय को अब ऐसे मामलों में अपने स्तर पर, निरीक्षण करने का अधिकार नहीं है।

तदनुसार, केंद्रीय विश्लेषण और आसूचना इकाई ने दिनांक 01 सितम्बर 2014, के प्रभाव से कार्य करना प्रारंभ किया है जिसकी अध्यक्षता बीमा आयुक्त श्रेणी के एक अधिकारी द्वारा की जाती है। क्षेत्र कार्यालयों को उपयुक्त रूप से सलाह दी गई है कि वे ऐसी शिकायतें, जिनका निपटान अभिलेखों के निरीक्षण के बिना नहीं किया जा सकता, को क्षेत्र स्तरीय आंकड़ें जैसे अनुपालन की स्थिति/अनुपालन की प्रवृत्ति, पिछली शिकायतें/जांच, पिछले निरीक्षणों का ब्योरा और पाई गई अनियमितता, चूककर्ता कार्रवाई आदि के साथ शिकायत में रिपोर्ट की गई अनियमितता के दृष्टिगत प्रतिक्रिया नोट जो अभिलेखों के पूर्ण निरीक्षण को उचित सिद्ध करता हो सहित केंद्रीय विश्लेषण और आसूचना इकाई को अग्रेषित करें। तथ्यों और प्रदान किए गए आंकड़ों के आधार पर विश्लेषण किया जाता है, और मामले की मेरिट के अनुसार सर्वेक्षण/औचक भौतिक सत्यापन/निरीक्षण से संबंधित उपयुक्त निर्णय संबंधित क्षेत्र कार्यालयों को भेजा जाता है जो कि समय पर संचालित करना होता है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, कुल 3687 शिकायतें/अभिवेदन/संदर्भ प्राप्त हुए थे। 347 मामलों में औचक भौतिक सत्यापन (एसपीवी), 241 निरीक्षण, 35 एसपीवी और इसके बाद निरीक्षण तथा 276 सर्वेक्षणों को अनुमोदन प्रदान किया गया है। शेष मामलों में, 1022 मामलों को अस्वीकृत कर दिया गया और 1766 मामलों को पूर्ण सूचना/साक्ष्यों की कमी सूचित करने हेतु संबंधित क्षेत्रों को वापस रेफर कर दिया।



स्थायी समिति की बैठकों की झलकियां

2.9 Central Analysis & Intelligence Unit (CAIU)

In pursuance of Inspection Scheme, approved for ESIC by Ministry of Labour & Employment, vide No. Z-20025/02/2002-SS.I dated 21.06.2014, ESI Corporation has notified New Inspection Policy-2014 vide No. S/11/12/02/2008-Rev.II dated 01.08.2014 and has also set up “Central Analysis & Intelligence Unit” at ESIC, Hqrs. Office as part of Inspection Scheme/Policy. The objective of setting up of CAIU is to collect and analyze field level data for a transparent and accountable labour inspection system and to base the inspection on data and evidence only. As per guidelines on structure and functioning of the Central Analysis and Intelligence Unit (CAIU) issued vide No. S/11/12/02/2008-Rev.II dated 25.08.2014, with a view to simplify business regulations, improve on the ease of doing business and to ensure that the labour inspections are transparent and free from discretion and need based, frequent inspection of the same unit is avoided. All complaints received in any office of ESIC relating to default in compliance by factories/establishments, which can be redressed only through regular inspection of records are sent by field offices to CAIU for examination and for approval of appropriate action. Cases are monitored till disposal and therefore, the field offices have no discretion now, for inspection, at their level in such cases.

Accordingly, CAIU has started functioning w.e.f. 1st September, 2014 which is headed by an officer of rank of Insurance Commissioner. Field Offices have suitably been advised to forward such complaints, which cannot be redressed without inspection of records, to CAIU with field level data like status of compliance/trend of compliance, details of past complaints/investigations, past inspections and irregularities detected, defaulter action etc. with a feedback note in view of irregularities reported in complaint to justify complete inspection of records. Based on the facts and data provided, analysis is done and as per merit of the case, suitable decision regarding Survey/Surprise Physical Verification/Inspection is conveyed to the respective field office to be conducted in time. During the year under report, a total of 3687 complaints/representations/references were received. 347 cases Surprise Physical Verification (SPV), 241 Inspection, 35 SPV followed by inspection and 276 Survey has been approved. In rest of the cases 1022, cases were rejected and 1766 cases were referred back to respective regions for want of complete information/evidences.



Glimpses of the Conference of Principal Secretaries of States/ Regional Directors/ Sub-Regional Offices / Medical Superintendents/ State Medical Officers / Engineering Officers



3. चिकित्सा देखरेख

3.1 चिकित्सा हितलाभ की व्यवस्था

क.रा.बी. योजना के अंतर्गत, बीमाकृत व्यक्ति एवं उनके पारिवारिक सदस्य उचित चिकित्सा देखरेख प्राप्त करने के हकदार हैं। क.रा.बी. अधिनियम, 1948 के अनुसार, राज्य सरकारों को बीमाकृत व्यक्तियों एवं उनके परिजनों की चिकित्सा देखरेख करने का दायित्व सौंपा गया है।

3.2 अवसंरचना

लाभार्थियों को चिकित्सा देखरेख एक बड़ी अवसंरचना के माध्यम से मुहैया की जाती है जिसमें 110 क.रा.बी. योजना अस्पताल एवं 49 क.रा.बी. निगम अस्पताल, 1859 औषधालय, भा.चि.प. एकक एवं औषधालय सह शाखा कार्यालय सहित, 05 नैदानिक केंद्र, 05 नियोक्ता उपयोगिता औषधालय, 1287 बीमा चिकित्सा व्यवसायी क्लिनिकों तथा अन्य संस्थाओं के साथ टाई-अप व्यवस्था शामिल हैं। बिस्तरों, विशेषज्ञों, औषधालयों, भा.चि.प. एकको, चिकित्सकों, बीमा चिकित्सा व्यवसायीयों इत्यादि का राज्यवार विवरण **परिशिष्ट-III-क** में दिया गया है।

3.3 बाह्य रोगी सेवाएं

योजना के अंतर्गत बाह्य-रोगी चिकित्सा देखरेख निम्नानुसार है:

क) बीमा चिकित्सा व्यवसायी (आईएमपी)

निजी चिकित्सा व्यवसायियों को नामिका (पैनल) चिकित्सक के रूप में नियुक्त किया जाता है। नामिका चिकित्सक से अपना निजी परामर्शी कक्ष तथा औषधालय होने की अपेक्षा की जाती है। प्रत्येक नामिका चिकित्सक को 2000 बीमाकृत व्यक्ति तक परिवार एककों को पंजीकृत करने की अनुमति दी जाती है। बीमा चिकित्सा व्यवसायी नामोददिष्ट नजदीकी क.रा.बी. योजना औषधालय से विनिर्देशित दवाइयां प्राप्त करेगा और इन्हें लाभार्थियों को देगा तथा लाभार्थियों को यूरिन (एल्बुमिन एवं शुगर), हिमोग्लोबिन एवं ब्लड शुगर की जांच कराने की सुविधा भी प्रदान करेगा। वर्तमान में, नामिका व्यवस्था असम, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में लागू है। नामिका व्यवस्था के अधीन बीमा चिकित्सा व्यवसायियों (आई.एम.पी.) को बीमाकृत व्यक्तियों की चिकित्सा देखरेख करने के लिए 8 सितम्बर, 2016 से प्रति व्यक्ति शुल्क (₹ 500/- प्रति बीमाकृत व्यक्ति प्रति वर्ष) का भुगतान किया जाता है।

ख) सेवा औषधालय

क.रा.बी. योजना के अंतर्गत अपेक्षाकृत बड़े औषधालयों में आवश्यक प्रयोगशाला जांच सहित बाह्य-रोगी चिकित्सा देखरेख, बीमाकृत व्यक्तियों एवं उनके परिजनों के विशेष उपयोग हेतु योजना के अंतर्गत स्थापित सेवा औषधालयों के माध्यम से प्रदान की जाती है जिसे पूर्णकालिक चिकित्सा अधिकारियों द्वारा संचालित किया जाता है। क.रा.बी. योजना के अंतर्गत दिनांक 31.03.2020 तक पूरे देश में 1859 सेवा औषधालय हैं।

ग) अस्पताल बाह्य रोगी विभाग

पूरे देशभर में क.रा.बी. अस्पतालों के माध्यम से विभिन्न विशिष्टताओं और अति विशिष्टताओं जैसे औषधि, शल्य चिकित्सा, बाल रोग, प्रसूति एवं महिला रोग, नाक-कान-गला, नेत्र, हृदय रोग, नेफ्रोलॉजी, तंत्रिका विज्ञान, मूत्र विज्ञान, सी.टी.वी.एस. आदि के अंतर्गत बाह्य रोगी सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। इसके अलावा इन-हाउस सेवाएं जैसे कैथ-लैब, डायलिसिस, सी.टी., एम.आर.आइ. आदि सुविधा चुनिंदा स्थानों पर उपलब्ध कराई जा रही हैं।

3.4 बाह्य रोगी परिचर्या

क.रा.बी. संस्थाओं में परिचर्याएं, क.रा.बी. चिकित्सकों द्वारा घर जाकर जाँच, अस्पतालों में भर्ती मामलों और विशेषज्ञ जांच के लिए भेजे गए मामलों से संबंधित सभी आंकड़े क्रमशः **परिशिष्ट-III-ख** और **III-ग** में दिए गए हैं। चिकित्सा परिचर्या स्तर का पता लगाने के लिए, रिपोर्टिंग औषधालयों/निदानशालाओं से संबद्ध केवल बीमाकृत व्यक्तियों/परिवार एककों की संख्या प्रयोग की जाती है। एक बीमाकृत व्यक्ति जिसका उपचार चल रहा है, बीमारी की अवधि विशेष में उसकी प्रथम परिचर्या पर 'नए मामले' के रूप में माना जाता है और उसी अवधि विशेष के दौरान औषधालय या निदानशाला में बाद के चरणों में आगमन "पुराने मामले" माने जाते हैं।

3.5 औषधालयों एवं अस्पतालों में परिचर्या की घटना दर

प्रति 1000 बीमाकृत व्यक्तियों पर नए मामलों की अखिल भारतीय घटना-दर वर्ष 2018-19 में 521 से बढ़कर वर्ष 2019-20 में 528 हो गई। वर्ष 2018-19 में प्रति 1000 बीमाकृत व्यक्ति पुरानी परिचर्याओं की संख्या 433 से बढ़कर वर्ष 2019-20 में 434 हो गई। पुरानी परिचर्या की तुलना में नई परिचर्या का अनुपात वर्ष 2018-19 में 0.83 से घटकर रिपोर्टधीन वर्ष के दौरान 0.82 हो गया है।

3.6 परिचर्या घटना-दर-परिवार (बीमाकृत व्यक्ति) एकक

नए मामलों की अखिल भारतीय घटना दर पिछले वर्ष के दौरान 507 की तुलना में वर्ष 2019-20 में 599 प्रति 1000 परिवार एकक है। पुरानी परिचर्या की संख्या वर्ष 2018-19 में 479 से बढ़कर वर्ष 2019-20 में 497 प्रति 1000 परिवार एकक हो गई। पुरानी परिचर्या की तुलना में नई परिचर्या का अनुपात वर्ष 2018-19 में 0.95 की तुलना में रिपोर्टधीन वर्ष के दौरान 0.82 रहा।

3.7 बीमारी का स्वरूप

पूरे देश के लिए समग्र रूप से प्रति 1000 बीमाकृत व्यक्तियों पर नये मामलों की संख्या के रूप में क.रा.बी. लाभार्थियों के बीमारी स्वरूप की सूचना **परिशिष्ट-III-घ** में दी गई है। प्रत्येक 298 कारण-समूहों को अलग से दर्शाया गया है। बीमाकृत व्यक्तियों के संबंध में (कारण-समूह वार) बीमारी की घटना-दर अधिकतर सूचीबद्ध रोगों के लिए पारिवारिक सदस्यों के संबंध में तदनुसारी घटना-दर के सादृश्य है।



3. MEDICAL CARE

3.1 Provision of Medical Benefit

Under the ESI Scheme, Insured Persons and members of their family are entitled to receive reasonable medical care. As per the ESI Act, 1948 State Government have been entrusted the responsibility for providing medical care to Insured Persons and members of their family.

3.2 Infrastructure

Medical care to beneficiaries is provided through a large infrastructure comprising 110 ESIS hospitals & 49 ESIC hospitals, 1859 dispensaries including ISM and DCBOs, 05 diagnostic center, 05 EUD, 1287 IMP clinics besides tie-up arrangement with other institutions. State-wise details of No. of beds, specialists, dispensaries, ISM Units, Doctors, IMPs etc. are given at **Appendix III-A**.

3.3 Out Patient Services

Out-patient medical care under the scheme is provided as under: -

a) Insurance Medical Practitioner (IMP)

Private Medical Practitioners are appointed as panel doctors. A panel doctor is expected to have his own consulting room and dispensary. Each panel doctor is allowed to register upto 2,000 IP family units. IMP shall collect specified medicines from designated nearest ESIS dispensary for supplying same to beneficiaries and also provide investigation facilities of Urine (albumin & sugar) Hemoglobin and Blood Sugar. At present, panel system is in operation in Assam, Bihar, Gujarat, Karnataka, Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh, West Bengal. IMPs under the panel system are paid capitation fee (₹500/- per IP per year) w.e.f. 8th September, 2016 for providing medical care to ESI beneficiaries.

b) Service Dispensary

Out-patient medical care including essential lab investigations in relatively heavy dispensaries under the ESI Scheme is provided through service dispensaries established under the Scheme for exclusive use of Insured Persons and members of their family, manned by full-time Medical Officers. There are 1859 service dispensaries under ESI scheme all over the country as on 31.03.2020.

c) Hospital OPDs

Out-patient services under various specialties and super specialties like Medicine, Surgery, Pediatrics, Gynae. & Obst., ENT, Eye, Cardiology, Nephrology, Neurology, Urology, CTVS etc. are being provided through ESI hospitals all over the country. Further in-house medical services like Cath-lab, Dialysis, CT MRI etc. are also available at select locations.

3.4 Out-Patient Attendance

All statistics relating to attendance in ESI Institutions, home visits by ESI Doctors, cases admitted in hospitals and cases referred for specialized investigations are given in **Appendix-III-B & III-C** respectively. For working out the level of medical attendance, only the number of IPs/family units attached to the reporting dispensaries/clinics is used. An insured person receiving medical treatment is treated as a 'New Case' on his first attendance in a particular spell of sickness while his subsequent visits to the dispensary or clinic during the same spell are counted as "Old Case".

3.5 Incidence of Attendances in Dispensaries and Hospitals

The all-India incidence of new cases increased from 521 per 1000 Insured Persons in the year 2018-19 to 528 in 2019-20. The number of old attendances has increased from 433 in the year 2018-19 to 434 per 1000 Insured Persons in 2019-20. The proportion of old to new attendance has decreased from 0.83 in the year 2019-20 to 0.82 during the year under report.

3.6 Incidence of Attendances-Family (I.P.) Units

The All-India incidence of new cases in 2019-20 is 599 per 1000 family units as against 507 of the previous year. The number of old attendances increased from 479 in 2018-19 to 497 per 1000 family units in 2019-20. The proportion of old attendance to new was 0.95 in 2018-19 and 0.82 during the year under report.

3.7 Sickness Pattern

Information on the sickness pattern of the ESI beneficiaries for the country as a whole, expressed as number of new cases per 1000 Insured Persons, is given in **Appendix III-D**. Each of the 298 cause-groups is shown separately.

The incidences of sickness (cause-group wise) in Insured Persons bear resemblance to the corresponding incidence in the families, for the most of the listed diseases

3.8 कृत्रिम अंग एवं उपकरणों का प्रावधान

रिपोर्टधीन वर्ष के दौरान निम्नलिखित कृत्रिम अंग और उपकरण लाभार्थियों को निःशुल्क प्रदान किया गए:

क्र. सं.	मद	बीमाकृत व्यक्तियों की संख्या
1.	कृत्रिम दंतावली	5
2.	चश्में	3430
3.	सुनने की मशीन	91
4.	कार्डिएक पेसमेकर	83
5.	वाकिंग कैलिपर, सर्जिकल बूट	57
6.	स्पाइनल सपोर्ट	24
7.	सरवाइकल कॉलर	187
8.	इंट्राओकुलर लेंस	116
9.	अन्य	327

3.9 अक्षमता-संदर्भ

रिपोर्टधीन वर्ष के दौरान, 18 पूर्णकालिक और 15 अंशकालिक चिकित्सा निर्देशियों द्वारा अक्षमता निर्धारण के लिए 167986 बीमाकृत व्यक्तियों के रेफरल मामलों की जांच की गई।

3.10 परिवार कल्याण सेवाएं

क.रा.बी. निगम, रोग प्रतिरक्षण और परिवार कल्याण कार्यक्रम सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम का अनुसरण करता है। क.रा.बी. लाभार्थियों को छोटा परिवार मानकों को अपनाने को प्रोत्साहित करने के क्रम में, निगम चिकित्सा देखरेख के एक अभिन्न भाग के रूप में परिवार कल्याण सेवाएं प्रदान कर रहा है। पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रमुख उपलब्धियां और उपरोक्त अवधि के दौरान दिए गए टीकों की खुराकों की संख्या को दर्शाते हुए रोग प्रतिरक्षण विवरण क्रमशः परिशिष्ट-III-ड एवं परिशिष्ट-व में दिया गया है।

3.11 आयुष को प्रोत्साहित करना

क.रा.बी. निगम, सभी राज्यों में क.रा.बी. निगम/क.रा.बी. योजना अस्पतालों एवं औषधालयों में एलोपैथिक पद्धति सहित आयुष (आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी) सुविधाओं को प्रोत्साहित करता है। पूरे देश में आयुष सुविधाएं, चरणबद्ध तरीके से विकसित की गई हैं।

इस संदर्भ में, क.रा.बी. निगम ने आयुष सेवाओं के सुदृढीकरण के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनका ब्योरा निम्नवत् है:

1. आयुष इकाइयों की स्थापना (21.12.2005 को आयोजित क.रा.बी. निगम की 134वीं बैठक में) हेतु राज्य सरकारों को प्रोत्साहित करने के लिए, क.रा.बी. निगम द्वारा प्रथम पांच वर्ष की अवधि के लिए पूरा खर्च वहन करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया है।
2. सुधार कार्यसूची "ईएसआईसी 2.0" के कार्यान्वयन के लिए आयुष तथा योग सुविधाओं पर क.रा.बी. नीति तैयार की गई तथा दिनांक 30.11.2015 को उसे जारी किया गया है तथा क.रा.बी. निगम/क.रा.बी. योजना अस्पतालों तथा औषधालयों में आयुष सुविधाओं के विस्तार के लिए, क.रा.बी. निगम की 166वीं बैठक में निर्णय किया गया तथा तदनुसार नई आयुष इकाइयां प्रारंभ की जा रही हैं।
3. क.रा.बी. निगम केंद्रीय होम्योपैथिक दर संविदा सं.-2 प्रक्रियाधीन है।
4. क.रा.बी. निगम केंद्रीय आयुर्वेदिक दर संविदा सं. एवाई-8 प्रक्रियाधीन है।
5. आयुष सुविधाओं के प्रचार-प्रसार के लिए क.रा.बी. निगम, प्रदर्शनियों/स्वास्थ्य मेलों में भाग ले रहा है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के साथ ही देश भर में क.रा.बी. निगम तथा क.रा.बी. योजना में आयुष सेवा और क.रा.बी. योजना को प्रोत्साहित करने तथा लोकप्रिय बनाने के लिए अनुसूची के अनुसार, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस उत्सव मना रहा है।
6. दिनांक 31.03.2020 के अनुसार विभिन्न राज्यों में आयुष सुविधाओं की नवीनतम स्थिति परिशिष्ट III-छ में दी गई हैं।

3.12 बीमाकृत व्यक्तियों को उपलब्ध कराई गई चिकित्सा देखरेख

31.03.2020 को 3,41,44,140 बीमाकृत व्यक्तियों/परिवार एककों को चिकित्सा देखरेख उपलब्ध कराई जा रही है।

3.13 अस्पताल बिस्तरों का अधिभाग

वर्ष 2019-20 के लिए प्रतिदिन, प्रति बिस्तर औसत लागत के साथ क.रा.बी. अस्पतालों का राज्यवार बिस्तर अधिभाग परिशिष्ट-III-ज में दिया गया है।

3.14 चिकित्सा देखरेख पर व्यय

वर्ष के दौरान, चिकित्सा देखरेख के प्रावधान पर किया गया कुल व्यय लगभग ₹ 8989.12 करोड़ था। इसमें प्रति व्यक्ति अधिकतम सीमा से अधिक किया गया व्यय तथा अस्पतालों एवं अति विशिष्टता उपचार पर किया गया व्यय भी शामिल है। व्यय का राज्यवार विवरण परिशिष्ट-III-झ में दिया गया है। प्रतिवर्ष, प्रति व्यक्ति अधिकतम व्यय मिजोरम में ₹ 9,693/- दर्ज किया गया और प्रति व्यक्ति न्यूनतम व्यय महाराष्ट्र में ₹ 1,204/- दर्ज किया गया।



श्री संतोष कुमार गंगवार, श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), भारत सरकार, श्री जी. किशन रेड्डी, गृह राज्य मंत्री, भारत सरकार अन्य गणमान्य अतिथियों द्वारा ईएसआईसी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, सनतनगर, हैदराबाद (तेलंगाना) का राष्ट्र को समर्पण एवं इसके नए ओ पी डी ब्लॉक का शिलान्यास।

3.8 Provision of Artificial Limbs and Appliances

During the year under report, the following artificial limbs and appliances were provided free of cost to the beneficiaries:

Sl. No.	Items	No. of IPs
1.	Artificial Denture	5
2.	Spectacle	3430
3.	Hearing Aids	91
4.	Cardiac Pace-maker	83
5.	Walking Caliper, surgical Boots	57
6.	Spinal Support	24
7.	Cervical Collar	187
8.	Intercellular Lens	116
9.	Others	327

3.9 Incapacity Reference

During the year under report, references for 167986 Insured Persons were examined by 18 full time and 15 part time Medical Referee for assessment of incapacity.

3.10 Family Welfare Services

ESIC follows National Health Programme including Immunization & Family welfare programmes. In order to promote small family norms among ESI beneficiaries, Corporation has been providing Family Welfare Services as an integral part of Medical Care. Major achievement under Family Welfare programme for last three year i.e. 2017-18, 2018-19 & 2019-20 and immunization statement showing number of doses of vaccines administered during the period are reflected in **Appendix: III-E** and **Appendix: III-F** respectively.

3.11 Promotion of AYUSH

ESI Corporation promotes AYUSH (Ayurveda, Yoga, Unani, Siddha and Homeopathy) facilities along with the Allopathic system of medicine in ESIC/ESIS hospitals and dispensaries in all States. AYUSH facilities have been developed in a phased manner all over the country.

In this regard the ESI Corporation has taken several steps for strengthening of AYUSH services, the details are as under:

1. It has been approved to bear the entire expenditure on setting up of new AYUSH units in the states for the first five years by ESIC Corporation for encouraging the State Governments for setting up of AYUSH units (in the 134th meeting of the ESIC Corporation held on 21/12/2005),
2. ESI policy on AYUSH and Yoga facilities has been framed and issued on 30/11/2015 for implementation of the Reform Agenda ESIC "2.0" and decisions taken in the 166th meeting of ESI Corporation for expansion of AYUSH facilities in ESIC/ESIS hospitals and dispensaries and accordingly new AYUSH units are started.
3. ESIC Central Homeopathic Rate Contract no.-2 is under progress.
4. ESIC Central Ayurvedic Rate Contract no. Ay-8 is under progress.
5. ESIC has been participating in exhibitions/health melas, Health check up camps and celebrating International Day of Yoga, and also National Ayurveda Day as per the schedule for promotion and popularization of AYUSH services in ESIC & ESIS across the country.
6. The latest Position of AYUSH facilities in various states as on 31.03.2020 is given at **Appendix III-G**.

3.12 Medical care provided to the insured persons:

As on 31.3.2020, 3,41,44,140 Insured Persons family units, are being provided medical care benefit.

3.13 Occupancy of Hospital Beds

The state-wise status of bed occupancy of ESI Hospitals for the year 2019-20 is given in **Appendix: III-H**, along with average cost per bed per day.

3.14 Expenditure on Medical Care

Total expenditure incurred on provision of Medical Care, during the year was about ₹8,989.12 crore. This also includes amount spent over & above per capita ceiling and expenditure on hospitals and super specialty treatments. State-wise break-up of expenditure is given at **Appendix: III-I**. Highest per capita expenditure per annum at ₹9,693/- was recorded in Mizoram (recently implemented state) and the lowest per capita expenditure at ₹1,204/- was recorded in Maharashtra.



Shri Santosh Kumar Gangwar, Minister of State (Independent Charge) for Labour & Employment, Govt. of India, Dr. Harak Singh Rawat, Minister for Forests & Wild Life, Environment & Solid Waste Disposal, Labour & Employment, Training, AYUSH, AYUSH Education, Govt. of Uttarakhand and other Dignitaries lighting the 'Panchdeep' during inauguration of 100 bedded ESIC Hospital at Rudrapur (Uttarakhand).



3.15 चिकित्सा देखरेख व्यय पर नियंत्रण

उपयुक्त बजट नियंत्रण के साथ ही योजना के अंतर्गत चिकित्सा सुविधाओं के प्रावधान में गुणात्मक एवं मात्रात्मक एकरूपता बनाए रखने के लिए क.रा.बी. निगम ने दिनांक 19 फरवरी, 2019 को आयोजित अपनी 177वीं बैठक में राज्य सरकारों द्वारा चिकित्सा देखरेख पर उच्चतम सीमा के भीतर किए जाने वाले पूरे खर्च को वित्तीय वर्ष 2019-20 से 3 वर्ष की प्रारंभिक अवधि के लिए वहन करने का निर्णय किया है।

चिकित्सा देखरेख पर राज्य सरकार के साथ व्यय का विवरण निम्नवत् है:

क) क.रा.बी.निगम और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच एक सीमा तक व्यय का विभाजन

ख) सीमा के बाहर विभाजन योग्य व्यय

ग) सीमा के बाहर क.रा.बी.निगम द्वारा पूर्णतः वहन किया गया व्यय

(क) क.रा.बी.निगम और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच उच्चतम सीमा तक व्यय का विभाजन:

चिकित्सा देखरेख पर व्यय का वहन निर्धारित उच्चतम सीमा के भीतर क.रा.बी. निगम द्वारा किया जाता है, जिसे समय-समय पर संशोधित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु दो उप-शीर्षों पर ₹ 3000/- प्रति बीमित व्यक्ति परिवार एकक की उच्चतम सीमा निम्नानुसार विभाजित की गई है:

(क) प्रशासनिक : ₹ 1,355/- प्रति बीमाकृत व्यक्ति प्रतिवर्ष

(ख) अतिविशिष्टता उपचार, ड्रग्स व ड्रेसिंग सहित अन्य सभी व्यय : ₹ 1,645/- प्रति बीमाकृत व्यक्ति प्रतिवर्ष

(ख) उच्चतम सीमा के बाहर विभाजन योग्य व्यय

(क) अस्पतालों एवं औषधालयों के लिए उपकरणों की प्रारंभिक खरीद।

(ख) प्रति इकाई ₹ 25,000/- से अधिक कीमत वाले उपकरण:

कीमती उपकरणों जैसे एक्स-रे मशीन आदि को बदलने का व्यय या अस्पताल में नये विभाग खोलने हेतु ₹ 25,000/- एवं उससे अधिक की कीमत का उपकरण, जो कि अस्पताल के लिए जरूरी हो, के मामले में उच्चतम सीमा से अधिक राशि निगम एवं राज्य सरकारों के बीच विभाजित होगी।

(ग) वाहनों की खरीद:

नई एम्बुलेंस, मोबाइल डिस्पेंसरी वैन, शव वाहन, कार्यालय वाहन या उनके प्रतिस्थापन पर व्यय, चिकित्सा देखरेख पर व्यय के अंतर्गत अधिकतम सीमा से बाहर विभाजन योग्य राशि से किया जाएगा।

(घ.) नर्सिंग प्रशिक्षण स्कूल।

(ङ.) कुल बजट के 0.5 प्रतिशत तक प्रशिक्षण।

(च.) ₹ 25,000/- तक की राशि से अधिक कीमत के निम्नलिखित गैर-चिकित्सा उपकरणों की खरीद:

- 1.) गैस पाइपलाइन
- 2.) फोटोस्टेट मशीन/फैक्स
- 3.) सामान्य क्षेत्रों एवं सम्मेलन कक्षों के लिए सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली
- 4.) प्रोजेक्टर (ओवरहेड प्रोजेक्टर, स्लाइट प्रोजेक्टर, एलसीडी प्रोजेक्टर)
- 5.) ईपीएबीएक्स
- 6.) एयर कंडीशनर
- 7.) वाटर कूलर
- 8.) वॉक-इन कूलर
- 9.) जल षोधन संयंत्र (वाटर सॉफ्टनर एवं रिवर्स ओसमोसिस)
10. डिस्पले सिस्टम
- 11) क्लोज सर्किट टेलीविजन (सीसीटीवी)
- 12) डीजी सेट
- 13) ऑटोक्लेव्स

(ग) उच्चतम सीमा के बाहर क.रा.बी.निगम द्वारा पूर्ण वहन किया जाता है:

- i) अस्पतालों एवं औषधालयों के लिए भवनों का निर्माण
- ii) अपने स्वामित्व वाले भवनों की मरम्मत एवं रखरखाव
- iii) अस्पतालों के लिए कम्प्यूटरों की खरीद
- iv) पहले तीन वर्षों के लिए नए कार्यान्वित क्षेत्र
- v) पहले पांच वर्षों के लिए पूर्वोत्तर राज्यों में नये कार्यान्वित क्षेत्र
- vi) पांच वर्षों की प्रारंभिक अवधि के लिए नई आयुष इकाइयों की स्थापना
- vii) 70 प्रतिशत से अधिक बिस्तर अधिभोग वाले अस्पतालों हेतु उपकरण
- viii) आदर्श एवं क.रा.बी.निगम द्वारा सीधे संचालित अस्पताल एवं व्यावसायिक रोग केन्द्र
- ix) एमडीडीसी (आदर्श औषधालय सह नैदानिक केन्द्र)



3.15 Control over expenditure on Medical Care

In order to exercise proper budgetary control as well as to maintain a qualitative and quantitative uniformity in provisions of medical facilities under Scheme, ESI Corporation in its 177th meeting held on 19th February, 2019 to bear entire expenditure within the ceiling on medical care incurred by State Govts. for an initial period of three years w.e.f. FY 2019-20.

Details of Expenditure arrangement with State Govt. on medical care, is as under:

- a) Sharing of expenditure between ESIC and various State Govt. upto a ceiling.
- b) Shareable expenditure outside the ceiling.
- c) Expenditure fully borne by the ESIC outside the ceiling.

a) Sharing of expenditure between ESIC and various State Govt. upto a ceiling:

Entire expenditure on medical care is being borne by ESI Corporation within ceiling, which is revised from time to time. Ceiling for FY 2019-20 is ₹3,000/- per IP family unit with the following two sub heads: -

A)	Administrative	:	₹1,355/- per IP per annum.
B)	All other expenditure including SST, Drugs & Dressing	:	₹1,645 per IP per annum.

b) Shareable expenditure outside the ceiling:

a) Initial purchase of equipment for hospitals and dispensaries.

b) Equipments costing more than ₹ 25, 000/- per unit:

Expenditure for replacement of costly equipments like X-ray machine etc. or addition of new department in a hospital, the equipment costing more than ₹ 25,000/- and above, which is considered essential, is to be shared between the Corporation and the State Govts. outside the ceiling.

c) Purchase of vehicles:

Expenditure on purchase of new Ambulances, Mobile dispensary Vans, Hearse Vans, Office vehicles or replacement thereof is to be made from the shareable pool, outside the ceiling on expenditure on medical care.

d) Nurses training school.

e) Training upto 0.5% of the total budget.

f) Purchase of following non-medical equipment, costing above ₹ 25,000/-:-

1. Gas Pipelines
2. Photostat Machine / Fax
3. Public address system for general areas and conference rooms.
4. Projectors (over head projectors, slight projectors, LCD projectors.)
5. EPABX
6. Air conditioners
7. Water coolers
8. Walk- in coolers
9. Water treatment plant (water softener and Reverse osmosis)
10. Display system
11. Close circuit television (CCTV)
12. DG set
13. Autoclaves

c) Expenditure fully borne by ESIC outside the ceiling:

- i) Construction of buildings for hospitals and dispensaries.
- ii) Repair and maintenance of own buildings.
- iii) Purchase of computers for hospitals.
- iv) Newly implemented areas for first three years.
- v) Newly implemented areas in North East States for first five years.
- vi) For establishment of new AYUSH units for initial period of five years.
- vii) Equipments for hospital with bed occupancy more than 70%
- viii) Model & directly run ESIC Hospitals and Occupational Disease Centers.
- ix) MDDC (Model Dispensaries cum Diagnostic Center).



- x) नियोक्ता उपयोग औषधालय (ईयूडी)
- xi) अति विशिष्टता उपचार

3.16 व्यवसायजनित रोग केन्द्र

क.रा.बी. निगम ने व्यावसायिक स्वास्थ्य से जुड़े संरक्षात्मक एवं प्रोत्साहन पहलू के लिए उठाए गए कदमों के अलावा, व्यवसायजनित रोग की पूर्व पहचान एवं त्वरित उपचार के लिए बसईदारापुर, नई दिल्ली में एक व्यावसायिक स्वास्थ्य, पर्यावरण एवं अनुसंधान संस्थान (आईओएचईआर) तथा चार आंचलिक व्यवसायजनित रोग केन्द्र स्थापित किये हैं। ये संस्थान निम्नवत हैं:

उत्तरी अंचल	क.रा.बी. निगम अस्पताल, बसईदारापुर, नई दिल्ली (आईओएचईआर)
दक्षिणी अंचल	के.के. नगर, चेन्नै
पूर्वी अंचल	जोका, कोलकाता
पश्चिमी अंचल	अंधेरी, मुंबई
मध्य अंचल	नंदा नगर, इंदौर

आईओएचईआर व्यावसायिक स्वास्थ्य में सुधार हेतु नोडल संस्थान के रूप में कार्य करने के लिए स्थापित किया गया है। व्यावसायिक रोगों पर आंकड़ें साझा करने, शैक्षिक प्रशिक्षण, समन्वय एवं सहयोग के लिए आईवीपीएसएस एवं क.रा.बी. निगम के बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है।

3.17 चिकित्सा शिक्षा

निगम ने क.रा.बी.योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए अपने पैरा-चिकित्सा कर्मचारियों और अन्य कर्मचारियों के लिए चिकित्सा महाविद्यालय, नर्सिंग महाविद्यालय और प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है। तदनुसार चिकित्सा शिक्षा संस्थाएं विभिन्न स्थानों पर स्थापित की गई हैं। क.रा.बी. निगम द्वारा स्थापित और चलाई जा रही संस्थाएं निम्नवत हैं:-

1) स्नातकोत्तर संस्थान

06 स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान (पीजीआईएमएसआर), राजाजी नगर, बैंगलुरु (कर्नाटक); के.के. नगर, चेन्नई (तमिलनाडु); जोका-कोलकाता (पश्चिम बंगाल); माणिकतला, कोलकाता (पश्चिम बंगाल); बसईदारापुर (नई दिल्ली); और अंधेरी (पूर्व) मुंबई (महाराष्ट्र) में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं।

2) चिकित्सा महाविद्यालय

क.रा.बी. निगम ने 06 क.रा.बी. निगम चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किए हैं और जो राजाजी नगर, बैंगलुरु (कर्नाटक); के.के. नगर, चेन्नई (तमिलनाडु); जोका-कोलकाता (पश्चिम बंगाल); गुलबर्गा, (कर्नाटक); फरीदाबाद, (हरियाणा) और सनतनगर, हैदराबाद, (तेलंगाना) में चल रहे हैं।

शैक्षणिक वर्ष 2019-20 में वर्ष 2017 में एमबीबीएस पाठ्यक्रम को मान्यता देने के बाद क.रा.बी. निगम चिकित्सा महाविद्यालय राजाजी नगर, बैंगलुरु में स्नातक (एमबीबीएस) के तीसरे बैच के छात्रों को प्रवेश दिया गया था। वर्ष 2018 में एमबीबीएस पाठ्यक्रम को मान्यता देने के बाद द्वितीय बैच के स्नातक (एमबीबीएस) छात्रों को भी के.के. नगर, चेन्नई, जोका, कोलकाता और गुलबर्गा, कर्नाटक में क.रा.बी. निगम चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश दिया गया था। एमबीबीएस छात्रों के पांचवें बैच को क.रा.बी. निगम चिकित्सा महाविद्यालय फरीदाबाद, हरियाणा में प्रवेश दिया गया था और एमसीआई ने एमबीबीएस डिग्री प्रदान करने के लिए महाविद्यालय को मान्यता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार से सिफारिश की है। एमबीबीएस छात्रों के चौथे बैच को क.रा.बी. निगम चिकित्सा महाविद्यालय, सनतनगर, हैदराबाद में प्रवेश दिया गया।

3) दंत्य महाविद्यालय

क.रा.बी. निगम रोहिणी, दिल्ली और गुलबर्गा, कर्नाटक में 02 दंत्य महाविद्यालय चला रहा है। 50 विद्यार्थी प्रतिवर्ष बीडीएस प्रवेश के साथ रोहिणी, नई दिल्ली में दंत्य महाविद्यालय अपनी स्थापना के 10वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। बीडीएस छात्रों के तीसरे बैच (2019-20) को क.रा.बी. निगम दंत्य महाविद्यालय, गुलबर्गा में प्रवेश दिया गया था।

4) नर्सिंग महाविद्यालय

क.रा.बी. निगम इंदिरानगर, बैंगलुरु, कर्नाटक और गुलबर्गा, कर्नाटक में 02 नर्सिंग महाविद्यालय चला रहा है तथा इंदिरानगर, बैंगलुरु स्थित क.रा.बी. निगम नर्सिंग महाविद्यालय को 2013-14 में शुरू किया गया है तथा गुलबर्गा, कर्नाटक स्थित क.रा.बी. निगम नर्सिंग महाविद्यालय को 2015-16 में, 40 वार्षिक प्रवेश के साथ शुरू किया जा चुका है।

5) परा-चिकित्सा संस्थान

प्रत्येक में 20 वार्षिक प्रवेश के साथ क.रा.बी. निगम परा-चिकित्सा संस्थान, गुलबर्गा, कर्नाटक में परा-चिकित्सा पाठ्यक्रम अर्थात् ओ.टी. तथा अनेस्थीसिया तकनीक में डिप्लोमा तथा चिकित्सा अभिलेख तकनीक में डिप्लोमा (2019-20) आरंभ किए गए।

6) डीएनबी पाठ्यक्रमों का आरंभ

क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय सनतनगर में, वर्ष 2019 से 3 विषयों अर्थात् अनेस्थीसिया, सर्जरी, पैडियाट्रिक्स में कुल 9 सीटों के साथ डीएनबी पाठ्यक्रम शुरू किए जा चुके हैं।

चिकित्सा शिक्षा के संबंध में निगम द्वारा किए गए निर्णय के कारण (i) कोयम्बतूर, तमिलनाडु (ii) पेरीपल्ली, केरल तथा (iii) मण्डी, हिमाचल प्रदेश में प्रस्तावित चिकित्सा महाविद्यालयों को संबंधित राज्य सरकार को अंतरित किया जा चुका है जिन्होंने इन स्थानों पर एमबीबीएस पाठ्यक्रम शुरू कर दिए।

इस दौरान, क.रा.बी. निगम ने प्रस्तावित चिकित्सा महाविद्यालय अलवर, राजस्थान तथा बिहटा, पटना (बिहार) के संबद्ध अस्पतालों में चिकित्सा सेवाएं शुरू कर दी हैं।



- x) Employers Utilization Dispensary (EUD).
- xi) Super-specialty treatment.

3.16 Occupational Diseases Centre

ESI Corporation has set up one Institute of Occupational Health, Environment & Research (IOHER) centre at Basaidarapur, New Delhi and four Zonal Occupational Disease Centre for providing early detection & prompt treatment, apart from taking steps for preventive & promotive aspect pertaining to occupational health. Institutions are as under: -

North Zone	ESIC Hospital, Basaidarapur, New Delhi (IOHER)
South Zone	K. K. Nagar, Chennai
East Zone	Joka, Kolkata
West Zone	Andheri, Mumbai
Central Zone	Nanda Nagar, Indore

IOHER has been established to act as a nodal Institute for improving occupational health. An MoU has been signed between IVPS & ESIC for coordination and cooperation, academic training & sharing data on occupational diseases.

3.17 Medical Education

The Corporation has decided to establish Medical Colleges, Nursing Colleges and training Institutes for its para-medical staff and other employees with a view to improve the quality of services provided under the ESI Scheme. Accordingly, Medical Education Institutions have been set-up at various location. The Institutions set-up and being run by ESIC are: -

1) PG Institutes

PG courses are running at 06 Postgraduate Institutes of Medical Sciences & Research (PGIMSRs) at Rajajinagar, Bengaluru (Karnataka); K.K. Nagar, Chennai (Tamil Nadu); Joka, Kolkata (West Bengal); Maniktala, Kolkata (West Bengal); Basaidarapur, New Delhi; and Andheri (E) Mumbai (Maharashtra).

2) Medical Colleges

ESIC has established and is running 06 ESIC Medical Colleges at Rajaji Nagar, Bengaluru (Karnataka); K. K. Nagar, Chennai (TN); Joka, Kolkata (WB); Gulbarga (Karnataka); Faridabad (Haryana) and Sanathnagar, Hyderabad (Telangana).

In the academic year 2019-20, 3rd Batch of UG (MBBS) students was admitted at ESIC Medical College, Rajajinagar, Bengaluru after grant of recognition of MBBS Courses in the year 2017. 2nd Batch of UG (MBBS) students was admitted at ESIC Medical Colleges at K.K. Nagar, Chennai; Joka, Kolkata & Gulbarga, Karnataka after grant of recognition of MBBS Course in the year 2018. 5th batch of MBBS students was admitted to the ESIC Medical College Faridabad, Haryana and the MCI recommended to Central Govt. for recognition of the college for award of MBBS degree. 4th batch of MBBS students was admitted to ESIC Medical College at Sanathnagar, Hyderabad.

3) Dental Colleges

ESIC is running 02 Dental Colleges at Rohini, Delhi and Gulbarga, Karnataka. Dental college at Rohini, New Delhi with 50 annual BDS admissions entered its 10th year of commencement. 3rd batch of BDS students (2019-20) was admitted at ESIC Dental College, Gulbarga (Karnataka).

4) Nursing College

ESIC is running 02 Nursing Colleges at Indiranagar, Bengaluru, Karnataka; and Gulbarga, Karnataka. ESIC Nursing College at Indiranagar, Bengaluru has been started in 2013-14 and ESIC Nursing College at Gulbarga, Karnataka has been started in 2015-16 with 40 annual admission.

5) Para Medical Institute

Para Medical Courses were started (2019-20), i.e. Diploma in OT & Anaesthesia Technology; and Diploma in Medical Records Technology, at ESIC Para-medical Institute, Gulbarga, Karnataka with 20 annual admissions each.

6) Start of DNB Courses

DNB courses has been started at ESIC Medical College Sanathnagar from 2019 with a total of 9 seats in 03 subjects i.e. Anaesthesia, Surgery, Paediatrics.

Due to review of decision by the Corporation, regarding Medical Education, the proposed Medical Colleges at (i) Coimbatore, Tamilnadu; (ii) Paripally, Kerala and (iii) Mandi, Himachal Pradesh have been transferred to respective State Government who have started MBBS courses at their location.

Meanwhile, ESIC has started medical services at associated Hospitals of proposed Medical College Alwar, Rajasthan and Bihta, Patna (Bihar).



7) विशेष उपलब्धियां

- (क) क.रा.बी.निगम स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान बसईदारापुर, दिल्ली ने प्रथमतः क.रा.बी.निगम चिकित्सा पत्रिका के प्रकाशन के लिए पंजीकृत किया।
- (ख) क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय फरीदाबाद ने ऑनकोलोजी और यूरोलोजी अति विशिष्ट सेवाओं की शुरुआत की तथा एमबीबीएस पाठ्यक्रम की मान्यता प्राप्त की।
- (ग) क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय राजाजी नगर, बंगलुरु ने नवीं वार्षिक राज्य स्तरीय केसीआईएपीएस पैथोलोजी स्नातकोत्तर प्रश्नोत्तरी (क्विज) संचालित की।
- (घ) क.रा.बी.निगम दंत्य महाविद्यालय, दिल्ली ने श्रम और रोजगार राज्य मंत्री, भारत सरकार एवं अध्यक्ष, क.रा.बी. निगम की अध्यक्षता में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया।

3.18 निर्माण गतिविधियां

31.03.2020 तक निम्नलिखित प्रमुख पूंजी/नवीकरण/मरम्मत परियोजनाएं निष्पादन के अधीन हैं।

क	चिकित्सा महाविद्यालय/स्नातकोत्तर छात्रावास/अस्पताल	परियोजना लागत (₹ करोड़ में)
1	फुलवारीशरीफ, पटना, पटना-बिहार में 50 बिस्तर वाले (100 बिस्तरों में उन्नयन योग्य) क.रा.बी. निगम आदर्श अस्पताल का निर्माण	63.71
2	रायगढ़, छत्तीसगढ़ में 100 बिस्तर वाला क.रा.बी. अस्पताल	74.23
3	भिलाई, छत्तीसगढ़ में 100 बिस्तर वाला क.रा.बी. अस्पताल	103.11
4	नरेला, दिल्ली में क.रा.बी. निगम आयुष अस्पताल का निर्माण	20.72
5	बसईदारापुर, दिल्ली में स्नातकोत्तर संस्थान-सह-चिकित्सा महाविद्यालय, क.रा.बी. अस्पताल	488
6	ओखला, दिल्ली में क.रा.बी. अस्पताल का निर्माण	261.67
7	सूरत, गुजरात में 100 बिस्तर वाले क.रा.बी. अस्पताल, स्टाफ क्वार्टरों तथा उप क्षेत्रीय कार्यालय भवन का निर्माण	59.17
8	आदित्यपुर, झारखंड में 100 बिस्तर वाले क.रा.बी.निगम अस्पताल का नवीकरण और उन्नयन	75.88
9	रांची, झारखंड में 100 बिस्तर वाले क.रा.बी. अस्पताल का निर्माण	71.80
10	डोडाबल्लापुर, कर्नाटक में 100 बिस्तर वाला क.रा.बी. अस्पताल	81.38
11	एमजीएम परेल, मुंबई, महाराष्ट्र में स्नातकोत्तर छात्रावास-सह-नर्सिंग छात्रावास	292.14
12	क.रा.बी.निगम आदर्श अस्पताल, अंधेरी, महाराष्ट्र में स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान (पीजीआईएमएसआर) तथा स्नातकोत्तर छात्रावास-सह-स्टाफ हाउसिंग	296.27
13	रुद्रपुर, जिला-उधमसिंह नगर, उत्तराखंड में 100 बिस्तर वाला क.रा.बी. अस्पताल	97.72
14	वाराणसी, उत्तर प्रदेश में 150 बिस्तर वाले अति-विशिष्टता अस्पताल का निर्माण	141.98
15	पांडु नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश में मौजूदा अस्पताल का नवीनीकरण और 50 बिस्तरों वाले अति विशिष्ट उपचार (एसएसटी) सुविधाओं की स्थापना	254.80
16	हल्दिया, पश्चिम बंगाल में 100 बिस्तर वाला क.रा.बी. अस्पताल	57.10
17	आसनसोल, पश्चिम बंगाल में 50 बिस्तर वाले क.रा.बी. अस्पताल का 100 बिस्तर अस्पताल में उन्नयन	30.23
18	नचाराम, हैदराबाद, तेलंगाना में अस्पताल का निर्माण	244.49
19	बिबेवाड़ी में मौजूदा अस्पताल का 50 बिस्तरों से 100 बिस्तरों के अस्पताल में उन्नयन और नवीनीकरण	53.86
20	सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल में 100 बिस्तर वाले अस्पताल का निर्माण	59.47
ख	औषधालय/शाखा कार्यालय	
19	डीआईएमएस भवन हरियाणा	8.38
20	पनकी, उत्तर प्रदेश में औषधालय	2.33
21	राय बरेली, उत्तर प्रदेश में औषधालय	2.77
22	शाखा कार्यालय, पेयडिभिमावरम्, आंध्र प्रदेश में 06 बिस्तरों वाला आदर्श औषधालय एवं नैदानिक केंद्र	5.64

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान निर्मित अस्पतालों तथा बिस्तरों की संख्या का विवरण परिशिष्ट III अ में दिया गया है।



7) Special Achievements

- (a) ESIC PGIMSRS Basaidarapur, Delhi registered first ever issue of ESIC Medical Journal for publication.
- (b) ESIC MC Faridabad started Oncology & Urology super-specialty services & got recognition of MBBS course.
- (c) ESIC MC Rajajinagar, Bengaluru conducted IXth Annual State Level KCIAPM Pathology Postgraduate Quiz.
- (f) ESIC DC Rohini, Delhi organized convocation presided by Minister of State for Labour & Employment, Govt. of India and Chairman, ESIC.

3.18 Construction Activities

The following major capital/renovation/repair projects are under execution as on 31.03.2020.

A	MEDICAL COLLEGE/PG HOSTELS/HOSPITALS	PROJECT COST (₹ In Crore)
1	Construction of 50 bedded ESIC Model Hospital at Phulwarisarif, Patna (upgradable to 100 beds), Patna, Bihar	63.71
2	100 bedded ESI Hospital at Raigarh, Chhattisgarh.	74.23
3	100 bedded ESI Hospital at Bhilai, Chhattisgarh.	103.11
4	Construction of ESIC Ayush Hospital at Narela, Delhi.	20.72
5	PG Institute cum Medical College, ESI Hospital, Basaidarapur, Delhi.	488
6	Construction of ESI Hospital at Okhla, Delhi.	261.67
7	Construction of 100 bedded ESI Hospital, Staff Quarters and SRO building at Surat, Gujarat.	59.17
8	Renovation and Upgradation of 100 bedded ESIC Hospital at Adityapur, Jharkhand.	75.88
9	Construction of 100 bedded ESI Hospital at Ranchi, Jharkhand.	71.80
10	100 bedded ESI Hospital at Doddaballapur, Karnataka.	81.38
11	PG Hostel cum Nursing Hostel at MGM Parel, Mumbai, Maharashtra.	292.14
12	PGIMSRS and PG Hostel cum Staff Housing at ESIC Model Hospital, Andheri, Maharashtra.	296.27
13	100 bedded ESI Hospital at Rudrapur, Distt. Udhamasinghnagar, Uttarakhand.	97.72
14	Construction of 150 bedded Super Specialty Hospital at Varanasi, Uttarpradesh.	141.98
15	Renovation of existing Hospital and setting up of 50 bedded SST facilities at Pandu Nagar, Kanpur, Uttar Pradesh.	254.80
16	100 bedded ESI Hospital at Haldia, West Bengal.	57.10
17	Upgradation from 50 to 100 bedded ESI Hospital at Asansol, West Bengal.	30.23
18	Construction of Hospital at Nacharam, Hyderabad, Telangana.	244.49
19	Upgradation of 50 to 100 beds and renovation of existing Hospital at Bibvewadi.	53.86
20	Construction of 100 bedded Hospital at Siliguri, West Bengal	59.47
B	DISPENSARIES/BRANCH OFFICES	
19	DIMS Building Haryana.	8.38
20	Dispensary at Panki, Uttar Pradesh.	2.33
21	Dispensary at Rai Bareilly, Uttar Pradesh	2.77
22	Model Dispensary & Diagnostic Centre with 06 Beds and Branch Office, Pydibhimavaram, Andhra Pradesh	5.64

Details of No. of Hospitals and beds constructed during the year under report is given at **Appendix-III-J**.



4. नकद हितलाभ भुगतान

4.1 परिचय

चिकित्सा देखभाल के अलावा, क.रा.बी. योजना के अधीन लाभार्थियों को कई नकद हितलाभ भी प्रदान किए जाते हैं। बीमारी के कारण शारीरिक व्यधि, अस्थायी या स्थायी निःशक्तता के कारण अर्जन क्षमता में हानि, बीमाकृत महिला के संबंध में प्रसूति आदि के समय नकद हितलाभ भुगतान किया जाता है। बीमाकृत व्यक्ति, जिनकी मृत्यु दुर्घटना के कारण रोजगार चोट अथवा व्यवसायजनित बीमारी के कारण हुई हो, के आश्रितजन मासिक भुगतान प्राप्त करने के हकदार होते हैं जिसे आश्रितजन हितलाभ कहा जाता है।

जिन क्षेत्रों में योजना लागू है, वहां निगम द्वारा स्थापित शाखा कार्यालयों तथा भुगतान कार्यालयों में नकद हितलाभ का भुगतान किया जाता है। ऐसे कार्यालयों की सं. 559/185 है।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान बीमारी, मातृत्व, निःशक्तता तथा आश्रितजन हितलाभों संबंधी नकद हितलाभ दावों की घटना-दर का राज्यवार ब्योरा क्रमशः **परिशिष्ट-IV-क, IV-ख** तथा **IV-ग** में दिया गया है। वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान प्रत्येक क्षेत्र/उप-क्षेत्र में किए गए नकद हितलाभ भुगतानों की कुल संख्या **परिशिष्ट- IV-क** में दर्शायी गई है। कुल मिलाकर, वर्ष 2019-20 के दौरान कुल 39.74 लाख भुगतान किए गए। प्रतिवर्ष प्रति कर्मचारी किए गए भुगतानों की औसत संख्या पिछले वर्ष के दौरान 0.08 की तुलना में रिपोर्टाधीन वर्ष में 0.09 हो गई है।

4.2 बीमारी हितलाभ

परिशिष्ट-IV-क के अनुसार बीमारी हितलाभ के लिए हकदार कर्मचारियों की कुल अनुमानित संख्या पिछले वर्ष में 453.41 लाख की अपेक्षा में वर्ष 2019-20 के दौरान लगभग 458.24 लाख है। वर्ष 2019-20 में प्रति कर्मचारी प्रतिवर्ष बीमारी के नए मामलों की औसत संख्या 0.01 है। बीमारी हितलाभ की प्रति कर्मचारी औसत दैनिक दर की राशि पिछले वर्ष में 301.41 से बढ़कर वर्ष 2019-20 के दौरान 316.67 हो गई। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान बीमारी हितलाभ के रूप में पिछले वर्ष में ₹ 379.45 करोड़ के मुकाबले इस वर्ष ₹ 396.89 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया था। प्रति-कर्मचारी प्रतिवर्ष बीमारी हितलाभ दिवसों की अखिल भारतीय औसत पिछले वर्ष में 0.28 दिन से घटकर रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान 0.27 दिन हो गई।

4.3 विस्तारित बीमारी हितलाभ

वर्ष 2019-20 तथा 2018-19 के लिए प्रति 1000 कर्मचारी नए दावों की संख्या के रूप में व्यक्त विस्तारित बीमारी हितलाभ घटना-दर तथा अवसानित दावों की औसत अवधि **परिशिष्ट-IV-क** के क्रमशः कालम (9) एवं (10) में दी गई है। विस्तारित बीमारी हितलाभ की अखिल भारतीय घटना-दर वर्ष 2019-20 के दौरान 0.20 मामले प्रति 1000 कर्मचारी है।

4.4 मातृत्व हितलाभ

मातृत्व हितलाभ के लिए पात्र मानी गई महिला कर्मचारियों की अनुमानित संख्या 2018-19 में 51.2 लाख से बढ़कर 2019-20 में 62.60 लाख हो गई। पिछले वर्ष में भुगतान किए गए ₹ 36908.02 लाख की तुलना में रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान मातृत्व हितलाभ के रूप में ₹38361.86 लाख की कुल राशि का भुगतान किया गया। प्रति मातृत्व दावा नकद हितलाभ भुगतान की औसत राशि 2018-19 में ₹ 70013 से बढ़कर 2019-20 में ₹ 77971 हो गई। प्रति हजार बीमाकृत महिला कर्मचारियों के दावों की संख्या वर्ष 2018-19 में 10.30 से घटकर वर्ष 2019-20 में 7.85 हो गई। प्रति हजार महिला कर्मचारी दावों की घटना-दर एरणकुलम में सबसे अधिक 22.58 तथा कानपुर में सबसे कम 1.61 थी।

4.5 अस्थायी निःशक्तता हितलाभ

अस्थायी निःशक्तता हितलाभ दावों की घटना दर **परिशिष्ट-IV-ख** में दर्शायी गई है। रोजगार चोट से ग्रस्त कर्मचारियों की संख्या 2018-19 में 312.60 लाख की अपेक्षा वर्ष 2019-20 में 311.84 लाख है। वर्ष 2018-19 के दौरान ₹ 9775.89 लाख की राशि तथा वर्ष 2019-20 में ₹ 9291.09 लाख अस्थायी निःशक्तता हितलाभ के रूप में भुगतान किया गया। नए मामलों की औसत संख्या प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में समान अर्थात् 0.002 रही। प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष हितलाभ दिवसों की औसत संख्या वर्ष 2018-19 के दौरान 0.09 से घटकर वर्ष 2019-20 के दौरान 0.08 हो गयी। अस्थायी निःशक्तता हितलाभ की औसत दैनिक हितलाभ दर पिछले वर्ष ₹ 337.02 से बढ़कर ₹ 365.76 हो गई।

4.6 स्थायी निःशक्तता हितलाभ

स्थायी निःशक्तता हितलाभ मामलों की घटना-दर **परिशिष्ट-IV-ख** के कॉलम 7 से 10 में दर्शायी गई है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान स्वीकृत नए स्थायी निःशक्तता हितलाभ मामलों की संख्या वर्ष 2018-19 में 12628 से बढ़कर वर्ष 2019-20 में 12793 हो गई। वर्ष 2019-20 के दौरान प्रति हजार स्थायी निःशक्तता हितलाभ मामलों की घटना दर 0.41 प्रति हजार बीमाकृत व्यक्ति रही। स्थायी निःशक्तता हितलाभ के दावेदारों की संख्या वर्ष 2018-19 में 281331 से बढ़कर रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान वर्ष 2019-20 में 299673 हो गई। स्थायी निःशक्तता हितलाभ से संबंधित ऐसे सभी नकद भुगतान ईसीएस के माध्यम से सीधे लाभार्थी के खाते में किए जाते हैं। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान स्वीकृत नए मामलों के संबंध में स्थायी निःशक्तता हितलाभ दावों का पूंजीगत मूल्य पिछले वित्तीय वर्ष के ₹ 33162.39 लाख के मुकाबले ₹ 39639.09 लाख है। आवधिक भुगतानों के बदले संराशीकृत मूल्य प्राप्ति हेतु विकल्प देने वाले स्थायी निःशक्तता हितलाभ के दावेदारों की संख्या वर्ष 2019-20 में 3020 से बढ़कर 3194 हो गई।

4.7 आश्रितजन हितलाभ

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान आश्रितजन हितलाभ के लिए स्वीकृत दावों की संख्या **परिशिष्ट-IV-ख** के कॉलम (11) में दी गई है। आश्रितजन हितलाभ के लिए स्वीकृत नए दावों की संख्या 2018-19 में 2388 से बढ़कर वर्ष 2019-20 में 3139 हो गई। वर्ष के दौरान आश्रितों के रूप में स्वीकृत व्यक्तियों की कुल संख्या 7730 है। आश्रितजन हितलाभ से संबंधित ऐसे सभी भुगतान ईसीएस के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे जमा किये जा रहे हैं। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान स्वीकृत आश्रितजन हितलाभ के दावों की पूंजीगत राशि पिछले वर्ष की पूंजीगत राशि ₹ 31220.91 लाख की तुलना में ₹ 41723.87 लाख थी।



4. CASH BENEFIT PAYMENTS

4.1 Introduction

Apart from medical care, arrays of cash benefits are also provided to the beneficiaries under the ESI Scheme. It is payable in times of physical distress due to sickness, temporary or permanent disablement resulting in loss of earning capacity, confinement in respect of insured women etc. Dependants of insured persons who die of employment injury caused by accident or occupational disease are entitled to monthly payments called the dependants benefit.

Cash benefit payments are made at the branch offices and pay offices set up by the Corporation in areas where the scheme is in operation. The number of such offices is 559/185.

The state-wise break-up, of the incidence of cash benefit claims relating to sickness, maternity, disablement and dependants benefit during the year under report are given in **Appendices-IV-A, IV-B, IV-C** respectively. The total number of cash benefit payments made in each Region/Sub-Region during the year 2018-19 & 2019-20 is given in **Appendix-IV-A**. In total, 39.74 Lakhs payments were made during the year 2019-20. The average number of payments per employee per annum is 0.09 during the year under the report as against 0.08 in the previous year.

4.2 Sickness Benefit

The total number of employees entitled for sickness benefit during the year 2019-20 is estimated about 458.24 Lakhs as against 453.41 Lakhs in the previous year as given in **Appendix-IV-A**. The average number of fresh spells per employee per annum during 2019-20 is 0.01. The amount of average daily rate of sickness benefit per employee increased to ₹ 316.67 during 2019-20 from ₹ 301.41 in the previous year. During the year under report, an amount of ₹ 396.89 crore was paid as sickness benefit as against ₹ 379.45 crore in the previous year. The All India average of sickness benefit days, per employee per annum has decreased from 0.28 days in the previous year to 0.27 days during the year under report

4.3 Extended Sickness Benefit

The incidence of extended sickness benefit claims expressed as the number of fresh claims per 1000 employees and the average duration of terminated claims for the year 2019-20 and 2018-19 are given in Columns (9) & (10) of **Appendix-IV-A** respectively. The All-India incidence of extended sickness benefit claim during the year 2019-20 is 0.20 per 1000 employees.

4.4 Maternity Benefit

The estimated number of women employees deemed eligible for Maternity Benefit increased from 51.2 Lakhs in 2018-19 to 62.6 Lakhs in 2019-20. An amount of ₹ 38361.86 Lakhs was paid as Maternity benefit during the year under report as against ₹ 36908.02 Lakhs paid in the previous year. The average amount of cash benefit payment per maternity claim increased from ₹ 70013 in 2018-19 to ₹ 77971 in 2019-20. The number of claims per thousand insured women employees, decreased from 10.30 in the year 2018-19 to 7.85 in 2019-20. The incidence of the claims per thousand women employees was the highest in Ernakulam 22.58 and lowest in Kanpur at 1.61.

4.5 Temporary Disablement Benefit

The incidence of temporary disablement benefit claims is shown in Appendix-IV-B. The number of employees exposed to employment injury is 311.84 Lakhs in 2019-20 as against 312.60 Lakhs in 2018-19. The amount paid as Temporary Disablement Benefit, during the year 2018-19 was ₹ 9775.89 Lakhs and is ₹ 9291.09 Lakhs in 2019-20. The average number of fresh spells per employee per annum is same in 2018-19 & 2019-20 i.e. 0.002. Average number of benefit days per employee per annum has decreased from 0.09 during 2018-19 to 0.08 during the year 2019-20. The average daily benefit rate of TDB has increased to ₹ 365.76 from ₹ 337.02 in the previous year

4.6 Permanent Disablement Benefit

The incidence of permanent disablement benefit cases registered is shown in Col. 7 to 10 of **Appendix-IV-B**. The number of fresh cases admitted during the year under report increased to 12793 in 2019-20 from 12628 in 2018-19. The incidence of permanent disablement benefit per thousand Insured Persons is 0.41 during 2019-20. The number of claimants of Permanent Disablement Benefit has increased from 281331 in 2018-19 to 299673 in 2019-20 during the period under the report.

All such cash payment of PDB is being made directly in the bank account of the beneficiary, through ECS. The capitalized value of permanent disablement benefit claims in respect of fresh cases admitted during the year is ₹ 39639.09 lakhs as against ₹ 33162.39 lakhs in the previous financial year. The number of claimants of permanent disablement benefit who opted for receipt of commuted value in lieu of periodical payment has increased to 3194 from 3020 in 2019-20.

4.7 Dependants' Benefit

The number of claims admitted for Dependants' Benefits during the year under report is given in column (11) of appendix-IV-B. The number of fresh claims admitted for Dependants' Benefit during the year 2019-20 has increased to 3139 from 2388 in year 2018-19. The total number of persons admitted as Dependants during the year is 7730.

All such cash payments on account of DB are being made directly to the bank account of the beneficiary, through ECS. The capitalized value in respect of Dependants' benefit claims admitted during the year was ₹ 41723.87 lakhs as against capitalized values of ₹ 31220.91 lakhs in the previous year.

4.8 राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना (आरजीएसकेवाई) के अंतर्गत बेराजगारी भत्ता

राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना 01.04.2005 को प्रारंभ की गई थी जिसका उद्देश्य ऐसे बीमाकृत व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता प्रदान करना है जो कारखाना/प्रतिष्ठान बंद होने, छंटनी या गैर-रोजगार चोट, जो कि 40 प्रतिशत से कम न हो, के कारण स्थायी तौर पर अशक्त हो गए हैं।

योजना को अधिक आकर्षक तथा संगत बनाने के लिए क.रा.बी. निगम ने 06.09.2016 को आयोजित अपनी 169वीं बैठक में आरजीएसकेवाई के अंतर्गत लाभ उठाने के लिए अंशदान के भुगतान की योग्यता आवश्यकता 3 वर्ष से घटाकर 2 वर्ष करने और बीमाकृत व्यक्ति/बीमाकृत महिला के पूरे बीमायोग्य रोजगार के दौरान बेरोजगारी भत्ते की अवधि वर्तमान में 12 माह से बढ़ाकर 24 माह करने का अनुमोदन किया। इस अवधि के दौरान, बीमाकृत व्यक्ति/बीमाकृत महिला पहले 12 माह के लिए पिछली औसत दैनिक मजदूरी का 50 प्रतिशत की दर और अंतिम 12 माह के लिए शेष औसत दैनिक मजदूरी का 25 प्रतिशत की दर से प्राप्त करेगा।

दाखिल किये गये दावों की संख्या वर्ष 2018-19 में 1430 की तुलना में वर्ष 2019-2020 में 1229 है और इस लेखा पर व्यय पिछले वर्ष के दौरान 8.42 करोड़ की तुलना में वर्ष 2019-2020 में 9.50 करोड़ है।

राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना के अंतर्गत बीमाकृत व्यक्ति/महिला डीजीईटी, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत "उन्नत व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान" से 01 वर्ष तक के अल्पावधि पाठ्यक्रम प्राप्त कर सकते हैं। सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थानों की अनुपलब्धता के मामले में कौशल उन्नयन प्रतिष्ठित निजी संस्थानों से भी प्राप्त किया जा सकता है।

4.9 अंत्येष्टि खर्च

क.रा.बी. योजना के अंतर्गत बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु के मामले में अंत्येष्टि खर्च के रूप में ₹ 15,000/- की अधिकतम एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाता है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान इस संबंध में पिछले वर्ष के ₹1719.25 लाख की तुलना में ₹ 2379.67 लाख की राशि का भुगतान किया गया। प्रति हजार कर्मचारी दावों की संख्या के रूप में व्यक्त, अंत्येष्टि खर्च दावों की घटना दर 2018-19 में 0.55 से घटकर 2019-20 में 0.53 हो गई।

4.10 शिथिलता प्रमाणन एवं नकद हितलाभ के दुरुपयोग पर नियंत्रण

निगम शिथिलता प्रमाणन एवं नकद हितलाभ के दुरुपयोग पर नियंत्रण करने के लिए बीमारी हितलाभ एवं अस्थायी निःशक्तता हितलाभ की राज्यवार घटनाओं की नियमित निगरानी कर रहा है। वर्ष 2019-20 के लिए बीमारी हितलाभ एवं अस्थायी निःशक्तता हितलाभ की अखिल भारतीय औसत घटनाएं क्रमशः 0.28 तथा 0.08 दिन प्रति कर्मचारी प्रतिवर्ष थी। वर्ष 2019-20 के दौरान राज्यों/क्षेत्रों अर्थात् विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, तिरुपति, वडोदरा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, पीण्णा, हुबली, मंगलोर, त्रिशूर, एरणाकुलम, कोल्लम, कोजीकोड, तिरुवनंतपुरम, इंदौर, भोपाल, नागपुर, औरंगाबाद, नाशिक, ओडिशा, पुदुच्चेरी, जालंधर, उदयपुर, मदुरै, तिरुरेलवेली, कानपुर, उत्तराखंड, कोलकाता, बैरकपुर तथा दुर्गापुर में बीमारी हितलाभ की घटनाएं औसत से ज्यादा पाई गई थी। वर्ष 2019-20 के दौरान राज्यों/क्षेत्रों अर्थात् रोहिणी, अहमदाबाद, वडोदरा, फरीदाबाद, हिमाचल प्रदेश, हुबली, त्रिशूर, एरणाकुलम, कोल्लम, कोजीकोड, तिरुवनंतपुरम, इंदौर, भोपाल, नागपुर, औरंगाबाद, नासिक, पुदुच्चेरी, पंजाब, लुधियाना, जालंधर, उदयपुर, जोधपुर, कोलकाता, बैरकपुर और दुर्गापुर में अस्थायी निःशक्तता हितलाभ की घटनाएं औसत से ज्यादा पाई गई थी।

जहां कहीं भी बीमारी हितलाभ/अस्थायी निःशक्तता हितलाभ की घटनाएं अखिल भारतीय औसत की तुलना में ज्यादा पाई गई थी, संबंधित क्षेत्रीय निदेशकों/संयुक्त निदेशक प्रभारी को उपयुक्त रूप से सूचित किया गया और उनसे शिथिलता प्रमाणन को रोकने के लिए उचित उपाय करने का अनुरोध किया गया।

4.11 अतिरिक्त बीमारी हितलाभ के मामले में खर्चों की सहभागिता

जहाँ भी बीमारी हितलाभ की घटनाएं अखिल भारतीय औसत या 3 दिन प्रति कर्मचारी प्रतिवर्ष, जो भी अधिक हो, से ज्यादा है तो क.रा.बी. अधिनियम की धारा 58(2) के अन्तर्गत बीमारी हितलाभ की अधिक राशि की सहभागिता क.रा.बी. निगम एवं संबंधित राज्य सरकारों के मध्य करने का प्रावधान है। वर्ष 2019-20 के दौरान किसी भी राज्य में बीमारी हितलाभ की घटना-दर 3 दिन प्रति कर्मचारी प्रतिवर्ष से अधिक नहीं पाई गयी तथा इसी कारण वर्ष 2019-20 में किसी भी राज्य सरकार से अतिरिक्त बीमारी हितलाभ के लिए कोई धनराशि वसूल नहीं की गई।



श्री अर्जुन राम मेघवाल, संसदीय कार्य राज्य मंत्री, भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर द्वारा प्रकाशित कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अनूठे लाभ पर पोस्टर का अनावरण करते हुए।



उप क्षेत्रीय कार्यालय, विशाखापट्टनम (आंध्र प्रदेश) द्वारा बीमित व्यक्ति के आश्रित को आश्रितजन हितलाभ की पहली किस्त के भुगतान के दौरान लिया गया एक चित्र।

4.8 Unemployment Allowance under RGSKY

Rajiv Gandhi Shramik Kalyan Yojana, was introduced w.e.f. 01.04.2005, to provide unemployment allowance to the insured person who have been rendered unemployed involuntarily on account of closure of factory/establishment, retrenchment or permanent invalidity not less than 40% arising out of non-employment injury.

To make the scheme more attractive and relevant ESI Corporation in its 169th Meeting held on 06.09.2016 has approved to reduce the eligibility requirement of payment of contribution from 3 years to 2 years for availing benefits under RGSKY and increased the duration of unemployment allowance from existing 12 months to 24 months during the entire insurable employment of the IP/IW. During this period, the IP/IW would get the benefit for the first 12 months at the rate of 50% of the last average daily wages and at 25% for the last 12 months.

The Number of claims admitted in the year 2019-2020 is 1229 as against 1430 in the year 2018-2019 and the expenditure on this account in the year 2019-2020 is 9.50 crore as against ₹ 8.42 crore during the previous year.

Under the RGSKY, the IP/IW can undergo short duration courses upto 01 year from “Advanced Vocational Training Institutions” under the DGET, MOL&E, Govt. of India. Only in case of non-availability of Government accredited Institutions, the skill up-gradation may be resorted from in reputed Private Institutions.

4.9 Funeral Expenses

Under the ESI Scheme, payment is made in lump-sum up to a maximum of ₹ 15000/- in case of death of an Insured Person as funeral expenses. During the year under report, a sum of ₹ 2379.67 lakhs were paid on this account as against ₹ 1719.25 lakhs in the previous year. The incidence of funeral expenses claims, expressed as number of claims per thousand employees decreased to 0.53 during 2019-20 from 0.55 in 2018-19.

4.10 Control of Lax Certification and Misuse of Cash Benefits

The Corporation has been regularly monitoring state wise incidence of Sickness and Temporary Disablement to control lax certification and misuse of cash benefits. The All India average incidence of Sickness Benefit and Temporary Disablement for the year 2019-2020 was 0.28 and 0.08 days per employee per annum respectively.

During the year 2019-2020 the average incidence of sickness Benefit was found to be higher in the states/areas of Vijayawada, Vishakhapatnam, Tirupati, Vadodara, Himachal Pradesh, Jharkhand, Peenya, Hubli, Mangalore, Trissur, Ernakulam, Kollam, Kozhikode, Thiruvanthapuram, Indore, Bhopal, Nagpur, Aurangabad, Nasik, Orissa, Puducherry, Jalandhar, Udaipur, Madurai, Tirunelveli, Kanpur, Uttarakhand, Kolkata, Barrackpore & Durgapur. During the year 2019-2020 the average incidence of Temporary Disablement Benefit was found to be higher in the states/areas of Rohini, Ahmedabad, Vadodara, Faridabad, Himachal Pradesh, Hubli, Trissur, Ernakulam, Kollam, Kozhikode, Thiruvanthapuram, Indore Bhopal, Nagpur, Aurangabad, Nasik, Puducherry, Punjab, Ludhiana, Jalandhar, Udaipur, Jodhpur, Kolkata, Barrackpore & Durgapur.

Wherever incidence of SB/TDB was found to be higher compared with the All India average, concerned Regional Directors/Jt. Directors I/c were suitably informed and requested to take measures to curb the lax certification.

4.11 Sharing of Expenditure in case of excess Sickness Benefit

Section 58(2) of ESI Act provides for sharing of excess amount of sickness benefit between the ESI Corporation and the respective State Government where the incidence of Sickness Benefit exceeds the All India average or 3 days per employee per annum, which ever is more. During the year 2019-2020, the incidence of Sickness Benefit did not exceed 3 days per annum per employee in any State. Accordingly no amount towards excess sickness benefit is recoverable from any of the State Govt. for the year 2019-2020.



Addl. Commissioner & Regional Director, Ranchi (Jharkhand) distributing Health Passbook for ESI Beneficiaries to an Insured Woman during ESIC 'Special Services Fortnight'.



Regional Director, Faridabad (Haryana) interacting with a patient during a visit to ESI Hospital, Panipat (Haryana).



5. वित्त

5.1 बजट प्राक्कलन

क.रा.बी. निगम ने दिनांक 19 फरवरी, 2020 को आयोजित अपनी 178वीं बैठक में वर्ष 2020-21 के बजट प्राक्कलन अंगीकृत किए। भारत सरकार ने दिनांक 04 जून, 2019 व 11 जुलाई, 2019 के पत्र सं. जी-2007/01/2019-एसएस-1 के द्वारा प्राक्कलनों को अनुमोदन प्रदान किया।

5.2 आय और व्यय

वर्ष 2020-2021 के बजट प्राक्कलनों सहित वर्ष 2018-2019 और 2019-2020 के दौरान निगम की आय और व्यय का विवरण नीचे दर्शाया गया है।

₹ करोड़ में

लेखा शीर्ष	वास्तविक 2018-2019	वास्तविक (अनंकेक्षित) 2019-2020	प्राक्कलन 2020-2021
(1)	(2)	(3)	(4)
1. आय			
अंशदान	22279.14	16744.56	18500.00
ब्याज	4629.98	5298.19	6150.81
शुल्क, जुर्माना तथा जब्तियाँ	48.80	48.68	50.00
किराया, पौरकर तथा कर	51.47	5.47	3.00
अन्य आय	303.25	65.01	85.00
कुल आय	27312.64	22161.91	24788.81
2. व्यय			
1. हितलाभ			
क. चिकित्सा हितलाभ	8721.39	9368.30	11807.47
ख. नकद हितलाभ	1171.00	1867.21	2238.56
ग. अन्य हितलाभ	2.46	2.12	3.88
कुल हितलाभ	9894.85	11237.63	14049.91
2. प्रशासनिक खर्च	1155.55	1727.76	1798.68
3. पूँजीगत निर्माण निधि में अंशदान	0.00	0.00	0.00
कुल व्यय	11050.40	12965.39	15848.59
4. अन्य प्रावधान (पूर्वावधि मदे)	34.92	67.87	-
कुल योग	11085.32	13033.26	15848.59



5. FINANCE

5.1 Budget Estimates

The ESI Corporation adopted the Budget Estimates for the year 2020-2021 in its 178th meeting held on 19.02.2020. The Govt. of India has also accorded its approval on these estimates vide its letter No. G-2007/01/2019-55-I dated 04.06.2019 and 11.07.2019

5.2 Income & Expenditure

The Income & Expenditure statement of the Corporation for the year 2018-2019 and 2019-2020 together with the Budget Estimates for the year 2020-2021 are reproduced below:

₹ in crore

Head of Account	Actuals 2018-2019	Actuals (Unaudited) 2019-2020	Estimates 2020-2021
(1)	(2)	(3)	(4)
I. INCOME			
Contribution	22279.14	16744.56	18500.00
Interest	4629.98	5298.19	6150.81
Fees, Fines & Forfeitures	48.80	48.68	50.00
Rent, Rates & Taxes	51.47	5.47	3.00
Other Income	303.25	65.01	85.00
TOTAL INCOME	27312.64	22161.91	24788.81
II. EXPENDITURE			
1. BENEFITS			
A. Medical Benefits	8721.39	9368.30	11807.47
B. Cash Benefits	1171.00	1867.21	2238.56
C. Other Benefits	2.46	2.12	3.88
TOTAL BENEFITS	9894.85	11237.63	14049.91
2. Administrative Expenses	1155.55	1727.76	1798.68
3. Contribution to Capital Construction Fund	0.00	0.00	0.00
Total Expenditure	11050.40	12965.39	15848.59
4. Other Provision (Prior Period items)	34.92	67.87	-
GRAND TOTAL	11085.32	13033.26	15848.59



5.3 रक्षित निधि और क.रा.बी. निगम निधि से निवेश:

दिनांक 31.03.2019 और 31.03.2020 तक की स्थिति अनुसार विभिन्न आरक्षित निधियों तथा क.रा.बी. सामान्य आरक्षित निधि (सामान्य नकद शेष राशि) से संबंधित निगम द्वारा किए निवेश की स्थिति निम्न प्रकार है:

क्र. सं.	निधि का नाम	31.03.2019 तक के अनुसार राशि (करोड़ ₹ में)	31.03.2020 तक के अनुसार राशि (करोड़ ₹ में)
1.	स्थायी (आंशिक तथा कुल) निःशक्तता हितलाभ आरक्षित निधि	5850.55	6497.26
2.	आश्रितजन हितलाभ आरक्षित निधि	3696.07	4122.15
3.	कार्यालय भवनों और स्टाफ क्वार्टरों की मूल्यहास आरक्षित निधि	24.66	22.48
4.	अस्पताल भवन की मूल्यहास आरक्षित निधि	1032.11	1140.42
5.	अन्य परिसम्पत्तियों की मूल्यहास आरक्षित निधि	1010.43	1388.72
6.	चिकित्सा शिक्षा भवन के लिए मूल्यहास आरक्षित निधि	227.12	418.12
7.	पेंशन आरक्षित निधि	8886.35	9905.85
8.	उपदान आरक्षित निधि	691.76	719.71
9.	छुट्टी नकदीकरण आरक्षित निधि	547.02	681.20
10.	पी.एम.एस. आरक्षित निधि	145.37	169.18
11.	क.रा.बी. निगम भविष्य निधि	1040.33	1106.48
12.	क.रा.बी. सामान्य आरक्षित निधि	60360.58	73741.03
13.	आकस्मिकता आरक्षित निधि	75.00	75.00
14.	पूँजीगत निर्माण आरक्षित निधि	7856.73	7279.12
	कुल	91444.08	107266.72

निधियों का निवेश निम्नानुसार है:

क्र. सं.	निधि का नाम	31.03.2019 तक के अनुसार राशि (करोड़ ₹ में)	31.03.2020 तक के अनुसार राशि (करोड़ ₹ में)
1	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में मियादी जमा राशि	*75713.92	6704.31
2	पोर्टफोलियो प्रबंधक के माध्यम से नया निवेश (अप्रैल, 2019 से प्रभावी)	0.00	83585.63
3	केन्द्रीय सरकार के पास विशेष जमा	15730.16	16976.78
	कुल	91444.08	107266.72

* वार्षिक लेखा के अनुसार

निधियों का वर्गीकरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	निधि का नाम	31.03.2019 तक के अनुसार राशि (करोड़ ₹ में)	31.03.2020 तक के अनुसार राशि (करोड़ ₹ में)
1	उद्दिष्ट आरक्षित निधि (क्र.सं. 1 से 11) (स्थायी निःशक्तता हितलाभ आरक्षित निधि, आश्रितजन हितलाभ आरक्षित निधि, पेंशन आरक्षित निधि एवं कार्यालयों तथा अस्पताल/ओषधालय के भवन आदि के लिए मरम्मत एवं रखरखाव तथा मूल्यहास आरक्षित निधि सहित अन्य आरक्षित निधि)।	23151.77	26171.57
2	गैर-उद्दिष्ट आरक्षित निधि (क्र.सं. 12 से 14) (क.रा.बी. सामान्य आरक्षित निधि, आकस्मिकता आरक्षित निधि तथा पूँजीगत निर्माण आरक्षित निधि)	68292.31	81095.15
	कुल	91444.08	107266.72

5.4 लेखापरीक्षा

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वर्ष 2019-20 के लेखाओं का लेखा-परीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से महानिदेशक लेखापरीक्षा, (केन्द्रीय व्यय), नई दिल्ली कार्यालय द्वारा दिनांक 30.07.2020 से 25.09.2020 तक संचालित किया गया। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ज्ञापन पृथक लेखा-परीक्षा रिपोर्ट, प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (स्वास्थ्य कल्याण एवं ग्रामीण विकास) एजीसीआर बिल्डिंग, आईपी एस्टेट, नई दिल्ली से अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट सहित लेखापरीक्षित लेखा, स्थायी समिति/क.रा.बी. निगम की बैठक में अंगीकार करने हेतु रखा जाएगा तथा तत्पश्चात संसद के समक्ष रखे जाने के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा।



5.3 Reserve Funds and Investments of ESIC Funds

The investment position of the funds of the Corporation in respect of different Reserve Funds and ESI General Reserve (General Cash Balance) as on 31.03.2019 & 31.03.2020 is given below :-

Sl. No.	Name of the fund	Amount as on 31.03.2019 (₹ in Crore)	Amount as on 31.03.20 (₹ in Crore)
1.	Permanent (Partial and Total) Disablement Benefit Reserve Fund	5850.55	6497.26
2.	Dependants' Benefit Reserve Fund	3696.07	4122.15
3.	Depreciation Reserve Fund of Office Buildings and Staff Quarters.	24.66	22.48
4.	Depreciation Reserve Fund of Hospital Building.	1032.11	1140.42
5.	Depreciation Reserve Fund of other Assets	1010.43	1388.72
6.	Depreciation Reserve Fund for Medical Education Building.	227.12	418.12
7.	Pension Reserve Fund	8886.35	9905.85
8.	Gratuity Reserve Fund	691.76	719.71
9.	Leave Encashment Reserve fund	547.02	681.20
10.	PMS Reserve Fund	145.37	169.18
11.	ESIC Provident Fund.	1040.33	1106.48
12.	ESI General Reserve Fund.	60360.58	73741.03
13.	Contingency Reserve Fund	75.00	75.00
14.	Capital Construction Reserve Fund	7856.73	7279.12
	TOTAL	91444.08	107266.72

The Funds stand invested as under:

Sl. No.	Name of the fund	Amount as on 31.03.2019 (₹ in crore)	Amount as on 31.03.2020 (₹ in crore)
1	Fixed Deposits with Public Sector Banks	*75713.92	6704.31
2	New Investment through Portfolio Manager (w.e.f. April, 2019)	0.00	83585.63
3	Special deposit with Central Government	15730.16	16976.78
	TOTAL	91444.08	107266.72

*As per Annual Account.

The Funds are classified as under:

Sl. No.	Name of the fund	Amount as on 31.03.2019 (₹ in crore)	Amount as on 31.03.2020 (₹ in crore)
1	Earmarked Reserve Funds (S.No.- (1 to 11) (Permanent Disablement Benefit Reserve Fund, Dependants Benefit Reserve Fund, Pension Reserve Fund and other Reserve Fund including R&M and Depreciation Reserve Funds for office and hospital/ dispensary building etc.)	23151.77	26171.57
2	Non-earmarked Reserve Fund (S.No.- (12 to 14) (ESI General Reserve Fund, Contingency Reserve Fund & Capital Construction Reserve Fund)	68292.31	81095.15
	TOTAL	91444.08	107266.72

5.4 Audit

Audit of the accounts of Employees' State Insurance Corporation for the year 2019-20 has been conducted from 30.07.2020 to 25.09.2020 by the Office of Director General of Audit (Central Expenditure) New Delhi on behalf of Comptroller & Auditor General of India. The draft separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India has not yet been received from the Office of the Principal Director of Audit (Health, Welfare & Rural Development), AGCR Building I.P. Estate, New Delhi. The Audited Accounts together with the report of the Comptroller & Auditor General of India shall be placed for adoption in the meeting of the Standing Committee/ ESI Corporation and shall be submitted to the Govt. of India, Ministry of Labour & Employment for placing it before the Parliament.



6. क.रा.बी. निगम / स्थायी समिति / चिकित्सा हितलाभ परिषद के महत्वपूर्ण निर्णय

6.1 स्थायी समिति के महत्वपूर्ण निर्णय

वर्ष 2019-2020 के दौरान स्थायी समिति की चार (04) बैठकें आयोजित की गईं और बैठकों के दौरान निम्नानुसार निर्णय किए गए।

क्र.सं.	दिनांक एवं बैठक	विषय	निर्णय
1.	13.06.2019 215वीं स्थायी समिति	लाभार्थियों, तृतीय पक्ष और अन्य सभी आदाताओं को भुगतान के लिए ऑनलाइन प्रणाली अभिमुख ई-भुगतान सुविधा हेतु भारतीय स्टेट बैंक के साथ एकीकरण।	<p>स्थायी समिति ने दिनांक 13.06.2019 को आयोजित अपनी 215 वीं बैठक में निम्नलिखित संव्यवहार (लेनदेन) शुल्क के साथ एसबीआई के नकद प्रबंधन उत्पाद (सीएमपी) का उपयोग करने के लिए एसबीआई के साथ समझौता करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है :-</p> <p>आरटीजीएस संव्यवहार - रु. 5 / - नेफ्ट संव्यवहार - रु. 2 / - सीधा जमा (एसबीआई से एसबीआई) - शून्य</p> <p>तदनुसार, दिनांक 03.09.219 को एसबीआई के साथ परक्राम्य दरों पर समझौता किया गया है जो निम्नानुसार है :-</p> <p>आरटीजीएस संव्यवहार - रु. 4 / - नेफ्ट संव्यवहार - रु. 1.5 / - सीधा जमा (एसबीआई से एसबीआई) - शून्य</p>
2.		विधिक इकाई पहचानकर्ता (एलईआई) कोड प्राप्त करना।	एलईआई कोड लीगल एंटीटी आईडेंटिफायर इंडिया लिमिटेड (एलईआईएल) से प्राप्त किया गया था तथा जारी किए गए एलईआई कोड 335800जेडएलआई4एलआई567केएनआई72 के बारे में पोर्टफोलियो मैनेजर, अभिरक्षक एवं ईसीए को सूचित किया गया था।
3.		क.रा.बी.निगम के वर्ग 'क' के अधिकारियों के लिए विदेश प्रशिक्षण नीति।	<p>क.रा.बी.निगम के वर्ग 'क' के अधिकारियों के लिए विदेश प्रशिक्षण नीति दिनांक 13.08.2019 के पत्र सं. ए-34/11/02/2019-एनटीए(पीटी.) द्वारा परिचालित की जा चुकी है वर्ष 2019 में दो विदेश प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों हेतु नामांकन भी आमंत्रित किए गए हैं।</p> <p>दो बैचों में कुल 07 अधिकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईटीसी-आईएलओ), ट्यूरिन, इटली में विदेश प्रशिक्षण में भाग लिया। पहले बैच में दिनांक 18.11.2019 से 26.11.2019 तक 'बीमांकन मॉडलिंग' के प्रशिक्षण में 04 अधिकारी शामिल थे और दूसरे बैच में दिनांक 25.11.2019 से 06.12.2019 तक 03 अधिकारी शामिल थे, जिन्होंने 'श्रम निरीक्षण के माध्यम से कार्यस्थल अनुपालन' के प्रशिक्षण में भाग लिया।</p>
4.		बहादुरगढ़, हरियाणा में 100 बिस्तरों वाले क.रा.बी अस्पताल का निर्माण कार्य के.लो.नि.वि. को सौंपना।	दिनांक 04.07.2019 के पत्र सं. सीई/पीएस/2019-पीएमडी द्वारा के.लो.नि.वि. को कार्य सुपुर्द किया गया।
5.		300 बिस्तरों वाले क.रा.बी.निगम अस्पताल, इंदौर, मध्य प्रदेश (500 बिस्तरों तक उन्नयन योग्य) का प्रस्तावित निर्माण।	दिनांक 05.07.2019 के पत्र सं. सीई/पीएस/2019-पीएमडी द्वारा के.लो.नि.वि. को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
6.		बिबवेवाडी, पुणे स्थित मौजूदा क.रा.बी.निगम अस्पताल का 50 से 200 बिस्तरों वाले अस्पताल (500 बिस्तरों तक उन्नयन योग्य) में उन्नयन - मौजूदा अस्पताल को ढहाने के संबंध में यथासमय सूचित करना।	दिनांक 08.07.2019 के पत्र सं. सीई/पीएस/2019-पीएमडी द्वारा के.लो.नि.वि. को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।



6. IMPORTANT DECISIONS OF ESIC/SC/MBC

6.1 Important Decision of Standing Committee

Four (04) meetings of Standing Committee were held during the year 2019-2020 and the followings decisions were taken during the meetings.

Sl. No.	Date & Meeting	Subject	Decision
1.	13.06.2019 215th SC	Integration with SBI for online system oriented e-payment facility for payment to beneficiaries, third parties and all other payees.	Standing Committee in its 215th meeting held on 13/06/2019 approved the proposal to enter in agreement with SBI for utilizing Cash management Product (CMP) of SBI with following transaction charges: - RTGS- ₹5/- transaction NEFT- ₹ 2/- transaction Direct Credit (SBI to SBI)- NIL Accordingly, the agreement has been executed with SBI on 03.09.2019 with further negotiated rate which is as under:- RTGS- ₹ 4/- transaction NEFT- ₹ 1.5/- transaction Direct Credit (SBI to SBI)- NIL
2.		Obtaining Legal Entity Identifier (LEI) Code.	LEI code was obtained from Legal Entity Identifier India Limited (LEIL) and LEI number issued, viz., 335800ZLI4LI567KNI72 was communicated to the Portfolio Manager, Custodian and ECA.
3.		Foreign training policy for ESIC Group 'A' Officers.	Foreign training policy for ESIC Group 'A' Officers has been circulated vide letter no. A-34/11/02/2019-NTA (Pt), dated: 13.08.2019. Nominations have also been invited for the year 2019 for two Overseas Training Courses. A total of 07 officers in two batches attended the Foreign Training at International Training Centre, International Labour Organization (ITC-ILO), Turin, Italy. The first batch comprising 04 officers attended from 18.11.2019 to 26.11.2019 on 'Actuarial Modelling' and second batch comprising 03 officers attended from 25.11.2019 to 06.12.2019 on 'Workplace compliance through Labour Inspection'.
4.		Award of work to CPWD in respect of Construction of 100 bedded ESI Hospital, Bahadurgarh and Haryana.	Award letter has been issued to CPWD vide letter No. CE/PS/2019-PMD, dated 04.07.2019.
5.		Proposed construction of 300 bedded ESIC Hospital, (upgradable to 500 beds) Indore, Madhya Pradesh.	Necessary direction has been issued to CPWD vide letter No. CE/PS/2019-PMD, dated 05.07.2019
6.		Upgradation of existing ESIC Hospital at Bibvewadi, Pune from 50 to 200 bedded hospital (upgradable to 500 beds) – Information regarding demolition of existing Hospital in due course.	Necessary directions has been issued to CPWD vide letter No. CE/PS/2019-PMD, dated 08.07.2019



7 .		निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद क.रा.बी अस्पतालों के अधिकार लेने/हस्तांतरण की स्थिति की रिपोर्ट।	<ol style="list-style-type: none"> सभी निर्माण एजेंसियों को दिनांक 10.07.2019 के पत्र सं. सीई/पीएस/2019-पीएमडी द्वारा समयबद्ध तरीके से कार्य पूर्ण करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। निम्नलिखित परियोजनाएं पहले से ही हस्तांतरित/अधिकार में ले ली गई हैं – <ol style="list-style-type: none"> स्नातकोत्तर संस्थान सह चिकित्सा महाविद्यालय, जोका, प.बंगाल। क.रा.बी अस्पताल, तिरुपति, आन्ध्र प्रदेश का नवीयन/फेसलिपिटिंग। क्षे.का., पुडुचेरी का नवीयन। उ.क्षे.का. एवं 100 बिस्तरों वाले अस्पताल तिरुवेलवेली, तमिलनाडु। चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, फरीदाबाद, हरियाणा। निम्नलिखित परियोजनाओं की सुपुर्दगी/अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है – <ol style="list-style-type: none"> केके नगर, तमिलनाडु में पीजीआई और चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण कार्य राजाजीनगर, कर्नाटक में चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल। क.रा.बी.निगम अस्पताल परिसर, सेक्टर-24, नोएडा के स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण कार्य एवं मौजूदा अस्पताल ब्लॉक-अस्पताल की फेसलिपिटिंग का कार्य सौंप दिया गया है। बेसमेंट सुपुर्दगी का कार्य प्रगति पर है। वाशी, मुंबई में क.रा.बी अस्पताल का फेसलिपिटिंग / विस्तार – आंशिक रूप से सौंप दिया गया है।
8.	04.10.2019 216वीं एससी	चलापुरम, कोझीकोड, केरल में क.रा.बी.निगम औषधालय, आरडीडी कार्यालय (उ.जो.), उ.क्षे.का. एवं सब स्टोर का निर्माण।	दिनांक 31.10.2019 के पत्र सं. डब्ल्यू-13/13/8/45/2017-पीएमडी द्वारा के.लो.नि.वि. को स्वीकृति पत्र जारी किया गया है।
9.		काला अंब, हिमाचल प्रदेश में 30 बिस्तरों के (100 बिस्तरों तक विस्तार योग्य) क.रा.बी अस्पताल का निर्माण।	दिनांक 25.10.2019 के पत्र सं. सीई/पीएस/2019-पीएमडी द्वारा के.लो.नि.वि. को स्वीकृति पत्र जारी किया गया है।
10.		क.रा.बी अस्पताल, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश के पुराने भवन के लिए विशेष मरम्मत कार्य।	दिनांक 13.11.2019 के पत्र सं. डब्ल्यू-11/13/1/2/2011-पीएमडी द्वारा के.लो.नि.वि. को स्वीकृति पत्र जारी किया गया है।
11.		क.भ.नि.सं. के कार्यालय के निर्माण के लिए वापी में क.रा.बी.निगम अस्पताल परिसर में 2000 वर्गमीटर जमीन उपलब्ध कराने के लिए क.भ.नि.सं. का प्रस्ताव।	वापी के क.रा.बी.नि. अस्पताल परिसर में 2000 वर्गमीटर खाली भूमि उपलब्ध कराने के लिए ईपीएफओ के प्रस्ताव पर राज्य सरकार की स्वीकृति/सहमति प्राप्त करने हेतु राज्य सरकार के साथ इस मामले को उठाने के लिए क्षेत्रीय निदेशक को दिनांक 30.10.2019 के पत्र सं. डब्ल्यू-25/13/वडोदरा/52/1/2013-पीएमडी द्वारा आवश्यक निदेश जारी किए गए हैं।
12.		क.रा.बी.निगम द्वारा पूर्व में अनुमोदित "सिद्धान्त" के अनुसार आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में एक नए 100 बिस्तरों वाले क.रा.बी अस्पताल की स्थापना के लिए कार्य शुरू करने की मंजूरी तथा राजामहेंद्रवरम, आन्ध्रप्रदेश में मौजूदा क.रा.बी अस्पताल भवन को ढहाने के बाद निर्माण	दिनांक 07.11.2019 के पत्र सं. 52-डब्ल्यू-12/विविध/एपी-क्षेत्र/12018-पीएमडी तथा दिनांक 08.11.2019 के पत्र सं. डब्ल्यू-52/11/13/क.रा.बीएच/काकीनाडा/2019-पीएमडी द्वारा के.लो.नि.वि. को स्वीकृति पत्र जारी किए गए हैं।
13.		क.रा.बी. निगम अस्पतालों में आने वाले ओपीडी/इनडोर मरीजों को अस्पताल की फार्मसी से ही औषधि वितरण के लिए अनुमोदन।	दिनांक 22.11.2019 के पत्र सं. वी-15/15/1/2019 मेड-1 (एमएस) द्वारा आवश्यक निदेश जारी किए गए हैं।



7.		Status report on taken over/transfer of ESI Hospitals after completion of construction work.	<p>1. Necessary directions have been issued to all the Construction Agencies vide letter No. CE/PS/2019-PMD, dated 10.07.2019 to complete the work in time bound manner.</p> <p>2. Following projects already handed-over /taken-over: -</p> <p>a) PG Institute cum Medical College, Joka, W.B.</p> <p>b) Renovation/Facelifting of ESI Hospital, Tirupati, A.P.</p> <p>c) Renovation of R.O., Pudducherry.</p> <p>d) 100 bedded Hospital & SRO Tiruvelveli, T.N.</p> <p>e) Medical College & Hospital, Faridabad, Haryana.</p> <p>Handing over/taking over are in progress for following projects: -</p> <p>a) Construction of PGI & Medical College at K.K. Nagar, T.N.</p> <p>b) Medical College & Hospital at Rajajinagar, Karnataka.</p> <p>c) Construction of Staff Quarters at ESIC Hospital Campus, Sec-24, Noida/ Facelifting of Existing Hospital Block- Hospital Handed over. Basement handing over in progress.</p> <p>d) Facelifting/Expansion of ESIH at Vashi, Mumbai – Partially handed over.</p> <p>Construction of PGI & Medical College at Bihta, Bihar–Few Staff Quarters taken over from Agency.</p>
8.	04.10.2019 216th SC	Construction of ESIC Dispensary, RDD Office (NZ), SRO Office & Sub Store at Chalapuram, Kozhikode, Kerala.	Sanction letter has been issued to CPWD vide letter No. W-13/13/8/45/2017-PMD dated 31.10.2019.
9.		Construction Of 30 Bedded (Expandable To 100 Beds) ESI Hospital at Kala Amb, Himachal Pradesh.	Sanction letter has been issued to CPWD vide letter No. CE/PS/2019-PMD dated 25.10.2019.
10.		Special Repair Work for Old E.S.I Hospital Building, Vishakhapatnam, Andhra Pradesh.	Sanction letter has been issued to CPWD vide letter No. W-11/13/1/2/2011-PMD dated 13.11.2019
11.		Proposal of EPFO to provide 2000 sqm of land in the ESIC Hospital campus at Vapi for construction of the Office of EPFO.	Necessary directions issued to Regional Director to take up the matter with the State Govt. to obtain the approval / consent of the State Govt. on the proposal of EPFO to provide 2000 Sqm of vacant land available in ESIC Hospital Vapi vide letter No. W-25/13/Vadodara/52/1/2013-PMD dated 30.10.2019.
12.		Approval for going ahead with setting up of a new 100 bedded ESI Hospital at Kakinada, Andhra Pradesh, as previously approved "In Principle" by ESI Corporation and construction after demolition of existing ESI Hospital building at Rajamahendravaram, A.P.	Sanction letters have been issued to CPWD vide letter no. 52-W-12/Misc./AP-Region/2018-PMD dated 07.11.2019 and W-52/11/13/ESI/ Kakinada/2019-PMD dated 08.11.2019.
13.		Approval for Dispensing of medicine to OPD/Indoor Patients visiting ESIC Hospitals from hospital's pharmacy itself.	Necessary instruction has been issued vide letter no. V-15/15/1/2019 Med-I (MS) dated 22.11.2019.



14.		स्थायी समिति द्वारा दिनांक 15.06.2016 की बैठक के अनुपूरक मद संख्या स्थायी समिति-1 व 12.07.2018 की बैठक के अनुपूरक मद संख्या स्थायी समिति-1 में लिए गये निर्णयों को रद्द करने का प्रस्ताव तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम (कर्मचारी एवं सेवा शर्तें) विनियम, 1959 के विनियम 8(1) के संबंध में सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 9 के अधीन अनुशासनात्मक कार्रवाई के संचालन के लिए नए साधन	दिनांक 13.09.2019 को आयोजित कर्मचारी राज्य बीमा निगम की 178वीं बैठक में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (कर्मचारी एवं सेवा शर्तें) विनियम, 1959 के विनियम 8(1) के वर्तमान परंतुक में प्रावधानों कुछ प्रतिस्थापन अथवा योग द्वारा उक्त परंतुक में संशोधन किए जाने के सन्दर्भ में निम्नलिखित कार्य सूची रखी गई है— “बशर्त कि निगम, केंद्र सरकार के अनुमोदन के साथ, इस प्रकार के किसी भी संशोधन को अपनाने का निर्णय नहीं करता है अथवा, जैसा भी मामला हो, संशोधनों को उन परिवर्तनों के साथ, जो कि निगम उचित समझता हो, अंगीकार करने का निर्णय करता है, केंद्र सरकार के कथित पेंशन नियम या तो बिना किसी परिवर्तन के अथवा जैसा भी मामला हो, ऐसे परिवर्तनों के साथ लागू किए गए होंगे। आगे, यह कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के पेंशनर के मामले में सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 9 के अधीन प्रावधानों के तहत संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श किये बिना अंतिम आदेश लागू नहीं होंगे।” उपरोक्त प्रस्तावित कार्यसूची को निगम की बैठक में अनुमोदन प्रदान किया गया है। इस प्रकार, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (कर्मचारी एवं सेवा शर्तें) विनियम, 1959 के विनियम 8(1) में उपरोक्त संशोधन हेतु अनुमोदन प्राप्त करने का प्रस्ताव पत्र दिनांक 09.10.2019 द्वारा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को अग्रोषित कर दिया गया है। जैसे ही केंद्र सरकार का अनुमोदन प्राप्त होता है और संशोधन को अधिसूचित किया जाता है, दिनांक 04.10.2019 को आयोजित स्थायी समिति की 216वीं बैठक की अनुसूची के अनुपूरक मद संख्या 1 एससी-3 को पूर्ण समझा जायेगा।
15.	04.12.2019 217वीं एससी	बरेली, उत्तरप्रदेश में नए 100 बेड के कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल का निर्माण – जमीन की खरीद एवं के.लो.नि.विभाग को निर्माण कार्य सौंपने का प्रस्ताव	मुख्यालय के पत्र सं. पीटी डब्ल्यू-11/115/17/बरेली/12018-पीएमडी दिनांक 17.12.2019 द्वारा मंजूरी पत्र क्षेत्रीय निदेशक को जारी कर दिया गया है
16.		भवन एवं सेवाओं के रखरखाव के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम मेडिकल कॉलेज, पैरा मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज एवं अस्पताल गुलबर्ग में अतिरिक्त श्रम शक्ति की नियुक्ति – मानकीकरण के सन्दर्भ में	मुख्यालय के पत्र सं. सीई/पीएस/2019-पीएमडी दिनांक 23.12.2019 द्वारा आवश्यक मंजूरी पत्र डीन, कर्मचारी राज्य बीमा मेडिकल कॉलेज, गुलबर्ग को जारी कर दिया गया है
17.		आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति सिस्टम (ईबीएस) पर उपस्थिति के आधार पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अधिकारियों एवं कार्मिकों के वेतन का भुगतान	बायोमेट्रिक उपस्थिति सिस्टम के निलंबन के कारण एवं इसके पूर्ववत शुरू होने में अनिश्चितता के चलते इस मामले को यथावत् रखा जाता है, जब तक कि हस्तक्षेपरहित, कुशल, सटीक, उत्तरदायी एवं साध्य सिस्टम का नया मार्ग नहीं मिलता, जिसे सम्पूर्ण भारत में स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम के 838 कार्यालयों में लागू किया जा सके। अंगीकृत किए गए किसी भी प्रणाली से ग्रहण किये गये डाटा से जुड़ने के लिए बैंक एंड एप्लीकेशन विकास के लिए तैयार है, बशर्त कि उपस्थिति को मार्क करने एवं छुट्टी इत्यादि के लिए विभिन्न पैरामीटर स्थापित किये गये हों और स्थापना शाखा द्वारा सूचित किया गया हो।
18.		कर्मचारी राज्य बीमा निगम मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों के द्वारा अति विशिष्ट उपकरण की खरीद	पत्र सं. यू-16/30/690/2019-पीसी/जीईएम खरीद/ सेकेंडरी केयर उपकरण(752) दिनांक 08.01.2020 द्वारा प्रत्यायोजित एसिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों को खरीदे जाने वाले अति विशिष्ट उपकरण से संबंधित आवश्यक निर्देश दे दिए गये हैं। साथ ही, अध्यक्ष, स्थायी समिति के अनुमोदन से डीन, एसिक मेडिकल कॉलेज एवं सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, सनथनगर को हेमोडायलिसिस मशीन व डीन, एसिक मेडिकल कॉलेज एवं सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, सनथनगर के द्वारा अपने स्वयं के लिए आवश्यक अन्य सिस्टम (पत्र दिनांक 08.01.2020 में क्रम सं. 5 से 9) की खरीद के लिए समसंख्यक पत्र दिनांक 22.01.2020 जारी किया गया था एवं एसिक मेडिकल कॉलेज, केके नगर चेन्नई को उपरोक्त उपकरण (क्रम सं. 5 से 9) एसिक मेडिकल कॉलेज एवं सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, सनथनगर के लिए नहीं खरीदने के लिए सूचित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त पत्र दिनांक 08.01.2020 में उल्लिखित सभी निर्देश यथावत् ही रहेंगे।
19.	28.01.2020 218वीं एससी	गरश्यामनगर, पश्चिम बंगाल में नए 100 बेड के कर्मचारी राज्य बीमा योजना अस्पताल की स्थापना	इस कार्यालय द्वारा के.लो.नि.वि को अधिनिर्णय पत्र सं. सीई/पीएस/2020-पीएमडी दिनांक 25.02.2020 को जारी कर दिया गया है।
20.		पीथमपुर, मध्यप्रदेश में प्रस्तावित 100 बिस्तरों के कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल का निर्माण	इस कार्यालय द्वारा के.लो.नि.वि को अधिनिर्णय पत्र सं. सीई/पीएस/2020-पीएमडी दिनांक 25.02.2020 को जारी कर दिया गया है।



14.		Proposal to rescind the decisions taken by the Standing Committee in regards to Supplementary Items no. SC-1 in its meeting dated 15.06.2016 & Supplementary Item no. SC-1 in its meeting dated 12.07.2018 and new modalities for the conduct of disciplinary cases under Rule 9 of CCS (Pension) Rules, 1972 r/w Regulation 8(1) of the ESIC (Staff & Conditions of service) Regulations, 1959.	In 178th meeting of ESI Corporation held on 13/09/2019, an Agenda regarding Amendment of proviso under Regulation 8(1) of the ESIC (Staff and Condition of Service) Regulations, 1959 by replacing/adding the existing proviso under the said Regulation has been placed as follows: “Provided that the corporation, with the approval of Central Government, decided not to adopt any such modifications or, as the case may be, decides to adopt the m with variations as the corporation may deemed fit, the said Pension Rules of the Central Government shall apply either without any such modification or, as the case may be, with such variations as may be made. Further, provided that in the matter of the pensioners of the ESI Corporation, the consultation with Union Public Service Commission as provided under proviso to Rule 9 of CCS(pension)Rules, 1972 before passing of final orders shall not be applicable”. The said Agenda as proposed has been approved by the corporation in the said meeting. As such, a proposal for approval of the said amendment of the Regulation 8(1) of the ESIC (Staff and Condition of Service) Regulations, 1959 has been forwarded to the Ministry of Labour & Employment vide letter dated 09.10.2019. As soon as approval of the Central Government is received and amendment is notified, the implementation of the decision taken on the agenda supplementary item No. I SC-3 in the 216th Standing Committee held on 04.10.2019 will be carried out.
15.	04.12.2019 217th SC	Construction of New 100 bedded ESIC Hospital at Bareilly, U.P. – Proposal for purchase of land and assigning construction work to CPWD.	Sanction letter has been issued to Regional Director vide Hqrs. letter No. Pt.W-11/115/17/Bareilly/2018-PMD dated 17.12.2019.
16.		Deployment of additional manpower in ESIC Medical College, Para-Medical College, Dental College, Nursing College & Hospital Gulbarga for maintenance of Building and services – Regarding Standardization.	Necessary sanction has been issued to Dean, ESIC Medical College, Gulbarga vide Hqrs. letter No. CE/PS/2019-PMD dated 23.12.2019.
17.		Payment of salary of ESIC Officers/ Officials based on attendance of Aadhar Enabled Biometric Attendance System (AEBAS).	Due to suspension of BAS Attendance marking system and uncertainty regarding its being resumed in same manner as earlier the matter is kept on hold till fresh ways to capture attendance in non-intrusive, efficient, accurate, responsive and feasible system that can be implemented in all ESIC offices (838) across India. The backend application to connect the data captured from any system adopted is ready for development provided various parameters to mark attendance / leave etc. are decided and conveyed by establishment division.
18.		Procurement of Super Specialty equipment by ESIC Medical College and Hospitals.	Necessary directions to delegated ESIC Medical Colleges/Hospitals alongwith details of Super specialty equipment to be procured has been given vide letter U-16/30/690/2019-PC/GeM Procurement /Secondary Care Equipment (752) dated 08.01.2020. In addition, with due approval of Chairman Standing Committee, another letter of even no. dated 22.01.2020 was issued to Dean, ESIC Medical College & Super specialty Hospital, Sanathnagar for procurement of Hemodialysis machine and its other required system(S.No. 5 to 9 of letter dated 08.01.2020) by Dean, ESIC Medical College & Super specialty Hospital, Sanathnagar for their own requirement only and ESIC Medical College KK Nagar Chennai was informed for non-procurement of above equipment(S.No. 5 to 9) for ESIC Medical College & Super specialty Hospital, Sanathnagar. Rest of the instructions mentioned in letter dated 08.01.2020 to be same.
19.	28.01.2020 218th SC	Setting up of new 100 bedded ESIC Hospital at Garshyamnagar, West Bengal.	Award letter has been issued to CPWD vide this Office letter No. CE/ PS/2020-PMD dated 25.02.2020.
20.		Construction of proposed 100 Bedded ESI Hospital at Pithampur, Madhya Pradesh.	Award letter has been issued to CPWD vide this Office letter No. CE/ PS/2020-PMD dated 25.02.2020.

21.		अनुकंपा नियुक्ति नीति (मेरिट-पॉइंट सिस्टम)	इस मामले में कार्रवाई की गई है एवं सभी क्षेत्रीय निदेशकों को पत्र सं.ए-12/22/2014-मीना-ई-2 दिनांक 26.05.2020 द्वारा आवश्यक कार्रवाई करने हेतु नीति का परिचालन कर दिया गया है।
22.		न्यायिक निर्णयों की अनुपालना में सेवानिवृत्त कर्मियों को अधिक भुगतान के मामले में छूट	पत्र सं. सी-18/11/01/18/चिकि.-6(विधि) दिनांक 19.02.2020 के द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गये हैं।
23.		हरिद्वार, उत्तराखंड में 100 बिस्तरों के कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल का निर्माण	स्थायी समिति की 218वीं बैठक के कार्यवृत्त में उल्लेख किया गया है कि माननीय अध्यक्ष द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सदस्य डॉ. के.के. अग्रवाल से अनुरोध किया गया कि एसिक के पक्ष में जल्द से जल्द मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के समक्ष इस मामले को रखा जाये। तदनुसार, इस कार्यालय से एक पत्र सं. सीई/पीएस/2020 दिनांक 03.03.2020 द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सदस्य डॉ. के.के. अग्रवाल को मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के समक्ष इस मामले को रखने के लिए अनुरोध किया गया है। लॉकडाउन के दौरान, माननीय मंत्री द्वारा उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री को एक अर्ध सरकारी पत्र दिनांक 04.05.2020 लिखा गया है।

6.2 क.रा.बी. निगम के महत्वपूर्ण निर्णय

वर्ष 2019-20 के दौरान क. रा. बी. निगम की 04 बैठकें आयोजित की गईं तथा बैठकों में निम्नलिखित निर्णय लिए गए -

क्र.सं.	तिथि	विषय	निर्णय
1.	13.09.2019 178 वीं क.रा.बी. निगम	राज्यों में कर्मचारी राज्य बीमा सोसायटी का गठन	केन्द्र सरकार ने अपने दिनांक 25.10.2019 के पत्र सं- एस-38025-03-2019-एसएस-1 के माध्यम से तमिलनाडू, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, पंजाब एवं नागालैंड राज्यों में क.रा.बी. सोसायटी हेतु अनुमोदन प्रदान किया है।
2.		06 क.रा.बी.नि. चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर(एमडी/एमएस) पाठ्यक्रम प्रारंभ/ विस्तारित करना	डीन जिन्होंने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु एमसीआई में आवेदन प्रस्तुत किये थे उनके द्वारा यथाप्रस्तावित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु दिनांक 21.05.2020, 13.05.2020, 05.06.2020, 09.06.2020 एवं 03.06.2020 के पत्र संख्या ए- 12/25/6/2012-मेड-IV (नीति) भाग-II द्वारा अपेक्षित संकाय की मंजूरी प्रदान की गई है।
3.		प्रमुख सरकारी खरीद गतिविधियों में इंटीग्रेटी पैकेट (आईपी) का अंगीकरण।	दिनांक 15.10.2019 के पत्र संख्या सी-11/25/04/2018-सत. द्वारा 'प्रमुख सरकारी खरीद गतिविधियों में इंटीग्रेटी पैकेट (आईपी) के अंगीकरण' के सम्बन्ध में निदेश जारी किया गया है।
4.		क.रा.बी.नि. (स्टाफ और सेवा की शर्तों) विनियामवली 1959 के विनियम 8 (1) में संशोधन का प्रस्ताव।	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से दिनांक 04.12.2019 के फा.सं- सी-11025/09/2018-एसएस-1 के माध्यम से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् दिनांक 11.12.2019 को भारत के राजपत्र (साप्ताहिक संस्करण 28.12.2019-03.01.2020) के भाग-III-खंड-4 में अधिसूचना जारी की गई है।
5.		विनियम 88 (iv) में परिवर्तन जुड़वाँ के स्थान पर एक से अधिक बच्चे में।	निगम ने प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है।
6.		स्थायी अ.हि. एवं आ.हि. की दरों में वृद्धि पर उप-समिति की रिपोर्ट तथा स्थायी अ.हि. एवं आ.हि. की दरों में वृद्धि का प्रस्ताव	दिनांक 07.11.2019 के पत्र संख्या आर -12/ 16/9/2010-नीति-हितलाभ-II के माध्यम से 'मुद्रास्फीति के कारण स्थायी अ.हि. एवं आ.हि. के वास्तविक मूल्य में क्षरण की भरपाई के लिए वृद्धि हेतु अनुदान' के सम्बन्ध में निदेश जारी किया गया है।



नई दिल्ली में क. रा. बी. निगम की बैठकों की झलकियां



21.		Compassionate Appointment Policy (Merit- point system).	Action has been taken in the matter and Policy has been circulated to All RDs for necessary action vide letter no. A-12/22/10/2014-Meena-E-II dated 26.05.2020.
22.		Waiver of excess payment to retired Employees in compliance of Judgements.	Necessary instruction has been issued vide letter no. C-18/11/01/18/ Med-6(legal) dated 19.02.2020.
23.		Construction of 100 bedded ESI Hospital at Haridwar, Uttarakhand.	In the Minutes of Meeting of 218TH Meeting of Standing Committee, it was mentioned that Hon'ble Chairman requested Dr. K.K. Agrawal member of ESI Corporation to take up the matter with Chief Minister, Uttarakhand and expedite the matter in favour of ESIC at the earliest. Accordingly, a letter was written to Dr. K.K Agrawal, Member, ESIC to take up the matter with Chief Minister, Uttarakhand vide this office letter No. CE/PS/2020 dated 03.03.2020. During Lockdown, a D.O. Letter has been issued by Hon'ble Minister to Hon'ble Chief Minister, Uttarakhand vide letter dated 04.05.2020.

6.2 Important Decision of ESI Corporation

Four (04) meetings of ESI Corporation were held during the year 2019-2020 and the followings decisions were taken during the meetings.

Sl. No.	Date & Meeting	Subject	Decision
1.	13.09.2019 178th ESIC	Formation of Employees' State Insurance Society in the States.	The Central Govt. vide letter No. S-38025-03-2019-SS-I dated 25.10.2019 has granted approval for ESI Societies in the State of Tamil Nadu, Chhattisgarh, Maharashtra, Tripura, Punjab and Nagaland. The Central Government has also accorded approval for formation of State ESI Society to Arunachal Pradesh on 20.03.2020.
2.		Starting/Expanding PG(MD/MS) Courses at 06 ESIC Medical Colleges.	Required faculty was sanctioned vide letter No.A-12/25/6/2012-Med.IV (Policy) Part-II dated: 21.05.2020, 13.05.2020, 05.06.2020, 09.06.2020 & 03.06.2020 to start PG Courses as proposed by the Dean; who have submitted application to MCI for start of PG Courses.
3.		Adoption of Integrity Pact (IP) in major Government Procurement Activities.	Instruction regarding "Adoption of Integrity Pact (IP) in major Government Procurement Activities" has been issued vide letter No. C-11/25/04/2018-vig., dated: 15.10.2019.
4.		Proposal for amendment of Regulation 8(1) of the ESIC (staff and conditions of service) Regulations 1959.	After receiving approval from MoL&E vide F.No.C-11025/09/2018-SS.I dated 04.12.2019, Notification has been issued in Part-III -Section-4 of The Gazette of India(weekly edition 28.12.2019- 03.01.2020) dated 11.12.2019.
5.		Change in Regulation 88(iv) from "twins" to "more than one child".	The Corporation approved the proposal.
6.		Report of the Sub-Committee on enhancement of the PDB & DB rates and the proposal for enhancement of the PDB & DB rates.	Instruction regarding "Grant of increase to compensate the erosion in the real value of PDB & DB due to inflation" has been issued vide letter No. R-12/16/9/2010-Policy-Bft.II dated: 07.11.2019.



Glimpses of ESI Corporation Meetings



7.		प्र.म.ज.आ.यो. के हितलभार्थियों को उपयोगकर्ता प्रभार के आधार पर आंतरिक द्वितीयक एवं तृतीयक चिकित्सा देखभाल सेवाएं प्रदान करने के लिए क.रा.बी.नि. अस्पताल खोलने हेतु क.रा.बी.नि. के साथ प्र.म.ज.आ.यो. की सहभागिता के लिए सैद्धांतिक मंजूरी।	निगम ने प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। अधिनियम के उपबंधों के अनुसार प्र.म.ज.आ.यो. के हितलभार्थियों को अपनी चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए कम उपयोग में आ रहे 15 क.रा.बी.नि. अस्पतालों का चयन किया गया है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने कम उपयोग में आ रहे क.रा.बी.नि. / क.रा.बी.यो. अस्पतालों द्वारा आयुष्मान भारत / प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (अन्य हितलभार्थी) के हितलभार्थियों को सेवाएं प्रदान करने के लिए एनएचए के मौजूदा पैकेज पर उपयोगकर्ता प्रभार लगाने के लिए केंद्र सरकार के अनुमोदन की सूचना दी है।
8.		अन्य हितलभार्थी योजना, 2010 के प्रावधानों के अनुसरण में गैर-बीमित व्यक्तियों को उनके लिए चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए कम उपयोग में आ रहे क.रा.बी. अस्पताल के चयन हेतु अध्यक्ष,क.रा.बी.नि. को प्राधिकृत करने के लिए अनुमोदन।	
9.		प्र.म.ज.आ.यो. के तहत सूचीबद्ध किये गए अस्पतालों के माध्यम से 102 निर्दिष्ट जिलों के नवीन कार्यान्वित क्षेत्रों में क.रा.बी. हितलभार्थियों को द्वितीयक और तृतीयक चिकित्सा देखभाल सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ क.रा.बी.नि. के सहयोग हेतु अनुमोदन।	निगम ने प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। 102 कार्यान्वित जिलों में से क.रा.बी.नि. प्र.म.ज.आ.यो. के प्रायोगिक कार्यक्रम को 6 जुलाई 2020 से 3 महीने की अवधि के लिए अहमदनगर (महाराष्ट्र) और बीदर (कर्नाटक) जिलों में लागू किया गया है। अब प्रायोगिक परियोजना के पूर्ण होने के बाद पहले चरण में 50 जिलों के प्र.म.ज. आ.यो. के सूचीबद्ध किये गए अस्पतालों की सेवाएं क.रा.बी. हितलभार्थियों को उपलब्ध करवाने के लिए चयनित किया गया है।
10.		संशोधित बीमा चिकित्सा व्यवसायियों एवं नियोक्ता उपयोग औषधालयों के माध्यम से प्रदान की जा रही सेवाओं को जारी रखने हेतु अनुमोदन	सभी क्षेत्रीय निदेशकों को, मौजूदा एम आई.एम.पी. योजना को दो महीनों अथवा निविदा आधार पर उनके रोल आउट, इनमें से जो भी पहले हो, तक के विस्तार के लिए अनुमोदन प्रदान करने हेतु पत्र जारी किया गया है। साथ ही आशोधित नियोक्ता उपयोगन औषधालयों की सेवाएं जारी रखने के लिए भी दि- 08.11.2019 के पत्र सं- वी-14/11/5/2018 मेड-1 (ग्रहण क्षेत्र) एवं दि- 23.10.2019 के पत्र सं- वी- 14/11/5/2018 मेड -1 (ग्रहण क्षेत्र) के माध्यम से स्वीकृति प्रदान की गई है।
11.		श्रीनगर, जम्मू-कश्मीर में 100 बिस्तरों वाले और लेह, लद्दाख क्षेत्र में 30 बिस्तरों वाले क.रा.बी. अस्पतालों की स्थापना हेतु सैद्धांतिक अनुमोदन	दिनांक 14.10.2019 के पत्र सं- वी-33/11/11/09 / मेड-11 (ज.एवं क.) के माध्यम से श्रीनगर, जम्मू-कश्मीर में 100 बिस्तरों वाले और लेह, लद्दाख क्षेत्र में 30 बिस्तरों वाले क.रा.बी. अस्पतालों की स्थापना के निर्णय के सम्बन्ध में सूचित किया गया है।
12.		“अन्य हितलभार्थी एवं उनके परिवार, चिकित्सा सुविधा योजना, 2010” के अधीन व्याप्त व्यक्तियों को कम उपयोग में आ रहे औषधालय सह शाखा कार्यालयों की सेवाएं प्रदान करने हेतु सैद्धांतिक अनुमोदन	“अन्य हितलभार्थी एवं उनके परिवार, चिकित्सा सुविधा योजना, 2010” के अधीन गैर-बीमित व्यक्तियों को कम उपयोग में आ रहे औषधालय सह शाखा कार्यालयों की सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए सभी क्षेत्र.नि./रा.चि.अ./उक्षेका/डीआईएमएस/एमओ/डीन/डीएमडी/ डीएमएन को दिनांक 04.11.2019 के पत्र के माध्यम से सूचित किया गया है।
13.		टाई-अप अस्पतालों को नामिकायित करने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश	निगम के निर्णय के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर के लिए दिनांक 30.09.2019 के पत्र सं-यू-16/30/547/2015-प्रो.कक्ष(एसएसटी)/क.रा.बी.नि. अस्पतालों में सेवाएं-” के माध्यम से आवश्यक निदेश दिए गए हैं।
14.	179वीं क.रा.बी.नि. 05.12.2019	सियालदह अस्पताल में प्रतिरोधक दवाएं एवं व्यावसायिक चिकित्सा केंद्र हेतु प्रावधान	दिनांक 17.01.2020 के पत्र सं- यू-16/52/1/2014-मेड.-1। (प.ब.) के माध्यम से राज्य के सभी मुख्य सचिवों को पत्र जारी किया गया है।
15.		चिकित्सा अधीक्षक के प्रत्यायोजन शक्ति में संशोधन करते हुए अग्रदाय की राशि को बढ़ाकर 2 लाख रुपए करना	दिनांक 06.02.2020 के पत्र सं- वी-13/14/38/2018-मेड- 1 /क.रा.बी.नि./एससी के माध्यम से सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र जारी किया गया है।
16.		क.रा.बी.नि. चिकित्सा शिक्षण संस्थानों एवं क.रा.बी.नि. के सेवारत चिकित्सकों को अध्ययन के प्रयोजन से अवकाश लेने के लिए स्नातक/स्नातकोत्तर से उत्तीर्ण दस्तावेज जारी करने हेतु नीति	सभी डीन को आवश्यक कार्रवाई हेतु दिनांक 30.12.2019 को ज्ञापन जारी किया गया है।
17.		क.रा.बी.नि. चिकित्सा महाविद्यालय, गुलबर्गा में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम- डीएनबी पाठ्यक्रम (एनबीई के तहत) बनाम एमडी/एमएस पाठ्यक्रम (एमसीआई के तहत) प्रारंभ करना	निगम द्वारा अपनी 181 वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में चिकित्सा महाविद्यालयों को दिनांक 20.03.2020 के पत्र के माध्यम से निदेश जारी किये जा चुके हैं।



7.		In principle approval for ESIC collaboration with Pradhan Mantri Jan Arogya Yojna (PMJAY) for opening ESIC Hospitals to provide in-house Secondary and Tertiary medical care services to PMJAY beneficiaries on user charge basis.	The Corporation approved the proposal. The 15 ESIC under utilised hospitals has been selected for opening its medical services to PMJAY beneficiaries in accordance with the provision of the Act. Ministry of Labour & Employment has conveyed the approval of Central Government for levying user charges at the NHAs extant package, for providing services to the beneficiaries of Ayushman Bharat/Pradhan Mantri Jan Arogya Yojna (PMJAY)(Other beneficiaries) by the ESIC/ESIC under-utilized hospital.
8.		Approval for authorizing Chairman, ESIC for selecting underutilized ESI Hospital for opening its medical services to Non-insured persons in accordance with provision of "Other Beneficiaries Scheme, 2010".	
9.		Approval for ESIC collaboration with Pradhan Mantri Jan Arogya Yojna (PMJAY) for providing Secondary and Tertiary medical care services to ESI Beneficiaries in newly implemented area of 102 designated Districts through PMJAY empanelled Hospitals.	The Corporation approved the proposal. The pilot program for ESIC PMJAY has been launched with effect from 6th July 2020 for a period of 3 months in the District of Ahmednagar (Maharashtra) and Bidar (Karnataka) out of 102 implemented districts. Now after completion of pilot project 50 districts have been selected for availing of services by ESI Beneficiaries for PMJAY empanelled Hospital in the first phase.
10.		Approval for continuation of services being provided through modified Insurance Medical Practitioners and modified Employer Utilization Dispensaries.	Letter has been issued to all Regional Directors respect of approval for extension of existing mIMP scheme for upto two months or till the roll out of mIMP on tender basis, whichever is earlier. And a letter has also been issued in respect of Continuation of services being provided through modified Employer Utilization Dispensaries vide letter no. V- 14/11/5/2018 Med-I (Catchment Area) dated 23.10.2019 & V-14/11/5/2018 Med-I (Catchment Area) dated 08.11.2019 respectively.
11.		"In Principle" approval for setting up of 100 bedded ESI Hospital at Srinagar, J & K and 30 bedded ESI Hospital at Leh, Ladakh region.	A letter has been issued conveying decision for setting up of 100 bedded ESI Hospital at Srinagar, J&K and 30 bedded ESI Hospital at Leh, Ladakh region. Vide letter no. V-33/11/11/09/Med-II(J&K) dated 14.10.2019.
12.		In principle approval for opening of under-utilized services of Dispensary Cum Branch Office (DCBO) to persons covered under "Other beneficiaries and their families, medical facility scheme, 2010.	Letter has been issued to all RDs/SMOs/SROs/DIMSS/AMOs/Deans/ DMD/DMN for opening of services of under-utilized dispensary cum branch office (DCBO) to non IPs under "Other Beneficiaries and their Families, Medical Facility Scheme, 2010" vide letter dated 04.11.2019.
13.		Detailed guidelines for empanelment of tie-up hospitals.	As per the decision of the Corporation, necessary instructions have been issued for Delhi-NCR by letter No. U-16/30/547/2015-Pro.Cell(SST)/ Services in ESIC Hospitals-II dated 30.09.2019.
14.	05.12.2019 179th ESIC	Provision for preventive medicine and occupational therapy centre at Sealdah Hospital.	Letter has been issued to Director, ESI Scheme, West Bengal vide letter No. U-16/52/1/2014-Med.-II (WB) dated 17.01.2020.
15.		Revision of Delegation of Power to Medical Superintendent for imprest amount to be increased to ₹ 2 Lakh.	Letter has been issued to all Principal Secretaries of the States vide letter No. V-13/14/38/2018-Med.I/ESIC/SC dated 06.02.2020.
16.		Policy for release of documents of UG/PG passouts of ESIC Medical Education Institutions and 'In-service' doctors of ESIC availing leave for study purpose.	Memorandum dated 30.12.2019 has been issued to all the Deans for necessary action.
17.		Starting of PG Courses at ESIC Medical College, Gulbarga-DNB Courses (Under NBE) Vs MD/MS Courses (Under MCI).	Instruction have already been issued to the Medical Colleges vide letter dated 20.03.2020 in pursuance to decision of the ESIC taken at its 181st meeting.



18.		विशेष मामलों में क.रा.बी.नि. चिकित्सा शिक्षण संस्थानों में शिक्षा शुल्क में छूट के लिए मसौदा नीति	संयुक्त सचिव एसएस-1, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को अनुमोदन एवं प्रशासनिक आदेश जारी करने के लिए दिनांक 31.01.2020 को पत्र सं- एल-11/12/3/2018/कॉर्पोरेट कक्ष/एमईसी(पीएफ-ए) जारी किया गया है।
19.		विनियम 10 ए के अधीन स्थानीय समितियों का पुनर्गठन	भारत सरकार के गजट में दिनांक 18 मई 2020 को अधिसूचना संख्या- 179 के माध्यम से विनियम 10 ए के अधीन स्थानीय समितियों पर किये गए संशोधन को अधिसूचित किया गया है।
20.		दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल के क.रा.बी.यो. अस्पताल का उन्नयन करते हुए 150 बिस्तरों से 250 बिस्तरों वाला बनाने हेतु अनुमोदन	श्रम विभाग के मुख्य सचिव, निदेशक क.रा.बी. योजना एवं क्षेत्र, प. बंगाल को दिनांक 15.01.2020 के पत्र सं- यू-16/25/11/2010-मेड-11 (प.बं.) के माध्यम से स्वीकृति पत्र जारी किया गया है।
21.		क.रा.बी.नि./ क.रा.बी.यो अस्पताल विकास समिति में क.रा.बी.नि के पेंशनरों का नामांकन	दिनांक 15.01.2020 के पत्र संख्या- यू/16/18/16/2012 मेड-1 (एचडीसी) के माध्यम से सभी क.रा.बी.नि./ क.रा.बी.यो. चिकित्सा अधीक्षकों को क.रा.बी.नि पेंशनरों को शामिल करते हुए अस्पताल विकास समिति के सदस्यों की संशोधित संरचना के सम्बन्ध में सूचित किया गया है।
22.	07.01.2020 180वीं क.रा.बी.नि	निजी अस्पतालों में द्वितीयक देखभाल सेवाओं हेतु रेफरल सम्बन्धी संशोधित दिशा निर्देश	सभी डीन, एम.एस. एवं क्षेत्र. नि. को दिनांक 27.01.2020 के पत्र सं- यू-16-12-01-2018/एजेंडा/रिपोर्टिंग आइटम-मेड- 11 के माध्यम से आवश्यक अनुदेश दिया गया है।
23.	13.02.2020 181वीं क.रा.बी.नि	क.रा.बी. औषधालयों/ अस्पतालों से बाहर होने वाली प्रसूतियों के लिए प्रसूति व्यय को ₹ 5000/- रुपए से बढ़ाकर ₹ 7500/- करना	निगम ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया है।
24.		क.रा.बी.यो. (राज्य संचालित अस्पताल एवं औषधालय) में हाउसकीपिंग एवं सुरक्षा सेवाओं पर उप समिति की संस्तुति का अनुमोदन	दिनांक 06.08.2020 के पत्र सं- वी/13/14/38/2020 मेड-1 (ईएसआईसी/एससी) के माध्यम से सभी क्षेत्र. नि./ चि.अधी/रा.चि.अ./निदेशक/सं.नि.-उ.क्षे.का एवं सभी डीआईएमएस/एमओ राज्य क.रा.बी. योजना को क.रा.बी.यो (राज्य संचालित अस्पताल एवं औषधालय) में हाउसकीपिंग एवं सुरक्षा सेवाओं के अनुमोदन के सम्बन्ध में पत्र जारी किया गया है।
25.		1. क.रा.बी.नि चिकित्सा शिक्षण संस्थानों में प्रवेश एवं ईडब्ल्यूएस कोटा का संचालन 2. वर्ष 2020-21 एवं उसके पश्चात वार्ड ऑफ आई पी कोटा के अधीन एमबीबीएस/ बीडीएस सीटों पर दाखिले हेतु तदर्थ दाखिला नीति	1. केंद्र सरकार अथवा सम्बंधित परिषदों (एमसीआई/डीसीआई)से सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए औपचारिक अनुमति प्राप्त हो गई है। 2. मा. एकल जज, मद्रास उच्च न्यायालय के दिनांक 07.06.2019 के क.रा.बी.नि. चुनौती आदेश के डब्ल्यूए की बहाली के परिणामस्वरूप, वर्ष 2020-21 व तत्पश्चात की अंतिम भर्ती नीति, मद्रास उच्च न्यायालय के परिणाम के अधीन आम प्रक्षेत्र में जारी की जाएगी व इसमें 2020-21 (बी.व्य. कोटा) हेतु दाखिला लेने के लिए भरे गए अंतिम आवेदन शामिल होंगे।
26.		एक डॉक्टर डिस्पेंसरी की स्थापना के लिए क.रा. बी.नि मानकों को बंद करने एवं वर्तमान में क.रा. बी. अस्पताल भवन कॉम्प्लेक्स परिसरों में चल रहे राज्य संचालित क.रा.बी.यो. औषधालयों के स्थानांतरण का अनुमोदन।	दिनांक 29.07.2020 के पत्र सं. वी-13/14/38/2020 चि.-1 (ईएसआईसी/एससी) के माध्यम से सभी क्षेत्रीय निदेशकों/चिकित्सा अधीक्षकों/एसएमओ/निदेशक/संयुक्त निदेशकों-उ.क्षे.का. और सभी डीआईएमएस/एमओ राज्य क.रा.बी. योजना को एक डॉक्टर औषधालय की स्थापना के लिए क.रा.बी.नि. मानकों को बंद करने एवं वर्तमान में क.रा.बी. अस्पताल भवन कॉम्प्लेक्स परिसरों में चल रहे राज्य संचालित क.रा.बी.यो. औषधालयों के स्थानांतरण सम्बन्धी सूचना जारी की गई है।

6.3 चिकित्सा हितलाभ परिषद

चिकित्सा हितलाभ परिषद की 83वीं बैठक दिनांक 19.09.2019 को मुख्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। बैठक में निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की गई :-

1. एम. - आई.एम.पी. (संशोधित-बीमा चिकित्सक)
2. एम. - ई.यू.डी. (संशोधित - नियोजक उपयोग्य औषधालय)
3. डी.सी.बी.ओ. (औषधालय सह शाखा कार्यालय)
4. चिकित्सा उपकरणों की केंद्रीकृत खरीद
5. स्वास्थ्य पासबुक (हेल्थ पासबुक)

चिकित्सा हितलाभ परिषद की बैठक की प्रमुख विशेषताएं निम्नवत हैं:

- उपलब्ध चिकित्सा उपचार सेवाओं में बढ़ोतरी।
- अल्प-उपयोगी अस्पताल गैर-बीमाकृत व्यक्तियों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करेंगे।
- बेहतर चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम और राज्य सरकारें एक दूसरे के साथ समन्वय स्थापित करेंगी।
- लोक आचरण को बेहतर ढंग से निपटाने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा स्टाफ को सॉफ्ट स्किल (soft Skill) के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए।
- GeM पोर्टल के माध्यम से जीवन रक्षक दवाइयां खरीदने के लिए सभी राज्यों के लिए मापदंड/दिशा-निर्देश होने चाहिए।
- मरीजों की सुविधा के लिए सभी औषधालयों सह शाखा कार्यालयों में भूतल पर औषधालय की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- बीमाकृत व्यक्तियों की ऑनलाइन मैपिंग को नियमित आधार पर अद्यतन किया जाना चाहिए।
- औषधालय सह शाखा कार्यालय/औषधालयों के माध्यम से एस.एस.टी. निर्धारित दवाइयां मुहैया कराने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम को पहल करनी चाहिए।

6.4 क्षेत्रीय बोर्ड बैठकें

क्षेत्रीय बोर्ड एवं स्थानीय समितियों का गठन जमीनी स्तर पर किया जाता है। वर्तमान में 26 क्षेत्रीय बोर्ड तथा 248 स्थानीय समितियां कार्यरत हैं। वर्ष 2019-20 के दौरान, 20 क्षेत्रीय बोर्ड बैठकें आयोजित की गई थीं।



18.		Draft Policy for exemption of Tuition fee at ESIC Medical Education Institutions in Special Cases.	Letter No. L-11/12/3/2018/Corporate Cell/MEC(PF-A) dated 31.01.2020 sent to Joint Secretary, SS-I, MoL&E for approval and issue of Administrative Order.
19.		Reconstitution of Local Committee Under Regulation 10A.	Amendment on Local Committee under Regulation 10A has been notified in Gazette of India vide Notification No.179 dated 18.05.2020.
20.		Approval for upgradation of ESIS Hospital, Durgapur, West Bengal from 150 Beds to 250 Beds.	Sanction letter has been issued to Principal Secretary, Labour Department, Director ESI Scheme and R.D. West Bengal vide letter No. U-16/25/11/2010-Med.-II (WB) dated 15.01.2020.
21.		Nomination of ESIC Pensioners in ESIC/ESIS Hospital Development Committee (HDC).	A letter has been issued to all ESIC/ESIS Medical Superintendent vide letter no. U-16/18/16/2012 Med-I (HDC) dated 15.01.2020 communicating revised composition of Hospital Development Committee (HDC) members with the inclusion of ESIC pensioner in the HDC.
22.	07.01.2020 180th ESIC	Revised guidelines regarding referral to private hospitals for secondary care services.	Necessary instruction has been issued vide letter No. U-16/12/01/2018/ Agenda/Reporting Item-Med. II dated 27.01.2020 to all Dean, M.S. and Regional Directors.
23.	13.02.2020 181st ESIC	Enhancement of confinement expenses for confinement taking place outside ESI Dispensaries / Hospital from ₹ 5000/- to ₹ 7500/-	The Corporation approved the proposal.
24.		Approval of recommendation by Sub-Committee on House-keeping and security services in ESIS (State run Hospitals and Dispensaries).	A letter has been issued to all Regional Directors/Medical Superintendents/ SMOs/Director/JD-SRO & all DIMS/AMOs State ESI Scheme, for approval of House Keeping and Security Services in ESIS (State run Hospitals and Dispensaries) Vide letter no. V-13/14/38/2020 Med-I(ESIC/SC) dated 06.08.2020.
25.		1. Operationalization of EWS Quota & Admission to ESIC Medical Education Institutions. 2. Provisional Admission Policy for admissions to MBBS / BDS seats under ward of IP quota for 2020-21 and thereafter.	1. Formal permission for increase in seats have been received from respective councils (MCI/DCI) or the Central Government. 2. Consequent to revival of WA of ESIC challenging order dated 07.06.2019 of Learned Single Judge, Madras High Court, the provisional admission policy for 2020-21 and thereafter would be issued in public domain subject to the outcome at Madras High Court, including that of the interim application filed for under taking admission for 2020-21(I.P.Quota).
26.		Approval for discontinuation of ESIC norms for setting up of One Doctor Dispensary and shifting of State run ESIS Dispensaries currently running within ESI Hospital building complex premises.	A letter vide no. V-13/14/38/2020 Med-I (ESIC/SC) dated 29.07.2020 has been issued to all Regional Directors/Medical Superintendents/SMOs/ Director/JD-SRO & all DIMS/AMOs State ESI scheme, for discontinuation of ESIC norms for setting up of One Doctor Dispensary and shifting of State run ESIS Dispensaries currently running within ESI Hospital building complex premises.

6.3 Medical Benefit Council

83rd Meeting of Medical Benefit Council (MBC) was held on 19.09.2019 at ESIC Hqrs. Office, New Delhi.

During the meeting following issues were discussed:

1. M-IMP (Modified Insurance Medical Practitioner)
2. M-EUD (Modified Employer Utilization Dispensary)
3. DCBO (Dispensary cum Branch Office)
4. Centralized Procurement of Medical Equipment
5. Health Pass Book.

Salient features of MBC meeting are as under:

- Enhancement for available medical treatment services
- Under-utilized hospitals shall provide medical facilities to non-IPs
- ESIC and State Govt. should co-ordinate with each other for providing better medical facilities
- ESI Staff should be trained for soft skill so as to tackle public dealing in improved manner.
- Parameter/guidelines should be in place, for all states for purchasing life saving drugs from GeM.
- Dispensary should be set up at ground floor for patient convenience in all DCBOs.
- Online mapping of IPs should be regularly updated.
- ESIC should take initiatives for providing SST prescribed medicines from DCBOs/Dispensaries.

6.4 Regional Board Meetings

Regional Boards and Local Committees are constituted at the grass root level. At present a total of 26 Regional Boards and 248 Local Committees are in existence. During the year 2019-20, 20 Regional Board meetings were held.



7. प्रशासन

7.1 स्थापना

क.रा.बी. निगम जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, के देशभर में बहुतायत क्षेत्र कार्यालय हैं। इनमें 24 क्षेत्रीय कार्यालय, 40 उप-क्षेत्रीय कार्यालय, 559 शाखा कार्यालय, 49 औषधालय सह शाखा कार्यालय (डीसीबीओ) तथा 185 भुगतान कार्यालय हैं।

7.2 कर्मचारी संख्या

दिनांक 31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार, निगम में अधिकारियों (महानिदेशक, वित्त आयुक्त एवं मुख्य सतकर्ता अधिकारी सहित) तथा स्टाफ की कुल संस्वीकृत संख्या 20257 है। इसमें चिकित्सा एवं परा चिकित्सा तथा नर्सिंग स्टाफ तथा राज्य सरकारों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में आने वाले कर्मचारी शामिल नहीं हैं।

7.3 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व

कैलेंडर वर्ष 2019 (01.01.2020 तक के अनुसार) में अधिकारियों तथा कर्मचारियों की कुल संख्या तथा उम्मीदवारों से भरी गई रिक्तियों की संख्या से संबंधित सूचना परिशिष्ट-VII में दर्शायी गई है।

7.4 प्रशासनिक व्यय

क.रा.बी. अधिनियम की धारा 28-क के अनुसार प्रशासनिक व्ययों पर खर्च की जाने वाली निगम की आय की प्रतिशतता इस प्रकार होनी चाहिए जो केन्द्र द्वारा निर्धारित हो। केन्द्र सरकार ने क.रा.बी. (केन्द्रीय) नियमावली, 1950 के नियम 31-क के अंतर्गत प्रशासनिक व्ययों की प्रतिशतता वर्ष 1997-98 से कुल राजस्व आय का 15 प्रतिशत निर्धारित की है। वर्ष 2015-16 से 2019-20 के दौरान कुल राजस्व आय के प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक व्यय इस प्रकार हैं:-

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
कुल राजस्व आय के संबंध में प्रशासनिक व्यय की प्रतिशतता	9.68%	10.28%	4.39%	4.23%	7.79%

7.5 भर्ती गतिविधियां

भर्ती प्रभाग के कार्य में विभिन्न शिक्षण संकाय, चिकित्सा, परा-चिकित्सा तथा नर्सिंग, प्रशासनिक तथा तकनीकी संवर्गों में रिक्ति संबंधी प्रकाशन करना, परीक्षा तथा साक्षात्कार आयोजित करना, परिणाम का समेकन, घोषणा तथा प्रकाशन करना शामिल है। वर्ष 2019-2020 के दौरान भर्ती विभाग ने सक्रिय रूप से क.रा.बी. निगम में विभिन्न संवर्गों में रिक्त पदों को भरने के लिए विभिन्न भर्ती अभियान चलाए, जिसके परिणामस्वरूप रिक्तियों की बड़ी संख्या को भरने के लिए वर्ष भर में सार्थक संख्या में परीक्षाओं तथा साक्षात्कारों का आयोजन किया गया।

भर्ती प्रभाग द्वारा वर्ष 2019-2020 के दौरान निम्नलिखित भर्ती क्रियाकलाप किए तथा सफलतापूर्वक संपूर्ण किए गए:

क्र.सं.	संवर्ग/पद	रिक्तियों की संख्या	भर्ती की स्थिति
01.	बीमा चिकित्सा अधिकारी श्रेणी बी. चि.अ. श्रेणी-II	771	17 क्षेत्रों में 771 रिक्तियों को भरने के लिए दिनांक 05.10.2018 को विज्ञापन जारी किया गया। दिनांक 26.12.2018 को लिखित परीक्षा संचालित की गई। दिनांक 07.02.2019 को लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया। फरवरी, 2019 से जनवरी, 2020 तक क्षेत्रवार साक्षात्कार संचालित किया गया। जनवरी, 2020 तक सभी क्षेत्रों का अंतिम परिणाम घोषित किया गया। भर्ती प्रक्रिया संपन्न की गई।
02.	विशेषज्ञ श्रेणी-II (वरिष्ठ स्केल तथा कनिष्ठ स्केल)	329	19 क्षेत्रों के लिए दिनांक 24.12.2018 को विज्ञापन जारी किया गया। 4 क्षेत्रों (असम, चंडीगढ़, जम्मू व कश्मीर तथा पश्चिम बंगाल) के लिए कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ। 15 क्षेत्रों के लिए साक्षात्कार संचालित तथा परिणाम घोषित किया गया।
03.	परा-चिकित्सा तथा नर्सिंग संवर्ग पद (15 कैडर के लिए)	2189	दिसम्बर, 2018 में विज्ञापन जारी किया गया। 26 तथा 27 फरवरी, 2019 को लिखित परीक्षा आयोजित की गई। दिनांक 21 जून, 2019 को लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया। भर्ती प्रक्रिया संपन्न की गई।
04.	प्रवर श्रेणी लिपिक तथा आशुलिपिक	प्र.श्रे.लि.-1719 आशुलिपिक 151	दिनांक 01.03.2019 को विज्ञापन जारी किया गया। दिनांक 14.07.2019 को चरण-1 लिखित परीक्षा संचालित तथा दिनांक 08.08.2019 को चरण-1 परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया। दिनांक 20.10.2019 तथा 01.12.2019 (महाराष्ट्र क्षेत्र के लिए) को दक्षता परीक्षा आयोजित की गई। जनवरी, 2020 में प्रवर श्रेणी लिपिक के पद के लिए दक्षता परीक्षाओं का परिणाम घोषित तथा मार्च, 2020 में आशुलिपिक के पद के लिए दक्षता परीक्षाओं का परिणाम घोषित किया गया। भर्ती प्रक्रिया संपन्न की गई।
05.	क.रा.बी.निगम चिकित्सा अस्पताल, फरीदाबाद के लिए शिक्षण संकाय	9	दिनांक 01.03.2018 को विज्ञापन जारी किया गया। मई तथा जुलाई, 2019 में साक्षात्कार संचालित किया गया। जून तथा सितम्बर, 2019 में परिणाम घोषित किया गया। भर्ती प्रक्रिया संपन्न की गई।
06.	विभागीय परीक्षा		अनुकंपा आधार पर/स्पोर्ट्स कोटा हेतु प्रवर श्रेणी लिपिक के लिए अर्ध वार्षिक कंप्यूटर दक्षता परीक्षा दिनांक 25.02.2020 को संचालित तथा दिनांक 24.07.2020 को परिणाम घोषित।



7. ADMINISTRATION

7.1 Establishment

The ESI Corporation, with its Headquarters located at New Delhi, has a large number of Field Offices throughout the Country. These includes 24 Regional Offices, 40 Sub-Regional Offices, 559 Branch Offices, 49 Dispensary cum Branch Offices (DCBO) & 185 Pay Offices.

7.2 Staff Strength

The Total sanctioned strength of Officers (including Director General, Financial Commissioner and Chief Vigilance Officer) and Staff in the Corporation as on 31.03.2020 was 20257. This excludes the Medical, Paramedical and Nursing staff as well as staff under the direct control of State Government.

7.3 Representation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes

The information relating to total number of officers and employees and the vacancies filled by candidates is indicated in **Appendix-VII** for the calendar year 2019 [01.01.20].

7.4 Administrative Expenses

Section 28-A of the ESI Act provides that the percentage of income of the Corporation, which may be spent for the administrative expenses shall be such as may be prescribed by the Central Government. The Central Government has fixed the percentage of the administrative expenses under Rule 31-A of ESI (Central) Rules, 1950 as 15% of total revenue income with effect from the year 1997-98. The administrative expenditure as a percentage of the total revenue income during the year 2015-16 to 2019-20 works out as under:

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
Percentage of Administrative Expenditure in relation to total Revenue Income	9.68%	10.28%	4.39%	4.23%	7.79%

7.5 Recruitment Activities

The work of Recruitment Division involves publishing of vacancies in various Teaching Faculty, Medical, Paramedical & Nursing, Administrative and Technical cadres, holding Examination and Interviews, compilation, declaration and publication of results. During the year 2019-20, the Recruitment Division took up various recruitment drives to fill up vacant posts in various cadres in ESIC proactively, as a result of which a significant number of examinations and interviews were conducted throughout the year to fill up huge number of vacancies.

The following recruitment activities were carried out and completed successfully during the year 2019-20 by Recruitment Division:

Sl.	Cadre / Post	No. of Vacancies	Status of Recruitment
01.	Insurance Medical Officer Grade - IMO Gr. II	771	Advertisement released on 5.10.2018 for filling up 771 vacancies in 17 Regions. Written Examination conducted on 26.12.2018. Result of Written Examination declared on 07.02.2019. Region wise Interviews conducted from Feb, 2019 to January, 2020. Final Result declared for all Regions by January, 2020. Recruitment process completed.
02.	Specialist Grade-II (Sr. Scale & Jr. Scale)	329	Advertisement released on 24.12.2018 for 19 Regions. No application received for 4 regions (Assam, Chandigarh, J&K and WB). Interviews conducted and results declared for 15 regions.
03.	Paramedical & Nursing Cadre Posts (For 15 cadres)	2189	Advertisement released in December, 2018. Written Exam held on 26th & 27th Feb, 2019. Result of Written Exam. result declared on 21st June, 2019. Recruitment process completed.
04.	UDC & Steno.	UDC-1719 Steno. 151	Advertisement released on 01.03.2019. Phase I Written Examination conducted on 14.07.2019 and result of Phase I Exam. declared on 08.08.2019. Skill Tests conducted on 20.10.19 & 01.12.2019 (for Maharashtra Region). Result of Skill Tests for the post of UDC declared in January, 2020 and result of Skill Tests for the post of Steno. declared in March, 2020. Recruitment process completed.
05.	Teaching Faculty for ESIC Medical College, Faridabad.	9	Advertisement released on 01.03.2018 Interviews conducted in May & July, 2019. Result declared in June & September, 2019. Recruitment Process Completed.
06.	Departmental Examination		Half Yearly Computer Skill Test conducted on 25.02.2020 and result declared on 24.07.2020 for compensate ground/ Sports Quota UDC.



7.6 प्रबंध सेवा एकक

1. कर्मचारी राज्य बीमा निगम में आइ.एस.ओ. प्रमाणीकरण:
सभी क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों, निदेशालय (चिकित्सा) दिल्ली, कर्मचारी राज्य बीमा निगम आदर्श अस्पतालों से गुणवत्ता सेवाओं के लिए अपना लेखापरीक्षण करवाना और नवीनतम क्यू.एम.एस.के अन्तर्गत प्रमाणित होना अपेक्षित था। दिनांक 31.03.2020 के अनुसार, कुल 49 क्षेत्र एककों ने आइ.एस.ओ. प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया है।
2. वीआईपी./एमपी संदर्भ:
वर्ष के दौरान, प्राप्त हुये 302 सांसद/वीआईपी संदर्भों के संबंध में मुख्यालय कार्यालय की संबंधित शाखाओं के साथ समन्वय किया गया है।
3. उत्पादकता संबद्ध बोनस:
प्रबंधन सेवा एकक द्वारा की गई गणना के आधार पर वर्ष 2019-20 के लिए उत्पादकता से संबद्ध बोनस (पीएलबी) का भुगतान निगम के कर्मचारियों को किया गया है।
4. नागरिक/ग्राहक चार्टर की समीक्षा:
वर्ष 2019-20 के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम का नागरिक/ग्राहक चार्टर मुख्यालय कार्यालय के संबंधित शाखाओं से प्रासंगिक सूचना प्राप्त करने के पश्चात् तैयार कर लिया गया/उसे अंतिम रूप दे दिया गया।

7.7 सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी

वर्ष 2019-20 में सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की गई है। क.रा.बी. निगम ने अपने स्वयं के सूचना प्रौद्योगिकी मामलों के प्रबंधन में युक्तिपूर्ण भूमिका और कर्तव्य ग्रहण करने में बहुत प्रगति की है। वर्ष 2019 में पिछले सेवा प्रदाता और प्रणाली इंटीग्रेटर मैसर्स रेलटेल का अनुबंध समाप्त हो गया तथा नए सेवा प्रदाता ने परियोजना का कार्यभार संभाल लिया है। परियोजना के कार्यक्षेत्र को पुनः परिभाषित किया गया और डाटा केन्द्र (डीसी) एवं डाटा वसूली केंद्र (डीआरसी) अनुरक्षण और कार्य निरंतरता सहित सभी केन्द्रीय अनुप्रयोगों (ईआरपी, बीमा और धनवतार आदि सहित) के लिए आशोधित किया गया। क.रा.बी. निगम ने सभी शेष क्षेत्र गतिविधियां जिसमें कंप्यूटर अवसंरचना का प्रबंधन, नेटवर्क एवं ब्राडबैंड का प्रावधान शामिल है और केन्द्रीय गतिविधियां जिसमें लाइसेंस का नवीकरण, अनुरक्षण/तकनीकी अनुबंध, डीसी/डीआर पर सभी मूर्त और अमूर्त केन्द्रीय आस्तियों का रूब्रिक्शन शामिल है, को अधिकार में ले लिया है।

क.रा.बी.निगम ने अपनी परियोजना 'पंचदीप' के संचालन और अनुरक्षण अनुबंध का नवीकरण दो वर्षों की अवधि के लिए किया है जो दिनांक 08.09.2019 से प्रभावी है जो कि एक और वर्ष के लिए विस्तार योग्य है। वर्ष 2019 में पिछले सेवा प्रदाता मैसर्स रेलटेल के साथ अनुबंध समाप्त होने के पश्चात् मैसर्स सीएमएम कंप्यूटर्स लिमिटेड को अनुबंध सौंपा गया। पिछले और वर्तमान सेवा प्रदाता के मध्य पारमगन गतिविधियां दिनांक 26.09.2019 की सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली गईं और उसी दिन के प्रभाव से परियोजना 'पंचदीप' का संचालन और अनुरक्षण आरंभ हो गया।

वर्ष 2019-20 के दौरान पूर्ण की गई महत्वपूर्ण गतिविधियों की प्रमुख विशेषताएं :-

- क) क.रा.बी.निगम ने सेवा प्रदाता प्रकार्यात्मक बेस्कोप अनुप्रयोग के सोर्स कोड को अपने अधिकार में ले लिया है। इससे पहले, इन सेवा प्रदाताओं से जब भी आवश्यकता हो कोई भी परिवर्तन/आशोधन करने के लिए इन सोर्स कोड को रखना और नियंत्रित करना अपेक्षित था।
- ख) क.रा.बी.निगम ने लाइसेंसों के नवीकरण और अनुप्रयोगों के वार्षिक सपोर्ट एवं मौजूदा सॉफ्टवेयर आस्तियों के सॉफ्टवेयर लाइसेंस, हार्डवेयर आस्तियों के लिए तकनीकी समर्थन तथा डीसी/डीआर में नवीनतम उपकरणों का प्रापण को सुगम बनाने के लिए सक्रिय भूमिका स्वीकृत की है। इसके अतिरिक्त, परियोजना पंचदीप के लिए आवश्यक किसी भी नए लाइसेंस/आस्तियों का भी प्रापण किया जाएगा और क.रा.बी.निगम द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। पूर्व में लाइसेंस के प्रावधान और प्रापण की कार्य प्रणाली इंटीग्रेटर/सेवा प्रदाता के कार्यक्षेत्र में पूर्ण रूप से थी।
- ग) क.रा.बी.निगम ने परियोजना पंचदीप के नेटवर्क घटक को पूर्ण रूप से अधिकार में ले लिया है। परियोजना पंचदीप के कार्यक्षेत्र को आशोधित किया गया है और सेवा प्रदाता के कार्यक्षेत्र को घटा दिया है और केवल डाटा सेंटर, डेटा रिकवरी सेंटर और बेस्कोप अनुप्रयोगों तक सीमाबद्ध कर दिया है। कनेक्टिविटी समाधान का प्रावधान जिसमें एमपीएलएस/ब्राडबैंड/आइएलएल, कंप्यूटर हार्डवेयर, पेरिफरल सूचना प्रौद्योगिकी उपस्कर और क्षेत्र स्थलों पर उपकरण शामिल हैं, को विकेन्द्रीकृत किया गया है और अब क.रा.बी.निगम क्षेत्र कार्यालयों के सीधे पर्यवेक्षण के अधीन है। क.रा.बी.निगम अपने स्वयं की नेटवर्क अवसंरचना का प्रापण, आरंभ और प्रबंधन कर रहा है और बाजार से सीधे कनेक्टिविटी प्राप्त कर रहा है। ब्राडबैंड, एसडीडब्ल्यूएन और आईएलएल (इंटरनेट लिज लाइन) के कार्यान्वयन के साथ, एमपीएलएस लाइस का उपयोग घटकर कनेक्शन की मूल संख्या का 1/10 से कम हो जाएगा।
- घ) एनआईसी द्वारा विकसित कुछ अनुप्रयोग और अन्य केन्द्र सरकार संगठनों/विभागों/मंत्रालयों के समान जैसे कि स्पैरो, ई-मेल, सीपीग्राम अनुप्रयोगों को पहले ही कार्यान्वित कर दिया गया है। ई-ऑफिस कार्यान्वयन के लिए प्रक्रियाधीन है।
- ङ) क.रा.बी. निगम सूचना प्रौद्योगिकी परियोजना वर्जन 2 पर आगे बढ़ने के लिए युक्तिपूर्ण मार्गदर्शन के लिए व्यावसायिक संस्था/सूचना प्रौद्योगिकी निकाय को नियोजित करने की योजना बना रहा है जिसमें इन हाउस अनुप्रयोगों अथवा सूचना और प्रौद्योगिकी सेवाओं को पूर्ण रूप से प्रबंधित सेवाओं को प्राप्त करने के लिए क्लाउड प्लेटफार्म में स्थानांतरित करना शामिल है।
- च) बेहतर मानीटरिंग और सेवा प्रदाता पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए, परियोजना मॉनिटरिंग एकक को सुदृढ़ बनाया जा रहा है जिसके लिए प्रक्रिया पहले ही आरंभ कर दी गई है।
- छ) सूचना प्रौद्योगिकी मामलों पर युक्तिपूर्ण परामर्शी समर्थन प्राप्त करने के लिए क.रा.बी.निगम भी निश्चित डोमेन में सूचना प्रौद्योगिकी सलाहकार नियुक्त करने की भी योजना बना रहा है।
- ज) क्षेत्र कार्यालयों में अभिकरणों के माध्यम से संविदात्मक आधार पर सूचना प्रौद्योगिकी प्रबंधकों और सूचना प्रौद्योगिकी सहायकों की सेवाओं के माध्यम से सूचना सुविधा प्रबंधन का कार्य किया जा रहा है।
- झ) मैसर्स सीएमएस कंप्यूटर्स ने संविदा के अनुसार, सांविधिक अपेक्षाओं, आवश्यकताओं के अनुसार और मूल्य संवर्धन (परिवर्तन आवेदन) हेतु पंचदीप अनुप्रयोग में सुधार तथा परिवर्तन के लिए अपेक्षित तकनीकी जनशक्ति प्रदान की है।
- ञ) क्षेत्र कार्यालयों ने अपने आप को लगभग नवीनतम हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर से लैस कर लिया है और पुराने, अप्रयुक्त ई कचरे के निपटान के लिए हार्डवेयर को अनुपयोगी घोषित करने की नीति को कार्यान्वित किया है। लैपटॉप नीति को व्यय विभाग/इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर अद्यतन किया है।



7.6 Management Service Unit

1. ISO Certification in ESIC: -
All Regional/Sub Regional Offices, O(M)O, ESIC Model Hospitals were expected to get themselves audited for quality Services and get certified under the latest of QMS. As on 31.03.2020, total 49 Nos. field units have been awarded ISO Certificate.
2. VIP/MP reference: -
Coordination in respect of 302 No. of MP/VIP references received during the year, has been done with respective branches of Hqrs. Office.
3. Productivity Linked Bonus: -
On the basis of calculation done by MSU, payment of Productivity linked Bonus (PLB) has been made to employees of the Corporation for the year 2019-20.
4. Review of Citizen/Client's Charter: -
Citizen/Client's charter of ESIC for the year 2019-20 has been prepared/finalised after getting relevant data from respective branches of Hqrs. Office.

7.7 Information and Communication Technology

Significant progress have been made in 2019-20 in the field of Information and Communication Technology (ICT). ESIC has done much progress in taking over strategic roles and responsibilities in managing its own IT affairs. In 2019, the contract with the previous service provider and system integrator M/s Railtel's got over and new service provider has taken over the project. The scope of project was redefined and was modified for managing all central Applications (including ERP, Insurance and Dhanwantri, etc.), along with Data Centre (DC) and Data Recovery Centre (DRC) maintenance and business continuity. Remaining all field activities which includes management of computer infrastructure, network & Bandwidth provisioning & central activities which includes renewal of licences, maintenance / technical contracts, subscriptions of all tangible and intangible central assets at DC/DR has been taken over by ESIC.

ESIC has renewed its Operation and Maintenance contract of Project 'Panchdeep' for a period of two years, w.e.f. 08.09.2019, extendable to one more year. The contract was awarded to M/s. CMS Computers Ltd, after the end of contract with previous Service Provider, M/S Railtel in 2019. The transition activities between the previous and the current Service providers completed successfully on 26.09.2019 and the Operations & Maintenance of Project 'Panchdeep' started with effect from the same date.

Salient features of important activities carried out during 2019-20

- a. ESIC has taken over source code of functional Bespoke Applications from the Service Provider. Earlier to this, the Service Providers were required to keep and control these source codes for making any changes/modifications as and when required.
- b. ESIC has assumed active role in facilitation of renewal of licenses and annual support of applications & software licenses of the existing software assets, Technical support for Hardware assets and procurement of newer tools in DC/DR. In addition to this any new license/assets required for Project Panchdeep would also be procured and provided by ESIC. Earlier, procurement and provisioning of licenses was completely in the domain of the system integrator/service provider.
- c. ESIC has completely taken over network component of Project Panchdeep. Scope of Project Panchdeep has been modified and scope of service provider has been reduced and restricted only upto managing Data Centre, Data Recover Centre and bespoke Applications. Provisioning of Connectivity solutions including MPLS/ Broadband/ ILL, Computer hardware, Peripheral IT devices and tools at Field locations have been decentralised and are now under direct supervision of ESIC field Offices. ESIC is procuring, commissioning and managing its own network infrastructure and directly taking connectivity from market. With the implementation of Broadband, SDWAN and ILL (Internet Lease Line), use of MPLS lines shall reduce to less than one tenth of the original number of connections.
- d. Some of the Applications developed by NIC and common to other central government organizations / Departments/Ministries have already been implemented in ESIC, such as SPARROW, e-mail, CPGRAM. E-Office is in the process of being implemented.
- e. ESIC is planning to deploy a professional Entity / IT Consulting body to provide strategic guidance for moving forward to Version 2 of the IT Project that may also involve moving the in-house applications or IT services to cloud Platform for acquiring completely managed services.
- f. In pursuance of having better monitoring and control over service provider, the Project Monitoring Unit is being strengthened and for this necessary process has already been initiated.
- g. For getting strategic consulting support on IT matters, ESIC is also planning to engage IT Consultants in specific domains.
- h. IT Facility management at the field offices are being done through availing services of IT Managers and IT Assistants on contractual basis through agencies.
- i. M/s CMS Computers has provided requisite technical Manpower for improvement and changes in the Panchdeep application as per statutory requirements, needs and for value addition (Change Requests), as per the Contract.
- j. Field offices almost completed the process of equipping itself with latest hardware & software and implemented the 'Condemnation of Hardware policy' to dispose of the older, obsolete e-waste. Laptop policy has been updated based on guidelines issued by the Department of Expenditure / Ministry of Electronics and Information Technology.



- ट) वैकल्पिक कनेक्टिविटी जैसे बॉडबैंड और इंटरनेट आधारित लाइन आदि की ओर अभिगमन आरंभ किया गया है। साइट्स ने पहले ही ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का प्रापण कर लिया है।
- ठ) मैसर्स डायनाकोन द्वारा क्षेत्र स्थलों पर 10 वर्षों पुराने सीआईएससीओ राउटर को प्रतिस्थापित कर एसडी-डब्ल्यूएन राउटर डिवाइस को स्थापित किया जा रहा है। दिनांक 15/01/2020 तक लगभग 950 साइटों का अभिगमन पहले ही एसडी-डब्ल्यूएन प्रणाली में कर दिया है।
- इन कदमों से पहले ही क.रा.बी. निगम पिछले वर्षों की तुलना में अधिक धन की बचत करने और महत्वपूर्ण क्षमता निर्माण करने की ओर अग्रसर हो चुका है। वर्ष 2019-20 के दौरान पंचदीप में निम्नलिखित परिवर्तन कार्यान्वित किए गए हैं—
1. क.रा.बी. निगम के पंजीकरण को एमसीए के साथ एकीकृत किया गया है।
 2. नई अंशदान दर अर्थात् 3.25 प्रतिशत एवं 0.75 प्रतिशत को कार्यान्वित किया गया।
 3. न्यूनतम मजदूरी की वृद्धि अर्थात् 137/- रुपये से 176/- रुपये।
 4. कर्मचारियों के ऑनलाइन पंजीकरण में मान्यकरण प्रक्रिया का निर्माण किया गया है।
 5. मान्यकरण को अंशदान अवधि की अंतिम तिथि से 42 दिनों की समाप्ति के पश्चात अंशदान फाइल करने के लिए मॉड्युलन हेतु सेट किया गया है।
 6. लाभार्थियों को स्थायी निःशक्तता हितलाभ/आश्रितजन हितलाभ के बकाया भुगतान को कार्यान्वित किया गया है।
 7. किंचित नियोक्ताओं को अपात्र स्थिति के लिए लॉगइन प्रतिबंधित किया गया।
 8. किंचित चूककर्ता कार्रवाई में ई-मेल के माध्यम से नियोक्ताओं को नोटिसों का ऑटो-ट्रिगर।
 9. www.esic.in अब क्रोम, सफारी एवं ओपेरा ब्राउजर में भी उपलब्ध है।
 10. अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का कार्यान्वयन और ऑनलाइन दावा प्रस्तुत करने का प्रावधान।
 11. नियोक्ता ई-मेल और मोबाइल नंबर कॉलम व्यू एम्प्लॉयर मास्टर एम आर स्क्रीन में।
 12. अंत्येष्टि व्यय की वृद्धि को प्रणाली में कार्यान्वित किया गया।
 13. अनुप्रयोग में क्यूआर कोड (यूएचआईडी) प्रिंटेड हेल्थ पास बुक फ्रंट पेज स्टीकर का जेनरेशन।
 14. एमआईएमपी स्कीम के अंतर्गत नामिकायित नैदानिक केंद्र, नामिकायित रसायनज्ञ और बीमा चिकित्सा व्यावसायी को पंजीकृत करने के लिए एक अनुप्रयोग विकसित किया गया।
 15. पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार के लिए 'धनवंतरि' अनुप्रयोग (पी1 फार्म) में ऑनलाइन रोगी रेफरल मॉड्यूल में सुधार किया गया।
 16. पूर्व ईसीएस मोड से एसबीआई गेटवे के माध्यम से हितलाभ संवितरित करने के लिए ई-भुगतान सुविधा का प्रावधान किया गया है।
 17. क.रा.बी. निगम वास्तविक समय प्रेषण के लिए इंटरनेट बैंकिंग (कॉर्पोरेट और रिटेल) का उपयोग करते हुए अंशदान के ऑनलाइन भुगतान के लिए बैंकों (एसबीआई, बीओबी, एक्सेस) के साथ एकीकृत हुआ।
 18. क.रा.बी. निगम ई-मेल प्रणाली का अभिगमन एनआईसी मेल प्रणाली में हुआ है। सभी ई-मेल के प्रबंधन का प्रशासनिक नियंत्रण सीधे क.रा.बी. निगम के नियंत्रणाधीन कर दिया गया है। एनआईसी सभी तकनीकी मामलों को देख रहा है। सभी नए स्टाफ और अधिकारियों को नाम आधारित ई-मेल आईडी जारी की जा रही है। इसके अलावा, क.रा.बी. निगम अधिकारियों एवं क.रा.बी. निगम/ क.रा.बी. योजना स्थलों को भी आवश्यकतानुसार पदनाम/स्थल आधारित आईडी उपलब्ध कराई जाती है। अब तक 29000 ई-मेल आईडी उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। सभी ई-मेल को उनके मोबाइल नंबर के साथ संबद्ध किया जा रहा है। इन प्रयोक्ता प्रत्यायक का प्रयोग आगे अन्य अनुप्रयोगों अर्थात् ई-ऑफिस, स्पैरो आदि में प्रमाणीकरण उद्देश्य के लिए किया जाएगा।
 19. एनआईसी द्वारा विकसित स्पैरो (स्मार्ट परफोमेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो) को अंगीकृत किया और वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिकॉर्डिंग और अनुसंधान के लिए क.रा.बी. निगम के सभी संवर्ग (परा-चिकित्सा का छोड़कर जो कि कार्यान्वित किए जाने के लिए प्रक्रियाधीन हैं) के लिए देशभर में कार्यान्वित किया गया।
 20. स्पैरो को सभी क.रा.बी. निगम स्थलों में ऑनलाइन अचल वार्षिक संपत्ति विवरण के लिए भी कार्यान्वित किया गया है।
 21. क.रा.बी. निगम कर्मचारियों से संबंधित वेतन एवं भत्ते और अन्य मामलों के संबंध में भारत सरकार के दिशा-निदेशों के अनुसार ईआरपी मॉड्यूल का अद्यतनीकरण किया गया है।
 22. लेवल 1 चरण में एसएसटी-यूटीआई एकीकरण किया गया है।
 23. ई-भुगतान का कार्यान्वयन किया गया है।
 24. निवेश मॉड्यूल पर एक नए अनुप्रयोग का विकास किया गया।
 25. अपनी पसंद के बैंक के माध्यम से अंशदान भुगतान करने के लिए नियोक्ताओं को सक्षम बनाने के लिए बैंको को एकीकृत करना।
 26. नियम के अनुसार चिकित्सा अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु के विस्तार के लिए ऑटोमेशन।
 27. www.esic.in पर क.रा.बी. निगम निष्पादन डैशबोर्ड में मुख्य निष्पादन संकेतक (केपीआई) प्रदर्शित करना।
 28. सेवाओं का उपयोग करने से पूर्व वास्तविक समय पात्रता जांच के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ पंचदीप मॉड्यूल को एकीकृत करना।



- k. Migration to alternate connectivity like broadband and internet-based line, etc. have been initiated. Sites have already procured broadband connectivity.
- l. SD-WAN routers devices are being installed by M/S Dynacons in field locations in replacement of the 10 years old CISCO Routers. As on 15.01.2020, around 950 sites have been already migrated to SD-WAN system.

These steps have already led to considerable capacity building and saving for ESIC in terms of money, as compared to the previous years.

Following Changes have been implemented in 'Panchdeep' during 2019-20

1. Registration for ESIC has been integrated with MCA.
2. New Contribution rate i.e 3.25% & 0.75% implemented.
3. Enhancement of Minimum wages i.e ₹ 137/- to ₹ 176/-
4. Validation processes have been built in the online registration of employees.
5. Validation have been set for modulating filing of contribution after expiry of 42 days from the end date of Contribution period.
6. PDB/DB arrear payment to beneficiaries have been implemented.
7. Login restricted for certain ineligible status of employers.
8. Auto- trigger of Notices to employers through emails in certain defaulter actions.
9. www.esic.in is now also available in Chrome, Safari & Opera Browsers.
10. Implementation of Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojna and online claim submission provisions.
11. Employer email and mobile number columns were in View Employer Master MR screen.
12. Enhancement of Funeral Expenses implemented in system.
13. Generation of QR Code (UHID) printed Health Pass Book front page sticker in application.
14. An application developed for registering Insurance Medical Practitioner (IMP), Empanelled Chemist and Empanelled Diagnostic Centre under mIMP scheme.
15. The online patient referral module in 'Dhanwantri' application (P1 Form) was revamped to improve transparency and accountability.
16. E-Payment facility has been provisioned for disbursing benefit through SBI gateway from earlier ECS mode.
17. ESIC integrated with Banks (SBI, BoB, Axis) for online payment of contribution using Internet Banking (Corporate and Retail) for Real time remittance.
18. ESIC Email System has been migrated to NIC Mail System. Administrative control to manage all emails have been taken over directly under control of ESIC. NIC is taking care of all Technical Issues. All new staff and officer are being issued with name based email IDs. Apart from this, ESIC officers & ESIC/ESIS Locations are also provided with designation/location based IDs as per requirement. So far around 29000 email IDs have been made available. All emails are being associated with their mobile numbers. This user credentials will further be used for authentication purposes in other applications viz. eOffice, Sparrow etc.
19. SPARROW (Smart Performance Appraisal Report Recording Online Window) developed by NIC was adopted and implemented across India for all the cadres of ESIC (except paramedical staff which is in the process of being implemented) for Annual Performance appraisal recording and maintaining.
20. SPARROW has also been implemented for online Immovable Annual Property Returns across all ESIC locations.
21. Updation of ERP module as per the Government of India guidelines has been done regarding Pay and Allowances and other matters in respect of ESIC employees.
22. SST-UTI Integration has been done at level 1 stage.
23. Implementation of E-Payment has been done.
24. A new application developed on Investment Module
25. Integration of Banks for enabling employers to make contribution payment through bank of their choice.
26. Automation for extension of Retirement Age of Medical Officers as per rule
27. ESIC performance Dashboard at www.esic.in showing information on Key Performance Indicator
28. Integration of Panchdeep Module with PMJAY for real-time eligibility check before availing services.

8. मानव संसाधन विकास

8.1 क.रा.बी. निगम राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी

राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी, प्रशिक्षण प्रभाग के अधीन शीर्ष प्रशिक्षण केन्द्र है जिसके अध्यक्ष बीमा आयुक्त है। इसका कार्य क.रा.बी. निगम के सभी 'क' तथा 'ख' (चिकित्सा तथा गैर-चिकित्सा सहित) वर्ग के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना है। वर्तमान में राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी द्वारका, दिल्ली में स्थित है।

क.रा.बी. निगम राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना

वर्ष 2005 में, क.रा.बी. निगम की राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना क.रा.बी. निगम के सभी 'क' तथा 'ख' वर्ग के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए की गई जिसके अध्यक्ष अपर आयुक्त थे तथा इसने क.रा.बी. निगम क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई भवन से कार्य करना आरंभ किया।

इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित आंचलिक प्रशिक्षण संस्थानों (जेडटीआई) की स्थापना निदेशक/संयुक्त निदेशक/उप निदेशक के स्तर के आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान प्रभारी की अध्यक्षता में क.रा.बी. निगम के 'ग' तथा 'घ' वर्ग के स्टाफ को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भी की गई थी।

1. आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान (उत्तर अंचल), क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली में।
2. आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान (दक्षिण अंचल) क.रा.बी. निगम मेडिकल कॉलेज, गुलबर्गा में।
3. आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान (पश्चिम अंचल) क्षेत्रीय कार्यालय, मुम्बई में।
4. आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान (पूर्वी अंचल) क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता में।

8.2 प्रशिक्षण कार्यक्रम

वर्ष 2019-20 में, राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी और दो आंचलिक प्रशिक्षण संस्थानों (दक्षिण तथा पश्चिम अंचल) द्वारा 333 दिनों के कुल 113 प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए गए, जहां 5256 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया था।

8.3 समय के साथ चलना

नई तकनीक के आने और समय की आवश्यकता के अनुसार, राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी ने प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अपने तंत्र को भी सक्षम बनाया है। बदलते समय में, राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी वीडियो कान्फ्रेंसिंग साधनों और अन्य उपयुक्त ऑनलाइन अनुप्रयोगों द्वारा ई-प्रशिक्षणों को तैयार और प्रदान कर रहा है जिससे एक ओर लागत कम हो रही है वहीं दूसरी ओर अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित हो रही है।



क. रा. बी. निगम राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी द्वारा सहायक निदेशकों के लिए राजस्व मामले पर 'पुनश्चर्या पाठ्यक्रम' पर प्रशिक्षण के दौरान लिया गया समूहचित्र

8. HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

8.1 ESIC National Training Academy

The National Training Academy is the apex training centre of the ESIC under Training Division with the Insurance Commissioner as head of NTA. Its job is to impart training to all group 'A' and 'B' (including medical and non-medical) officers of ESIC. Presently the NTA is situated at Dwarka, Delhi.

Setting up ESIC National Training Academy

In the year 2005, National Training Academy of ESIC was set up to impart training to all group 'A' and 'B' officers of ESIC with the Additional Commissioner as its head and it started functioning from ESIC Regional Office, Mumbai Building.

In addition, following Zonal Training Institutes (ZTIs) were also set up to impart training to group 'C' & 'D' staff of ESIC headed by ZTI in-charge of the level of Director/Joint Director/Dy. Director.

1. ZTI (North Zone) at R.O. Delhi.
2. ZTI (South Zone) at ESIC Medical College Gulbarga.
3. ZTI (West Zone) at R.O. Mumbai.
4. ZTI (East Zone) at R.O. Kolkata.

8.2. Training Programme

In the year 2019-20 a total number of 113 training programme of 333 days were conducted by NTA and Two ZTIs (South & West Zone) where 5256 participants were trained.

8.3 Keeping pace with the times

With the advent of new technologies and need of the hour, NTA has also geared up its mechanism of imparting trainings. In the changed times, NTA is devising and imparting e-trainings by Video Conference tools and other suitable online applications, cutting costs on one hand and ensuring maximum participation on the other.



Group Photograph taken during Training Programme for ICC Members of Prevention of Sexual Harassment Act, 2013 at National Training Academy, New Delhi

9. सतर्कता गतिविधियां

1. रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, 107 अनुशासनिक मामलों में शास्ति आदेश पारित किए गए जिनमें से 26 आदेश मुख्यालय से पारित किए गए।
2. कुल 79 आरोप-पत्र जारी किए गए, जिनमें से 26 आरोप-पत्र मुख्यालय से जारी किए गए।
3. विभिन्न अपीलार्थियों से 19 अपील मामले प्राप्त हुए तथा पूर्व में प्राप्त अपीलों सहित 19 आदेश पारित किए गए।
4. रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान सतर्कता दृष्टिकोण से संबंधित शिकायतों का निपटान किया गया।
5. सभी त्रैमासिक निलंबन समीक्षा बैठकें समय पर आयोजित की गईं।
6. 6019 संपत्ति विवरणियों की संवीक्षा की गई।
7. मासिक, तिमाही तथा वार्षिक विवरणियां केंद्रीय सतर्कता आयोग को समय से प्रेषित की गईं।
8. इस अवधि के दौरान 01 अभियोजन संस्वीकृति मामला प्राप्त हुआ तथा मामले में निर्धारित समय-सीमा के भीतर ही 01 संस्वीकृति प्राप्त हुई।
9. इस अवधि के दौरान आंचलिक सतर्कता कार्यालयों द्वारा आयोजित निरीक्षणों की संख्या 89 है।
10. इस अवधि के दौरान आंचलिक सतर्कता द्वारा 1,45,08,24,282 रुपये राशि की छोड़ी गई मजदूरी का पता लगाया गया।
11. चिकित्सा सतर्कता अधिकारियों द्वारा अति विशिष्टता उपचार बिलों की संवीक्षा की गई तथा पूर्वोक्त अवधि के दौरान 87,66,309 रुपये राशि के अतिरिक्त भुगतानों की वसूली की गई।
12. भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त द्वारा दिनांक 30.10.2019 को विमोचित "निवारक सतर्कता" की सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों के संकलन में क.रा.बी. निगम का प्रदर्शन रहा।
13. देशभर में निगम के सभी कार्यालयों में सतर्कता जागरूकता सप्ताह का दिनांक 28.10.19 से 02.11.19 तक आयोजन किया गया। इस अवसर पर देशभर के सभी क.रा.बी.निगम कार्यालयों में केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। मुख्यालय, नई दिल्ली में भी केंद्रीय सतर्कता अधिकारी, क.रा.बी.निगम तथा सीटीई, केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा क्रमशः प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, "सत्यनिष्ठा-जीने का तरीका" तथा "प्रापण मामले" विषयों पर व्याख्यान श्रृंखला आयोजित की गई।
14. सतर्कता शाखा, क.रा.बी.निगम मुख्यालय द्वारा चिकित्सा आयुक्त(चिकित्सा प्रशासन) मुख्यालय तथा क.रा.बी. निगम आदर्श अस्पताल तथा स्नातकोत्तर संस्थान, बसईदारापुर, नई दिल्ली के सहयोग से केंद्रीय सतर्कता आयोग कार्यालय, सतर्कता भवन, आई.एन.ए., नई दिल्ली में दिनांक 10.01.2020 को एक वृहत स्वास्थ्य-जांच सह जन-सूचना शिविर का आयोजन किया गया जिसका उद्घाटन केंद्रीय सतर्कता आयुक्त तथा महानिदेशक, क.रा.बी. निगम द्वारा किया गया। विभिन्न कार्यालयों (सीवीसी, आयुष, डीडीए तथा पुरातत्व) के कुल 234 व्यक्ति इस शिविर में उपस्थित हुए।



'सतर्कता जागरूकता सप्ताह' के दौरान क. रा. बी. निगम के अधिकारी एवं कर्मचारी सत्यनिष्ठा की शपथ लेते हुए।

9. VIGILANCE ACTIVITIES

1. During the year under report, penalty orders were passed in 107 Disciplinary cases, out of which 26 orders were passed from Hqrs. Office.
2. A total of 79 Charge Sheets were issued, out of which 26 Charge Sheets were issued from Hqrs. Office.
3. 19 appeal cases were received from various appellants and 19 orders passed including previously received appeals.
4. Complaints involving vigilance angle were disposed off during the period under report.
5. All the quarterly suspension review meetings have been held in time.
6. 6019 property returns have been scrutinized.
7. Monthly, quarterly and annual returns to Central Vigilance Commission have been sent timely.
8. During the year under report, 01 prosecution sanction cases were received and 01 sanction were granted within prescribed time limit in all the cases.
9. No. of inspection conducted by Zonal Vigilance Offices during the period are 89.
10. Omitted wages amounting to ₹ 1,45,08,24,282 were detected by the Zonal Vigilance during this period.
11. Scrutiny of Super Specialty Treatment bills was done by Medical Vigilance Officers and excess payments amounting of ₹ 87,66,309 recovered during the aforesaid period.
12. ESIC featured in the compilation of best practices on “Preventive Vigilance” released by CVC of India on 30/10/2019.
13. Vigilance Awareness Week was organized from 28.10.19 to 2.11.19 in all the offices of the Corporation across the country. On this occasion various activities as per the guidelines of the CVC were organized in all the offices of ESIC throughout the country. In Hqrs Office, New Delhi also various activities including quiz competition, a lecture series on the topics “Integrity-A way of life” and “Procurement Issues” by the CVO, ESIC and CTE, CVC respectively was organized.
14. A comprehensive health check up cum public information camp was organized by the Vigilance Branch, ESIC Hqrs. office in association with Medical Commissioner(MA), Hqrs Office and ESIC Model Hospital & PG institute Basaidarapur, New Delhi at CVC Office Satarkta Bhawan, INA New Delhi on 10.01.2020 which was inaugurated by CVC and DG ESIC. Total of 234 persons from various offices (CVC, Ayush, DDA and Archaeology) attended this camp.



Glimpses of ESIC Officers & Staff from different Regional Offices taking part in Awareness Meeting during Vigilance Awareness Week

10 - लोक शिकायतों का निवारण

1. क.रा.बी. निगम एक अग्रणी सामाजिक सुरक्षा संगठन है जो करीब 13.50 करोड़ क.रा.बी. लाभार्थियों अर्थात् देश की लगभग 10 प्रतिशत जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। क.रा.बी. निगम एक सेवा संगठन होने के नाते वर्ष भर अपने पणधारियों से प्राप्त अनेक लोक शिकायतों/ प्रश्नों का निपटान कर रहा है।
2. भारत सरकार के लोक शिकायत निदेशालय द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसरण में निगम प्राप्त लोक शिकायतों का तत्परता से निपटान करने का भरसक प्रयास कर रहा है।
3. लोक शिकायतें विभिन्न चैनलों जैसे टेलीफोन, डाक, ईमेल, सीपी ग्राम, संतुष्ट पोर्टल, सोशल नेटवर्किंग आदि के माध्यम से प्राप्त की जाती हैं।
4. निगम सभी क्षेत्र कार्यालयों/क.रा.बी. निगम अस्पतालों में तैनात नामित लोक शिकायत अधिकारियों के एक वृहत नेटवर्क के माध्यम से लोक शिकायतों की निगरानी करता है।
5. शिकायत दर्ज करने को आसान और सुविधाजनक बनाने के लिए निगम ने एक 24 घंटे का टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-11-2526 स्थापित किया है, जिसके माध्यम से बीमाकृत व्यक्ति/बीमाकृत महिला अपनी शिकायतों को टेलीफोन पर पंजीकृत कर सकते हैं और उसकी शिकायत पंजीकरण संख्या प्राप्त कर सकते हैं। वे इस हेल्पलाइन से शिकायत पंजीकरण संख्या बताकर अपनी शिकायत की स्थिति भी पूछ सकते हैं। इस सुविधा से उन आईपी/आईडब्ल्यू को मदद मिली है जो लिख पढ़ नहीं सकते हैं या जिनके पास लेखन/कंप्यूटर कौशल की कमी है।
6. सभी शिकायतों का जल्द से जल्द तथा अधिकतम 30 दिनों की समय-सीमा के भीतर निवारण के भरसक प्रयास किए जाते हैं। इसके परिणामस्वरूप निगम सीपीग्राम पोर्टल पर वर्ष 2019-20 के दौरान प्राप्त शिकायतों की निम्नवत संख्या का संतोषजनक रूप से निपटान करने में सक्षम हुआ:-

वर्ष	पिछला अग्रानीत	प्राप्त हुई	निपटान किया	लंबित
01.04.2019 से 31.03.2020	195	4387	4296	286

7. लाभार्थियों की शिकायतों के त्वरित तथा मौके पर निवारण हेतु क्षेत्रीय कार्यालयों/उप क्षेत्रीय कार्यालयों/प्रभागीय कार्यालयों में प्रत्येक माह के दूसरे बुधवार (पूर्वाह्न में) को आवधिक आधार पर तथा शाखा कार्यालयों में प्रत्येक माह के दूसरे शुक्रवार को नियमित रूप से सुविधा समागमों का आयोजन किया जाता है। वे क.रा.बी. निगम/क.रा.बी. योजना अस्पताल जो एक ही नगर/शहर में स्थित हैं, के चिकित्सा अधीक्षक भी क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय/प्रभागीय कार्यालयों द्वारा आयोजित इन सुविधा समागमों में भाग लेते हैं, तथा चिकित्सा से संबंधित शिकायतों का उनके माध्यम से मौके पर ही निवारण किया जाता है।
8. अधिकांश मामलों में जहां टेलीफोन नंबर उपलब्ध है, वहां निरंतर रूप से शिकायतकर्ता से प्रतिक्रिया/संतुष्टि का स्तर भी पूछा जाता है तथा किसी भी असंतुष्टि के मामले में उपचारात्मक उपाय तुरंत किए जाते हैं।
9. महानिदेशक, क.रा.बी. निगम स्वयं हर हफ्ते न्यूनतम 20 शिकायतों की समीक्षा करते हैं ताकि शिकायतों की गुणात्मकता और त्वरित निवारण की जांच की जा सके।
10. विभिन्न क.रा.बी. निगम कार्यालयों/अस्पतालों में प्राप्त शिकायतों के त्वरित और उचित निपटान की निगरानी के लिए समय-समय पर वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाती हैं।



डॉ. जितेंद्र सिंह, कार्मिक, जनशिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष विभाग राज्य मंत्री, भारत सरकार ईएसआईसी द्वारा केन्द्रीय लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) सुधार पर राष्ट्रीय कार्यशाला में विज्ञान भवन, नई दिल्ली में लगाई गई प्रदर्शनी और लोक शिकायतों के मानचित्रण और निपटान की विधि का अवलोकन के दौरान लिया गया चित्र।



10. REDRESSAL OF PUBLIC GRIEVANCES

1. The ESI Corporation being a premier social security Organisation is catering to need of around 13.50 crore ESI Beneficiaries i.e. about 10% of the population of the country. Being a service Organisation ESIC is handling numerous Public grievances/queries from its stakeholders throughout the year.
2. In pursuance of the instructions issued by the Directorate of Public Grievances, Govt. of India, the Corporation is making all out efforts for qualitative and speedy redressal of all the Public Grievances received.
3. Public Grievances are received through various channels like Telephone, Postal, Email, CPGRAMS, Santusht portals, Social networking etc.
4. The Corporation monitors Public Grievances through a vast network of designated Public Grievance Officers posted in all the field offices/ESIC hospitals.
5. To provide guidance, urgent and correct information to the stake holders/beneficiaries and making the grievance filing easy and convenient, the Corporation has set up a 24 hour Toll-Free helpline number 1800-11-2526 through which IP/IW can register their grievances telephonically and get a grievance registration number for the same. They can also seek status of their grievance from this helpline by providing such grievance registration number. This facility has helped those IPs/IWs who are either illiterate or lacking writing/computer skills.
6. All out efforts are made to redress all grievances at the earliest and maximum time limit of 30 days. As a result the Corporation has been able to settle following number of grievances received on CPGRAMS portal satisfactorily during the year 2019-2020.

Year	Brought forwarded	Received	Settled	Pending
01.04.2019 to 31.03.2020	195	4387	4296	286

7. For quick and on the spot redressal of Grievances of beneficiaries Suvidha Samagams are periodically arranged at Regional Offices/Sub-Regional Offices/Divisional Offices on second Wednesday(AN) (If holiday, then next working day) of each month and at Branch offices on 2nd Friday of each month regularly. Medical Superintendent of the ESIC/ESIS Hospitals, where the ESIC and ESIS Hospitals are located in the same town/city are also part of these Suvidha Samagam organized by the Regional Offices/Sub-Regional Offices/Divisional offices and on the spot medical related grievances are settled through them.
8. In most of the cases where telephone numbers are available, feedback/Satisfaction level are also obtained from the complainant continuously and in case of any dissatisfaction remedial measures are taken promptly.
9. The Director General, ESIC himself/herself takes efforts on his/her part by reviewing atleast 20 grievances every week to check qualitative and speedy redressal of grievances.
10. Video conferences are also arranged periodically to monitor speedy and appropriate disposal of grievances received at various ESIC offices/Hospitals.



A view of Suvidha Samagam Meeting being held at RO, Goa during ESIC Special Service Fortnight



A view of redressal of PG case received on ESIC Social Media handle



11. राजभाषा हिंदी का कार्यान्वयन

कर्मचारी राज्य बीमा निगम, मुख्यालय अपनी सभी अधीनस्थ इकाइयों में राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन में अग्रसर रहने के लिए प्रयासरत है। वर्ष 2019-20 के दौरान राजभाषा प्रभाग द्वारा किए गए प्रयासों तथा कार्यों से संबंधित ब्योरा निम्नवत है :-

1. हिंदी पत्राचार

वर्ष 2019-20 के दौरान मुख्यालय का हिंदी पत्राचार 'क' क्षेत्र के कार्यालयों के साथ 94 प्रतिशत रहा जबकि 'ख' के साथ 91 प्रतिशत और 'ग' क्षेत्र के साथ 84 प्रतिशत रहा।

2. विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें

विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित रूप से मुख्यालय/क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों/अस्पतालों/राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी में आयोजित की गईं तथा बैठकों का कार्यवृत्त तैयार कर अनुपालनार्थ परिचालित किया गया।

3. राजभाषायी निरीक्षण

वर्ष 2019-2020 के दौरान क.रा.बी. निगम की 35 अधीनस्थ इकाइयों तथा मुख्यालय की 15 शाखाओं का राजभाषायी निरीक्षण किया गया। संयुक्त निदेशक (राजभाषा) तथा उप-निदेशक (राजभाषा) ने राजभाषा हिंदी पर मार्गदर्शन हेतु मुख्यालय की शाखाओं में संपर्क कार्य किया।

4. हिंदी रिपोर्टों की समीक्षा

विभिन्न क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों, क.रा.बी. अस्पतालों, निदेशालय (चिकित्सा) दिल्ली/राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी तथा मुख्यालय की विभिन्न शाखाओं से प्राप्त हिंदी प्रगति रिपोर्टों की मुख्यालय की राजभाषा शाखा में समीक्षा की गई तथा जहां भी इनमें कोई कमी देखी गई तो उन्हें सुधारने की सलाह दी गई। राजभाषा शाखा द्वारा हिंदी से संबंधित रिपोर्टें समय पर श्रम और रोजगार मंत्रालय/गृह मंत्रालय भेजी गईं।

5. कार्यालयों को राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अधीन अधिसूचित करना

कार्यालयों के कार्मिकों द्वारा हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त करने पर राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अधीन अब तक 'क' क्षेत्र में 51 'ख' क्षेत्र में 17 तथा 'ग' क्षेत्र में 13 इकाइयों को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया जा चुका है।

6. हिंदी दिवस/प्रतियोगिताएं

क.रा.बी. निगम के कार्यालयों/अस्पतालों में 1 से 15 सितम्बर, 2019 तक पूरे उत्साह के साथ हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। पखवाड़े के दौरान 4 प्रकार की हिंदी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं तथा विजेताओं को नकद पुरस्कार दिए गए। सितम्बर, 2019 में निगम के सभी कार्यालयों में हिंदी दिवस मनाया गया।

7. हिंदी प्रोत्साहन योजनाएं

हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु प्रत्येक कार्यालय स्तर पर क.रा.बी. निगम के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए मुख्यालय द्वारा निर्दिष्ट क.रा.बी. निगम हिंदी प्रयोग प्रोत्साहन योजना लागू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत निगम के विभिन्न कार्यालयों में निर्धारित प्रतिशतता तक हिंदी में काम करने वाले अधिकारी/कर्मचारी को 600/- का पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसके अलावा अधिकारियों के लिए हिंदी श्रुतलेखन योजना, राजभाषा कार्यान्वयन सुझाव पुरस्कार योजना और आशुलिपिकों एवं टंककों के लिए हिंदी प्रोत्साहन भत्ता योजना आयोजित की गई। वार्षिक मूल हिंदी टिप्पण-आलेखन प्रतियोगिता भी विभिन्न कार्यालयों में आयोजित की गई।

8. राजभाषा कार्यान्वयन शील्ड प्रतियोगिता

क.रा.बी. निगम कार्यालयों में हिंदी कार्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यालय 'क', 'ख' तथा 'ग' वर्ग के क्षेत्रों के लिए अंतर-क्षेत्रीय राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता भी आयोजित करता है। वर्ष 2018-19 में 'क' क्षेत्र में क्षेत्रीय कार्यालय, पटना, 'ख' क्षेत्र में क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ और 'ग' क्षेत्र में उप क्षेत्रीय कार्यालय, बैरकपुर को उनके कार्य निष्पादन के आधार पर शील्ड के लिए चुना गया। इस प्रतियोगिता में मुख्यालय सम्मिलित नहीं रहता। विजेता कार्यालयों को 30-31 अगस्त, 2019 को इंदौर, मध्य प्रदेश में आयोजित अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में शील्ड प्रदान की गई।

9. हिंदी पत्रिकाएं

रिपोर्टाधीन वर्ष में मुख्यालय एवं क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालयों/अस्पतालों/निदेशालय (चिकित्सा), दिल्ली से कुल 27 हिंदी पत्रिकाएं प्रकाशित हुईं। वर्ष 2018-19 के दौरान प्रकाशित पत्रिकाओं में उत्कृष्ट संपादन, साज-सज्जा एवं सामग्री-प्रबंधन के लिए 'क' क्षेत्र से क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर; 'ख' क्षेत्र से उप क्षेत्रीय कार्यालय, मरोल एवं 'ग' क्षेत्र से क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ; 'क' क्षेत्र से निदेशालय (चिकित्सा) दिल्ली, 'ख' क्षेत्र से क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़, 'ग' क्षेत्र से क.रा.बी.निगम अस्पताल, बेलतला को द्वितीय स्थान तथा 'क' क्षेत्र से क.रा.बी.निगम अस्पताल, आदित्यपुर, 'ख' क्षेत्र से उप क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर, 'ग' क्षेत्र से उप क्षेत्रीय कार्यालय, बैरकपुर को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। इस प्रतियोगिता में मुख्यालय की पत्रिका को सम्मिलित नहीं किया जाता। विजेता कार्यालयों को 30-31 अगस्त, 2019 में इंदौर, मध्य प्रदेश में आयोजित अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया।

10. अनुवाद कार्य

मुख्यालय की राजभाषा शाखा का लक्ष्य है कि राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत अंग्रेजी दस्तावेज के साथ ही तत्काल उसका हिंदी अनुवाद भी जारी किया जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सभी शाखाओं को अंग्रेजी दस्तावेज का अनुवाद तुरन्त उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा मुख्यालय से प्रकाशित होने वाली वार्षिक रिपोर्ट, भर्ती विनियमों, सांख्यिकीय रिपोर्ट, बजट, परिणामी बजट, वार्षिक लेखे इत्यादि का अनुवाद भी किया जाता है। निगम तथा स्थायी समिति की बैठकों की कार्यसूची तथा कार्यवृत्तों का भी अनुवाद किया गया।

11. राजभाषा अधिकारियों का अखिल भारतीय सम्मेलन

निगम का 30वाँ अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन दिनांक 30-31 अगस्त, 2019 तक इंदौर, मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया।



11. IMPLEMENTATION OF OFFICIAL LANGUAGE

Employees' State Insurance Corporation, Hqrs. pursues effective implementation of Official Language Policy in all subordinate units of the Corporation. Details related to the efforts and works done by Official Language Branch during the year 2019-2020 are as under :-

(1) Hindi Correspondence

During the year 2019-2020, Headquarters carried out correspondence in Hindi with offices which was 94 % with 'A' region, while 91 % in 'B' region and 84 % in 'C' region.

(2) Meetings of Official Language Implementation Committee

The quarterly meetings of the Official Language Implementation Committee are held on regular basis in Hqrs. Office/ R.Os/S.R.Os/D(M)/ N.T.A. and the minutes were circulated for compliance.

(3) Official Language Inspections

Official Language Inspections were conducted in 35 Subordinate units of E.S.I.C. and 15 branches of Hqrs. During the year 2019-2020. Joint Director(O.L.) and Deputy Director(O.L.) remained in contact with various branches of Hqrs. For on-site guidance on Official Language Hindi.

(4) Review of Hindi Report

Official Language branch at Hqrs. Reviews various Hindi Progress Reports received from units of the Corporation and Various branches of Headquarter. Wherever deficiencies were noticed, suitable advice was issued to rectify them. The Official Language Branch also sent various reports on Hindi to the Ministry of Labour and Employment/ Home Affairs in time.

(5) Notifying Offices under rule 10(4) of O.L. Rules, 1976

Under Rule 10(4) of the O.L. Rules, 1976 total 51 units in 'A' region, 17 units in 'B' region and 13 units in 'C' region have been notified in the Gazette of India on acquiring working knowledge of Hindi by the staff, till date.

(6) Hindi Day/ Competitions

E.S.I.C. Offices/ Hospitals celebrated Hindi Fortnight with full enthusiasm from 01-15 September, 2019. During Hindi Fortnight, Four(4) types of Hindi contests were conducted and the winners were awarded cash prizes. In September, 2019 Hindi Day was observed in all the offices of the Corporation.

(7) Hindi Incentive Scheme

To promote the use of Hindi, ESIC Hindi Prayog Protsahan yojna has been implemented at each office level for all the officers/ employees of E.S.I.C. Under this scheme, officers/ employees of various offices who have worked in Hindi upto the prescribed percentage are awarded with an incentive of ₹ 600/-. In addition to this, various contests under Hindi Dictation Scheme for officers, Official Language Implementation Suggestion Award Scheme and Hindi Incentive Allowance Scheme for stenographers and typists were organised. Annual Original Hindi Noting-Drafting competitions were also organised by various offices.

(8) Official Language Implementation Shield Competition

To promote the use of Hindi in the offices of E.S.I.C., Hqrs. Organizes an Official Language Implementation Shield Competition for 'A', 'B' and 'C' category regions. In the year 2018-2019, Regional Office Patna in 'A' region, Regional Office Chandigarh in 'B' region and Sub Regional Office Barrackpore in 'C' region were selected for the shield, based on their performance. Hqrs. is not included in this competition. These shields were presented to the winner units in All India Conference on Official Language held on 30 to 31st August, 2019 at Indore, Madhya Pradesh.

(9) Hindi Magazines

During the year under report, Hqrs. and Regional/ Sub Regional Offices/ Hospitals/ Directorate (Medical) have published 27 magazines. Regional Office Jaipur for the region 'A', Sub Regional Office Marol for the region 'B' and Regional Office Guwahati for the region 'C' secured first position; D(M)D for the region 'A', Regional Office Chandigarh for the region 'B' and E.S.I.C. Model Hospital Beltola for the region 'C' secured second position and E.S.I.C. Hospital Adityapur for the region 'A', Sub Regional Office Nagpur for the region 'B' and Sub Regional Office Barrackpore for the region 'C' secured third position for the outstanding editing, designing and content- management of the published magazine for the year 2018-2019. Magazine of Hqrs Office is not included in this competition. Certificates were awarded to the winner units in All India Conference on Official Language held on 30 to 31st August, 2019 at Indore, Madhya Pradesh.

(10) Translation work

Official Language Branch at Hqrs. Office makes all endeavour to issue Hindi version of English documents simultaneously u/s 3(3) of Official Language Act. To fulfil this end, immediate translation of English Documents is provided to all branches. Apart from that Annual Report, Recruitment Regulations, Statistical Report, Budget, Outcome Budget, Annual Accounts etc. were also translated into Hindi. The Agenda Items and Minutes of the Corporation meetings and meetings of Standing Committee were also translated.

(11) All India Conference of Official Language

ESIC 30th All India Conference on Official Language was held at Indore, Madhya Pradesh From 30 to 31st August, 2019.

12. सूचना एवं प्रचार



श्री राम नाथ कोविंद, राष्ट्रपति द्वारा श्री प्रमोद भगत, पैरा शटलर व ईएसआईसी के कर्मचारी को प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार प्रदान करने का एक चित्र।

रोजगार की बदलती प्रकृति के बीच, इन दिनों श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए, विशेषकर समृद्ध मानव संसाधन वाले भारत जैसे देश में, सामाजिक सुरक्षा के प्रावधानों का महत्व बढ़ गया है। क०रा०बी० योजना के अंतर्गत विभिन्न पहलों और सामाजिक सुरक्षा लाभों के विस्तार के विषय में सूचना के प्रसार के लिए, प्रभावी संचार तंत्र का होना एक पूर्व-आवश्यकता है।

बीमा आयुक्त (जन संपर्क) के नेतृत्व में मुख्यालय की संपूर्ण जनसंपर्क शाखा तथा प्रत्येक क्षेत्रीय, उप क्षेत्रीय कार्यालय व अस्पताल में एक नोडल अधिकारी संप्रेषण के विभिन्न माध्यमों के द्वारा लक्षित जन समूह तक सूचना को प्रसारित करने तथा समुचित कार्रवाई करने के लिए उनसे फीडबैक लेने के लिए कार्य कर रहे हैं।

क.रा.बी. निगम में जनसंपर्क शाखा की प्रमुख गतिविधियाँ हैं:

- प्रेस विज्ञप्ति, संवादात्मक साक्षात्कार (वन-टू-वन) के माध्यम से क०रा०बी० योजना के बारे में सूचना के प्रसार के लिए मीडिया हाउसों के साथ पारस्परिक संवाद।
- राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर समाचार पत्रों/पत्रिकाओं में विज्ञापन जारी करना, रेडियो जिगल्स और टीवी स्पॉट तैयार करना और उन्हें रेडियो और टेलीविजन चैनलों पर प्रसारित करना।
- बड़े पैमाने पर लक्षित जन समूह और जनता से प्रतिक्रिया एकत्र करना और उचित समय पर सुधारात्मक उपाय करना और किसी भी प्रतिकूल या नकारात्मक समाचार रिपोर्ट के मामले में प्रतिक्रिया देना और स्पष्टीकरण जारी करना।
- बैठक, संगोष्ठी, आउटरीच कार्यक्रम, प्रदर्शनियाँ, स्वास्थ्य जाँच शिविर, स्वास्थ्य मेला, जागरूकता शिविर, शिलान्यास/उद्घाटन समारोह आदि का आयोजन।

- निगम के लिए ब्रोशर/पर्चे/ पुस्तिका/ वार्षिक रिपोर्ट और अन्य साहित्य का प्रकाशन।
- क०रा०बी० निगम सूचना वेबसाइट www.esic.nic.in और क०रा०बी० निगम अस्पताल वेबसाइट www.esichospitals.gov.in का पर्यवेक्षण एवं अद्यतन।
- क०रा०बी० निगम के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडलों की निगरानी करना।

सूचना के प्रसार के वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने और कॉर्पोरेट छवि को बनाए रखने के लिए क०रा०बी० निगम संचार के विभिन्न माध्यमों जैसे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आउट ऑफ होम (ओओएच) मीडिया, सोशल मीडिया आदि का उपयोग करता है। वर्ष 2019-20 के दौरान, लक्षित जन समूह को क०रा०बी० योजना के विभिन्न पहलुओं और हालिया पहलों के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य क०रा०बी० निगम की गतिविधियों को प्रमुखता से दर्शाने के लिए जनसंपर्क शाखा द्वारा गहन प्रयास किए गए।

12.1 प्रेस विज्ञप्तियों के माध्यम से प्रचार

जनसंपर्क शाखा द्वारा मुख्यालय स्तर पर एवं क्षेत्रीय कार्यालयों, उप-क्षेत्रीय कार्यालयों, क.रा.बी. निगम अस्पतालों एवं क.रा.बी. निगम चिकित्सा संस्थानों के साथ समन्वय करके क.रा.बी. निगम की उपलब्धियों एवं नई पहलों तथा अस्पतालों के उद्घाटन/शिलान्यास समारोह जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में राष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं प्रादेशिक भाषाओं के समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में प्रेस विज्ञप्तियाँ जारी की गईं। समाचार एजेंसियों, प्रेस सूचना ब्यूरो, भारत सरकार और राज्य सरकारों के सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय के माध्यम से भी प्रेस विज्ञप्ति जारी की गईं। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान 241 प्रेस विज्ञप्तियाँ जारी की गईं। प्रेस विज्ञप्तियों को क.रा.बी. निगम की वेबसाइट और ट्विटर तथा फेसबुक जैसे क.रा.बी. निगम के सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर भी होस्ट किया गया। प्रेस विज्ञप्तियों ने क.रा.बी. निगम और क.रा.बी. योजना के बारे में देशभर में बड़े पैमाने पर फैले हुए जन समूह को जागरूक करने में सहायता की है।

12.2 विज्ञापन एवं प्रचार

लक्षित जन समूह तक अपेक्षित संदेश के प्रभावी संचार के लिए क.रा.बी. निगम ने इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट एवं आउटडोर मीडिया के मिश्रण का विवेकपूर्ण उपयोग किया है। मीडिया अभियानों में व्यापक प्रकरणों जैसे क.रा.बी. निगम का कॉर्पोरेट सिद्धांत, निगम के विभिन्न कार्यकलाप, बीमाकृत व्यक्तियों एवं नियोक्ताओं को प्रदान किए जा रहे विभिन्न हितलाभ, क.रा.बी. योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवाएं, नई पहलें, सुविधा/सेवा प्रदाता केन्द्र आदि का उद्घाटन/शिलान्यास समारोह को कवर किया गया।

- क) **प्रिंट मीडिया:** क.रा.बी. निगम की योजना के बारे में कर्मचारियों एवं नियोक्ताओं के बीच जागरूकता बढ़ाने और उन्हें प्रदान किए जा रहे विभिन्न हितलाभों पर जानकारी देने के उद्देश्य से मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों, उप-क्षेत्रीय कार्यालयों और क.रा.बी. निगम अस्पतालों द्वारा राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय समाचारपत्रों में कई विज्ञापन जारी किए गए।

12. INFORMATION AND PUBLICITY

Amid the changing nature of employment, the provisions of social security for workers and their family members have gained more importance these days, especially in the country like India, having rich human resources. For the dissemination of information about various initiatives and social security benefits being extended under ESI Scheme, effective communication is pre-requisite.

A full fledged PR Branch at Hqrs. Office headed by Insurance Commissioner (PR) with one Nodal Officer each at Regional, Sub-Regional and Hospital level are working for disseminating information to the target audience through various channels of communication and to collect feedback for taking appropriate action.

The major activities of Public Relations Branch in ESIC are:

- Cordial interaction with Media Houses for disseminating information about ESI Scheme through press releases, one-to-one interviews.
- Releasing advertisements in newspapers/ magazines at the national and regional level, preparing radio jingles and TV Spots and airing them on radio and Television channels.
- Collecting feedback from the target audience and public at large and taking appropriate timely corrective measures and also to respond in case of any adverse or negative news report and issue clarifications.
- Organizing meetings, seminars, outreach programmes, exhibitions, health check-up camps, health melas, awareness camps, foundation stone laying/inaugural ceremonies etc.
- Publication of brochures/pamphlets/booklets/Annual Report and other literature for the Corporation.
- Monitoring & updating of ESIC Information Website- 'www.esic.nic.in' and ESIC Hospitals website - 'www.esichospitals.gov.in
- Monitoring the official Social Media Handles of ESIC.



Shri Santosh Kumar Gangwar, Minister of State (Independent Charge) for Labour & Employment, Govt. of India lighting the 'Panchdeep' during ESIC Day Celebration and commencement of 'Special Services Fomrigh' by all Field Offices/Hospitals/Medical Institutions in New Delhi.

ESIC uses various channels of communication like Print Media, Electronic Media, Out of Home (OoH) Media, Social Media etc. to achieve the desired goals of disseminating information and to sustain the Corporate image. During the year 2019-20, intense efforts were made by PR Branch to highlight the activities of ESI Corporation with an aim of making target audience aware about various aspect of ESI Scheme and recent initiatives.

12.1 Publicity through Press Releases

A number of Press Releases highlighting the achievements and new initiatives launched by ESIC and also about various events like foundation stone laying/ inauguration of hospitals in the national, regional and vernacular newspapers and magazines were issued by PR Branch at Headquarters level and also in association with Regional Offices, Sub-Regional Offices, ESIC Hospitals and ESIC Medical Institutions. Press Releases were also issued through News Agencies, Press Information Bureau, Govt. of India and Directorate of Information and Public Relations of State Governments. During the year under report 241 Press Releases were issued. The Press Releases were also hosted on ESIC Website and Social Media platforms of ESIC like Twitter and Facebook. The Press Releases have helped in creating awareness about ESIC and ESI Scheme to a large audience spread across the country.

12.2 Advertising & Publicity

To communicate the desired information effectively to the target audience, the Corporation has judiciously used a media mix of print, electronic and outdoor. The media campaigns covered wide topics like corporate philosophy of ESIC, various activities of the Corporation, various benefits being provided to the Insured Persons and Employers, medical services under ESI Scheme, new initiatives launched, inauguration/foundation stone laying ceremonies of various facilities/service delivery points etc.

a) **Print media:** With the aim of raising the awareness among employees and employers about ESIC Scheme and various benefits



Minister of State (Independent Charge) for Labour & Employment, Govt. of India addressing the gathering during ESIC Day Celebration and commencement of 'Special Services Fomrigh' in New Delhi.

विज्ञापन के मुख्य विषय क.रा.बी. निगम की नई पहल/उपलब्धियां, क०रा०बी० अंशदान की दर में कमी, अल्प-प्रयुक्त अस्पतालों में गैर-बीमाकृत व्यक्तियों तक चिकित्सा सेवाओं का विस्तार आदि थे। क.रा.बी. निगम अस्पतालों/औषधालयों और अन्य परियोजनाओं आदि के उद्घाटन/शिलान्यास कार्यों पर भी विज्ञापन जारी किए गए। इन विज्ञापनों ने लक्षित जनसमूह, विशेष रूप से बीमाकृत व्यक्तियों और नियोक्ताओं के बीच, क.रा.बी. निगम की ब्रांड छवि को प्रोजेक्ट करने में सहायता की है।

ख) **आउटडोर मीडिया:** क.रा.बी. योजना के अंतर्गत प्रदान किए जा रहे विभिन्न हितलाभों, उपलब्धियों एवं नई पहलों तथा उद्घाटन/शिलान्यास समारोह को अखिल भारतीय आधार पर विभिन्न स्थानों पर होर्डिंग्स एवं बस क्यू शेल्टर के माध्यम से प्रदर्शित करके आउटडोर मीडिया का व्यापक स्तर पर उपयोग किया गया। क.रा.बी. योजना के अंतर्गत अंशदान की दर में कमी के विषय पर अखिल भारतीय आधार पर आउटडोर विज्ञापन (होर्डिंग/बस क्यू शेल्टर) के माध्यम से प्रचार किया गया।

ग) **इलेक्ट्रॉनिक मीडिया:** क.रा.बी. निगम के विभिन्न अखिल भारतीय कार्यक्रम प्रमुख टेलीविजन समाचार चैनलों, दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो (आकाशवाणी), एफएम रेडियो चैनल, वेब पोर्टल तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक चैनलों द्वारा कवर किए गए। क.रा.बी. निगम मुख्यालय एवं पूरे देश में फैंले क्षेत्रीय तथा उप-क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा क.रा.बी. योजना पर आयोजित पैनल चर्चाएं, साक्षात्कार आदि दूरदर्शन तथा अन्य स्थानीय टेलीविजन चैनलों पर प्रसारित किए गए। क.रा.बी. योजना के अंतर्गत हितलाभों एवं नई पहलों पर रेडियो जिंगल विभिन्न रेडियो चैनलों के माध्यम से प्रसारित किए गए।



श्री संतोष कुमार गंगवार, श्रम और रोजगार राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार), भारत सरकार ईएसआईसी डेंटल महाविद्यालय, रोहिणी (नई दिल्ली) के दीक्षांत समारोह में स्नातक करने वाले छात्रों को डिग्री प्रदान करते हुए।

मुख्यालय के जन सम्पर्क प्रभाग ने अंशदान की दर में कमी पर फिल्म और रेडियो जिंगल प्रोड्यूस की। इसके साथ-साथ प्रारंभ से क०रा०बी० योजना की यात्रा पर एक फिल्म का भी विकास किया गया। 'अल्प प्रयुक्त क०रा०बी० निगम अस्पतालों की चिकित्सा देखरेख का गैर-बीमाकृत व्यक्तियों तक विस्तार' पर एक 30 सेकंड का रेडियो स्पॉट भी विकसित एवं प्रसारित किया गया।

घ) **अन्य गतिविधियाँ:** जपसंपर्क (पीआर) शाखा ने पूरे भारत में क.रा.बी. औषधालयों/अस्पतालों/क्षेत्रीय कार्यालयों/उप-क्षेत्रीय कार्यालयों और प्रदर्शनी तथा स्वास्थ्य जांच शिविरों के उद्घाटन/शिलान्यास समारोह के जनसंपर्क संबंधी कार्यों का समन्वय किया।

12.3 क.रा.बी. निगम वेबसाइट और सोशल मीडिया

- क.रा.बी. निगम अस्पताल एव औषधालय वेबसाइट www.esichospitals.gov.in:** प्रयोक्ता अनुकूल वेबसाइट 'www.esichospitals.gov.in' पूरे भारत में सभी क.रा.बी. निगम अस्पतालों में उपलब्ध उपचार के स्थान एवं विशेषज्ञताओं के अनुसार सुविधाजनक तिथि को उपचार के लिए क.रा.बी. निगम विशेषज्ञ चिकित्सकों के साथ ऑनलाइन अपाइन्टमेंट बुक करने सहित क.रा.बी. निगम के बीमाकृत व्यक्तियों एवं उनके लाभार्थियों को प्रभावी सेवाएं प्रदान करती है।
- क.रा.बी. निगम सूचना वेबसाइट www.esic.nic.in:** प्रयोक्ता अनुकूल दृष्टिकोण के साथ डिजाइन की गई क.रा.बी. निगम की डायनेमिक एकीकृत कॉर्पोरेट वेबसाइट www.esic.nic.in एक ही प्लेटफॉर्म के अंतर्गत क.रा.बी. निगम के बारे में सभी जानकारी प्रदान करती है। जनसंपर्क शाखा वेबसाइट पर दैनिक आधार पर प्रासंगिक जानकारी पोस्ट करने के लिए विशेष ध्यान रखती है। निविदाएं, भर्तियां, नागरिक घोषणापत्र, आरटीआई, क.रा.बी. योजना, हितलाभ, समाचार और घटनाक्रम, प्रेस विज्ञप्तियाँ, प्रकाशन, फोटो गैलरी, 'नया क्या है' आदि वेबसाइट के आगंतुकों को पूरी जानकारी देते हैं। वेबसाइट अपने शुरुआती पृष्ठ में सभी महत्वपूर्ण जानकारी, सार्वजनिक जागरूकता पर विज्ञापन और माननीय मंत्रियों और महानिदेशक से प्राप्त संदेशों को भी समय-समय पर प्रदर्शित करती है।
- सोशल मीडिया:** सोशल मीडिया टूल्स द्वारा त्वरित तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कवरेज को ध्यान में रखते हुए, क.रा.बी. निगम ने फेसबुक (www.facebook.com/esichq), ट्विटर (www.twitter.com/esichq) जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्मों और पिनट्रेस्ट, इंस्टाग्राम, जी+ तथा यूट्यूब जैसे अन्य हैंडल का उपयोग करके प्रभावी तरीके से व्यापक जनसमूह तक पहुँचने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। जनसंपर्क शाखा सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से संचार के नए आयामों के साथ अभ्यस्त है और जनसमूह द्वारा विषय की त्वरित समझ के लिए इन्फोग्राफिक्स का उपयोग करते हुए अच्छी तरह से डिजाइन किए गए सूचना पेज क.रा.बी. निगम के सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किए जाते हैं। प्रासंगिक सूचना-आधारित पोस्ट के माध्यम से जनसंपर्क शाखा पूरे देश में बीमाकृत व्यक्तियों और अन्य हितधारकों के साथ एक मजबूत संबंध बनाने में सक्षम रही है।

क.रा.बी. निगम की वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल पर आगंतुक क.रा.बी. योजना से संबंधित मुद्दों पर अपनी शिकायतों, प्रतिक्रिया और टिप्पणियों को उत्सुकता से संप्रेषित करते हैं, जो संप्रेषण के दोतरफा माध्यम के रूप में कार्य करता है। रिपोर्टधीन वर्ष के दौरान सोशल मीडिया हैंडल पर क.रा.बी. योजना से संबंधित पोस्टों को अच्छी संख्या में पसंद किया गया। मुख्यालय में जनसंपर्क शाखा अपने लक्षित जनसमूह के बीच क.रा.बी. निगम के सोशल मीडिया हैंडल की पहुँच और लोकप्रियता को अधिकतम करने के लिए सभी प्रयास कर रही है और क.रा.बी. निगम सोशल मीडिया के अनुयायियों द्वारा उठाए गए प्रश्नों और मुद्दों के प्रति अनुक्रियाशील भी है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, सोशल मीडिया हैंडल पर क.रा.बी. योजना से संबंधित 1116 से अधिक पोस्ट किए गए, जिनको 14,607 लाइक मिले और 30,409 नए अनुयायी जुड़े।



being accrued to them, the Headquarters Office, Regional Offices, Sub-Regional Offices and ESIC Hospitals have issued a number of advertisements in national and regional newspapers.

The main topics of the advisements were recent initiatives/achievements of ESIC, Reduction in Rate of ESI Contribution, Extending medical services to non-IPs in underutilized hospitals, etc. Advertisements on inaugural/foundation laying functions of ESI Hospitals/ Dispensaries and other projects etc. were also issued. These advertisements have helped to project the brand image of ESIC among the target audience, especially the Insured Persons and Employers.

b) **Outdoor Media:** Outdoor media was extensively used to advertise various benefits being provided under ESI Scheme, achievements and new initiatives and inauguration / foundation stone laying by displaying hoardings at various locations and bus queue shelters pan India. Outdoor advertisement (Hoarding/ Bus Q shelters) on all India basis were carried out on Contribution Rate reduction under ESI Scheme.

c) **Electronic Media:** Various pan-India events of ESIC were covered by major television News Channels, Doordarshan, All India Radio (Akashwani), FM Radio Channels, Web Portals and other Electronic Channels. Panel discussions, talks, interviews etc. on ESI Scheme were got telecast on Doordarshan and other local Television Channels by Headquarters Office and Regional and Sub-Regional Offices spread across the country. Radio jingles on benefits under ESI Scheme and new initiatives launched were also aired through various radio channels.



DG, ESIC interacting with media person on the sidelines of Healthcare Summit in New Delhi

The PR Division at Headquarters Office produced Film & Radio jingle on reduction in Contribution Rates. Besides, a film on the journey of ESI Scheme since its inception was also developed. A 30 second Radio Spot on ‘Extending Medical care to non-IPs in under-utilized ESIC Hospitals’ was also developed and aired.

d) **Other Activities:** The PR Branch coordinated PR related works of inauguration/foundation stone laying ceremonies of ESI Dispensaries/Hospitals/ROs/SROs and Exhibition & Health Check-up camps throughout India.

12.3 ESIC Websites and Social Media

(i) **ESIC’s Hospitals and Dispensaries Website www.esichospitals.gov.in** : The user-friendly Website ‘www.esichospitals.gov.in’ provides efficient features to the ESIC Insured Persons and their beneficiaries which include booking of online appointment with ESIC Specialist Doctors for treatment on a convenient date according to the location and specialties of treatment available in all ESIC hospitals throughout India.

(ii) **ESIC’s Information Website www.esic.nic.in** : The dynamic unified Corporate Website of ESIC www.esic.nic.in designed with user friendly approach gives all information about ESI Scheme under one platform. The PR Branch takes special care to post relevant information on the website on day-to-day basis. Tenders, Recruitments, Citizen’s Charter, RTI, ESI Scheme, Benefits, News & Events, Press Releases, Publications, Photo Gallery, ‘What’s New’ etc. gives full information to the visitors of the Website. The Website also displays all important information, advertisements on public awareness and messages received from Hon’ble Ministers and Director General in its opening page from time to time.

(iii) **Social Media:** Keeping in view the quick and national and international coverage by Social Media tools, ESIC has made significant progress in using social media platforms like Facebook (www.facebook.com/esichq), Twitter (www.twitter.com/esichq) and other such handles like Pinterest, Instagram, G+ & Youtube to reach wider audience in an effective manner. The PR Branch is accustomed with the new dimensions of communication through Social Media platforms and well designed information pages using infographics for quick understanding of the subject by the viewers are posted on ESIC’s Social Media Handles. Through the relevant information-based posts, the PR Branch has been able to build a strong connection with the IPs and other Stakeholders in the entire country.



A snapshot of Social Media Handles of ESIC

The visitors on the Website and Social Media Handles of ESIC eagerly communicate their Grievances, Feedback and Comments on the issues related with ESI Scheme which acts as a two-way channel of communication. During the year under report, ESI Scheme related posts on Social Media Handles drew good number of likings. Public Relation Branch at Hqrs. Office is making all out efforts to maximize the reach & popularity of Social Media Handles of ESIC among its targeted people and is also responsive towards the queries & issues raised by the followers of ESIC Social Media.

During the year under review, more than 1116 ESI Scheme related posts were made on ESIC Social Media Handles which drew 14,607 likings and 30,409 new followers.

12.4 प्रकाशन

क.रा.बी. योजना के बारे में हितधारकों, विशेष रूप से बीमाकृत व्यक्तियों और नियोक्ताओं को सूचित करने और शिक्षित करने के लिए, समय-समय पर जनसंपर्क शाखा ने पोस्टर, पैम्फलेट्स, ब्रोशर को डिजाइन और प्रिन्ट किया गया, जो देशभर में फैले क.रा.बी. निगम शाखा कार्यालयों, अस्पतालों एवं औषधालयों के माध्यम से बीमाकृत व्यक्तियों और नियोक्ताओं को वितरित किए गए। आगामी प्रिन्ट और वितरण के लिए ये डिजाइन क्षेत्र कार्यालयों के साथ भी साझा किए गए।

12.5 ईएसआई समाचार

संप्रेषण के एक माध्यम के रूप में, जनसंपर्क शाखा क.रा.बी. निगम की त्रैमासिक समाचार पत्रिका 'ईएसआई समाचार' का प्रकाशन करती है। ईएसआई समाचार में मुख्यालय, क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालयों, शाखा कार्यालयों, अस्पतालों, औषधालयों द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों, महत्वपूर्ण घटनाओं, की गई नई पहलों, लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों, क.रा.बी. योजनाओं पर लेख और चिकित्सीय सफलता की कहानियों पर लेखों तथा सामान्य प्रकृति के लेखों को प्रकाशित किया जाता है। पाठकों से प्राप्त प्रतिक्रिया को भी गृह पत्रिका में प्रकाशित किया जाता है।

12.6 पुरस्कार

श्री प्रमोद भगत, एक शानदार पैरा शटलर व क.रा.बी.निगम क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर (ओडिशा) के कर्मचारी को 29 अगस्त, 2019 को राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में आयोजित समारोह के दौरान राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद द्वारा प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार, 2019 प्रदान किया गया।

श्री प्रमोद भगत को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पैरा बैडमिंटन खेल के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान और उपलब्धियों के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

खेल जगत में उनकी उपलब्धियों के लिए श्री संतोष कुमार गंगवार, श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), भारत सरकार एवं अध्यक्ष, क.रा.बी.निगम द्वारा श्री भगत को 5.00 लाख रुपये की नकद राशि भी प्रदान की गई।

12.7 विशेष सेवा पखवाड़ा

क.रा.बी. निगम का 68वाँ स्थापना दिवस मनाने के लिए, क.रा.बी. निगम के क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय कार्यालयों/अस्पतालों/औषधालयों/चिकित्सा संस्थानों ने 24 फरवरी, 2020 से 10 मार्च, 2020 तक एक विशेष सेवा पखवाड़े का आयोजन किया। जमीनी स्तर पर क.रा.बी. योजना की पहुँच को सार्वजनिक करने, लोकप्रिय बनाने और अधिकतम प्रसार करने के लिए, विशेष सेवा पखवाड़े का फोकस अंशदान दर में कमी, क०रा०बी० योजना का आयुष्मान भारत के साथ अभिसरण, डीसीबीओ का प्रारंभ, स्वास्थ्य पासबुक, आशोधित बीमा चिकित्सा व्यवसायी योजना आदि पर रखा गया। पखवाड़े के दौरान दैनिक स्वास्थ्य जांच शिविर, बीमाकृत व्यक्तियों एवं चैनल पार्टनरों के लंबित बिलों के भुगतान और मृत्यु/निःशक्तता के मामले में नकद हितलाभ के भुगतान, सार्वजनिक शिकायतों के मौके पर निवारण के लिए विशेष कैंप, क०रा०बी० निगम अस्पतालों में अग्निशमन की मोक ड्रिल आदि का आयोजन किया गया। क०रा०बी० निगम में विशेष सेवा पखवाड़े का शुभारंभ करने के लिए, दिनांक 24.02.2020 को योजना की 68वीं वर्षगांठ के अवसर पर **एसिक दिवस** के रूप में नई दिल्ली में समारोह का आयोजन किया गया। श्री संतोष गंगवार, श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा अध्यक्ष, क०रा०बी० निगम समारोह के मुख्य अतिथि थे। समारोह के दौरान, वर्ष 2019 में बीमाकृत व्यक्तियों एवं हितलाभार्थियों को सेवाओं की आपूर्ति करने में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाले निम्नलिखित अस्पतालों/औषधालयों/चिकित्सा संस्थानों और क्षेत्र कार्यालयों को चिकित्सीय और गैर चिकित्सीय श्रेणी में पुरस्कार प्रदान किया गया:-



ईएसआईसी विशेष सेवा पखवाड़ा के दौरान स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन का एक दृश्य।

चिकित्सीय श्रेणी

1. क०रा०बी० योजना औषधालय (राज्य सरकार द्वारा संचालित)

क्रमांक	राज्य का नाम	क०रा०बी० योजना औषधालय का नाम
1.	गोवा	पणजी

2. क०रा०बी० निगम औषधालय (क०रा०बी० निगम द्वारा संचालित)

क्रमांक	क०रा०बी० निगम औषधालय का नाम	राज्य का नाम
1.	मयूर विहार	दिल्ली

3. क०रा०बी० योजना अस्पताल (राज्य सरकार द्वारा संचालित)

क्रमांक	श्रेणी	राज्य का नाम	क०रा०बी० योजना अस्पताल का नाम
1.	छोटा (100 बिस्तर तक)	तमिलनाडू	सलेम
2.	मध्यम (101 से 300 बिस्तर)	पश्चिम बंगाल	सियालदाह
3.	बड़ा (> 300 बिस्तर और/या अध्यापन संस्थान)	पश्चिम बंगाल	मानिकतला

12.4 Publications

In order to inform and educate the stakeholders, especially the Insured Persons and Employers about ESI Scheme, the PR Branch from time to time has designed and printed posters, pamphlets, brochures which were distributed to the Insured Persons and employers through ESIC Branch Offices, Hospitals and Dispensaries all over the country. The designs were also shared with field offices for further printing & distribution.

12.5 ESI Samachar

As a part of communication, the PR Branch brings out 'ESI Samachar', a quarterly news Journal of ESIC. The ESI Samachar carries news item of various events organized by Headquarters, Regional/Sub-Regional Offices, Branch Offices, Hospitals, Dispensaries, important happenings, new initiatives launched, important decisions taken, articles on ESI Schemes and also articles on medical success stories and of general nature. The feedback received from the readers is also published in the news journal.

12.6 Awards

Shri Pramod Bhagat, an ace Para Shuttler and employee of ESIC Regional Office, Bhubaneswar (Orissa) was presented the coveted Arjuna Award ,2019 by Shri Ram Nath Kovind, President at a function on 29th August, 2019 at Rashtrapati Bhawan, New Delhi. Shri Pramod Bhagat was awarded Arjuna Award for his outstanding contribution and achievements in the field of Para Badminton game in the national and international arena.

In recognition of his achievements in the field of sports, a cash reward of ₹ 5.00 Lakh was also given to Shri Bhagat by Shri Santosh Kumar Gangwar, Minister of State (Independent Charge) for Labour & Employment, Govt. of India and Chairman, ESIC.

12.7 Special Service Fortnight

To Mark the 68th Anniversary of ESI Scheme, the Regional/Sub-Regional Offices/Hospitals/Dispensaries/Medical Institutions of ESIC launched an Special Services Fortnight from 24th February, 2020 to 10th March, 2020. In order to publicize, popularize and maximize the reach of ESI Scheme at grass root level, the Special Services Fortnight focused on Reduction in rates of contribution, Conversance of ESI Scheme with Ayushman Bharat, Opening of DCBO, Health Passbook, Modified IMP Scheme etc. During the fortnight, daily Health Check-up Camps, special camps for clearance of pending bills of IPs & channels partners and cash benefits in case of death/disability, redressal of Public Grievances, mock fire drill in all ESIC Hospitals were organized. To mark the beginning of Special Services Fortnight in ESIC, a function on the 68th Anniversary of the Scheme i.e. **ESIC Day** was also organized in New Delhi on 24.02.2020. Shri Santosh Kumar Gangwar, Minister of State for Labour & Employment (Independent Charge), Govt. of India and Chairman, ESIC was the Chief Guest of the function. During the function, the following best performing Hospitals/Dispensaries/Medical Institutions and Field Offices in the medical and non-medical categories were rewarded for their outstanding performance in delivery of services to Insured Persons and Beneficiaries under ESI Scheme during the year, 2019:-



A group photograph of Awardees with Hon'ble Dignitaries during ESIC Day Celebration in New Delhi.

Medical Category

1. ESIS Dispensary (Run by State Government)

Sl.No.	Name of State	Name of ESIS Dispensary
1.	Goa	Panaji

2. ESIC Dispensary (Run by ESIC)

Sl.No.	Name of ESIC Dispensary	Name of State
1.	Mayur Vihar	Delhi

3. ESIS Hospitals (Run by State Governments)

Sl.No.	Category	Name of State	Name of ESIS Hospital
1.	Small (Upto 100 Beds)	Tamil Nadu	Salem
2.	Medium (101 to 300 Beds)	West Bengal	Sealdah
3.	Big (> 300 Beds and/or Teaching Institutions)	West Bengal	Manicktala



4. क०रा०बी० निगम अस्पताल (क०रा०बी० निगम द्वारा संचालित)

क्रमांक	श्रेणी	राज्य का नाम	अस्पताल का नाम
1.	छोटा (100 बिस्तर तक)	पंजाब	चंडीगढ़
2.	मध्यम (101 से 300 बिस्तर)	मध्य प्रदेश	नन्द नगर, इंदौर
3.	बड़ा (> 300 बिस्तर और/या अध्यापन संस्थान)	तेलंगाना	सनत नगर अस्पताल एवं चिकित्सा इंटरफेस

5. अति विशिष्टता अस्पताल (विशेष पुरस्कार) (क०रा०बी० निगम द्वारा संचालित)

क्रमांक	राज्य का नाम	अस्पताल का नाम
1.	तेलंगाना	सनत नगर अति विशिष्टता अस्पताल

गैर-चिकित्सीय श्रेणी

1. क्षेत्रीय कार्यालय

क्रमांक	श्रेणी	कर्मचारियों की संख्या	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम
1.	छोटा	5 लाख तक	तृशूर (केरल)
2.	मध्यम	5 लाख से 10 लाख	विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश)
3.	बड़ा	10 लाख से अधिक	कोलकाता (पश्चिम बंगाल)

2. उप क्षेत्रीय कार्यालय

क्रमांक	श्रेणी	कर्मचारियों की संख्या	उप क्षेत्रीय कार्यालय का नाम
1.	छोटा	2 लाख तक	तिरुवनन्तपुरम (केरल)
2.	मध्यम	2 लाख से 4 लाख	विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश)
3.	बड़ा	4 लाख से अधिक	ओखला, नई दिल्ली

3. शाखा कार्यालय

क्रमांक	श्रेणी	कर्मचारियों की संख्या	शाखा कार्यालय का नाम
1.	छोटा	20000 तक	शाखा कार्यालय, चित्तिल्लासा (उप क्षेत्रीय कार्यालय, विशाखापत्तनम)
2.	मध्यम	20000 से 50000	शाखा कार्यालय, लालकुंआ (उप क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून)
3.	बड़ा	50000 से अधिक	शाखा कार्यालय, पालम (उप क्षेत्रीय कार्यालय, ओखला)

12.8 शिखर सम्मेलन/मेलों में प्रतिभागिता

रिपोर्टधीन वर्ष के दौरान, क०रा०बी० निगम ने सीपीजीआरएएमएस की राष्ट्रीय कार्यशाला, हेल्थकेयर शिखर सम्मेलन और विभिन्न प्रदर्शनियों आदि में भाग लिया।

12.9 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को दिनांक 12.10.2005 को प्रभाव से लागू किया गया। इस विधान से सभी नागरिकों को कुछ गोपनीय प्रवृत्ति की सूचनाओं को छोड़कर, सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा संघटित सूचनाएं मांगने और प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हुआ है। इसने नागरिकों को सभी सरकारी कार्रवाई का 'क्या' और 'कैसे' जानने के लिए सक्षम बनाया है जिसके फलस्वरूप सार्वजनिक प्राधिकरण के कार्यों में स्पष्टता, पारदर्शिता और जवाबदेही को प्रोत्साहन मिला है।

क.रा.बी.निगम ने अधिनियम के उपबंधों के अनुसार इस संबंध में निम्नलिखित कदम उठाए हैं :-

1. क्षेत्रीय, उप क्षेत्रीय, प्रभागीय और शाखा कार्यालयों, अस्पतालों, चिकित्सा शिक्षा संस्थानों, औषधालयों, निदेशालय (चिकित्सा) दिल्ली तथा नोएडा, राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी और मुख्यालय में केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों (सी.पी.आई.ओ.) की नियुक्ति की।
2. अपीलों पर निर्णय करने के लिए अपीलीय प्राधिकारियों को नामोदिदष्ट किया गया।
3. क.रा.बी. निगम से संबंधित सूचना प्रदान करने के लिए सूचना का अधिकार पुस्तिका प्रकाशित की गई।
4. सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ क.रा.बी.निगम की वेबसाइट पर अपलोड की जाती हैं।
5. वर्ष 2019-20 के दौरान, मुख्यालय में कुल 9086 सूचना का अधिकार आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 8127 मामलों में सूचना प्रदान की गई और 737 मामले (दिनांक 31.03.2020 को) लंबित थे तथा 88 मामलों को अस्वीकृत भी किया गया। सूचना प्रदान करने के लिए 72 आवेदनों को संबंधित कार्यालयों को भेजा गया। सूचना के अधिकार के अंतर्गत शुल्क के रूप में आवेदकों से 58289/-रुपये की राशि प्राप्त हुई।
6. वर्ष 2019-20 के दौरान, मुख्यालय में कुल 775 अपीलें प्राप्त हुईं जिसमें से 684 अपीलों में सूचना प्रदान की गई, 114 अपीलें (दिनांक 31.03.2020 तक) लंबित थीं।
7. लगभग सभी सूचना का अधिकार आवेदनों को ऑनलाइन संसाधित किया जाता है।।



4. ESIC Hospitals (Run by ESIC)

Sl.No.	Category	Name of State	Name of Hospital
1.	Small (Upto 100 Beds)	Punjab	Chandigarh
2.	Medium (101 to 300 Beds)	Madhya Pradesh	Nanda Nagar, Indore
3.	Big (> 300 Beds and/or Teaching Institutions)	Telangana	Sanath Nagar Hospital & Medical Interface

5. Super Speciality Hospital (Special Award) (Run by ESIC)

Sl.No.	Name of State	Name of Hospital
1.	Telangana	Sanath Nagar SST Hospital

Non-Medical Category

1. Regional Offices

Sl.No.	Category	No. of Employees	Name of Regional Office
1.	Small	Upto 5 lakh	Thrissur (Kerala)
2.	Medium	5 lakh to 10 lakh	Vijayawada (Andhra Pradesh)
3.	Big	Above 10 lakh	Kolkata (West Bengal)

2. Sub- Regional Offices

Sl.No.	Category	No. of Employees	Name of Sub-Regional Office
1.	Small	Upto 2 lakh	Thiruvananthapuram (Kerala)
2.	Medium	2 lakh to 4 lakh	Vishakhapatnam (Andhra Pradesh)
3.	Big	Above 4 lakh	Okhla, New Delhi

3. Branch Offices

Sl.No.	Category	No. of Employees	Name of Branch Office
1.	Small	Upto 20000	BO, Chittivalasa (SRO, Visakhapatnam)
2.	Medium	20000 to 50000	BO, Lalkuan (RO, Dehradun)
3.	Big	Above 50000	BO, Palam (SRO Okhla)

12.8 Participation in Summit/Fairs

During the year under report, ESIC participated in the National Workshop on CPGRAMS, Health Care Summits and different Exhibitions, etc.

12.9 Right To Information Act 2005

The RTI Act 2005 came into force w.e.f. 12.10.2005. This pleases every citizen the power to seek and receive information which is held by the Public Authority barring some exceptions of classified nature. It has empowered the citizens to know the "what" and "how" of all government action thereby promoting openness, transparency and accountability in the working of Public Authorities.

The ESI Corporation in accordance with the provisions of the Act has taken the following steps in this regard:-

1. Appointed Central Public Information Officers (CPIOs) in Regional, Sub-Regional, Divisional and Branch Offices, Hospitals, Medical Education Institutions, Dispensaries, Directorate (Medical) Delhi and Noida, National Training Academy and Hqrs. Office.
2. Designated Appellate Authorities for the purpose of deciding appeals.
3. Published a RTI Manual providing information about the ESI Corporation.
4. All important information is uploaded on the website of ESI Corporation.
5. During 2019-20 total 9086 RTI Applications were received in Hqrs. Out of which information was provided in 8127 cases and 737 cases (as on 31-03-2020) were left pending and also 88 cases were rejected. 72 applications were transferred to concerned offices for providing information. An amount of ₹ 58289/- was received from the applicants as fees under the RTI Act.
6. During 2019-20 total 775 appeals were received in Hqrs. Office out of which information was provided in 684 appeals, 114 appeals (as on 31-03-2020) were pending.
7. Almost all RTI requests are processed online.



क.रा.बी.नि.
E S I C

वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2019-20

परिशिष्ट
I—क से VII तक

APPENDICES
1-A TO VII



परिशिष्ट I-क

क.रा.बी.नि. 2.0 के अंतर्गत 01.04.2019 से 31.03.2020 की अवधि के दौरान क.रा.बी. योजना का कार्यान्वयन

क्र.सं.	राज्य	विवरण	कर्मचारियों की संख्या	कार्यान्वयन की तिथि
1	पंजाब	अमृतसर, बरनाला, बठिंडा, फरीदकोट, फतेहगढ़ साहिब, फाजिल्का, गुरदासपुर, होशियारपुर, जालंधर, कपूरथला, लुधियाना, मानसा, मोगा, मुक्तसर, नवांशहर (शहीद भगत सिंह नगर), पठानकोट, पटियाला, रूपनगर, साहिबजादा अजित सिंह नगर (मोहाली), संगरूर, तरनतारन और एक जिला मुख्यालय क्षेत्र- नाम- फिरोजपुर के सम्पूर्ण जिलों में क.रा.बी. योजना का कार्यान्वयन। (22)	137,235	01.09.2019
2	बिहार	औरंगाबाद, अररिया, अर्वाल, बनका, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, जमुई, जेहानाबाद, कैमूर, खगारिया, किशनगंज, लखीसराय, मदहेपुरा, मधुबनी, नवादा, पूर्णिया, सहरसा, शेखपुरा, शिओहर, सिवान, सुपौल, पश्चिमी चंपारण के जिला मुख्यालय क्षेत्रों में क.रा.बी. योजना का कार्यान्वयन। (22)	27,943	01.09.2019
3	नागालैंड	नागालैंड राज्य में कोहिमा जिले के जिला मुख्यालय क्षेत्र में क.रा.बी. योजना का कार्यान्वयन। (01)	1,635	01.09.2019
4	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल राज्य में दार्जिलिंग जिले के संपूर्ण क्षेत्र में क.रा.बी. योजना का कार्यान्वयन। (01)	2,553	01.09.2019
5	तमिलनाडु	तमिलनाडु के त्रिपुर, नमक्कल, तहेनी, कन्याकुमारी और तिरुन्वेली जिलों के संपूर्ण क्षेत्र में क.रा.बी. योजना का कार्यान्वयन। (05)	11,844	01.09.2019
6	असम	असम राज्य में कारबी एंगलॉग जिले में बोलाजन उप प्रभाग में क.रा.बी. योजना का कार्यान्वयन। (01)	1,210	01.09.2019
		योग	223,684	



APPENDIX I-A

Implementation of ESI Scheme under ESIC 2.0 during the period from 01.04.2019 to 31.03.2020

S.No	State	Description	No. of Employees	Date of Implementation
1	Punjab	Implementation of ESI Scheme in entire area of the Districts of Amritsar, Barnala, Bathinda, Faridkot, Fatehgarh Sahib, Fazilka, Gurdaspur, Hoshiarpur, Jalandhar, Kapurthala, Ludhiana, Mansa, Moga, Muktsar, Nawanshahr (Shahid Bhagat Singh Nagar), Pathankot, Patiala, Rupnagar, Sahibzada Ajit Singh Nagar (Mohali), Sangrur, Tarntaran and in one Districts Hqrs Area namely – Ferozepur (22)	137,235	01.09.2019
2	Bihar	Implementation of ESI Scheme in District headquarters area of Aurangabad, Araria, Arwal, Banka, East Champaran, Gopalganj, Jamui, Jehanabad, Kaimur, Khagaria, Kishanganj, Lakhisarai, Madhepura, Madhubani, Nawada, Purnia, Saharsa, Shekhpura, Sheohar, Siwan, Supaul, West Champaran (22)	27,943	01.09.2019
3	Nagaland	Implementation of ESI Scheme in district Hqrs area of Kohima district in the State of Nagaland (01)	1,635	01.09.2019
4	West Bengal	Implementation of ESI Scheme in the entire area of district Darjeeling in the state of West Bengal. (01)	2,553	01.09.2019
5.	Tamil Nadu	Implementation of ESI Scheme in the entire area of districts Tiruppur, Namakkal, Theni, Kanyakumari and Tirunveli of Tamil Nadu (05)	11,844	01.09.2019
6	Assam	Implementation of ESI Scheme in Bokajan sub division of Karbi Anglong district in the state of Assam (01)	1,210	01.09.2019
		Total	223,684	



परिशिष्ट-I-ख

31.03.2020 तक क्षेत्रवार व्याप्ति

क्र. सं.	क्षेत्रीय कार्यालय/ उप-क्षेत्रीय कार्यालय	नियोक्ताओं की संख्या	अंशदायी नियोक्ता	कर्मचारियों की संख्या	व्याप्त बीमाकृत व्यक्तियों / परिवार (बी.व्य.) एककों की सं.	लाभार्थियों की कुल संख्या	पूर्णतः कार्यान्वित जिलों की कुल सं.	अंशतः कार्यान्वित जिलों की कुल सं.	गैर-कार्यान्वित जिलों की कुल सं.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	आन्ध्र प्रदेश						13	0	0
1	i) विजयवाड़ा तथा येनम	23858	11758	585820	632300	2453324			
2	ii) तिरुपति	9684	3867	243100	268360	1041237			
3	iii) विशाखापट्टणम	12121	5753	367650	404930	1571128			
4	असम व मेघालय व नागालैण्ड व त्रिपुरा व मणिपुर	16897	6823	296740	318050	1234034	7	30	75
5	बिहार	16453	6182	314600	339530	1317376	16	22	0
6	चंडीगढ़ (संघशासित)	5921	3069	153510	167850	651258	1	0	0
7	छत्तीसगढ़	18748	9159	454510	502700	1950476	10	17	0
	दिल्ली					0	11	0	0
8	i) राजेन्द्र प्लेस	23707	10722	397070	432500	1678100			
9	ii) नन्द नगरी	16109	6035	162570	180360	699797			
10	iii) रोहिणी	20061	11645	230330	253120	982106			
11	iv) ओखला	23559	11598	654990	730370	2833836			
12	गोवा	7496	4111	186460	209270	811968	2	0	0
	गुजरात					0	4	18	14
13	i) अहमदाबाद	32980	17630	769220	847240	3287291			
14	ii) बड़ौदा	13676	8498	405090	458440	1778747			
15	iii) सूरत	12844	6446	381150	416610	1616447			
	हरियाणा					0	22	0	0
16	i) फरीदाबाद	30039	16504	751690	863960	3352165			
17	ii) गुरुग्राम	24568	10906	1089230	1269080	4924030			
18	iii) अम्बाला	17641	7786	247790	273060	1059473			
19	हिमाचल प्रदेश	9413	4999	310200	348140	1350783	7	0	5
20	जम्मू एवं कश्मीर	5808	2594	121980	133440	517747	8	14	0
21	झारखंड	22252	9194	414550	446260	1731489	9	15	0
	कर्नाटक						30	0	0
22	i) बिन्नी पेट	33853	15104	1024980	1144200	4439496			
23	ii) हुबली	14210	7922	328320	351580	1364130			
24	iii) पीण्पा	16119	8007	479880	538170	2088100			
25	iv) बोमसांद्रा	16951	7591	728830	818540	3175935			
26	v) गुलबर्गा	8299	3772	161200	175680	681638			
27	vi) मैसूर	7194	3782	234120	256820	996462			
28	vii) मंगलौर	6586	4473	189680	200880	779414			
	केरल + माहे						14	0	1
29	i) त्रिशूर	7081	4960	151890	162850	631858			
30	ii) एरणाकुलम	16390	9733	402950	437870	1698936			



APPENDIX I-B

Region-Wise Coverage as on 31.03.2020

S. No.	RO/SRO	Total Employers	Contributory employers	No. of Employees	No. of IPs/ Family (IP) units covered	Total No. of Beneficiaries	Total No. of Fully Implemented Districts	Total No. of Partially Implemented Districts	Total No. of Non-Implemented Districts
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ANDHRA PRADESH						13	0	0
1	I) VIJAYAWADA & YENAM	23858	11758	585820	632300	2453324			
2	II) TIRUPATHI	9684	3867	243100	268360	1041237			
3	iii) VISAKHAPATNAM	12121	5753	367650	404930	1571128			
4	ASSAM & MEGHALYA & NAGALAND & TRIPURA & MANIPUR	16897	6823	296740	318050	1234034	7	30	75
5	BIHAR	16453	6182	314600	339530	1317376	16	22	0
6	CHANDIGARH (UT)	5921	3069	153510	167850	651258	1	0	0
7	CHHATTISGARH	18748	9159	454510	502700	1950476	10	17	0
	DELHI					0	11	0	0
8	i) RAJENDER PLACE	23707	10722	397070	432500	1678100			
9	ii) NAND NAGARI	16109	6035	162570	180360	699797			
10	iii) ROHINI	20061	11645	230330	253120	982106			
11	iv) OKHLA	23559	11598	654990	730370	2833836			
12	GOA	7496	4111	186460	209270	811968	2	0	0
	GUJARAT					0	4	18	14
13	i) AHMEDABAD	32980	17630	769220	847240	3287291			
14	ii) BARODA	13676	8498	405090	458440	1778747			
15	iii) SURAT	12844	6446	381150	416610	1616447			
	HARYANA					0	22	0	0
16	I) FARIDABAD	30039	16504	751690	863960	3352165			
17	II) GURGOAN	24568	10906	1089230	1269080	4924030			
18	iii) AMBALA	17641	7786	247790	273060	1059473			
19	HIMACHAL PRADESH	9413	4999	310200	348140	1350783	7	0	5
20	JAMMU & KASHMIR	5808	2594	121980	133440	517747	8	14	0
21	JHARKHAND	22252	9194	414550	446260	1731489	9	15	0
	KARNATAKA						30	0	0
22	I) BINNY PETH	33853	15104	1024980	1144200	4439496			
23	ii) HUBLI	14210	7922	328320	351580	1364130			
24	III) PEENYA	16119	8007	479880	538170	2088100			
25	IV) BOMASUNDRA	16951	7591	728830	818540	3175935			
26	V) GULBARGA	8299	3772	161200	175680	681638			
27	VI) MYSORE	7194	3782	234120	256820	996462			
28	vii) MANGALORE	6586	4473	189680	200880	779414			
	KERALA & MAHE						14	0	1
29	I) THRISSUR	7081	4960	151890	162850	631858			
30	II) ERNAKULAM	16390	9733	402950	437870	1698936			



क्र. सं.	क्षेत्रीय कार्यालय / उप-क्षेत्रीय कार्यालय	नियोक्ताओं की संख्या	अंशदायी नियोक्ता	कर्मचारियों की संख्या	व्याप्त बीमाकृत व्यक्तियों / परिवार (बी.व्य.) एककों की सं.	लामार्थियों की कुल संख्या	पूर्णतः कार्यान्वित जिलों की कुल सं.	अंशतः कार्यान्वित जिलों की कुल सं.	गैर-कार्यान्वित जिलों की कुल सं.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	iii) कोल्लम	8571	4133	137350	155810	604543			
32	iv) कोझीकोड	10320	5392	160380	171050	663674			
33	v) तिरुवनंतपुरम	6575	3078	136720	147430	572028			
	मध्य प्रदेश						22	29	0
34	i) इंदौर	24215	10912	628560	693540	2690935			
35	ii) भोपाल	13180	5950	325050	350900	1361492			
	महाराष्ट्र						22	9	5
36	i) लोअर परेल, मुंबई	30932	11707	534300	583040	2262195			
37	ii) मरोल	32189	14727	811110	876870	3402256			
38	iii) ठाणे	29968	15562	763880	830820	3223582			
39	iv) नागपुर	14795	7292	334620	357570	1387372			
40	v) औरंगाबाद	10900	5600	271740	302830	1174980			
41	v) पुणे	50768	24248	1393050	1530890	5939853			
42	vi) नासिक	8140	4791	196960	216600	840408			
43	ओडिशा	27855	11938	685850	741390	2876593	20	4	6
44	पुदुच्चेरी+(अडमान एवं निकोबार)	4708	2224	106460	117690	456637	4	0	0
	पंजाब						21	1	0
45	i) चंडीगढ़ (पंजाब)	15937	8430	420520	466900	1811572			
46	ii) जालंधर	11388	6984	274230	295520	1146618			
47	iii) लुधियाना	17082	10208	379320	420470	1631424			
	राजस्थान						33	0	0
48	i) जयपुर	38888	20727	898030	1002260	3888769			
49	ii) उदयपुर	7951	4502	204640	226500	878820			
50	iii) जोधपुर	11669	6587	176920	196220	761334			
51	सिक्किम	668	368	25760	27980	108562	2	0	2
	तमिलनाडु						8	24	3
52	i) चेन्नई	62420	27140	1827520	2040390	7916713			
53	ii) तिरुनेलवेली	9916	5118	179120	191840	744339			
54	iii) सलेम	15308	7934	374910	415530	1612256			
55	iv) कोयम्बटूर	26163	14427	778640	874830	3394340			
56	v) मदुरै	16388	8968	415990	447100	1734748			
57	तेलंगाना	63510	28946	1665170	1835360	7121197	31	0	0
	उत्तर प्रदेश						41	1	33
58	i) कानपुर	25301	10967	461300	496080	1924790			
59	ii) वाराणसी	5401	2584	121620	129490	502421			
60	iii) नोएडा	36971	18227	1151620	1307670	5073760			
61	iv) लखनऊ	17427	7190	476250	515080	1998510			
62	उत्तराखंड	15611	7518	558640	644060	2498953	6	0	7
	पश्चिम बंगाल						17	1	25
63	i) कोलकाता	52577	27007	1312490	1387180	5382258			
64	ii) बैरकपुर	10242	5595	308970	323190	1253977			
65	iii) दुर्गापुर	12113	5696	229140	241900	938572			
	अखिल भारत	1236565	603300	30966930	34144140	132479263	381	185	156



S. No.	RO/SRO	Total Employers	Contributory employers	No. of Employees	No. of IPs/ Family (IP) units covered	Total No. of Beneficiaries	Total No. of Fully Implemented Districts	Total No. of Partially Implemented Districts	Total No. of Non-Implemented Districts
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	iii) KOLLAM	8571	4133	137350	155810	604543			
32	iv) KOZHIKODE	10320	5392	160380	171050	663674			
33	v) THIRUVANANTHAPURAM	6575	3078	136720	147430	572028			
	MADHYA PRADESH						22	29	0
34	i) INDORE	24215	10912	628560	693540	2690935			
35	ii) BHOPAL	13180	5950	325050	350900	1361492			
	MAHARASHTRA						22	9	5
36	i) LOWER PAREL, MUMBAI	30932	11707	534300	583040	2262195			
37	ii) MAROL	32189	14727	811110	876870	3402256			
38	iii) THANE	29968	15562	763880	830820	3223582			
39	iv) NAGPUR	14795	7292	334620	357570	1387372			
40	v) AURANGABAD	10900	5600	271740	302830	1174980			
41	vi) PUNE	50768	24248	1393050	1530890	5939853			
42	vii) NASIK	8140	4791	196960	216600	840408			
43	ODISHA	27855	11938	685850	741390	2876593	20	4	6
44	PUDUCHERRY+ANDAMAN & NICOBAR	4708	2224	106460	117690	456637	4	0	0
	PUNJAB						21	1	0
45	i) CHANDIGARH (PUNJAB)	15937	8430	420520	466900	1811572			
46	ii) JALANDHAR	11388	6984	274230	295520	1146618			
47	iii) LUDHIANA	17082	10208	379320	420470	1631424			
	RAJASTHAN						33	0	0
48	i) JAIPUR	38888	20727	898030	1002260	3888769			
49	ii) UDAIPUR	7951	4502	204640	226500	878820			
50	iii) JODHPUR	11669	6587	176920	196220	761334			
51	SIKKIM	668	368	25760	27980	108562	2	0	2
	TAMIL NADU						8	24	3
52	i) CHENNAI	62420	27140	1827520	2040390	7916713			
53	ii) TIRUNELVELI	9916	5118	179120	191840	744339			
54	iii) SALEM	15308	7934	374910	415530	1612256			
55	iv) COIMBATORE	26163	14427	778640	874830	3394340			
56	v) MADURAI	16388	8968	415990	447100	1734748			
57	TELANGANA	63510	28946	1665170	1835360	7121197	31	0	0
	UTTAR PRADESH						41	1	33
58	i) KANPUR	25301	10967	461300	496080	1924790			
59	ii) VARANASI	5401	2584	121620	129490	502421			
60	iii) NOIDA	36971	18227	1151620	1307670	5073760			
61	iv) LUCKNOW	17427	7190	476250	515080	1998510			
62	UTTARAKHAND	15611	7518	558640	644060	2498953	6	0	7
	WEST BENGAL						17	1	25
63	i) KOLKATA	52577	27007	1312490	1387180	5382258			
64	ii) BARRACKPORE	10242	5595	308970	323190	1253977			
65	iii) DURGAPUR	12113	5696	229140	241900	938572			
	ALL INDIA	1236565	603300	30966930	34144140	132479263	381	185	156



परिशिष्ट-III-क

31.03.2020 की स्थिति के अनुसार विभिन्न राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में योजना के अंतर्गत चिकित्सा हितलाभ प्रदान करने के लिए की गई व्यवस्था के ब्यौरे

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	चालू बिस्तरों की कुल संख्या				औषधालयों / भा.चि.प. एकक की सं.			सभी औषधालयों के लिए राज्य में उपलब्ध चिकित्सकों की संख्या	कराबी योजना अस्पतालों में चिकित्सकों की संख्या		बीमा चिकित्सा व्यवसायियों की संख्या	ईयूडी की संख्या
		सामान्य	प्रसूति	क्षय रोग	कुल	औषधालय	माोबाइल औषधालय	भा.चि.प.		संस्वीकृत	तैनात		
1	आंध्र प्रदेश	291	49	25	365	94	0	12	130	128	87	34	0
2	असम	65	10	0	75	26	0	3	40	0	0	16	0
3	बिहार	90	10	0	100	17	0	6	20	0	0	14	0
4	चंडीगढ़ (सं. रा. क्षे.)	52	6	2	60	2	0	0	8	0	0	0	0
5	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	42	0	0	103	0	0	0	0
6	दिल्ली (सं. रा. क्षे.)	1137	252	62	1451	32	0	44	274	0	0	0	0
7	गोवा	52	6	0	58	13	0	2	39	34	19	4	0
8	गुजरात	896	60	0	956	103	1	64	195	132	109	1	1
9	हरियाणा	790	172	53	1015	79	1	11	196	84	60	2	0
10	हिमाचल प्रदेश	140	4	6	150	17	0	2	33	10	9	0	1
11	जम्मू और कश्मीर	40	10	0	50	8	0	2	11	0	0	0	0
12	झारखंड	197	8	5	210	21	0	4	32	14	3	11	0
13	कर्नाटक	1337	263	35	1635	113	0	5	187	237	138	0	1
14	केरल	945	116	94	1155	145	0	33	176	167	144	0	0
15	मध्य प्रदेश	650	0	75	725	42	0	3	141	97	63	3	0
16	महाराष्ट्र	2598	17	15	2630	52	0	10	78	462	293	817	0
17	मेघालय	0	0	0	0	2	0	0	3	0	0	0	0
18	मिजोरम	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
19	नागालैंड	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0
20	ओडिशा	263	36	26	325	41	0	3	104	86	53	12	0
21	पुदुचेरी (सं. रा. क्षे.)	63	12	0	75	14	0	0	0	23	23	0	0
22	पंजाब	483	110	54	647	67	0	11	61	80	51	0	0
23	राजस्थान	372	110	18	500	80	0	5	209	79	47	54	0
24	सिक्किम	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
25	तमिलनाडु	1366	150	49	1565	220	5	46	475	185	165	0	2
26	तेलंगाना	898	132	42	1072	70	0	1	140	347	292	46	0
27	त्रिपुरा	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
28	उत्तर प्रदेश	1127	326	154	1607	94	9	28	118	155	49	0	0
29	उत्तराखंड	0	0	0	0	28	0	0	39	0	0	0	0
30	पश्चिम बंगाल	3206	218	200	3624	59	0	13	120	618	503	273	0
कुल		17058	2077	915	20050	1486	16	308	2937	2938	2108	1287	5



APPENDIX-III-A

The particular of arrangement made for provision of Medical Benefit under the Scheme in different State & Union Territories as on 31.03.2020

Sl. No.	Name of the State/UT	Total No. of bed Commissioned				No. of dispensary/ISM Units			No. of Doctors available in state for all dispensaries	Total Doctors in ESIS Hospitals		No. of IMPS	No. of EUDs
		Gen.	Mat.	T.B	Total	Dispensary	Mobile Dispensary	ISM		S	P		
1	Andhra Pradesh	291	49	25	365	94	0	12	130	128	87	34	0
2	Assam	65	10	0	75	26	0	3	40	0	0	16	0
3	Bihar	90	10	0	100	17	0	6	20	0	0	14	0
4	Chandigarh (UT)	52	6	2	60	2	0	0	8	0	0	0	0
5	Chhattisgarh	0	0	0	0	42	0	0	103	0	0	0	0
6	Delhi (UT)	1137	252	62	1451	32	0	44	274	0	0	0	0
7	Goa	52	6	0	58	13	0	2	39	34	19	4	0
8	Gujarat	896	60	0	956	103	1	64	195	132	109	1	1
9	Haryana	790	172	53	1015	79	1	11	196	84	60	2	0
10	Himachal Pradesh	140	4	6	150	17	0	2	33	10	9	0	1
11	Jammu & Kashmir	40	10	0	50	8	0	2	11	0	0	0	0
12	Jharkhand	197	8	5	210	21	0	4	32	14	3	11	0
13	Karnataka	1337	263	35	1635	113	0	5	187	237	138	0	1
14	Kerala	945	116	94	1155	145	0	33	176	167	144	0	0
15	Madhya Pradesh	650	0	75	725	42	0	3	141	97	63	3	0
16	Maharashtra	2598	17	15	2630	52	0	10	78	462	293	817	0
17	Meghalaya	0	0	0	0	2	0	0	3	0	0	0	0
18	Mizoram	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
19	Nagaland	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0
20	Odisha	263	36	26	325	41	0	3	104	86	53	12	0
21	Puducherry (UT)	63	12	0	75	14	0	0	0	23	23	0	0
22	Punjab	483	110	54	647	67	0	11	61	80	51	0	0
23	Rajasthan	372	110	18	500	80	0	5	209	79	47	54	0
24	Sikkim	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
25	Tamil Nadu	1366	150	49	1565	220	5	46	475	185	165	0	2
26	Telangana	898	132	42	1072	70	0	1	140	347	292	46	0
27	Tripura	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
28	Uttar Pradesh	1127	326	154	1607	94	9	28	118	155	49	0	0
29	Uttrakhand	0	0	0	0	28	0	0	39	0	0	0	0
30	West Bengal	3206	218	200	3624	59	0	13	120	618	503	273	0
Total		17058	2077	915	20050	1486	16	308	2937	2938	2108	1287	5



परिशिष्ट-III-ख

2018-2019 और 2019.2020 के दौरान जारी किए गए परिचर्या चिकित्सा प्रमाण-पत्र, अस्पतालों में दाखिलों और विशेषज्ञों को भेजे गए राज्यवार मामले (बीमाकृत व्यक्तियों के संबंध में)

राज्य/क्षेत्र	अवधि	चिकित्सा देखरेख के लिए जोखिमग्रस्त माने गए बीमाकृत व्यक्तियों की संख्या	परिचर्या			प्रतिवर्ष प्रति 1000 बीमाकृत व्यक्तियों की परिचर्या की संख्या		जारी किए गए चिकित्सा प्रमाण-पत्रों की संख्या	अस्पताल में दाखिल किए गए मामलों की संख्या तथा कुल 298 कारण समूह	अस्पतालों को भेजे गए मामलों की संख्या
			नये मामले	पुराने मामले	कुल	नये मामले	पुराने मामले			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
आन्ध्र प्रदेश	2018-19	1231620	256992	1251078	1508070	209	1016	201818	435355	96346
	2019-20	1298270	262084	1270327	1532411	202	978	205620	337621	57300
तेलंगाना	2018-19	1776175	8291624	2504149	10795773	4668	1410	14951	0	144727
	2019-20	1826565	8208228	2336008	10544236	4494	1279	13918	0	144942
असम	2018-19	280195	226495	316256	542751	808	1129	93249	0	156940
	2019-20	289208	370296	322035	692331	1280	1114	71868	0	269236
बिहार	2018-19	260440	24007	1335	25342	92	5	2003	4580	2929
	2019-20	311375	23248	858	24106	75	3	1760	4514	1234
चंडीगढ़	2018-19	201805	22701	47141	69842	112	234	6547	7808	14031
	2019-20	170580	16662	55869	72531	98	328	7027	9395	15779
छत्तीसगढ़	2018-19	589450	144365	119429	263794	245	203	45171	0	6583
	2019-20	561590	147529	125042	272571	263	223	54282	0	6958
दिल्ली	2018-19	1796655	136628	1433154	1569782	76	798	110301	161268	106842
	2019-20	1656495	148572	1462460	1611032	90	883	114943	148722	123333
गोवा	2018-19	264035	50617	101628	152245	192	385	26005	5544	1531
	2019-20	247285	64442	70121	134563	261	284	28319	4978	5040
गुजरात	2018-19	1603065	164429	1094687	1259116	103	683	146930	168126	135329
	2019-20	1674875	209701	1123776	1333477	125	671	143496	178097	151558
हरियाणा	2018-19	2876795	811390	384124	1195514	282	134	91195	229567	197374
	2019-20	2607680	786322	419928	1206250	302	161	92520	445039	183596
हिमाचल प्रदेश	2018-19	327610	3492	889	4381	11	3	66	25770	803
	2019-20	344320	3666	1100	4766	11	3	52	43509	842
जम्मू एवं कश्मीर	2018-19	256990	26822	4765	31587	104	19	9891	100519	1495
	2019-20	185820	29079	12843	41922	156	69	7918	101560	1747
झारखंड	2018-19	400380	105811	33493	139304	264	84	55214	13188	47694
	2019-20	434385	93356	35077	128433	215	81	50100	11608	55292
कर्नाटक	2018-19	3484750	315996	653096	969092	91	187	114701	378503	118553
	2019-20	3479640	576815	769086	1345901	166	221	302651	109727	148612
केरल	2018-19	1072705	1110030	1687378	2797408	1035	1573	314682	407342	132371
	2019-20	1064565	1128765	1758360	2887125	1060	1652	333264	350154	107936
मध्य प्रदेश	2018-19	998485	512539	500174	1012713	513	501	141065	325324	151317
	2019-20	1045850	537399	530637	1068036	514	507	131922	341918	205026



APPENDIX-III-B

Attendance Medical Certificates issued, Admission to Hospitals and References to Specialists during the year 2018-19 and 2019-20 State-wise (in respect of Insured Persons)

STATE/AREA	PERIOD	No. of Insured persons deemed exposed to risk of Medical Care	Attendances			No. of attendances per 1000 Insured persons per annum		No. of Medical Certificates issued	No of cases Admitted to Hospitals & total 298 cause groups	No of cases Referred to Hospitals
			New cases	Old cases	Total	New cases	Old cases			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
Andhra Pradesh	2018-19	1231620	256992	1251078	1508070	209	1016	201818	435355	96346
	2019-20	1298270	262084	1270327	1532411	202	978	205620	337621	57300
Telangana	2018-19	1776175	8291624	2504149	10795773	4668	1410	14951	0	144727
	2019-20	1826565	8208228	2336008	10544236	4494	1279	13918	0	144942
Assam	2018-19	280195	226495	316256	542751	808	1129	93249	0	156940
	2019-20	289208	370296	322035	692331	1280	1114	71868	0	269236
Bihar	2018-19	260440	24007	1335	25342	92	5	2003	4580	2929
	2019-20	311375	23248	858	24106	75	3	1760	4514	1234
Chandigarh	2018-19	201805	22701	47141	69842	112	234	6547	7808	14031
	2019-20	170580	16662	55869	72531	98	328	7027	9395	15779
Chhattisgarh	2018-19	589450	144365	119429	263794	245	203	45171	0	6583
	2019-20	561590	147529	125042	272571	263	223	54282	0	6958
Delhi	2018-19	1796655	136628	1433154	1569782	76	798	110301	161268	106842
	2019-20	1656495	148572	1462460	1611032	90	883	114943	148722	123333
Goa	2018-19	264035	50617	101628	152245	192	385	26005	5544	1531
	2019-20	247285	64442	70121	134563	261	284	28319	4978	5040
Gujarat	2018-19	1603065	164429	1094687	1259116	103	683	146930	168126	135329
	2019-20	1674875	209701	1123776	1333477	125	671	143496	178097	151558
Haryana	2018-19	2876795	811390	384124	1195514	282	134	91195	229567	197374
	2019-20	2607680	786322	419928	1206250	302	161	92520	445039	183596
Himachal Pradesh	2018-19	327610	3492	889	4381	11	3	66	25770	803
	2019-20	344320	3666	1100	4766	11	3	52	43509	842
Jammu & Kashmir	2018-19	256990	26822	4765	31587	104	19	9891	100519	1495
	2019-20	185820	29079	12843	41922	156	69	7918	101560	1747
Jharkhand	2018-19	400380	105811	33493	139304	264	84	55214	13188	47694
	2019-20	434385	93356	35077	128433	215	81	50100	11608	55292
Karnataka	2018-19	3484750	315996	653096	969092	91	187	114701	378503	118553
	2019-20	3479640	576815	769086	1345901	166	221	302651	109727	148612
Kerala	2018-19	1072705	1110030	1687378	2797408	1035	1573	314682	407342	132371
	2019-20	1064565	1128765	1758360	2887125	1060	1652	333264	350154	107936
Madhya Pradesh	2018-19	998485	512539	500174	1012713	513	501	141065	325324	151317
	2019-20	1045850	537399	530637	1068036	514	507	131922	341918	205026



राज्य / क्षेत्र	अवधि	चिकित्सा देखरेख के लिए जोखिमग्रस्त माने गए बीमाकृत व्यक्तियों की संख्या	परिचर्या			प्रतिवर्ष प्रति 1000 बीमाकृत व्यक्तियों की परिचर्या की संख्या		जारी किए गए चिकित्सा प्रमाण-पत्रों की संख्या	अस्पताल में दाखिल किए गए मामलों की संख्या तथा कुल 298 कारण समूह	अस्पतालों को भेजे गए मामलों की संख्या
			नये मामले	पुराने मामले	कुल	नये मामले	पुराने मामले			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
महाराष्ट्र	2018-19	4721075	264454	292839	557293	56	62	141182	34756	93076
	2019-20	4773300	309884	445234	755118	65	93	199534	35225	110612
मेघालय	2018-19	19180	7988	946	8934	416	49	1263	0	2279
	2019-20	16657	6877	787	7664	413	47	1489	0	1411
ओडिशा	2018-19	679475	84194	53391	137585	124	79	17420	7689	35154
	2019-20	711685	140564	64797	205361	198	91	26755	15835	24448
पुदुच्चेरी	2018-19	124080	70841	57901	128742	571	467	112639	47680	8309
	2019-20	119630	70920	58137	129057	593	486	86009	0	8790
पंजाब	2018-19	1165075	1474714	60012	1534726	1266	52	101498	407773	124359
	2019-20	1173295	993192	48642	1041834	846	41	90672	447042	126972
राजस्थान	2018-19	1445765	881327	442408	1323735	610	306	30637	258186	295802
	2019-20	1458985	947483	344271	1291754	649	236	38370	268913	361584
तमिलनाडु	2018-19	4286560	1118351	2451032	3569383	261	572	176673	247674	189496
	2019-20	4134945	1040337	2271338	3311674	252	549	305967	293791	206151
उत्तर प्रदेश और नोएडा	2018-19	2176600	505248	319110	824358	232	147	47360	147831	37301
	2019-20	2355835	537242	272729	809971	228	116	42563	185700	46982
उत्तराखंड	2018-19	672245	275900	57483	333383	410	86	35738	0	0
	2019-20	649945	350095	31157	381252	539	48	47016	0	4386
पश्चिम बंगाल	2018-19	1937980	1157790	1121083	2278873	597	578	116527	88776	100269
	2019-20	1962830	1227050	1156448	2383498	625	589	302624	19248	159681
कुल	2018-19	34649190	18044745	14988981	33033726	521	433	2154726	3503259	2200910
	2019-20	34555610	18229808	14987066	33216874	528	434	2700659	3352596	2529449



STATE/AREA	PERIOD	No. of Insured persons deemed exposed to risk of Medical Care	Attendances			No. of attendances per 1000 Insured persons per annum		No. of Medical Certificates issued	No of cases Admitted to Hospitals & total 298 cause groups	No of cases Referred to Hospitals
			New cases	Old cases	Total	New cases	Old cases			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
Maharashtra	2018-19	4721075	264454	292839	557293	56	62	141182	34756	93076
	2019-20	4773300	309884	445234	755118	65	93	199534	35225	110612
Meghalaya	2018-19	19180	7988	946	8934	416	49	1263	0	2279
	2019-20	16657	6877	787	7664	413	47	1489	0	1411
Odisha	2018-19	679475	84194	53391	137585	124	79	17420	7689	35154
	2019-20	711685	140564	64797	205361	198	91	26755	15835	24448
Puducherry	2018-19	124080	70841	57901	128742	571	467	112639	47680	8309
	2019-20	119630	70920	58137	129057	593	486	86009	0	8790
Punjab	2018-19	1165075	1474714	60012	1534726	1266	52	101498	407773	124359
	2019-20	1173295	993192	48642	1041834	846	41	90672	447042	126972
Rajasthan	2018-19	1445765	881327	442408	1323735	610	306	30637	258186	295802
	2019-20	1458985	947483	344271	1291754	649	236	38370	268913	361584
Tamil Nadu	2018-19	4286560	1118351	2451032	3569383	261	572	176673	247674	189496
	2019-20	4134945	1040337	2271338	3311674	252	549	305967	293791	206151
Uttar Pradesh & Noida	2018-19	2176600	505248	319110	824358	232	147	47360	147831	37301
	2019-20	2355835	537242	272729	809971	228	116	42563	185700	46982
Uttarakhand	2018-19	672245	275900	57483	333383	410	86	35738	0	0
	2019-20	649945	350095	31157	381252	539	48	47016	0	4386
West Bengal	2018-19	1937980	1157790	1121083	2278873	597	578	116527	88776	100269
	2019-20	1962830	1227050	1156448	2383498	625	589	302624	19248	159681
TOTAL	2018-19	34649190	18044745	14988981	33033726	521	433	2154726	3503259	2200910
	2019-20	34555610	18229808	14987066	33216874	528	434	2700659	3352596	2529449



परिशिष्ट-III-ग

2018-19 और 2019-20 के दौरान परिचर्या तथा विशेषज्ञों को भेजे गए मामलों का राज्यवार ब्यौरा
(बीमाकृत व्यक्तियों के परिजनों के संबंध में)

राज्य/क्षेत्र	अवधि	चिकित्सा देखरेख के लिए जोखिमग्रस्त माने गए परिवार (बीमाकृत व्यक्ति) इकाईयों की संख्या	परिचर्या			प्रतिवर्ष प्रति 1000 परिवार (बीमाकृत व्यक्ति) इकाईयों की परिचर्या की संख्या		अस्पतालों को संदर्भित मामलों की संख्या	अस्पताल में दाखिल किए गए मामलों की संख्या
			नये मामले	पुराने मामले	कुल	नये मामले	पुराने मामले		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
आन्ध्र प्रदेश	2018-19	1231620	333894	1475492	1809386	271	1198	248654	11134
	2019-20	1298270	290703	1477227	1767930	224	1138	135855	10168
तेलंगाना	2018-19	1776175	7661600	2610571	10272171	4314	1470	123580	0
	2019-20	1826565	9892492	2856353	12748845	5416	1564	353440	0
असम	2018-19	280195	199253	288002	487255	711	1028	132565	132565
	2019-20	289208	377060	300308	677368	1304	1038	200412	200412
बिहार	2018-19	260440	27786	3113	30899	107	12	6298	0
	2019-20	311375	29773	2294	32067	96	7	3538	12
चंडीगढ़	2018-19	201805	25132	39992	65124	125	198	18140	0
	2019-20	170580	19916	50499	70415	117	296	20884	0
छत्तीसगढ़	2018-19	589450	170111	114230	284341	289	194	8879	2041
	2019-20	561590	167970	111575	279545	299	199	8586	3569
दिल्ली	2018-19	1796655	232795	2217844	2450639	130	1234	213664	0
	2019-20	1656495	258480	2265878	2524358	156	1368	215998	0
गोवा	2018-19	264035	30950	40412	71362	117	153	1240	10155
	2019-20	247285	26078	33224	59302	105	134	1855	18672
गुजरात	2018-19	1603065	221362	1544975	1766337	138	964	186287	398
	2019-20	1674875	279025	1603827	1882852	167	958	203450	354
हरियाणा	2018-19	2876795	925974	444795	1370769	322	155	253914	3927
	2019-20	2607680	927732	500690	1428422	356	192	272630	4477
हिमाचल प्रदेश	2018-19	327610	2485	425	2910	8	1	841	0
	2019-20	344320	2633	537	3170	8	2	812	0
जम्मू एवं कश्मीर	2018-19	256990	27512	2777	30289	107	11	3589	3362
	2019-20	185820	55991	5450	61441	301	29	3062	3320
झारखंड	2018-19	400380	125269	20806	146075	313	52	64795	14217
	2019-20	434385	113865	25302	139167	262	58	83820	0
कर्नाटक	2018-19	3484750	347121	569249	916371	100	163	88621	39973
	2019-20	3479640	572462	469062	1041524	165	135	141187	24319
केरल	2018-19	1072705	1139500	1757561	2897061	1062	1638	120255	5767
	2019-20	1064565	1419420	1892560	3311980	1333	1778	139036	77388
मध्य प्रदेश	2018-19	998485	574856	540047	1114903	576	541	190066	435
	2019-20	1045850	598298	557349	1155647	572	533	221445	0



APPENDIX-III-C

Attendances, References to Specialists during 2018-19 and 2019-20 State-wise(in respect of family members of insured persons)

STATE/AREA	PERIOD	No. of family (I.P.) units deemed exposed to risk Med. care	Attendances			No. of attendances per 1000 family (I.P.) units per annum		No. of cases referred to Hospitals	No. of cases admitted in Hospitals
			New cases	Old cases	Total	New cases	Old cases		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Andhra Pradesh	2018-19	1231620	333894	1475492	1809386	271	1198	248654	11134
	2019-20	1298270	290703	1477227	1767930	224	1138	135855	10168
Telangana	2018-19	1776175	7661600	2610571	10272171	4314	1470	123580	0
	2019-20	1826565	9892492	2856353	12748845	5416	1564	353440	0
Assam	2018-19	280195	199253	288002	487255	711	1028	132565	132565
	2019-20	289208	377060	300308	677368	1304	1038	200412	200412
Bihar	2018-19	260440	27786	3113	30899	107	12	6298	0
	2019-20	311375	29773	2294	32067	96	7	3538	12
Chandigarh	2018-19	201805	25132	39992	65124	125	198	18140	0
	2019-20	170580	19916	50499	70415	117	296	20884	0
Chhattisgarh	2018-19	589450	170111	114230	284341	289	194	8879	2041
	2019-20	561590	167970	111575	279545	299	199	8586	3569
Delhi	2018-19	1796655	232795	2217844	2450639	130	1234	213664	0
	2019-20	1656495	258480	2265878	2524358	156	1368	215998	0
Goa	2018-19	264035	30950	40412	71362	117	153	1240	10155
	2019-20	247285	26078	33224	59302	105	134	1855	18672
Gujarat	2018-19	1603065	221362	1544975	1766337	138	964	186287	398
	2019-20	1674875	279025	1603827	1882852	167	958	203450	354
Haryana	2018-19	2876795	925974	444795	1370769	322	155	253914	3927
	2019-20	2607680	927732	500690	1428422	356	192	272630	4477
Himachal Pradesh	2018-19	327610	2485	425	2910	8	1	841	0
	2019-20	344320	2633	537	3170	8	2	812	0
Jammu Kashmir	2018-19	256990	27512	2777	30289	107	11	3589	3362
	2019-20	185820	55991	5450	61441	301	29	3062	3320
Jharkhand	2018-19	400380	125269	20806	146075	313	52	64795	14217
	2019-20	434385	113865	25302	139167	262	58	83820	0
Karnataka	2018-19	3484750	347121	569249	916371	100	163	88621	39973
	2019-20	3479640	572462	469062	1041524	165	135	141187	24319
Kerala	2018-19	1072705	1139500	1757561	2897061	1062	1638	120255	5767
	2019-20	1064565	1419420	1892560	3311980	1333	1778	139036	77388
Madhya Pradesh	2018-19	998485	574856	540047	1114903	576	541	190066	435
	2019-20	1045850	598298	557349	1155647	572	533	221445	0



राज्य/क्षेत्र	अवधि	चिकित्सा देखरेख के लिए जोखिमग्रस्त माने गए परिवार (बीमाकृत व्यक्ति) इकाईयों की संख्या	परिचर्या			प्रतिवर्ष प्रति 1000 परिवार (बीमाकृत व्यक्ति) इकाईयों की परिचर्या की संख्या		अस्पतालों को संदर्भित मामलों की संख्या	अस्पताल में दाखिल किए गए मामलों की संख्या
			नये मामले	पुराने मामले	कुल	नये मामले	पुराने मामले		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
महाराष्ट्र	2018-19	4721075	238077	331203	569280	50	70	7925	63531
	2019-20	4773300	276208	463402	739610	58	97	12806	41192
मेघालय	2018-19	19180	4369	189	4558	228	10	1030	874
	2019-20	16657	4102	168	4270	246	10	738	836
ओडिशा	2018-19	679475	78770	49186	127956	116	72	60751	32424
	2019-20	711685	123413	56204	179617	173	79	48687	34188
पुदुच्चेरी	2018-19	124080	46994	44199	91193	379	356	6201	304
	2019-20	119630	48447	52076	100523	405	435	6881	242
पंजाब	2018-19	1165075	934011	45601	979612	802	39	142517	2641
	2019-20	1173295	985752	40314	1026066	840	34	141696	3090
राजस्थान	2018-19	1445765	917049	433767	1350816	634	300	206529	274
	2019-20	1458985	920977	427907	1348884	631	293	239716	2777
तमिलनाडु	2018-19	4286560	1271411	2537326	3808737	297	592	239856	31103
	2019-20	4134945	1180243	2593376	3773619	285	627	226849	24380
उत्तर प्रदेश और नोएडा	2018-19	2176600	555199	318111	873310	255	146	46742	0
	2019-20	2355835	616623	269259	885882	262	114	65099	0
उत्तराखंड	2018-19	672245	301403	37173	338576	448	55	86712	0
	2019-20	649945	362229	37261	399490	557	57	77632	13172
पश्चिम बंगाल	2018-19	1937980	1187565	1128124	2315689	613	582	99359	46048
	2019-20	1962830	1135290	1084015	2219305	578	552	152994	83448
कुल	2018-19	34649190	17580448	16595170	34175619	507	479	2559010	401172
	2019-20	34555610	20685182	17176117	37861298	599	497	2979107	546015



STATE/AREA	PERIOD	No. of family (I.P.) units deemed exposed to risk Med. care	Attendances			No. of attendances per 1000 family (I.P.) units per annum		No. of cases referred to Hospitals	No. of cases admitted in Hospitals
			New cases	Old cases	Total	New cases	Old cases		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Maharashtra	2018-19	4721075	238077	331203	569280	50	70	7925	63531
	2019-20	4773300	276208	463402	739610	58	97	12806	41192
Meghalaya	2018-19	19180	4369	189	4558	228	10	1030	874
	2019-20	16657	4102	168	4270	246	10	738	836
Odisha	2018-19	679475	78770	49186	127956	116	72	60751	32424
	2019-20	711685	123413	56204	179617	173	79	48687	34188
Puducherry	2018-19	124080	46994	44199	91193	379	356	6201	304
	2019-20	119630	48447	52076	100523	405	435	6881	242
Punjab	2018-19	1165075	934011	45601	979612	802	39	142517	2641
	2019-20	1173295	985752	40314	1026066	840	34	141696	3090
Rajasthan	2018-19	1445765	917049	433767	1350816	634	300	206529	274
	2019-20	1458985	920977	427907	1348884	631	293	239716	2777
Tamil Nadu	2018-19	4286560	1271411	2537326	3808737	297	592	239856	31103
	2019-20	4134945	1180243	2593376	3773619	285	627	226849	24380
Uttar Pradesh & Noida	2018-19	2176600	555199	318111	873310	255	146	46742	0
	2019-20	2355835	616623	269259	885882	262	114	65099	0
Uttarakhand	2018-19	672245	301403	37173	338576	448	55	86712	0
	2019-20	649945	362229	37261	399490	557	57	77632	13172
West Bengal	2018-19	1937980	1187565	1128124	2315689	613	582	99359	46048
	2019-20	1962830	1135290	1084015	2219305	578	552	152994	83448
TOTAL	2018-19	34649190	17580448	16595170	34175619	507	479	2559010	401172
	2019-20	34555610	20685182	17176117	37861298	599	497	2979107	546015



परिशिष्ट-III-घ

वर्ष 2018.19 एवं 2019.20 के दौरान रुग्णता की घटना-दर अर्थात् प्रति 1000 बीमाकृत व्यक्तियों तथा 1000 परिवार (बीमाकृत व्यक्ति) इकाईयों के नए मामलों की संख्या

कारण समूह सं.	बीमारी	बीमाकृत व्यक्ति		परिवार	
		2018-19	2019-20	2018-19	2019-20
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1	हैजा	0.12	0.02	0.02	0.09
2	टायफाइड और पैराटायफाइड ज्वर	1.85	3.16	0.96	1.89
3	सिगिलोसिस	0.12	0.19	0.26	0.68
4	अमीबता	2.93	3.22	2.38	6.08
5	अतिसार और परिकल्पित संक्रमित अंगों के आंत्रसंबंधी रोग	11.48	11.12	10.87	13.21
6	अन्य आंत्र संक्रमित रोग	7.42	7.26	6.56	2.71
7	श्वसन यक्ष्मा	0.62	0.60	0.44	0.61
8	अन्य यक्ष्मा	0.29	0.35	0.35	0.44
9	प्लेग	0.04	0.09	0.03	0.05
10	ब्रूसेलोसिस	0.02	0.04	0.02	0.01
11	कुष्ठ रोग	0.00	0.03	0.01	0.01
12	टिटैनस नियोनाटोरम	0.00	0.00	0.12	0.10
13	अन्य टिटैनस	0.00	0.01	0.09	0.11
14	डिफ्थीरिया	0.03	0.06	0.03	0.07
15	काली खांसी	0.77	0.80	0.25	0.82
16	मेनिंगोकोक्स संक्रमण	0.02	0.09	0.01	0.14
17	पूति रोग (सेप्टिसेमिया)	0.05	0.16	0.12	0.34
18	अन्य बैक्टीरिया संबंधी रोग	1.09	1.04	1.06	1.06
19	सहजात उपदंश (सिफेलिस)	0.03	0.05	0.01	0.07
20	पूर्ववर्ती उपदंश (सिफेलिस)	0.04	0.07	0.04	0.01
21	अन्य सिफेलिस	0.09	0.02	0.05	0.00
22	गोनोकोकल संक्रमण	0.03	0.04	0.01	0.08
23	यौन से फैलने वाले क्लामाइडियल रोग	0.06	0.07	0.05	0.07
24	मुख्यतया यौन से फैलने वाले अन्य संक्रमण	0.03	0.03	0.03	0.07
25	पुनरावर्ती ज्वर	0.10	0.14	0.15	0.17
26	ट्रेकोमा	0.03	0.03	0.04	0.02
27	सन्निपात ज्वर	0.04	0.07	0.05	0.10
28	तीक्ष्ण पोलियोमेटिटिस	0.04	0.05	0.01	0.10
29	अलर्करोग (रैबीज)	0.07	0.11	0.04	0.09
30	वायरल मस्तिष्क शोथ	0.11	0.16	0.07	0.18
31	पीत ज्वर	0.04	0.05	0.08	0.06
32	अन्य ऑर्थोपोड-जनित वायरल ज्वर और वायरल हेमोरहेजिक ज्वर	1.46	1.61	0.89	1.53
33	हरपीस वायरल संक्रमण	0.31	0.38	0.30	0.47
34	वैरिसेला एवं दाद	0.27	0.36	0.17	0.29
35	हल्का खसरा	0.25	0.33	0.12	0.26
36	रुबेला	0.01	0.01	0.03	0.14
37	तीक्ष्ण हैपेटाइटिस बी	0.26	0.37	0.28	0.27
38	अन्य वायरल हैपेटाइटिस	0.48	0.55	0.29	0.41



APPENDIX-III-D

Incidence of Morbidity i.e. Number of new cases per 1000 Insured Persons and 1000 Family (I.P.) Units during the year 2018-19 & 2019-20

Cause Group No.	Disease	Insured Persons		Families	
		2018-19	2019-20	2018-19	2019-20
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1	Cholera	0.12	0.02	0.02	0.09
2	Typhoid and paratyphoid fevers	1.85	3.16	0.96	1.89
3	Shigellosis	0.12	0.19	0.26	0.68
4	Amoebiasis	2.93	3.22	2.38	6.08
5	Diarrhoea and gastro-enteritis of presumed infectious origin	11.48	11.12	10.87	13.21
6	Other intestinal infectious diseases	7.42	7.26	6.56	2.71
7	Respiratory tuberculosis	0.62	0.60	0.44	0.61
8	Other tuberculosis	0.29	0.35	0.35	0.44
9	Plague	0.04	0.09	0.03	0.05
10	Brucellosis	0.02	0.04	0.02	0.01
11	Leprosy	0.00	0.03	0.01	0.01
12	Tetanus neonatorum	0.00	0.00	0.12	0.10
13	Other tetanus	0.00	0.01	0.09	0.11
14	Diphtheria	0.03	0.06	0.03	0.07
15	Whooping cough	0.77	0.80	0.25	0.82
16	Meningococcal infection	0.02	0.09	0.01	0.14
17	Septicaemia	0.05	0.16	0.12	0.34
18	Other bacterial diseases	1.09	1.04	1.06	1.06
19	Congenital syphilis	0.03	0.05	0.01	0.07
20	Early syphilis	0.04	0.07	0.04	0.01
21	Other syphilis	0.09	0.02	0.05	0.00
22	Gonococcal infection	0.03	0.04	0.01	0.08
23	Sexually transmitted chlamydial diseases	0.06	0.07	0.05	0.07
24	Other infections with a predominantly sexual mode of transmission	0.03	0.03	0.03	0.07
25	Relapsing fevers	0.10	0.14	0.15	0.17
26	Trachoma	0.03	0.03	0.04	0.02
27	Typhus fever	0.04	0.07	0.05	0.10
28	Acute poliomyelitis	0.04	0.05	0.01	0.10
29	Rabies	0.07	0.11	0.04	0.09
30	Viral encephalitis	0.11	0.16	0.07	0.18
31	Yellow fever	0.04	0.05	0.08	0.06
32	Other arthropod-borne viral fevers and viral haemorrhagic fevers	1.46	1.61	0.89	1.53
33	Herpesviral infections	0.31	0.38	0.30	0.47
34	Varicella and zoster	0.27	0.36	0.17	0.29
35	Measles	0.25	0.33	0.12	0.26
36	Rubella	0.01	0.01	0.03	0.14
37	Acute hepatitis B	0.26	0.37	0.28	0.27
38	Other viral hepatitis	0.48	0.55	0.29	0.41



कारण समूह सं.	बीमारी	बीमाकृत व्यक्ति		परिवार	
		2018-19	2019-20	2018-19	2019-20
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
39	मानव रोगक्षम अपर्याप्तता वायरस (एचआईवी) रोग	0.06	0.08	0.02	0.06
40	कनफेड (मम्पस्)	0.39	0.57	0.23	0.87
41	अन्य वायरल रोग	2.61	2.30	2.85	2.13
42	माइकोसिस	0.52	0.50	0.59	0.51
43	मलेरिया	0.65	0.69	0.51	0.73
44	लीशमानियसिस	0.01	0.01	0.08	0.03
45	ट्राईपेनोसोमियासिस	0.01	0.02	0.01	0.04
46	सिस्टोसोमियासिस	0.06	0.09	0.01	0.01
47	अन्य पर्णकृमि संक्रमण	0.11	0.19	0.04	0.16
48	फीताकृमि रोग	0.04	0.06	0.00	0.09
49	डैकनकुलस रोग	0.01	0.03	0.04	0.05
50	ऑनचोरसियासिस	0.05	0.12	0.01	0.15
51	फाइलेरिएसिस	0.31	0.29	0.24	1.20
52	अंकुश कृमि रोग	2.59	2.44	1.95	2.08
53	अन्य कृमि रोग	4.71	4.37	3.95	4.18
54	यक्ष्मा के प्रभाव	0.07	0.12	0.06	0.10
55	पीलियोमाईलिटिस के प्रभाव	0.09	0.03	0.00	0.01
56	कुष्ठ रोग के प्रभाव	0.01	0.06	0.08	0.92
57	अन्य संक्रामक एवं परजीवी रोग	2.74	2.58	2.04	1.78
58	हॉट, मौखिक गुहा और ग्रसनी की घातक रसौली	0.17	0.24	0.14	0.19
59	घेंघा की घातक रसौली	0.13	0.22	0.23	0.32
60	पेट का घातक रसौली	0.23	0.22	0.14	0.14
61	वहदान्त्र की घातक रसौली	0.01	0.05	0.01	0.02
62	रेक्टोसिगमॉयड जंक्शन, मलाशय, गुदा एवं गुदा नली की घातक रसौली	0.01	0.04	0.01	0.04
63	लिवर एवं इंद्राहैप्टिक पित्त नलिकाओं की घातक रसौली	0.01	0.03	0.00	0.15
64	अग्न्याशय की घातक रसौली	0.12	0.15	0.20	0.10
65	पाचन तंत्र की अन्य घातक रसौलियां	0.01	0.02	0.01	0.02
66	लैरिक्स की घातक सूजन	0.14	0.18	0.10	0.24
67	ट्रैकिया, श्वसनी एवं फेफड़ों की घातक सूजन	0.13	0.22	0.10	0.25
68	ट्रैकिया और इन्द्राथोरेसिक अंगों की घातक सूजन	0.05	0.09	0.00	0.07
69	हड्डी और आर्टिकुलर कार्टिलेज की घातक सूजन	0.02	0.05	0.00	0.05
70	त्वचा के घातक मेलेनोमा	0.01	0.04	0.02	0.05
71	त्वचा की अन्य घातक रसौलियां	0.07	0.16	0.08	0.14
72	मिसोथेलियल एवं मुलायम ऊतकों की घातक रसौली	0.03	0.03	0.00	0.02
73	स्तन की घातक रसौली	0.03	0.04	0.03	0.05
74	गर्भाशय ग्रीवा की घातक सूजन	0.12	0.21	0.27	0.28
75	गर्भाशय के अन्य तथा विनिर्देशित भागों का घातक सूजन	0.01	0.03	0.01	0.04
76	मादा प्रजनन अंगों का अन्य घातक सूजन	0.02	0.07	0.01	0.06
77	प्रोस्टेट का घातक सूजन	0.03	0.04	0.01	0.02
78	नर प्रजनन अंगों के अन्य घातक सूजन	0.00	0.03	0.00	0.05



Cause Group No.	Disease	Insured Persons		Families	
		2018-19	2019-20	2018-19	2019-20
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
39	Human immunodeficiency virus [HIV] disease	0.06	0.08	0.02	0.06
40	Mumps	0.39	0.57	0.23	0.87
41	Other viral diseases	2.61	2.30	2.85	2.13
42	Mycoses	0.52	0.50	0.59	0.51
43	Malaria	0.65	0.69	0.51	0.73
44	Leishmaniasis	0.01	0.01	0.08	0.03
45	Trypanosomiasis	0.01	0.02	0.01	0.04
46	Schistosomiasis	0.06	0.09	0.01	0.01
47	Other fluke infections	0.11	0.19	0.04	0.16
48	Echinococcosis	0.04	0.06	0.00	0.09
49	Dracunculiasis	0.01	0.03	0.04	0.05
50	Onchocerciasis	0.05	0.12	0.01	0.15
51	Filariasis	0.31	0.29	0.24	1.20
52	Hookworm diseases	2.59	2.44	1.95	2.08
53	Other helminthiasis	4.71	4.37	3.95	4.18
54	Sequelae of tuberculosis	0.07	0.12	0.06	0.10
55	Sequelae of poliomyelitis	0.09	0.03	0.00	0.01
56	Sequelae of leprosy	0.01	0.06	0.08	0.92
57	Other infectious and parasitic diseases	2.74	2.58	2.04	1.78
58	Malignant neoplasm of lip, oral cavity and pharynx	0.17	0.24	0.14	0.19
59	Malignant neoplasm of oesophagus	0.13	0.22	0.23	0.32
60	Malignant neoplasm of stomach	0.23	0.22	0.14	0.14
61	Malignant neoplasm of colon	0.01	0.05	0.01	0.02
62	Malignant neoplasm of rectosigmoid junction, rectum, anus and anal canal	0.01	0.04	0.01	0.04
63	Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts	0.01	0.03	0.00	0.15
64	Malignant neoplasm of pancreas	0.12	0.15	0.20	0.10
65	Other malignant neoplasms of digestive organs	0.01	0.02	0.01	0.02
66	Malignant neoplasm of larynx	0.14	0.18	0.10	0.24
67	Malignant neoplasm of trachea, bronchus and lung	0.13	0.22	0.10	0.25
68	Other malignant neoplasms of respiratory and intrathoracic organs	0.05	0.09	0.00	0.07
69	Malignant neoplasm of bone and articular cartilage	0.02	0.05	0.00	0.05
70	Malignant melanoma of skin	0.01	0.04	0.02	0.05
71	Other malignant neoplasms of skin	0.07	0.16	0.08	0.14
72	Malignant neoplasms of mesothelial and soft tissue	0.03	0.03	0.00	0.02
73	Malignant neoplasm of breast	0.03	0.04	0.03	0.05
74	Malignant neoplasm of cervix uteri	0.12	0.21	0.27	0.28
75	Malignant neoplasm of other and unspecified parts of uterus	0.01	0.03	0.01	0.04
76	Other malignant neoplasms of female genital organs	0.02	0.07	0.01	0.06
77	Malignant neoplasm of prostate	0.03	0.04	0.01	0.02
78	Other malignant neoplasms of male genital organs	0.00	0.03	0.00	0.05



कारण समूह सं.	बीमारी	बीमाकृत व्यक्ति		परिवार	
		2018-19	2019-20	2018-19	2019-20
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
79	ब्लेडर का घातक सूजन	0.12	0.17	0.11	0.18
80	पेशाब नली के अन्य घातक सूजन	0.01	0.02	0.02	0.03
81	नेत्र एवं अवयव के घातक सूजन	0.00	0.02	0.00	0.02
82	मस्तिष्क की घातक सूजन	0.06	0.14	0.08	0.16
83	केन्द्रीय तंत्रिका तंत्र के अन्य भागों के घातक सूजन	0.05	0.05	0.00	0.05
84	अन्य, बीमार, द्वितीयक, अविनिर्देशित और विविध भागों की घातक सूजन	0.02	0.05	0.02	0.03
85	हॉजकिन्स रोग	0.00	0.06	0.00	0.01
86	अन्य हॉजकिन्स लिम्फोमा	0.00	0.01	0.00	0.08
87	ल्यूकेमिया	0.33	0.43	0.39	0.40
88	लिम्फॉयड, हिमेटोपॉयिक एवं संबंधित ऊतकों के अन्य घातक सूजन	0.01	0.06	0.00	0.05
89	सर्विक्स गर्भाशय की स्थिति में कॉर्सिनोमा	0.04	0.07	0.01	0.05
90	त्वचा की मामूली सूजन	0.17	0.22	0.03	0.03
91	स्तन की मामूली सूजन	0.29	0.31	0.13	0.43
92	गर्भाशय का लियोमा	0.27	0.30	0.27	0.17
93	अंडाशय की मामूली सूजन	0.21	0.28	0.20	0.19
94	पेशाब नली में मामूली सूजन	0.03	0.10	0.01	0.02
95	मस्तिष्क और केन्द्रीय तंत्रिका तंत्र की मामूली सूजन	0.01	0.02	0.02	0.02
96	अचानक एवं अज्ञात व्यवहार के अन्य स्वस्थान और मामूली सूजन	0.21	0.50	0.13	1.30
97	आयरन की कमी से एनिमिया	10.54	9.84	10.98	11.70
98	अन्य एनिमिया	6.17	5.47	5.78	5.02
99	रक्त एवं रक्त बनाने वाले अंगों में हिमोहैजिक कंडीशन एवं अन्य रोग	0.18	0.20	0.63	0.30
100	प्रतिरक्षा तंत्र से जुड़े अन्य रोग	0.21	0.28	0.15	0.35
101	आयरन की कमी से गलकंठ	1.72	1.96	1.14	1.95
102	थायरोटोक्सिकोसिस	0.68	0.54	0.48	1.82
103	थॉयरायड के अन्य प्रभाव	3.06	3.16	3.29	21.15
104	मधुमेह	32.84	32.67	33.07	15.23
105	कुपोषण	1.79	1.00	1.18	1.67
106	विटामिन ए की कमी	1.46	1.23	1.39	2.79
107	अन्य विटामिन कमियां	9.11	8.76	8.15	8.65
108	कुपोषण और अन्य पोषण से संबंधित प्रभाव	0.74	0.33	0.92	0.45
109	मोटापा	0.32	0.37	0.45	0.37
110	वॉल्यूम कमी	0.14	0.25	0.20	0.37
111	अन्य इंडोक्राइन, पोषण एवं मैटाबॉलिक रोग	0.30	0.27	0.41	0.29
112	मनोभ्रंश	0.26	0.40	0.26	0.66
113	एल्कोहॉल के प्रयोग के कारण मानसिक एवं व्यावहारगत विकार	0.90	0.98	0.78	0.40
114	अन्य मानसिक परेशानी के कारण मानसिक एवं व्यावहारगत विकार	0.03	0.04	0.06	0.23



Cause Group No.	Disease	Insured Persons		Families	
		2018-19	2019-20	2018-19	2019-20
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
79	Malignant neoplasm of bladder	0.12	0.17	0.11	0.18
80	Other malignant neoplasms of urinary tract	0.01	0.02	0.02	0.03
81	Malignant neoplasm of eye and adnexa	0.00	0.02	0.00	0.02
82	Malignant neoplasm of brain	0.06	0.14	0.08	0.16
83	Malignant neoplasm of other parts of central nervous system	0.05	0.05	0.00	0.05
84	Malignant neoplasm of other, ill-defined, secondary, unspecified and multiple sites	0.02	0.05	0.02	0.03
85	Hodgkins disease	0.00	0.06	0.00	0.01
86	Non-Hodgkins lymphoma	0.00	0.01	0.00	0.08
87	Leukaemia	0.33	0.43	0.39	0.40
88	Other malignant neoplasms of lymphoid, haematopoietic and related tissue	0.01	0.06	0.00	0.05
89	Carcinoma in situ of cervix uteri	0.04	0.07	0.01	0.05
90	Benign neoplasm of skin	0.17	0.22	0.03	0.03
91	Benign neoplasm of breast	0.29	0.31	0.13	0.43
92	Leiomyoma of uterus	0.27	0.30	0.27	0.17
93	Benign neoplasm of ovary	0.21	0.28	0.20	0.19
94	Benign neoplasm of urinary organs	0.03	0.10	0.01	0.02
95	Benign neoplasm of Brain and other parts of central nervous system	0.01	0.02	0.02	0.02
96	Other in situ and benign neoplasms and neoplasms of uncertain and unknown behaviour	0.21	0.50	0.13	1.30
97	Iron deficiency anaemia	10.54	9.84	10.98	11.70
98	Other anaemias	6.17	5.47	5.78	5.02
99	Haemorrhagic conditions and other diseases of blood and blood-forming organs	0.18	0.20	0.63	0.30
100	Certain disorders involving the immune mechanism	0.21	0.28	0.15	0.35
101	Iodine-deficiency-related thyroid disorders	1.72	1.96	1.14	1.95
102	Thyrotoxicosis	0.68	0.54	0.48	1.82
103	Other disorders of thyroid	3.06	3.16	3.29	21.15
104	Diabetes mellitus	32.84	32.67	33.07	15.23
105	Malnutrition	1.79	1.00	1.18	1.67
106	Vitamin A deficiency	1.46	1.23	1.39	2.79
107	Other vitamin deficiencies	9.11	8.76	8.15	8.65
108	Sequelae of malnutrition and other nutritional deficiencies	0.74	0.33	0.92	0.45
109	Obesity	0.32	0.37	0.45	0.37
110	Volume depletion	0.14	0.25	0.20	0.37
111	Other endocrine, nutritional and metabolic disorders	0.30	0.27	0.41	0.29
112	Dementia	0.26	0.40	0.26	0.66
113	Mental and behavioural disorders due to use of alcohol	0.90	0.98	0.78	0.40
114	Mental and behavioural disorders due to other psychoactive substance use	0.03	0.04	0.06	0.23



कारण समूह सं.	बीमारी	बीमाकृत व्यक्ति		परिवार	
		2018-19	2019-20	2018-19	2019-20
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
115	शिज्रोफ्रेनिया, सिजोटाइपल एवं विभ्रम विकार	0.31	0.44	0.41	1.66
116	मूड (प्रभावित) विकार	1.61	1.65	1.66	0.49
117	न्यूरैटिक, तनाव से संबंधित तथा सोमाटोफॉर्म डिस्ऑर्डर	0.61	0.55	0.37	0.42
118	मानसिक रिटार्डेशन	0.19	0.24	0.21	0.26
119	अन्य मानसिक एवं व्यावहारगत विकार	0.14	0.16	0.16	0.21
120	केन्द्रीय तंत्रिका तंत्र के शोथ रोग	0.04	0.05	0.03	0.11
121	पार्किंसन रोग	0.12	0.14	0.13	0.06
122	अल्जेमर्स रोग	0.01	0.04	0.04	0.05
123	मल्टीपल स्क्लरोसिस	0.02	0.02	0.02	23.26
124	मिरगी	25.87	26.06	25.80	4.73
125	माइग्रेन एवं अन्य सिरदर्द लक्षण	4.36	4.40	4.50	3.02
126	ट्रांजिएंट सेरिब्रल इचेमिक अटैक एवं संबंधित लक्षण	0.42	0.39	0.29	0.17
127	तंत्रिका, तंत्रिका तंत्र एवं प्लेक्सस डिस्ऑर्डर	0.59	0.65	0.33	0.64
128	पक्षाघात और अन्य लकवा संबंधी लक्षण	0.04	0.07	0.07	1.72
129	तंत्रिका तंत्र के अन्य रोग	2.11	2.17	2.22	0.78
130	पलक में सूजन	1.05	1.14	0.91	1.24
131	कंजक्टिवा के कंजक्टिविटिस एवं अन्य विकार	2.65	2.72	2.80	2.46
132	श्वेतपटल एवं कॉर्निया के कैराटिसिस एवं अन्य विकार	0.11	0.13	0.17	1.39
133	काटारैक्ट एवं लेंस के अन्य विकार	3.54	3.63	2.19	2.53
134	रेटिनल विच्छेद एवं ब्रैक	0.06	0.06	0.11	0.10
135	ग्लूकोमा	0.13	0.14	0.17	0.08
136	स्ट्राबिसमस	0.02	0.04	0.05	2.29
137	भेंगापन	3.87	4.04	4.03	1.91
138	अंधापन एवं अल्प दृष्टि	0.40	0.44	0.41	0.60
139	नेत्र एवं एडनेक्सा के अन्य रोग	2.95	2.80	1.82	3.01
140	कान एवं मास्टॉयड के ओटिस मीडिया एवं अन्य विकार	2.25	2.23	2.38	2.07
141	श्रवणबाधिता	0.89	0.96	0.88	0.99
142	कान एवं मास्टॉयड प्रोसेस के अन्य रोग	3.35	3.33	2.01	3.15
143	तीक्ष्ण न्यूमैटिक ज्वर	0.66	0.70	0.24	0.69
144	क्रॉनिक न्यूमैटिक हृदय रोग	0.46	0.60	0.30	34.68
145	आवश्यक (प्राथमिक) हाइपरटेंशन	45.91	46.00	44.45	12.77
146	अन्य हाइपरटेंशन रोग	3.59	3.25	3.76	3.22
147	तीव्र रोद्यगलन	0.21	0.30	0.20	14.20
148	अन्य इचेमिक हृदय रोग	15.72	15.80	15.83	2.15
149	पल्मोनरी इम्बालिज्म	0.03	0.03	0.22	0.21
150	कंडक्शन विकार एवं कॉर्डिक अतालता संबंधी रोग	0.14	0.19	0.16	0.38
151	हृदयघात	0.42	0.44	0.40	0.22
152	अन्य हृदय रोग	0.77	0.88	0.80	1.44
153	इन्ट्राक्रैनियल नकसीर	0.66	0.69	0.71	0.13
154	प्रमस्तिष्क रोद्यगलन	0.11	0.19	0.16	0.25
155	पक्षाघात जो प्रमस्तिष्क या नकसीर के रूप में विनिर्देशित न हो	0.20	0.07	0.07	0.07



Cause Group No.	Disease	Insured Persons		Families	
		2018-19	2019-20	2018-19	2019-20
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
115	Schizophrenia, schizotypal and delusional disorders	0.31	0.44	0.41	1.66
116	Mood [affective] disorders	1.61	1.65	1.66	0.49
117	Neurotic, stress-related and somatoform disorders	0.61	0.55	0.37	0.42
118	Mental retardation	0.19	0.24	0.21	0.26
119	Other mental and behavioural disorders	0.14	0.16	0.16	0.21
120	Inflammatory diseases of the central nervous system	0.04	0.05	0.03	0.11
121	Parkinsons disease	0.12	0.14	0.13	0.06
122	Alzheimers disease	0.01	0.04	0.04	0.05
123	Multiple sclerosis	0.02	0.02	0.02	23.26
124	Epilepsy	25.87	26.06	25.80	4.73
125	Migraine and other headache syndromes	4.36	4.40	4.50	3.02
126	Transient cerebral ischaemic attacks and related syndromes	0.42	0.39	0.29	0.17
127	Nerve, nerve root and plexus disorders	0.59	0.65	0.33	0.64
128	Cerebral palsy and other paralytic syndromes	0.04	0.07	0.07	1.72
129	Other diseases of the nervous system	2.11	2.17	2.22	0.78
130	Inflammation of eyelid	1.05	1.14	0.91	1.24
131	Conjunctivitis and other disorders of conjunctiva	2.65	2.72	2.80	2.46
132	Keratitis and other disorders of sclera and cornea	0.11	0.13	0.17	1.39
133	Cataract and other disorders of lens	3.54	3.63	2.19	2.53
134	Retinal detachments and breaks	0.06	0.06	0.11	0.10
135	Glaucoma	0.13	0.14	0.17	0.08
136	Strabismus	0.02	0.04	0.05	2.29
137	Disorders of refraction and accommodation	3.87	4.04	4.03	1.91
138	Blindness and low vision	0.40	0.44	0.41	0.60
139	Other diseases of the eye and adnexa	2.95	2.80	1.82	3.01
140	Otitis media and other disorders of middle ear and mastoid	2.25	2.23	2.38	2.07
141	Hearing loss	0.89	0.96	0.88	0.99
142	Other diseases of the ear and mastoid process	3.35	3.33	2.01	3.15
143	Acute rheumatic fever	0.66	0.70	0.24	0.69
144	Chronic rheumatic heart disease	0.46	0.60	0.30	34.68
145	Essential (primary) hypertension	45.91	46.00	44.45	12.77
146	Other hypertensive diseases	3.59	3.25	3.76	3.22
147	Acute myocardial infarction	0.21	0.30	0.20	14.20
148	Other ischaemic heart diseases	15.72	15.80	15.83	2.15
149	Pulmonary embolism	0.03	0.03	0.22	0.21
150	Conduction disorders and cardiac arrhythmias	0.14	0.19	0.16	0.38
151	Heart failure	0.42	0.44	0.40	0.22
152	Other heart diseases	0.77	0.88	0.80	1.44
153	Intracranial haemorrhage	0.66	0.69	0.71	0.13
154	Cerebral infarction	0.11	0.19	0.16	0.25
155	Stroke, not specified as haemorrhage or infarction	0.20	0.07	0.07	0.07



कारण समूह सं.	बीमारी	बीमाकृत व्यक्ति		परिवार	
		2018-19	2019-20	2018-19	2019-20
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
156	अन्य सैरिब्रोवैस्कुलर रोग	0.10	0.12	0.05	0.94
157	अथिरोक्लिरोसिस	1.65	1.75	1.76	0.93
158	अन्य पेरीफरल वैस्कुलर रोग	0.27	0.32	0.18	0.30
159	आर्टियल इम्बोलिज्म एवं थ्रोम्बोसिस	0.13	0.15	0.10	0.06
160	धमनियों, आरटेरिओस एवं कोषिका के अन्य रोग	0.07	0.12	0.03	0.04
161	फ्लेबिटिस, थ्रोम्बोफ्लेबिटिस, वेनस इम्बोलिज्म एवं थ्रोम्बोसिस	0.65	0.56	0.05	0.78
162	लोवर एक्सट्रेमिटीज के अपस्फीत शिरा	1.02	1.14	1.01	19.27
163	हीमोरहायड्स	22.04	22.29	21.65	3.85
164	संक्रमण प्रणाली के अन्य रोग	0.46	0.91	0.46	22.17
165	तीव्र श्वसनी शोध एवं तीव्र श्वसनिका शोध	32.15	31.60	32.63	11.15
166	चिरकालिक वायु विवर शोध	2.43	2.56	2.02	8.12
167	अन्य एक्यूट अपर रेस्पिरेटरी संक्रमण	25.96	25.72	28.01	23.34
168	इंफ्लुएंजा	3.69	3.58	2.39	3.26
169	निमोनिया	0.92	1.17	0.82	0.93
170	तीव्र श्वास विकार शोध	4.27	4.14	4.93	4.77
171	चिरकालिक वायु विकास शोध	1.73	1.84	1.89	1.93
172	नाक एवं नाशिका संबंधी सिनसेस के अन्य रोग	2.47	2.50	2.79	2.21
173	टॉसिल एवं एडेनोएड्स के पुराने रोग	0.82	0.92	0.92	1.44
174	अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अन्य रोग	7.42	7.14	7.13	8.07
175	श्वसनी शोध, एम्फीसीमा एवं अन्य क्रोनिक अबस्ट्रेक्टिव पल्मोनरी रोग	4.35	4.48	3.13	5.03
176	दमा	8.08	8.17	6.93	6.40
177	ब्रॉन्कायक्टासिस	0.61	0.77	0.72	0.52
178	मोकोनिओसिस	0.17	0.36	0.21	6.73
179	रेस्पेटरी सिस्टम के अन्य रोग	11.18	11.15	10.96	6.70
180	दंत क्षय	5.08	5.00	5.26	4.30
181	दांत एवं अन्य सहयोगी संरचनाओं के अन्य रोग	3.63	3.78	2.22	3.85
182	ओरल कैविटी, सेलवरी ग्लैंड्स एवं जबड़ों के अन्य रोग	2.90	2.58	3.02	4.18
183	गैसट्रिक एवं ग्रहणी अल्सर	7.62	7.57	7.62	20.15
184	गैसट्रिक एवं ग्रहणी अल्सर	24.51	24.40	24.65	11.06
185	गैसट्रिटिस एवं ड्यूडेनितिस	3.73	2.88	3.21	1.57
186	अपेंडिक्स के रोग	0.24	0.33	0.22	0.49
187	इनगुइनल हर्निया	0.39	0.46	0.43	0.51
188	अन्य हर्निया	0.22	0.25	0.26	0.25
189	क्रॉस रोग एवं अलसेरेटिव कोलिटिस	0.15	0.18	0.19	0.17
190	पैरालिटिक इल्यूस एवं इनटेसटिनल हर्निया के बिना अब्सट्रक्शन	0.09	0.15	0.11	0.12
191	इनटेसटिन के डिवर्टीकुलर रोग	0.06	0.12	0.12	0.12
192	इनटेसटिन एवं पेरीटोनियम के अन्य रोग	0.16	0.22	0.13	0.40
193	अल्कोहलिक लीवर रोग	0.47	0.71	0.52	0.51



Cause Group No.	Disease	Insured Persons		Families	
		2018-19	2019-20	2018-19	2019-20
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
156	Other cerebrovascular diseases	0.10	0.12	0.05	0.94
157	Atherosclerosis	1.65	1.75	1.76	0.93
158	Other peripheral vascular diseases	0.27	0.32	0.18	0.30
159	Arterial embolism and thrombosis	0.13	0.15	0.10	0.06
160	Other diseases of arteries, arterioles and capillaries	0.07	0.12	0.03	0.04
161	Phlebitis, thrombophlebitis, venous embolism and thrombosis	0.65	0.56	0.05	0.78
162	Varicose veins of lower extremities	1.02	1.14	1.01	19.27
163	Haemorrhoids	22.04	22.29	21.65	3.85
164	Other diseases of the circulatory system	0.46	0.91	0.46	22.17
165	Acute pharyngitis and acute tonsillitis	32.15	31.60	32.63	11.15
166	Acute laryngitis and tracheitis	2.43	2.56	2.02	8.12
167	Other acute upper respiratory infections	25.96	25.72	28.01	23.34
168	Influenza	3.69	3.58	2.39	3.26
169	Pneumonia	0.92	1.17	0.82	0.93
170	Acute bronchitis and acute bronchiolitis	4.27	4.14	4.93	4.77
171	Chronic sinusitis	1.73	1.84	1.89	1.93
172	Other diseases of nose and nasal sinuses	2.47	2.50	2.79	2.21
173	Chronic disease of tonsils and adenoids	0.82	0.92	0.92	1.44
174	Other diseases of upper respiratory tract	7.42	7.14	7.13	8.07
175	Bronchitis, emphysema and other chronic obstructive pulmonary diseases	4.35	4.48	3.13	5.03
176	Asthma	8.08	8.17	6.93	6.40
177	Bronchiectasis	0.61	0.77	0.72	0.52
178	Pneumoconiosis	0.17	0.36	0.21	6.73
179	Other diseases of the respiratory system	11.18	11.15	10.96	6.70
180	Dental caries	5.08	5.00	5.26	4.30
181	Other disorders of teeth and supporting structures	3.63	3.78	2.22	3.85
182	Other diseases of the oral cavity, salivary glands and jaws	2.90	2.58	3.02	4.18
183	Gastric and duodenal ulcer	7.62	7.57	7.62	20.15
184	Gastritis and duodenitis	24.51	24.40	24.65	11.06
185	Other diseases of oesophagus, stomach and duodenum	3.73	2.88	3.21	1.57
186	Diseases of appendix	0.24	0.33	0.22	0.49
187	Inguinal hernia	0.39	0.46	0.43	0.51
188	Other hernia	0.22	0.25	0.26	0.25
189	Crohns disease and ulcerative colitis	0.15	0.18	0.19	0.17
190	Paralytic ileus and intestinal obstruction without hernia	0.09	0.15	0.11	0.12
191	Diverticular disease of intestine	0.06	0.12	0.12	0.12
192	Other diseases of intestines and peritoneum	0.16	0.22	0.13	0.40
193	Alcoholic liver disease	0.47	0.71	0.52	0.51



कारण समूह सं.	बीमारी	बीमाकृत व्यक्ति		परिवार	
		2018-19	2019-20	2018-19	2019-20
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
194	लीवर के अन्य रोग	0.33	0.39	0.20	0.49
195	कोलेलिथिसिस एवं कोलेसिसटिस	0.74	0.84	0.43	0.78
196	एक्यूट पाचन-ग्रन्थि एवं पाचन ग्रन्थि के अन्य रोग।	0.31	0.36	0.24	15.58
197	पाचन तंत्र के अन्य रोग	22.65	22.19	22.33	11.06
198	त्वचा एवं सबकुटेनीअस टिश्यू के संक्रमण	12.81	12.14	11.22	10.19
199	त्वचा एवं सबकुटेनीअस टिश्यू के अन्य रोग	7.42	8.15	6.41	7.48
200	गठिया दर्द एवं अन्य उत्तेजक पॉलीअर्थपेथिस	4.96	4.98	3.49	15.03
201	अर्थोसिस	13.16	12.66	13.66	3.04
202	जांघ के उपाजित विकार	0.57	0.77	0.64	1.04
203	जोड़ों के अन्य रोग	5.70	5.76	5.11	5.63
204	सिस्टमैटिक कनेक्टिव उतक रोग	0.57	0.61	0.86	5.54
205	सर्वाइकल एवं अन्य इंटरवर्टेबल डिस्क रोग	6.62	6.96	6.46	1.48
206	अन्य डोरसोपेथिस	1.04	1.18	1.02	1.15
207	सॉफ्ट टिश्यू विकार	1.34	1.24	1.07	7.15
208	हड्डी सघनता एवं संरचना रोग	7.69	6.83	7.66	0.51
209	अस्थिकोप	0.14	0.27	0.11	16.26
210	मसकुलोस्केलेतल एवं संबंधित टिश्यू के अन्य विकार	20.89	21.31	21.31	5.17
211	एक्यूट एंड रेपिडली प्रोग्रेसिव नेफरिटिक सिंड्रोमस	0.06	0.06	0.05	0.17
212	अन्य ग्लोमेरुलर रोग	0.08	0.17	0.11	0.08
213	रेनल ट्यूबुलो-इंटरस्टाटल रोग	0.04	0.12	0.12	0.27
214	गुर्दे का काम न करना	0.23	0.40	0.25	0.76
215	यूरोलिथिएसिस	1.15	1.38	0.92	1.62
216	मूत्राशय शोथ	1.39	1.53	1.42	0.72
217	मूत्र तंत्र के अन्य रोग	3.39	2.90	2.91	3.46
218	प्रोस्टेट हाइपरप्लासिया	0.82	0.92	0.53	0.48
219	प्रोस्टेट के अन्य विकार	0.17	0.20	0.11	0.30
220	हाइड्रोसील एवं स्पर्मेटोसील	0.39	0.43	0.39	0.18
221	डुनडैट परपस, फिमोसिस एवं पाराफिमोसिस	0.04	0.06	0.05	0.75
222	नर जननांगों अंगों के अन्य विकार	1.00	1.08	0.92	0.58
223	स्तन के विकार	0.51	0.53	0.57	0.34
224	सलपिनगिटिस एवं ओफोरिटिस	0.16	0.15	0.20	0.75
225	गर्भाशय ग्रीवा के शोथ रोग	0.27	0.26	0.34	1.14
226	महिला पेडू अंगों का अन्य शोथ रोग	1.50	1.71	1.85	1.12
227	इंडोमेट्रीयोसिस	0.11	0.13	0.11	0.20
228	महिला प्रजनन में कमी	0.28	0.34	0.25	0.21
229	अंडाशय, गर्भाशय नाल एवं बड़े स्नायु के गैर शोथ विकार	0.05	0.13	0.09	1.61
230	रजोधर्म का विकार	2.66	2.67	3.20	7.63
231	रजोनिवृत्ति संबंधी एवं अन्य पेरीमेनोपौसल विकार	5.12	6.44	5.18	1.27



Cause Group No.	Disease	Insured Persons		Families	
		2018-19	2019-20	2018-19	2019-20
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
194	Other diseases of liver	0.33	0.39	0.20	0.49
195	Cholelithiasis and cholecystitis	0.74	0.84	0.43	0.78
196	Acute pancreatitis and other diseases of the pancreas	0.31	0.36	0.24	15.58
197	Other diseases of the digestive system	22.65	22.19	22.33	11.06
198	Infections of the skin and subcutaneous tissue	12.81	12.14	11.22	10.19
199	Other diseases of the skin and subcutaneous tissue	7.42	8.15	6.41	7.48
200	Rheumatoid arthritis and other inflammatory polyarthropathies	4.96	4.98	3.49	15.03
201	Arthrosis	13.16	12.66	13.66	3.04
202	Acquired deformities of limbs	0.57	0.77	0.64	1.04
203	Other disorders of joints	5.70	5.76	5.11	5.63
204	Systemic connective tissue disorders	0.57	0.61	0.86	5.54
205	Cervical and other intervertebral disk disorders	6.62	6.96	6.46	1.48
206	Other dorsopathies	1.04	1.18	1.02	1.15
207	Soft tissue disorders	1.34	1.24	1.07	7.15
208	Disorders of bone density and structure	7.69	6.83	7.66	0.51
209	Osteomyelitis	0.14	0.27	0.11	16.26
210	Other diseases of the musculoskeletal system and connective tissue	20.89	21.31	21.31	5.17
211	Acute and rapidly progressive nephritic syndromes	0.06	0.06	0.05	0.17
212	Other glomerular diseases	0.08	0.17	0.11	0.08
213	Renal tubulo-interstitial diseases	0.04	0.12	0.12	0.27
214	Renal failure	0.23	0.40	0.25	0.76
215	Urolithiasis	1.15	1.38	0.92	1.62
216	Cystitis	1.39	1.53	1.42	0.72
217	Other diseases of the urinary system	3.39	2.90	2.91	3.46
218	Hyperplasia of prostate	0.82	0.92	0.53	0.48
219	Other disorders of prostate	0.17	0.20	0.11	0.30
220	Hydrocele and spermatocele	0.39	0.43	0.39	0.18
221	Redundant prepuce, phimosis and paraphimosis	0.04	0.06	0.05	0.75
222	Other diseases of male genital organs	1.00	1.08	0.92	0.58
223	Disorders of breast	0.51	0.53	0.57	0.34
224	Salpingitis and Oophoritis	0.16	0.15	0.20	0.75
225	Inflammatory disease of cervix uteri	0.27	0.26	0.34	1.14
226	Other inflammatory diseases of female pelvic organs	1.50	1.71	1.85	1.12
227	Endometriosis	0.11	0.13	0.11	0.20
228	Female genital prolapse	0.28	0.34	0.25	0.21
229	Noninflammatory disorders of ovary, Fallopian tube and broad ligament	0.05	0.13	0.09	1.61
230	Disorders of menstruation	2.66	2.67	3.20	7.63
231	Menopausal and other perimenopausal disorders	5.12	6.44	5.18	1.27



कारण समूह सं.	बीमारी	बीमाकृत व्यक्ति		परिवार	
		2018-19	2019-20	2018-19	2019-20
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
232	महिला बांझपन	0.46	0.55	0.59	0.88
233	जेनिटो-यूरिनरी ट्रैक्ट के अन्य विकार	0.85	0.67	0.90	0.52
234	स्वतः गर्भपात	0.20	0.30	0.17	0.18
235	चिकित्सीय गर्भपात	0.05	0.09	0.05	0.11
236	अबोर्टिव आउटकम के साथ अन्य गर्भावस्था	0.09	0.13	0.12	0.15
#237	गर्भावस्था, प्रसव एवं सूतिकावस्था में ओडेमा एवं हापरटेंशन विकार	0.26	0.33	0.24	0.24
238	प्लेसेंटा, प्रवेया, प्लेसेंटा का असमय अलगाव तथा एंटेपार्टम हैमोरहेज	0.02	0.04	0.03	0.02
239	भ्रूण एवं एमनियोटिक कैविटी से संबंधित अन्य प्रसव उपचार तथा संभावित प्रसव की समस्याएं	0.01	0.03	0.02	0.03
240	अबस्ट्रक्टेड लेबर	0.00	0.08	0.02	0.03
241	पोस्टपार्टम हैमोरहेज	0.32	0.37	0.13	0.31
242	गर्भधारण एवं प्रसव में अन्य समस्याएं	0.35	0.35	0.19	0.39
243	सिंगल स्प्रांटेनियस डिलीवरी	0.13	0.06	0.05	0.77
244	प्यूरपेरियम और अन्य प्रसूति से जुड़े मुख्य जटिलताएं जो वर्गीकृत नहीं हैं	0.02	0.05	0.00	0.01
245	मातृक कारणों से प्रभावित भ्रूण एवं नवजात और गर्भावस्था, लेबर एवं डिलीवरी के समय जटिलताएं	0.00	0.01	0.00	0.10
246	धीमा भ्रूण विकास, भ्रूण कुपोषण व कम भार से जुड़ी जटिलताएं	0.09	0.13	0.10	0.03
247	जन्म अभिघात	0.00	0.01	0.01	0.01
248	इंटरयूटेरिन हाइपोक्सिया एवं जन्म एसफिक्सिया	0.00	0.01	0.01	0.02
249	नवजात अवधि के दौरान उत्पन्न अन्य रेस्पिरेटरी विकार	0.00	0.04	0.02	0.03
250	जन्मजात संक्रमण एवं पैरासाइटिक रोग	0.02	0.05	0.01	0.01
251	नवजात के दौरान उत्पन्न अन्य संक्रामक रोग	0.00	0.03	0.01	0.01
252	भ्रूण एवं नवजात के हेमोलिटिक रोग	0.08	0.15	0.06	0.12
253	पेरीनटाल अवधि में उत्पन्न अन्य स्थिति	0.00	0.02	0.01	0.02
254	स्पिना बिफिदा	0.00	0.03	0.00	0.00
255	तंत्रिका तंत्र की अन्य जन्मजात विकृति	0.00	0.01	0.01	0.01
256	रक्तनलिका तंत्र के जन्मजात विकृति	0.00	0.05	0.01	0.01
257	क्लेफट लिप एवं क्लेफट पैलेट	0.01	0.01	0.00	0.01
258	छोटी आंत की अनुपस्थिति, अटरेसिया एवं स्टोनोसिस	0.00	0.02	0.01	0.02
259	पाचन तंत्र की अन्य जन्मजात विकृतियां	0.02	0.03	0.05	0.09
260	अनैडिसेंडेड टेस्टिकल	0.04	0.07	0.01	0.02
261	जेनिटो-यूरीनरी सिस्टम के अन्य जन्मजात रोग	0.06	0.09	0.02	0.03
262	कूल्हे की जन्मजात विकृति	0.03	0.04	0.00	0.01
263	पैरों की जन्मजात विकृति	0.03	0.04	0.01	0.03
264	मसकुलसकेलेटल सिस्टम की अन्य जन्मजात कुरुपता एवं विकृति	0.00	0.03	0.01	0.01
265	अन्य जन्मजात कुरुपता	0.20	0.24	0.01	0.25
266	गुणसूत्र असामान्यता, अन्यत्र वर्गीकृत न हो	0.15	0.22	0.13	1.47



Cause Group No.	Disease	Insured Persons		Families	
		2018-19	2019-20	2018-19	2019-20
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
232	Female infertility	0.46	0.55	0.59	0.88
233	Other disorders of genito-urinary tract	0.85	0.67	0.90	0.52
234	Spontaneous abortion	0.20	0.30	0.17	0.18
235	Medical abortion	0.05	0.09	0.05	0.11
236	Other pregnancies with abortive outcome	0.09	0.13	0.12	0.15
#237	Oedema, proteinuria and hypertensive disorders in pregnancy, childbirth and the puerperium	0.26	0.33	0.24	0.24
238	Placenta praevia, premature separation of placenta and antepartum haemorrhage	0.02	0.04	0.03	0.02
239	Other maternal care related to foetus and amniotic cavity and possible delivery problems	0.01	0.03	0.02	0.03
240	Obstructed labour	0.00	0.08	0.02	0.03
241	Postpartum haemorrhage	0.32	0.37	0.13	0.31
242	Other complications of pregnancy and delivery	0.35	0.35	0.19	0.39
243	Single spontaneous delivery	0.13	0.06	0.05	0.77
244	Complications predominantly related to the puerperium and other obstetric conditions, not elsewhere classified	0.02	0.05	0.00	0.01
245	Foetus and newborn affected by maternal factors and by complications of pregnancy, labour and delivery	0.00	0.01	0.00	0.10
246	Slow foetal growth, foetal malnutrition and disorders related to short gestation and low birth weight	0.09	0.13	0.10	0.03
247	Birth trauma	0.00	0.01	0.01	0.01
248	Intrauterine hypoxia and birth asphyxia	0.00	0.01	0.01	0.02
249	Other respiratory disorders originating in the perinatal period	0.00	0.04	0.02	0.03
250	Congenital infectious and parasitic diseases	0.02	0.05	0.01	0.01
251	Other infections specific to the perinatal period	0.00	0.03	0.01	0.01
252	Haemolytic disease of foetus and newborn	0.08	0.15	0.06	0.12
253	Other conditions originating in the perinatal period	0.00	0.02	0.01	0.02
254	Spina bifida	0.00	0.03	0.00	0.00
255	Other congenital malformations of the nervous system	0.00	0.01	0.01	0.01
256	Congenital malformations of the circulatory system	0.00	0.05	0.01	0.01
257	Cleft lip and cleft palate	0.01	0.01	0.00	0.01
258	Absence, atresia and stenosis of small intestine	0.00	0.02	0.01	0.02
259	Other congenital malformations of the digestive system	0.02	0.03	0.05	0.09
260	Undescended testicle	0.04	0.07	0.01	0.02
261	Other malformations of the genito-urinary system	0.06	0.09	0.02	0.03
262	Congenital deformities of hip	0.03	0.04	0.00	0.01
263	Congenital deformities of feet	0.03	0.04	0.01	0.03
264	Other congenital malformations and deformations of the musculoskeletal system	0.00	0.03	0.01	0.01
265	Other congenital malformations	0.20	0.24	0.01	0.25
266	Chromosomal abnormalities, not elsewhere classified	0.15	0.22	0.13	1.47



कारण समूह सं.	बीमारी	बीमाकृत व्यक्ति		परिवार	
		2018-19	2019-20	2018-19	2019-20
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
267	उदर एवं श्रोणि का दर्द	5.67	5.44	6.13	6.51
268	अज्ञात कारणों से बुखार	14.32	13.60	16.20	12.66
269	सेनिलिटी	0.57	0.66	0.55	0.39
270	अन्य लक्षण, चिह्न एवं एबनॉरमल क्लिनिकल एवं प्रयोगशालाओं के निष्कर्ष अन्यत्र वर्गीकृत न हो।	1.42	1.46	1.31	1.36
271	सिर एवं मुंह के हड्डियों की टूट-फूट	0.29	0.20	0.19	0.10
272	गला, थोरैक्स या पेलविस की टूट-फूट	0.07	0.14	0.03	0.07
273	जांघ की अस्थि का भंग होना	0.21	0.27	0.07	0.51
274	अन्य जोड़ वाली अस्थियों का भंग होना	1.03	1.20	0.73	0.57
275	मल्टी बॉडी रिजन वाली टूट-फूट	0.37	0.44	0.29	1.09
276	निर्धारित एवं मल्टी बॉडी रिजन के डिस्लोकेशन, स्प्रैन्स एवं स्ट्रेन	2.68	2.63	2.62	1.69
277	आंख एवं आंख के घेरे में चोट	0.73	0.74	0.38	0.84
278	इंट्राक्रैनियल चोट	0.18	0.24	0.14	0.09
279	अन्य आंतरिक अंगों की चोट	0.13	0.17	0.04	0.61
280	निर्दिष्ट एवं मल्टी बॉडी रिजन के घातक चोट एवं ट्रामैटिक एम्पुटेशन	1.24	1.63	1.05	0.95
281	निर्दिष्ट, अविनिर्दिष्ट एवं मल्टी बॉडी रिजन के अन्य चोट	3.83	3.86	2.92	2.72
282	नेचुरल ओरीफिस के माध्यम से घुसे फारेन बॉडी के परिणाम	0.13	0.13	0.10	0.32
283	बर्न एवं कोरोजन	1.11	1.19	1.07	0.94
284	दवाओं से जहर एवं जैविक तत्व	0.02	0.06	0.05	0.02
285	तत्वों का विषैला प्रभाव मुख्यतः स्रोत से गैर औषधीय	0.09	0.27	0.02	0.07
286	दुर्व्यवहार लक्षण	0.09	0.18	0.13	0.10
287	बाहरी कारणों से अन्य एवं अविनिर्दिष्ट कार्य	0.25	0.33	0.16	0.37
288	ड्रामा से जुड़ी कुछ जटिलताएं तथा सर्जिकल एवं चिकित्सा देखरेख जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं है।	0.10	0.11	0.10	0.14
289	बाहरी कारणों से अन्य व्युत्क्रिम तथा जहर के दुष्प्रभाव के परिणाम	0.13	0.09	0.04	0.09
290	परीक्षण एवं जांच के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का सामना कर रहे व्यक्ति	0.34	0.48	0.38	0.33
291	एम्टोमैटिक ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस (एचआईवी) संक्रमण स्थिति	0.03	0.04	0.02	0.01
292	संक्रमणीय रोगों से संभावित स्वास्थ्य जनक खतरों वाले अन्य व्यक्ति	0.17	0.11	0.01	0.14
293	गर्भनिरोधक प्रबंधन	0.35	0.38	0.36	0.42
294	जन्मपूर्व जांच एवं गर्भावास्था की अन्य निगरानी	0.96	1.07	0.94	0.78
295	जन्म-स्थान के अनुरूप जीवित नवजात शिशु	0.06	0.08	0.69	0.38
296	पोस्टपॉर्टम केयर एवं परीक्षण	0.49	0.60	0.42	0.34
297	विशेष प्रक्रियाओं एवं स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का सामना करने वाले व्यक्ति	0.38	0.34	0.14	0.42
298	अन्य कारणों से स्वास्थ्य सेवाओं का सामना करने वाले व्यक्ति	3.47	5.33	0.35	0.74
	कुल (नये मामलों की संख्या)	598.49	606.01	573.79	616.20

प्रति 1000 बीमाकृत महिला कर्मचारी



Cause Group No.	Disease	Insured Persons		Families	
		2018-19	2019-20	2018-19	2019-20
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
267	Abdominal and pelvic pain	5.67	5.44	6.13	6.51
268	Fever of unknown origins	14.32	13.60	16.20	12.66
269	Senility	0.57	0.66	0.55	0.39
270	Other symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere classified	1.42	1.46	1.31	1.36
271	Fracture of skull and facial bones	0.29	0.20	0.19	0.10
272	Fracture of neck, thorax or pelvis	0.07	0.14	0.03	0.07
273	Fracture of femur	0.21	0.27	0.07	0.51
274	Fractures of other limb bones	1.03	1.20	0.73	0.57
275	Fractures involving multiple body regions	0.37	0.44	0.29	1.09
276	Dislocations, sprains and strains of specified and multiple body regions	2.68	2.63	2.62	1.69
277	Injury of eye and orbit	0.73	0.74	0.38	0.84
278	Intracranial injury	0.18	0.24	0.14	0.09
279	Injury of other internal organs	0.13	0.17	0.04	0.61
280	Crushing injuries and traumatic amputations of specified and multiple body regions	1.24	1.63	1.05	0.95
281	Other injuries of specified, unspecified and multiple body regions	3.83	3.86	2.92	2.72
282	Effects of foreign body entering through natural orifice	0.13	0.13	0.10	0.32
283	Burns and corrosions	1.11	1.19	1.07	0.94
284	Poisoning by drugs and biological substances	0.02	0.06	0.05	0.02
285	Toxic effects of substances chiefly nonmedicinal as to source	0.09	0.27	0.02	0.07
286	Maltreatment syndromes	0.09	0.18	0.13	0.10
287	Other and unspecified effects of external causes	0.25	0.33	0.16	0.37
288	Certain early complications of trauma and complications of surgical and medical care, not elsewhere classified	0.10	0.11	0.10	0.14
289	Sequelae of injuries, of poisoning and of other consequences of external causes	0.13	0.09	0.04	0.09
290	Persons encountering health services for examination and investigation	0.34	0.48	0.38	0.33
291	Asymptomatic human immunodeficiency virus [HIV] infection status	0.03	0.04	0.02	0.01
292	Other persons with potential health hazards related to communicable disease	0.17	0.11	0.01	0.14
293	Contraceptive management	0.35	0.38	0.36	0.42
294	Antenatal screening and other supervision of pregnancy	0.96	1.07	0.94	0.78
295	Liveborn infants according to place of birth	0.06	0.08	0.69	0.38
296	Postpartum care and examination	0.49	0.60	0.42	0.34
297	Persons encountering health services for specific procedures and health care	0.38	0.34	0.14	0.42
298	Persons encountering health services for other reasons	3.47	5.33	0.35	0.74
	Total (Number of new cases)	598.49	606.01	573.79	616.20

per 1000 insured women employees exposed



परिशिष्ट-III-ड

वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 अवधि के प्रतिरक्षण के लिए परिवार कल्याण का वार्षिक तुलनात्मक विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	वर्ष	नसबन्दी	नलीबन्दी	वास्तविक बंध्यकरण	अन्तः गर्भ उपाय	गर्भ का चिकित्सीय समापन	निरोध	गर्भ निरोधक गोлияयां	बंध्यकरण समकक्ष	कुल बंध्य-करण
1	आंध्र प्रदेश	2017-18	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	0	0
		2018-19	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	0	0
		2019-20	243	4800	3670	44	12	9016	3076	13	3873
2	असम	2017-18	0	0	0	0	0	1292	0	0	0
		2018-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019-20	0	0	0	0	0	NR	0	0	0
3	बिहार	2017-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	चंडीगढ़ (सं. रा. क्षे.)	2017-18	0	5	5	10	14	15000	15	14	19
		2018-19	0	3	3	5	25	9100	48	8	11
		2019-20	0	108	0	278	48	3692	550	68	82
5	छत्तीसगढ़	2017-18	0	26	26	22	20	2440	296	9	35
		2018-19	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
		2019-20	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
6	दिल्ली (सं. रा. क्षे.)	2017-18	12	31	43	120	63	211310	2019	223	266
		2018-19	11	34	45	127	67	211423	2203	224	269
		2019-20	1	353	164	823	149	11397	387	NA	304
7	गोवा	2017-18	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
		2018-19	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
		2019-20	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
8	गुजरात	2017-18	2	67	69	29	28	13434	5036	52	121
		2018-19	0	41	41	39	42	14106	4236	47	88
		2019-20	0	65	65	42	48	16261	6535	22886	22951
9	हरियाणा	2017-18	15	724	739	1757	33	183239	9101	872	1611
		2018-19	9	418	427	970	35	261269	10607	614	1041
		2019-20	51	2351	0	5826	234	844270	26232	0	2402
10	हिमाचल प्रदेश	2017-18	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
		2018-19	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
		2019-20	1	150	150	300	251	100676	4083	14	78
11	जम्मू एवं कश्मीर	2017-18	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
		2018-19	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
		2019-20	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
12	झारखंड	2017-18	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
		2018-19	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
		2019-20	0	4	4	11	0	1500	214	1725	1729
13	कर्नाटक	2017-18	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
		2018-19	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
		2019-20	Nil	1263	112	131	121	8305	754	185	282
14	केरल	2017-18	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
		2018-19	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
		2019-20	0	256	165	13	10	0	0	0	211
15	मध्य प्रदेश	2017-18	3	471	474	180	8	49333	3659	122	596
		2018-19	219	822	1041	31	4	27662	2591	53	1094
		2019-20	160	1201	0	0	0	40981	7786	0	0



APPENDIX-III-E

Annual Comparative Statement of family welfare for the year 2017-18, 2018-19 & 2019-20

Sl. No.	Name of the State/UT	Years	Vasectomy	Tubectomy	Actual Steriz.	I.U.D	M.T.P	Nirodh	Oral Pills	Equal Steriz	Total Steriz
1	Andhra Pradesh	2017-18	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	0	0
		2018-19	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	0	0
		2019-20	243	4800	3670	44	12	9016	3076	13	3873
2	Assam	2017-18	0	0	0	0	0	1292	0	0	0
		2018-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019-20	0	0	0	0	0	NR	0	0	0
3	Bihar	2017-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Chandigarh (UT)	2017-18	0	5	5	10	14	15000	15	14	19
		2018-19	0	3	3	5	25	9100	48	8	11
		2019-20	0	108	0	278	48	3692	550	68	82
5	Chhattisgarh	2017-18	0	26	26	22	20	2440	296	9	35
		2018-19	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
		2019-20	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
6	Delhi (UT)	2017-18	12	31	43	120	63	211310	2019	223	266
		2018-19	11	34	45	127	67	211423	2203	224	269
		2019-20	1	353	164	823	149	11397	387	NA	304
7	Goa	2017-18	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
		2018-19	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
		2019-20	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
8	Gujarat	2017-18	2	67	69	29	28	13434	5036	52	121
		2018-19	0	41	41	39	42	14106	4236	47	88
		2019-20	0	65	65	42	48	16261	6535	22886	22951
9	Haryana	2017-18	15	724	739	1757	33	183239	9101	872	1611
		2018-19	9	418	427	970	35	261269	10607	614	1041
		2019-20	51	2351	0	5826	234	844270	26232	0	2402
10	Himachal Pradesh	2017-18	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
		2018-19	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
		2019-20	1	150	150	300	251	100676	4083	14	78
11	Jammu & Kashmir	2017-18	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
		2018-19	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
		2019-20	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
12	Jharkhand	2017-18	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
		2018-19	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
		2019-20	0	4	4	11	0	1500	214	1725	1729
13	Karnataka	2017-18	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
		2018-19	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
		2019-20	Nil	1263	112	131	121	8305	754	185	282
14	Kerala	2017-18	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
		2018-19	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
		2019-20	0	256	165	13	10	0	0	0	211
15	Madhya Pradesh	2017-18	3	471	474	180	8	49333	3659	122	596
		2018-19	219	822	1041	31	4	27662	2591	53	1094
		2019-20	160	1201	0	0	0	40981	7786	0	0



क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	वर्ष	नसबन्दी	नलीबन्दी	वास्तविक बंध्यकरण	अन्तः गर्भ उपाय	गर्भ का विकिर्त्सीय समापन	निरोध	गर्भ निरोधक गोल्यां	बंध्यकरण समकक्ष	कुल बंध्य-करण
16	महाराष्ट्र	2017-18	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
		2018-19	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
		2019-20	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
17	मेघालय	2017-18	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
		2018-19	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
		2019-20	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
18	मिजोरम	2017-18	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
		2018-19	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
		2019-20	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
19	नागालैंड	2017-18	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
		2018-19	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
		2019-20	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
20	ओडिशा	2017-18	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
		2018-19	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
		2019-20	5	35	0	67	88	9628	3402	0	0
21	पुदुच्चेरी (सं. रा. क्षे.)	2017-18	1	4	5	3	2	0	3	0	5
		2018-19	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
		2019-20	0	3	0	7	1	0	4	0	14
22	पंजाब	2017-18	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
		2018-19	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
		2019-20	24	536	509	2083	108	290552	9268	22	118298
23	राजस्थान	2017-18	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
		2018-19	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
		2019-20	2	112	114	39	10	41555	5221	0	114
24	सिक्किम	2017-18	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
		2018-19	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
		2019-20	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
25	तमिलनाडु	2017-18	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
		2018-19	0	328	328	23	55	770	144	4	332
		2019-20	3	254	146	206	59	3905	615	280	329
26	तेलंगाना	2017-18	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
		2018-19	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
		2019-20	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
27	त्रिपुरा	2017-18	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
		2018-19	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
		2019-20	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
28	उत्तर प्रदेश	2017-18	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
		2018-19	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
		2019-20	25	442	0	1259	500	56073	16958	0	0
29	उत्तराखंड	2017-18	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
		2018-19	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
		2019-20	0	5	5	0	13	0	0	5	5
30	पश्चिम बंगाल	2017-18	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
		2018-19	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
		2019-20	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
कुल		2017-18	32	1319	1351	2108	152	459796	20111	1278	2629
		2018-19	239	1646	1885	1195	228	524330	19829	950	2835
		2019-20	515	11938	5104	11129	1652	1437811	85085	25198	150672



Sl. No.	Name of the State/UT	Years	Vasectomy	Tubectomy	Actual Steriz.	I.U.D	M.T.P	Nirodh	Oral Pills	Equal Steriz	Total Steriz
16	Maharashtra	2017-18	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
		2018-19	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
		2019-20	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
17	Meghalaya	2017-18	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
		2018-19	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
		2019-20	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
18	Mizoram	2017-18	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
		2018-19	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
		2019-20	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
19	Nagaland	2017-18	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
		2018-19	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
		2019-20	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
20	Odisha	2017-18	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
		2018-19	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
		2019-20	5	35	0	67	88	9628	3402	0	0
21	Puducherry (UT)	2017-18	1	4	5	3	2	0	3	0	5
		2018-19	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
		2019-20	0	3	0	7	1	0	4	0	14
22	Punjab	2017-18	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
		2018-19	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
		2019-20	24	536	509	2083	108	290552	9268	22	118298
23	Rajasthan	2017-18	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
		2018-19	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
		2019-20	2	112	114	39	10	41555	5221	0	114
24	Sikkim	2017-18	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
		2018-19	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
		2019-20	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
25	Tamil Nadu	2017-18	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
		2018-19	0	328	328	23	55	770	144	4	332
		2019-20	3	254	146	206	59	3905	615	280	329
26	Telangana	2017-18	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
		2018-19	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
		2019-20	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
27	Tripura	2017-18	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
		2018-19	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
		2019-20	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
28	Uttar Pradesh	2017-18	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
		2018-19	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
		2019-20	25	442	0	1259	500	56073	16958	0	0
29	Uttarakhand	2017-18	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
		2018-19	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
		2019-20	0	5	5	0	13	0	0	5	5
30	West Bengal	2017-18	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
		2018-19	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
		2019-20	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
Total		2017-18	32	1319	1351	2108	152	459796	20111	1278	2629
		2018-19	239	1646	1885	1195	228	524330	19829	950	2835
		2019-20	515	11938	5104	11129	1652	1437811	85085	25198	150672



परिशिष्ट-III-च

वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 अवधि के प्रतिरक्षण के लिए वार्षिक तुलनात्मक विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	वर्ष	बी.सी.जी.	खसरा	डी.पी.टी.	पोलियो	कुल
1	आंध्र प्रदेश	2017-18	NR	NR	NR	NR	NR
		2018-19	NR	NR	NR	NR	NR
		2019-20	1339	1528	3864	4556	11287
2	असम	2017-18	30	1	14	34	79
		2018-19	NR	NR	NR	NR	NR
		2019-20	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
3	बिहार	2017-18	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
		2018-19	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
		2019-20	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
4	चंडीगढ़ (सं. रा. क्षे.)	2017-18	NR	NR	NR	NR	NR
		2018-19	NR	NR	NR	NR	NR
		2019-20	610	335	306	1070	2321
5	छत्तीसगढ़	2017-18	0	71	0	0	71
		2018-19	NR	NR	NR	NR	NR
		2019-20	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
6	दिल्ली (सं. रा. क्षे.)	2017-18	2351	2198	4512	6581	15642
		2018-19	2369	2209	4523	6791	15892
		2019-20	4547	710	2718	7709	15684
7	गोवा	2017-18	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
		2018-19	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
		2019-20	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
8	गुजरात	2017-18	77	150	263	678	1168
		2018-19	55	115	274	910	1354
		2019-20	70	71	416	2421	2978
9	हरियाणा	2017-18	2206	4861	3588	7868	18523
		2018-19	2033	3138	3537	8566	17274
		2019-20	2526	9010	11286	18393	41215
10	हिमाचल प्रदेश	2017-18	NR	NR	NR	NR	NR
		2018-19	NR	NR	NR	NR	NR
		2019-20	889	2911	7390	1376	12566
11	जम्मू एवं कश्मीर	2017-18	NR	NR	NR	NR	NR
		2018-19	NR	NR	NR	NR	NR
		2019-20	NR	NR	NR	NR	NR
12	झारखंड	2017-18	NR	NR	NR	NR	NR
		2018-19	NR	NR	NR	NR	NR
		2019-20	96	174	153	758	1181
13	कर्नाटक	2017-18	NR	NR	NR	NR	NR
		2018-19	NR	NR	NR	NR	NR
		2019-20	5341	1300	3988	13847	24476
14	केरल	2017-18	NR	NR	NR	NR	NR
		2018-19	NR	NR	NR	NR	NR
		2019-20	1048	71	134	1272	2525
15	मध्य प्रदेश	2017-18	435	400	1382	1817	4034
		2018-19	83	91	205	311	690
		2019-20	353	358	530	546	1787



APPENDIX-III-F

Annual Comparative Statement of immunization for the year 2017-18, 2018-19 & 2019-20

S.No.	Name of State	Years	B.C.G.	Measels	D.P.T	POLIO	Total
1	Andhra Pradesh	2017-18	NR	NR	NR	NR	NR
		2018-19	NR	NR	NR	NR	NR
		2019-20	1339	1528	3864	4556	11287
2	Assam	2017-18	30	1	14	34	79
		2018-19	NR	NR	NR	NR	NR
		2019-20	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
3	Bihar	2017-18	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
		2018-19	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
		2019-20	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
4	Chandigarh (UT)	2017-18	NR	NR	NR	NR	NR
		2018-19	NR	NR	NR	NR	NR
		2019-20	610	335	306	1070	2321
5	Chhattisgarh	2017-18	0	71	0	0	71
		2018-19	NR	NR	NR	NR	NR
		2019-20	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
6	Delhi (UT)	2017-18	2351	2198	4512	6581	15642
		2018-19	2369	2209	4523	6791	15892
		2019-20	4547	710	2718	7709	15684
7	Goa	2017-18	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
		2018-19	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
		2019-20	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
8	Gujarat	2017-18	77	150	263	678	1168
		2018-19	55	115	274	910	1354
		2019-20	70	71	416	2421	2978
9	Haryana	2017-18	2206	4861	3588	7868	18523
		2018-19	2033	3138	3537	8566	17274
		2019-20	2526	9010	11286	18393	41215
10	Himachal Pradesh	2017-18	NR	NR	NR	NR	NR
		2018-19	NR	NR	NR	NR	NR
		2019-20	889	2911	7390	1376	12566
11	Jammu & Kashmir	2017-18	NR	NR	NR	NR	NR
		2018-19	NR	NR	NR	NR	NR
		2019-20	NR	NR	NR	NR	NR
12	Jharkhand	2017-18	NR	NR	NR	NR	NR
		2018-19	NR	NR	NR	NR	NR
		2019-20	96	174	153	758	1181
13	Karnataka	2017-18	NR	NR	NR	NR	NR
		2018-19	NR	NR	NR	NR	NR
		2019-20	5341	1300	3988	13847	24476
14	Kerala	2017-18	NR	NR	NR	NR	NR
		2018-19	NR	NR	NR	NR	NR
		2019-20	1048	71	134	1272	2525
15	Madhya Pradesh	2017-18	435	400	1382	1817	4034
		2018-19	83	91	205	311	690
		2019-20	353	358	530	546	1787



क्र.सं.	राज्य का नाम	वर्ष	बी.सी.जी.	खसरा	डी.पी.टी.	पोलियो	कुल
16	महाराष्ट्र	2017-18	NR	NR	NR	NR	NR
		2018-19	NR	NR	NR	NR	NR
		2019-20	NR	NR	NR	NR	NR
17	मेघालय	2017-18	NR	NR	NR	NR	NR
		2018-19	NR	NR	NR	NR	NR
		2019-20	NR	NR	NR	NR	NR
18	मिजोरम	2017-18	NR	NR	NR	NR	NR
		2018-19	NR	NR	NR	NR	NR
		2019-20	NR	NR	NR	NR	NR
19	नागालैंड	2017-18	NR	NR	NR	NR	NR
		2018-19	NR	NR	NR	NR	NR
		2019-20	NR	NR	NR	NR	NR
20	ओडिशा	2017-18	NR	NR	NR	NR	NR
		2018-19	NR	NR	NR	NR	NR
		2019-20	NR	NR	NR	NR	NR
21	पुदुच्चेरी (सं. रा. क्षे.)	2017-18	NR	NR	NR	NR	NR
		2018-19	NR	NR	NR	NR	NR
		2019-20	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
22	पंजाब	2017-18	0	15	10	30	55
		2018-19	0	0	17	10	27
		2019-20	5355	12732	11865	23878	53830
23	राजस्थान	2017-18	NR	NR	NR	NR	NR
		2018-19	NR	NR	NR	NR	NR
		2019-20	142	402	721	1031	2296
24	सिक्किम	2017-18	NR	NR	NR	NR	NR
		2018-19	NR	NR	NR	NR	NR
		2019-20	NR	NR	NR	NR	NR
25	तमिलनाडु	2017-18	798	0	151	2577	3526
		2018-19	985	303	197	3252	4737
		2019-20	240	0	61	839	1140
26	तेलंगाना	2017-18	NR	NR	NR	NR	NR
		2018-19	NR	NR	NR	NR	NR
		2019-20	NR	NR	NR	NR	NR
27	त्रिपुरा	2017-18	NR	NR	NR	NR	NR
		2018-19	NR	NR	NR	NR	NR
		2019-20	NR	NR	NR	NR	NR
28	उत्तर प्रदेश	2017-18	NR	NR	NR	NR	NR
		2018-19	NR	NR	NR	NR	NR
		2019-20	1195	1665	5311	6728	14899
29	उत्तराखंड	2017-18	NR	NR	NR	NR	NR
		2018-19	NR	NR	NR	NR	NR
		2019-20	NR	NR	NR	NR	NR
30	पश्चिम बंगाल	2017-18	NR	NR	NR	NR	NR
		2018-19	NR	NR	NR	NR	NR
		2019-20	NR	NR	NR	NR	NR
कुल		2017-18	5897	7696	9920	19585	43098
		2018-19	5525	5856	8753	19840	39974
		2019-20	23751	31267	48743	84424	188185



S.No.	Name of State	Years	B.C.G.	Measels	D.P.T	POLIO	Total
16	Maharashtra	2017-18	NR	NR	NR	NR	NR
		2018-19	NR	NR	NR	NR	NR
		2019-20	NR	NR	NR	NR	NR
17	Meghalaya	2017-18	NR	NR	NR	NR	NR
		2018-19	NR	NR	NR	NR	NR
		2019-20	NR	NR	NR	NR	NR
18	Mizoram	2017-18	NR	NR	NR	NR	NR
		2018-19	NR	NR	NR	NR	NR
		2019-20	NR	NR	NR	NR	NR
19	Nagaland	2017-18	NR	NR	NR	NR	NR
		2018-19	NR	NR	NR	NR	NR
		2019-20	NR	NR	NR	NR	NR
20	Odisha	2017-18	NR	NR	NR	NR	NR
		2018-19	NR	NR	NR	NR	NR
		2019-20	NR	NR	NR	NR	NR
21	Puducherry (UT)	2017-18	NR	NR	NR	NR	NR
		2018-19	NR	NR	NR	NR	NR
		2019-20	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
22	Punjab	2017-18	0	15	10	30	55
		2018-19	0	0	17	10	27
		2019-20	5355	12732	11865	23878	53830
23	Rajasthan	2017-18	NR	NR	NR	NR	NR
		2018-19	NR	NR	NR	NR	NR
		2019-20	142	402	721	1031	2296
24	Sikkim	2017-18	NR	NR	NR	NR	NR
		2018-19	NR	NR	NR	NR	NR
		2019-20	NR	NR	NR	NR	NR
25	Tamil Nadu	2017-18	798	0	151	2577	3526
		2018-19	985	303	197	3252	4737
		2019-20	240	0	61	839	1140
26	Telangana	2017-18	NR	NR	NR	NR	NR
		2018-19	NR	NR	NR	NR	NR
		2019-20	NR	NR	NR	NR	NR
27	Tripura	2017-18	NR	NR	NR	NR	NR
		2018-19	NR	NR	NR	NR	NR
		2019-20	NR	NR	NR	NR	NR
28	Uttar Pradesh	2017-18	NR	NR	NR	NR	NR
		2018-19	NR	NR	NR	NR	NR
		2019-20	1195	1665	5311	6728	14899
29	Uttarakhand	2017-18	NR	NR	NR	NR	NR
		2018-19	NR	NR	NR	NR	NR
		2019-20	NR	NR	NR	NR	NR
30	West Bengal	2017-18	NR	NR	NR	NR	NR
		2018-19	NR	NR	NR	NR	NR
		2019-20	NR	NR	NR	NR	NR
Total		2017-18	5897	7696	9920	19585	43098
		2018-19	5525	5856	8753	19840	39974
		2019-20	23751	31267	48743	84424	188185



परिशिष्ट-III-छ

31.03.2020 की स्थिति के अनुसार क.रा.बी.नि./क.रा.बी. अस्पतालों/औषधालयों में उपलब्ध कराई जा रही आयुष (आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्धा एवं होम्योपैथी) सुविधाओं का राज्यवार विवरण

क) क.रा.बी. निगम अस्पतालों में आयुर्वेदिक इकाइयां

क्र.सं.	राज्य	आयुर्वेदिक इकाइयों का स्थान	आयुर्वेदिक इकाइयों की संख्या
1	असम, बेलतोला,	बेलतोला, गुवाहाटी	01
2	बिहार	फुलवारी शरीफ, पटना	01
3	दिल्ली	बसईदारापुर	01
4	दिल्ली	झिलमिल	01
5	दिल्ली	ओखला	01
6	दिल्ली	नरेला	01
7	दिल्ली	रोहिणी	01
8	गुजरात	अंकलेश्वर	01
9	गुजरात	बापू नगर, अहमदाबाद	01
10	गुजरात	नरोदा	01
11	गुजरात	वापी	01
12	हरियाणा	फरीदाबाद	01
13	हरियाणा	गुरुग्राम	01
14	हरियाणा	मानेसर	01
15	हिमाचल प्रदेश	बद्दी	01
16	जम्मू और कश्मीर	बरी ब्रहमणा	01
17	झारखंड	आदित्यपुर	01
18	झारखंड	नामकुम, रांची	01
19	कर्नाटक	राजाजीनगर, बेंगलुरु	01
20	कर्नाटक	पीनिया, बेंगलुरु	01
21	केरल	आश्रमम कोल्लम	01
22	केरल	एञ्जुकोण	01
23	केरल	उद्योगमंडल	01
24	मध्य प्रदेश	नंदानगर, इंदौर	01
25	महाराष्ट्र	अंधेरी, मुम्बई	01
26	ओडिशा	राउरकेला	01
27	पंजाब	चंडीगढ़	01
28	पंजाब	भारत नगर, लुधियाना	01
29	राजस्थान	भिवाड़ी	01
30	राजस्थान	जयपुर	01
31	तमिलनाडु	के.के. नगर, चेन्नई	01
32	तमिलनाडु	तिरुनेलवेली	01
33	तेलंगाना	सनतनगर, हैदराबाद	01
34	उत्तर प्रदेश	बरेली	01
35	उत्तर प्रदेश	नोएडा	01
36	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	01
37	उत्तर प्रदेश	सहिबाबाद	01
38	पश्चिम बंगाल	जोका	01
	कुल इकाइयां		38



APPENDIX-III-G

State-wise details of facilities provided in Ayush (Ayurvedic, Yoga, Unani, Siddha & Homeopathy) in ESC/ESIS Hospitals/Dispensaries as on 31.03.2020

A. AYURVEDIC in Units ESIC Hospitals

Sr. No.	State	Location of Ayurvedic Units	No. of Ayurvedic Units
1	Assam, Beltola	Beltola, Guwahati	01
2	Bihar	Phulwarishariff, Patna	01
3	Delhi	Basaidarapur	01
4	Delhi	Jhilmil	01
5	Delhi	Okhla	01
6	Delhi	Narela	01
7	Delhi	Rohini	01
8	Gujarat	Ankleshwar	01
9	Gujarat	Bapu Nagar, Ahmedabad	01
10	Gujarat	Naroda	01
11	Gujarat	Vapi	01
12	Haryana	Faridabad	01
13	Haryana	Gurgaon	01
14	Haryana,	Manesar	01
15	Himachal Pradesh	Baddi	01
16	Jammu & Kashmir	Bari Brahmana	01
17	Jharkhand	Adityapur	01
18	Jharkhand	Namkum, Ranchi	01
19	Karnataka	Rajainagar, Bangalore	01
20	Karnataka	Peenya Bangalore	01
21	Kerala	Ashramam Kollam	01
22	Kerala	Ezhukone	01
23	Kerala	Udyogmandal	01
24	Madhya Pradesh	Nanda Nagar, Indore	01
25	Maharashtra	Andheri, Mumbai,	01
26	Orissa	Rourkela,	01
27	Punjab	Chandigarh	01
28	Punjab	Bharat Nagar, Ludhiana	01
29	Rajasthan	Bhiwadi	01
30	Rajasthan	Jaipur	01
31	Tamil Nadu	K.K. Nagar, Chennai	01
32	Tamil Nadu	Triunelveli	01
33	Telangana	Sanathnagar, Hyderabad	01
34	Uttar Pradesh	Bareilly	01
35	Uttar Pradesh	Noida	01
36	Uttar Pradesh	Lucknow	01
37	Uttar Pradesh	Sahibabad	01
38	West Bengal	Joka	01
	Total Units		38



ख) क.रा.बी. निगम अस्पतालों में पंचकर्म थेरेपी इकाइयां

1. क.रा.बी. निगम अस्पताल रोहिणी, दिल्ली	5. क.रा.बी. निगम अस्पताल लखनऊ (उ.प्र.)
2. क.रा.बी. निगम अस्पताल चंडीगढ़	6. क.रा.बी. निगम अस्पताल के.के. नगर, चेन्नै
3. क.रा.बी. निगम अस्पताल फरीदाबाद, हरियाणा	7. क.रा.बी. निगम अस्पताल एडुकोण, केरल
4. क.रा.बी. निगम अस्पताल बापू नगर, अहमदाबाद	8. क.रा.बी. निगम अस्पताल राजाजीनगर, बेंगलुरु

ग) क.रा.बी. निगम अस्पतालों में क्षार सूत्र इकाइयां

1. क.रा.बी. निगम अस्पताल बेलतोला, गुवाहाटी	3. क.रा.बी. निगम अस्पताल बरी ब्रहमणा, जम्मू
2. क.रा.बी. निगम अस्पताल बापूनगर, अहमदाबाद	4. क.रा.बी. निगम अस्पताल लखनऊ

घ) आयुर्वेदिक इकाइयों के लिए क.रा.बी. निगम अस्पतालों में आबंटित बिस्तरों की संख्या

1. क.रा.बी. निगम अस्पताल बेलतोला, गुवाहाटी	-	02
2. क.रा.बी. निगम अस्पताल बापू नगर	-	25
3. क.रा.बी. निगम अस्पताल एडुकोण, केरल	-	10
4. क.रा.बी. निगम अस्पताल बरी ब्रहमणा, जम्मू एवं कश्मीर	-	02
5. क.रा.बी. निगम अस्पताल झिलमिल, दिल्ली	-	10
6. क.रा.बी. निगम अस्पताल नंदा नगर, इंदौर	-	02
7. क.रा.बी. निगम अस्पताल जयपुर	-	06
क.रा.बी. निगम अस्पताल में कुल बिस्तरों की संख्या	-	57

ङ) क.रा.बी. निगम औषधालयों में आयुर्वेदिक इकाइयां

क्र.सं.	राज्य	दिल्ली एनसीआर में क.रा.बी. निगम औषधालयों का स्थान	आयुर्वेदिक इकाइयों की संख्या
1	दिल्ली	आज़ादपुर	01
2	दिल्ली	द्वारका सैक्टर-7	01
3	दिल्ली	कालकाजी	01
4	दिल्ली	मंगोलपुरी	01
5	दिल्ली	मायापुरी- II	01
6	दिल्ली	मयूर विहार	01
7	दिल्ली	मोदी मील	01
8	दिल्ली	नजफगढ़	01
9	दिल्ली	नंद नगरी	01
10	दिल्ली	एनआईए- I	01
11	दिल्ली	पहाड़गंज	01
12	दिल्ली	रोहिणी सैक्टर-5	01
13	दिल्ली	सरोजनी नगर	01
14	दिल्ली	सीलमपुर	01
15	दिल्ली	शास्त्री नगर	01
16	दिल्ली	तिलक विहार	01
17	दिल्ली	वज़ीरपुर	01
18	उत्तर प्रदेश	नोएडा, सैक्टर-12	01
	कुल		18


B) Panchkarma Therapy Units in ESIC Hospitals:

1. ESIC Rohini – Delhi	5. ESIC Lucknow (U.P.)
2. ESIC Chandigarh	6. ESIC K.K. Nagar, Chennai
3. ESIC Faridabad, Haryana	7. ESIC Ezhukone- Kerala
4. ESIC Bapu Nagar, Ahmedabad	8. ESIC Rajaji Nagar, Bengalore

C) Kshar Sutra Units in ESIC Hospitals

1. ESIC Beltola, Guwahati	3. ESIC Bari Brahmna , Jammu
2. ESIC Bapunagar, Ahmedabad	4. ESIC Lucknow

D). No. of Beds allotted in ESIC Hospitals for Ayurveda units

1. ESIC Beltola, Guwahati	-	02
2. ESIC Bapu Nagar	-	25
3. ESIC Ezhukone Kerala	-	10
4. ESIC Bari Brahmna , J&K	-	02
5. ESIC Jhilmil Delhi	-	10
6. ESIC Nanda Nagar, Indore	-	02
7. ESIC Jaipur	-	06
Total Beds in ESIC Hospitals	-	57

E). Ayurvedic units in ESIC Dispensaries

Sl. No.	State	Location of the ESIC Dispensaries in Delhi NCR	No. of Ayurvedic Units
1	Delhi	Azad Pur	01
2	Delhi	Dwarka Sector -7	01
3	Delhi	Kalkaji	01
4	Delhi	Mangol Puri	01
5	Delhi	Maya Puri -II	01
6	Delhi	Mayur Vihar	01
7	Delhi	Modi Mill	01
8	Delhi	Najafgarh	01
9	Delhi	Nand Nagri	01
10	Delhi	NIA-I	01
11	Delhi	Pahar Ganj	01
12	Delhi	Rohini Sec.-5	01
13	Delhi	Sarojini Nagar	01
14	Delhi	Seelampur	01
15	Delhi	Shastri Nagar	01
16	Delhi	Tilak Vihar	01
17	Delhi	Wazirpur	01
18	Uttar Pradesh	Noida Sec. -12	01
	Total		18



च) क.रा.बी. निगम अस्पतालों में होमियोपैथिक इकाइयां

क्र.सं.	राज्य	होमियोपैथिक इकाइयों का स्थान	होमियोपैथिक इकाइयों की संख्या
1	असम, बेलतोला	बेलतोला, गुवाहाटी	01
2	दिल्ली	बसईदारापुर	01
3	दिल्ली	झिलमिल	01
4	दिल्ली	नरेला	01
5	दिल्ली	ओखला	01
6	दिल्ली	रोहिणी	01
7	गुजरात	अंकलेश्वर	01
8	गुजरात	बापू नगर, अहमदाबाद	01
9	गुजरात	नरोदा	01
10	गुजरात	वापी	01
11	हरियाणा	फरीदाबाद	01
12	हरियाणा	गुरुग्राम	01
13	हरियाणा	मानेसर	01
14	हिमाचल प्रदेश	बद्दी	01
15	जम्मू व कश्मीर	बरी ब्रहमणा, जम्मू	01
16	झारखंड	नामकुम, रांची	01
17	कर्नाटक	राजाजीनगर, बेंगलुरु	01
18	कर्नाटक	पीनिया, बेंगलुरु	01
19	केरल	आश्रमम, कोल्लम	01
20	केरल	एञ्जुकोण	01
21	केरल	उद्योगमंडल	01
22	मध्य प्रदेश	नंद नगर, इंदौर	01
23	महाराष्ट्र	अंधेरी, मुम्बई	01
24	पंजाब	चंडीगढ़	01
25	पंजाब	लुधियाना	01
26	राजस्थान	जयपुर	01
27	राजस्थान	भिवाड़ी	01
28	तमिलनाडु	के.के. नगर, चेन्नई	01
29	तमिलनाडु	तिरुनेलवेली	01
30	उत्तर प्रदेश	बरेली	01
31	उत्तर प्रदेश	नोएडा	01
32	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	01
33	उत्तर प्रदेश	साहिबाबाद	01
34	पश्चिम बंगाल	जोका	01
	कुल इकाइयां		34



F) Homeopathic Units in ESIC Hospitals

Sr. No.	State	Location of Homeopathic Units	No. of Homeopathic Units
1	Assam, Beltola	Beltola, Guwahati	01
2	Delhi	Basaidarapur	01
3	Delhi	Jhilmil	01
4	Delhi	Narela	01
5	Delhi	Okhla	01
6	Delhi	Rohini	01
7	Gujarat	Ankleshwar	01
8	Gujarat	Bapu Nagar, Ahmedabad	01
9	Gujarat	Naroda	01
10	Gujarat	Vapi	01
11	Haryana	Faridabad	01
12	Haryana	Gurgaon	01
13	Haryana	Manesar	01
14	Himachal Pradesh	Baddi	01
15	Jammu & Kashmir	Bari Brahmna, Jammu,	01
16	Jharkhand	Namkum ,Ranchi	01
17	Karnataka	Rajajinagar, Bangalore	01
18	Karnataka	Peenya, Bangalore	01
19	Kerala	Ashramam, Kollam	01
20	Kerala	Ezhukone	01
21	Kerala	Udyogmandal	01
22	Madhya Pradesh	Nanda Nagar, Indore	01
23	Maharashtra	Andheri, Mumbai,	01
24	Punjab	Chandigarh	01
25	Punjab	Ludhiana	01
26	Rajasthan	Jaipur	01
27	Rajasthan	Bhiwadi	01
28	Tamil Nadu	K.K. Nagar, Chennai	01
29	Tamil Nadu	Tirunelveli	01
30	Uttar Pradesh	Bareilly	01
31	Uttar Pradesh	Noida	01
32	Uttar Pradesh	Lucknow	01
33	Uttar Pradesh	Sahibabad	01
34	West Bengal	Joka	01
	Total Units		34

**छ) क.रा.बी. निगम औषधालयों में होमियोपैथिक इकाइयां**

क्र.सं	राज्य	दिल्ली एनसीआर में क.रा.बी. निगम औषधालयों का स्थान	होमियोपैथिक इकाइयों की संख्या
1	दिल्ली	इंद्रलोक	01
2	दिल्ली	जंगपुरा	01
3	दिल्ली	ज्वालापुरी	01
4	दिल्ली	मंगोलपुरी	01
5	दिल्ली	मायापुरी- I	01
6	दिल्ली	मोदी मिल	01
7	दिल्ली	मोरी गेट	01
8	दिल्ली	नंद नगरी	01
9	दिल्ली	एनआईए- I	01
10	दिल्ली	रघुबीर नगर	01
11	दिल्ली	रोहिणी सेक्टर-5	01
12	दिल्ली	सब्जी मंडी	01
13	दिल्ली	सरोजिनी नगर	01
14	दिल्ली	टिगरी	01
15	दिल्ली	विश्वकर्मा नगर	01
16	उत्तर प्रदेश	नोएडा सैक्टर-12	01
	कुल इकाइयां		16

ज) क.रा.बी. निगम अस्पतालों में योग सुविधा

क्र.सं.	राज्य	योग इकाइयों का स्थान	योग इकाइयों की संख्या
1	असम, बेलतोला	बेलतोला, गुवाहाटी	01
2	दिल्ली	बसईदारापुर	01
3	दिल्ली	झिलमिल	01
4	गुजरात	बापू नगर, अहमदाबाद	01
5	गुजरात	नरोदा	01
6	हरियाणा	फरीदाबाद	01
7	हरियाणा	मानेसर	01
8	झारखण्ड	रांची नामकुम	01
9	केरल	आश्रमम, कोल्लम	01
10	केरल	एञ्चुकोण	01
11	केरल	उद्योगमंडल	01
12	मध्य प्रदेश	नंदा नगर, इंदौर	01
13	ओडिशा	राउरकेला	01
14	राजस्थान	जयपुर	01
15	तमिलनाडु	के.के. नगर, चेन्नई	01
16	तमिलनाडु	तिरुनेलवेली	01
17	उत्तर प्रदेश	नोएडा, सैक्टर-24	01
18	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	01
19	पश्चिम बंगाल	जोका, कोलकाता	01
	कुल इकाइयां		19



G) Homeopathic units in ESIC Dispensaries

Sl. No.	State	Name of the ESIC Dispensaries in Delhi NCR	No. of Homeopathic Units
1	Delhi	Inderlok	01
2	Delhi	Jangpura	01
3	Delhi	Jwalapuri	01
4	Delhi	Mangol Puri	01
5	Delhi	Maya Puri - I	01
6	Delhi	Modi Mill	01
7	Delhi	Mori Gate	01
8	Delhi	Nand Nagri	01
9	Delhi	NIA-I	01
10	Delhi	Raghubir Nagar	01
11	Delhi	Rohini Sector-5	01
12	Delhi	Sabzi Mandi	01
13	Delhi	Sarojini Nagar	01
14	Delhi	Tigri	01
15	Delhi	Vishwakarma Nagar	01
16	Uttar Pradesh	Noida Sec.-12	01
	Total Units		16

H) Yoga facilities in ESIC Hospitals

Sr. No.	State	Location of Yoga Unit	No. of Yoga Units
1	Assam, Beltola	Beltola , Guwahati,	01
2	Delhi	Basaidarapur	01
3	Delhi	Jhilmil	01
4	Gujarat	Bapu Nagar, Ahmedabad	01
5	Gujarat,	Naroda	01
6	Haryana,	Faridabad	01
7	Haryana,	Manesar	01
8	Jharkhand	Ranchi, Namkum	01
9	Kerala	Ashramam Kollam	01
10	Kerala	Ezhukone	01
11	Kerala	Udyogmandal	01
12	Madhya Pradesh	Nanda Nagar, Indore	01
13	Orissa	Rourkela,	01
14	Rajasthan	Jaipur	01
15	Tamil Nadu	K.K. Nagar Chennai	01
16	Tamil Nadu	Triunelveli	01
17	Uttar Pradesh	Noida Sec.-24	01
18	Uttar Pradesh	Lucknow	01
19	West Bengal	Joka, Kolkata	01
	Total Units		19

**क.रा.बी. योजना अस्पतालों में आयुष इकाइयां**

क) क.रा.बी. योजना अस्पतालों में आयुर्वेदिक इकाइयां

क्र.सं.	राज्य	आयुर्वेदिक इकाइयों का स्थान	आयुर्वेदिक इकाइयों की संख्या
1	आन्ध्र प्रदेश	अदोनी	01
2	आन्ध्र प्रदेश	राजामुन्द्री	01
3	आन्ध्र प्रदेश	तिरुपति	01
4	आन्ध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम	01
5	आन्ध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	01
6	आन्ध्र प्रदेश	डीसी सुल्लुरपेटा	01
7	गोवा	मडगांव	01
8	गुजरात	जीएच, आरएच, अहमदाबाद	01
9	गुजरात	जीएच, कलोल	01
10	गुजरात	जीएच, राजकोट	01
11	गुजरात	जीएच, जामनगर	01
12	गुजरात	जीएच, भावनगर	01
13	गुजरात	जीएच, वड़ोदरा	01
14	गुजरात	जीएच, सूरत	01
15	हरियाणा	जगाधरी	01
16	हरियाणा	पानीपत	01
17	कर्नाटक	इन्द्रानगर, बेंगलुरु	01
18	केरल	मुलमकुन्नथुकु, त्रिश्शूर	01
19	महाराष्ट्र	चिंचवाड, पुणे	01
20	महाराष्ट्र	सतपुर, नासिक	01
21	महाराष्ट्र	सिकलथाना, औरंगाबाद	01
22	महाराष्ट्र	वर्ली, मुंबई	01
23	महाराष्ट्र	मुलुंड (पश्चिम), मुंबई	01
24	ओडिशा	ईएसआइएसएच, चौदवार	01
25	पंजाब	अमृतसर	01
26	पंजाब	मोहाली	01
27	पंजाब	जालंधर	01
28	पंजाब	फगवाड़ा	01
29	पंजाब	मंडीगोबिन्दगढ़	01
30	पंजाब	होशियारपुर	01
31	तमिलनाडु	आयनावरम	01
32	तमिलनाडु	होसुर	01
33	तमिलनाडु	मदुरै	01
34	तमिलनाडु	सेलम	01
35	तमिलनाडु	शिवकासी	01
36	तमिलनाडु	त्रिची	01
37	तमिलनाडु	वेल्लौर	01
38	उत्तर प्रदेश	पाण्डुनगर, कानपुर	01



AYUSH UNITS IN ESIS HOSPITALS

A) AYURVEDIC Units in ESIS Hospitals

Sr. No.	State	Location of Ayurvedic Unit	No. of Ayurvedic Units
1	Andhra Pradesh	Adoni	01
2	Andhra Pradesh	Rajahmundry	01
3	Andhra Pradesh	Triupati	01
4	Andhra Pradesh	Visakhapatnam	01
5	Andhra Pradesh	Vijayawada	01
6	Andhra Pradesh	DC Sullurpeta	01
7	Goa	Margao	01
8	Gujarat	GH Rh, Ahmedabad	01
9	Gujarat,	Gh Kalol	01
10	Gujarat	Gh Rajkot	01
11	Gujarat,	Gh Jamnagar	01
12	Gujarat	Gh Bhavnagar	01
13	Gujarat,	Gh Vadodara	01
14	Gujarat	Gh Surat	01
15	Haryana	Jagadhari	01
16	Haryana	Panipat	01
17	Karnataka	Indranagar, Bangalore	01
18	Kerala	Mulamkunnathukavu, Thrissur	01
19	Maharashtra	Chinchwad, Pune	01
20	Maharashtra	Satpur , Nasik	01
21	Maharashtra	Cikalthana, Aurangabad	01
22	Maharashtra	Worli, Mumbai	01
23	Maharashtra	Mulund (West) Mumbai	01
24	Orissa	ESISH Choudwar	01
25	Punjab	Amritsar	01
26	Punjab	Mohali	01
27	Punjab	Jalandhar	01
28	Punjab	Phagwara	01
29	Punjab	Mandigobindgarh	01
30	Punjab	Hoshiarpur	01
31	Tamil Nadu	Ayanavaram	01
32	Tamil Nadu	Hosur	01
33	Tamil Nadu	Madurai	01
34	Tamil Nadu	Salem	01
35	Tamil Nadu	Sivakasi	01
36	Tamil Nadu	Trichy	01
37	Tamil Nadu	Vellore	01
38	Uttar Pradesh	Pandunagar, Kanpur	01



क्र.सं.	राज्य	आयुर्वेदिक इकाइयों का स्थान	आयुर्वेदिक इकाइयों की संख्या
39	उत्तर प्रदेश	किदवई नगर, कानपुर	01
40	उत्तर प्रदेश	सहारनपुर	01
41	उत्तर प्रदेश	नैनी, इलाहाबाद	01
42	उत्तर प्रदेश	आगरा	01
43	उत्तर प्रदेश	मोदी नगर, गाजियाबाद	01
44	पश्चिम बंगाल	बैंडेल	01
45	पश्चिम बंगाल	बज बज	01
46	पश्चिम बंगाल	कमरहाटी	01
47	पश्चिम बंगाल	सियालदाह	01
	कुल इकाइयाँ		47

ख) क.रा.बी. योजना अस्पतालों में पंचकर्म थेरेपी

1. सरकारी अस्पताल आरएच, अहमदाबाद
2. सरकारी अस्पताल, कलोल
3. सरकारी अस्पताल, राजकोट
4. सरकारी अस्पताल, जामनगर
5. सरकारी अस्पताल, भावनगर
6. सरकारी अस्पताल, वड़ोदरा
7. सरकारी अस्पताल, सूरत

ग) क.रा.बी. योजना अस्पतालों में आबंटित बिस्तरों की संख्या

क.रा.बी. योजना अस्पताल, मुलमकुन्नथुकुवु, त्रिशूर, केरल-20

घ) क.रा.बी. योजना औषधालयों में आयुर्वेदिक इकाइयाँ

क्र.सं.	राज्य	आयुर्वेदिक इकाइयों का स्थान	आयुर्वेदिक इकाइयों की संख्या
1	बिहार	हाथीदह	01
2	बिहार	जमाल रोड	01
3	गुजरात	अहमदाबाद डी-1	01
4	गुजरात	अहमदाबाद डी-2	01
5	गुजरात	अहमदाबाद डी-3/5/8	01
6	गुजरात	अहमदाबाद डी-6	01
7	गुजरात	अहमदाबाद डी-10	01
8	गुजरात	अहमदाबाद डी-12	01
9	गुजरात	अहमदाबाद डी-13/14	01
10	गुजरात	अहमदाबाद डी-15	01
11	गुजरात	अहमदाबाद डी-19	01
12	गुजरात	अहमदाबाद डी-20	01
13	गुजरात	अहमदाबाद डी-22	01
14	गुजरात	अहमदाबाद डी-23/24	01
15	गुजरात	अहमदाबाद डी-31	01
16	गुजरात	अहमदाबाद डी-32	01



Sr. No.	State	Location of Ayurvedic Unit	No. of Ayurvedic Units
39	Uttar Pradesh	Kidwai Nagar, Kanpur	01
40	Uttar Pradesh	Saharanpur	01
41	Uttar Pradesh	Nani, Allahabad	01
42	Uttar Pradesh	Agra	01
43	Uttar Pradesh	Modi Nagar, Ghaziabad	01
44	West Bengal	Bandel	01
45	West Bengal	Budge Budge	01
46	West Bengal	Kamarhati	01
47	West Bengal	Sealdah	01
	Total Units		47

B Panchkarma Therapy in ESIS Hospital

1. GH RH, Ahmedabad
2. GH Kalol
3. GH Rajkot
4. GH Jamnagar
5. GH Bhavnagar
6. GH Vadodara
7. GH Surat

C. No. of Beds allotted in ESIS Hospital

ESIS Hospital, Mulamkunnathukavu, Thrissur, Kerala – 20

D. Ayurvedic Unit in ESIS Dispensaries

Sr. No.	State	Location of Ayurvedic Unit	No. of Ayurvedic Units
1	Bihar	Hathidah	01
2	Bihar	Jamal Road	01
3	Gujarat	AHD D-1	01
4	Gujarat	AHD D-2	01
5	Gujarat	AHD D-3/5/8	01
6	Gujarat	AHD D-6	01
7	Gujarat	AHD D-10	01
8	Gujarat	AHD D-12	01
9	Gujarat	AHD D-13/14	01
10	Gujarat	AHD D--15	01
11	Gujarat	AHD D-19	01
12	Gujarat	AHD D-20	01
13	Gujarat	AHD D-22	01
14	Gujarat	AHD D--23/24	01
15	Gujarat	AHD D-31	01
16	Gujarat	AHD D-32	01



क्र.सं.	राज्य	आयुर्वेदिक इकाइयों का स्थान	आयुर्वेदिक इकाइयों की संख्या
17	गुजरात	अहमदाबाद डी-34	01
18	गुजरात	अहमदाबाद डी-35	01
19	गुजरात	अहमदाबाद डी-36	01
20	गुजरात	अहमदाबाद डी-37/40	01
21	गुजरात	अहमदाबाद डी-39/46	01
22	गुजरात	अहमदाबाद डी-42	01
23	गुजरात	अहमदाबाद डी-44	01
24	गुजरात	अहमदाबाद डी-45	01
25	गुजरात	अहमदाबाद डी-47	01
26	गुजरात	अहमदाबाद डी-49	01
27	गुजरात	नाडियाड डी-1/2	01
28	गुजरात	गांधीनगर डी-1	01
29	गुजरात	कादी डी-1	01
30	गुजरात	बड़ौदा डी-6/15	01
31	गुजरात	बड़ौदा डी-10/11	01
32	गुजरात	नवसारी डी-1	01
33	गुजरात	हलोल (पीएम) डी-1	01
34	गुजरात	भरुच डी-1	01
35	गुजरात	बड़ौदा डी-2	01
36	गुजरात	बड़ौदा डी-8/17	01
37	गुजरात	सूरत डी-1	01
38	गुजरात	सूरत डी-6/8/9	01
39	गुजरात	अंकलेश्वर डी-2	01
40	गुजरात	मोरबी डी-1/2	01
41	गुजरात	राजकोट डी-1	01
42	गुजरात	राजकोट डी-2	01
43	गुजरात	जूनागढ़ डी-1	01
44	हरियाणा	उद्योग विहार, गुरुग्राम	01
45	केरल	पट्टथानम, कोल्लम	01
46	केरल	कोट्टरकारा, कोल्लम	01
47	केरल	कोट्टायम	01
48	केरल	एलापुजहा	01
49	केरल	एरणाकुलम	01
50	केरल	पलक्कड़	01
51	केरल	पूनकुन्नम, त्रिश्शूर	01
52	केरल	ईरंजापालम, कोझिकोड	01
53	केरल	कन्नूर	01
54	केरल	करामना, तिरुवनंतपुरम	01
55	महाराष्ट्र	इचलकारंगी, कोलहापुर	01
56	महाराष्ट्र	सोमवारी पेट, नागपुर	01



Sr. No.	State	Location of Ayurvedic Unit	No. of Ayurvedic Units
17	Gujarat	AHD D-34	01
18	Gujarat	AHD D-35	01
19	Gujarat	AHD D-36	01
20	Gujarat	AHD D-37/40	01
21	Gujarat	AHD D-39/46	01
22	Gujarat	AHD D-42	01
23	Gujarat	AHD D-44	01
24	Gujarat	AHD D-45	01
25	Gujarat	AHD D-47	01
26	Gujarat	AHD D-49	01
27	Gujarat	NADIAD D-1/2	01
28	Gujarat	GANDHINAGAR D-1	01
29	Gujarat	KADI -D-1	01
30	Gujarat	BARODA D-6/15	01
31	Gujarat	BARODA D-10/11	01
32	Gujarat	NAVSARI D-1	01
33	Gujarat	HALOL (PM) D-1	01
34	Gujarat	BHARUCH D-1	01
35	Gujarat	BARODA D-2	01
36	Gujarat	BARODA D-8/17	01
37	Gujarat	SURAT D-1	01
38	Gujarat	SURAT D-6/8/9	01
39	Gujarat	Ankleshwar D-2	01
40	Gujarat	Morbi D-1/2	01
41	Gujarat	Rajkot D-1	01
42	Gujarat	Rajkot D-2	01
43	Gujarat	Junagarh D-1	01
44	Haryana	Udyog Vihar , Gurgaon	01
45	Kerala	Pattathanam, Kollam	01
46	Kerala	Kottarakkara, Kollam	01
47	Kerala	Kottayam	01
48	Kerala	Alappuzha	01
49	Kerala	Ernakulam	01
50	Kerala	Plakkad	01
51	Kerala	Poonkunnam Thrissur	01
52	Kerala	Eranjipalam, Kozhikode	01
53	Kerala	Kannur	01
54	Kerala	Karamana, Thiruvananthapuram	01
55	Maharashtra	Ichalkarangi, Kolahapur	01
56	Maharashtra	Somwari Peth , Nagpur	01



क्र.सं.	राज्य	आयुर्वेदिक इकाइयों का स्थान	आयुर्वेदिक इकाइयों की संख्या
57	महाराष्ट्र	बुटिबोरी, नागपुर	01
58	पंजाब	चंडीगढ़	01
59	उत्तर प्रदेश	कबाड़ी मार्केट, कानपुर	01
	कुल इकाइयां		59

ड) क.रा.बी. योजना अस्पताल में होमियोपैथिक इकाइयां

क्र.सं.	राज्य	होमियोपैथिक इकाइयों का स्थान	होमियोपैथिक इकाइयों की संख्या
1	आन्ध्र प्रदेश	अदोनी	01
2	आन्ध्र प्रदेश	राजामुन्द्री	01
3	आन्ध्र प्रदेश	तिरुपति	01
4	आन्ध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम	01
5	आन्ध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	01
6	आन्ध्र प्रदेश	डीसी सुल्लुरपेटा	01
7	गोवा	मडगांव	01
8	तमिलनाडु	अयानवरम	01
9	तमिलनाडु	मदुरै	01
10	उत्तर प्रदेश	पांडुनगर, कानपुर	01
11	उत्तर प्रदेश	सर्वोदय नगर, कानपुर	01
12	उत्तर प्रदेश	किदवई नगर, कानपुर	01
13	उत्तर प्रदेश	नैनी – इलाहाबाद	01
14	उत्तर प्रदेश	आगरा	01
15	उत्तर प्रदेश	मोदी नगर	01
16	उत्तर प्रदेश	सहारनपुर	01
17	पश्चिम बंगाल	बैंडेल	01
18	पश्चिम बंगाल	बज बज	01
19	पश्चिम बंगाल	गौरहाटी	01
20	पश्चिम बंगाल	कमारहाटी	01
21	पश्चिम बंगाल	सियालदाह	01
22	पश्चिम बंगाल	उलुबेरिया	01
	कुल इकाइयां		22

च) क.रा.बी. योजना औषधालयों में होमियोपैथिक इकाइयां

क्र.सं.	राज्य	होमियोपैथिक इकाइयों का स्थान	होमियोपैथिक इकाइयों की संख्या
1	बिहार	बंजारी	01
2	बिहार	कटिहार	01
3	केरल	कोट्टायम, कोल्लम	01
4	केरल	पथिरापल्ली, अलापुजहाफ	01
5	केरल	अलागाप्पानगर, त्रिश्शूर	01
6	केरल	पप्पीनिसेरी, कन्नूर	01



Sr. No.	State	Location of Ayurvedic Unit	No. of Ayurvedic Units
57	Maharashtra	Butibory, Nagpur	01
58	Punjab	Chandigarh	01
59	Uttar Pradesh	Kabari Market, Kanpur	01
	Total Units		59

E) Homeopathy units in ESIS Hospitals

Sr. No.	State	Location of Homeopathy Unit	No. of Homeopathic Units
1	Andhra Pradesh	Adoni	01
2	Andhra Pradesh	Rajahmundry	01
3	Andhra Pradesh	Triupati	01
4	Andhra Pradesh	Visakhapatnam	01
5	Andhra Pradesh	Vijayawada	01
6	Andhra Pradesh	DC Sullurpeta	01
7	Goa	Margao	01
8	Tamil Nadu	Ayanavaram	01
9	Tamil Nadu	Madurai	01
10	Uttar Pradesh	Pandunagar, Kanpur	01
11	Uttar Pradesh	Sarvodya Nagar, Kanpur	01
12	Uttar Pradesh	Kidwai Nagar, Kanpur	01
13	Uttar Pradesh	Nani - Allahabad	01
14	Uttar Pradesh	Agra	01
15	Uttar Pradesh	Modi Nagar	01
16	Uttar Pradesh	Saharanpur	01
17	West Bengal	Bandel	01
18	West Bengal	Budge Budge	01
19	West Bengal	Gaurhati	01
20	West Bengal	Kamarhati	01
21	West Bengal	Sealdah	01
22	West Bengal	Uluberia	01
	Total Units		22

F) Homeopathic Unit in ESIS Dispensaries

Sr. No.	State	Location of Homeopathic Units	No. of Homeopathic Units
1	Bihar	Banjari	01
2	Bihar	Kathihar	01
3	Kerala	Kottayam, Kollam	01
4	Kerala	Pathirappally Alappuzha	01
5	Kerala	Alagappanagar, Thrissur	01
6	Kerala	Pappinissery Kannur	01



क्र.सं.	राज्य	होमियोपैथिक इकाइयों का स्थान	होमियोपैथिक इकाइयों की संख्या
7	केरल	करामना, तिरुवनंतपुरम	01
8	केरल	मुलवाना, कोल्लम	01
9	केरल	कोडमपाण्डु, पथानमथिट्टा	01
10	केरल	वाडावथूर, कोट्टायम	01
11	केरल	वेल्लूर, कोट्टायम	01
12	केरल	कलमसेरी, एरणाकुलम	01
13	केरल	अलुवा, एरणाकुलम	01
14	केरल	चलापपुरम, कोझिकोड	01
15	केरल	एरणाकुलम	01
16	उत्तर प्रदेश	गोविन्द नगर, कानपुर	01
17	उत्तर प्रदेश	किरण कॉलोनी नगर, गाजियाबाद	01
	कुल इकाइयां		17

छ) क.रा.बी. योजना अस्पतालों में योग इकाइयां

क्र.सं.	राज्य	योग इकाइयों का नाम	योग इकाइयों की संख्या
1	गुजरात	सरकारी अस्पताल आरएच, अहमदाबाद	01
2	गुजरात	सरकारी अस्पताल, कलोल	01
3	गुजरात	सरकारी अस्पताल, राजकोट	01
4	गुजरात	सरकारी अस्पताल, जामनगर	01
5	गुजरात	सरकारी अस्पताल, भावनगर	01
6	गुजरात	सरकारी अस्पताल, वड़ोदरा	01
7	गुजरात	सरकारी अस्पताल, सूरत	01
8	तमिलनाडु	अयनावरम	01
9	तमिलनाडु	मदुरै	01
	कुल इकाइयां		09

ज) क.रा.बी. योजना अस्पतालों में यूनानी इकाइयां

क्र.सं.	राज्य	यूनानी इकाइयों का स्थान	यूनानी इकाइयों की संख्या
1	तमिलनाडु	अयनावरम	01
2	तमिलनाडु	मदुरै	01
	कुल इकाइयां		02

झ) क.रा.बी. योजना औषधालयों में यूनानी इकाई

क्र.सं.	राज्य	यूनानी इकाई का स्थान	यूनानी इकाई की संख्या
1	बिहार	समस्तीपुर	01
	कुल इकाइयां		01



Sr. No.	State	Location of Homeopathic Units	No. of Homeopathic Units
7	Kerala	Karamana, Thiruvananthapuram	01
8	Kerala	Mulavana, Kollam	01
9	Kerala	Kadampanadu, Pathanamthitta	01
10	Kerala	Vadavathoor, Kottayam	01
11	Kerala	Velloor, Kottayam	01
12	Kerala	Kalamassery, Ernakulam	01
13	Kerala	Aluva, Ernakulam	01
14	Kerala	Chalappuram, Kozhikode	01
15	Kerala	Ernakulam	01
16	Uttar Pradesh	Govind Nagar, Kanpur	01
17	Uttar Pradesh	Kiran colony nagar, Ghaziabad	01
	Total Units		17

G) Yoga units in ESIS Hospitals

Sr. No.	State	Name of Yoga Unit	No. of Yoga Units
1	Gujarat	Gh Rh, Ahmedabad	01
2	Gujarat	GH Kalol	01
3	Gujarat	GH Rajkot	01
4	Gujarat	GH Jamnagar	01
5	Gujarat	GH Bhavnagar	01
6	Gujarat	GH Vadodara	01
7	Gujarat	GH Surat	01
8	Tamil Nadu	Ayanavaram	01
9	Tamil Nadu	Madurai	01
	Total Units		09

H) Unani units in ESIS Hospitals

Sr. No.	State	Location of Unani Units	No. of Unani Units
1	Tamil Nadu	Ayanavaram	01
2	Tamil Nadu	Madurai	01
	Total Units		02

I) Unani units in ESIS Dispensaries

Sr. No.	State	Location of Unani Units	No. of Unani Units
1	Bihar	Samastipur	01
	Total Units		01

**उ) क.रा.बी. योजना अस्पतालों में सिद्ध इकाइयां**

क्र.सं.	राज्य	सिद्ध इकाइयों का स्थान	सिद्ध इकाइयों की संख्या
1	तमिलनाडु	अयनावरम	01
2	तमिलनाडु	होसुर	01
3	तमिलनाडु	मदुरै	01
4	तमिलनाडु	सेलम	01
5	तमिलनाडु	शिवाकासी	01
6	तमिलनाडु	त्रिची	01
7	तमिलनाडु	वेल्लूर	01
	कुल इकाइयां		07

त) क.रा.बी. योजना औषधालयों में सिद्ध इकाइयां

क्र.सं.	राज्य	सिद्ध इकाइयों का स्थान	सिद्ध इकाइयों की संख्या
1	तमिलनाडु	तांबरम, चेन्नई	01
2	तमिलनाडु	तिरुवोट्टियूर, चेन्नई	01
3	तमिलनाडु	ट्रिप्लीकेन, चेन्नई	01
4	तमिलनाडु	आवड़ी, चेन्नई	01
5	तमिलनाडु	कोरतुर, चेन्नई	01
6	तमिलनाडु	श्रीपेरुमपुथुर, चेन्नई	01
7	तमिलनाडु	राजापलायम, मदुरै	01
8	तमिलनाडु	कोविलपट्टी, मदुरै	01
9	तमिलनाडु	तूथुकुडी, मदुरै	01
10	तमिलनाडु	डिन्डीगुल, मदुरै	01
11	तमिलनाडु	तिरुनगर, मदुरै	01
12	तमिलनाडु	पोलाची, कोयंबटूर	01
13	तमिलनाडु	थुडियालुर, कोयंबटूर	01
14	तमिलनाडु	तिरुपुर, कोयंबटूर	01
15	तमिलनाडु	उदुमलाईपेट, कोयंबटूर	01
16	तमिलनाडु	कट्टूर, कोयंबटूर	01
17	तमिलनाडु	कुम्बाकोनम, सलेम	01
18	तमिलनाडु	अम्बुर, सलेम	01
19	तमिलनाडु	रानीपेट, सलेम	01
20	तमिलनाडु	पल्लीपलायम, सलेम	01
	कुल इकाइयां		20



J) Siddha units in ESIS Hospitals

Sr. No.	State	Location of Siddha Units	No. of Siddha Units
1	Tamil Nadu	Ayanavaram	01
2	Tamil Nadu	Hosur	01
3	Tamil Nadu	Madurai	01
4	Tamil Nadu	Salem	01
5	Tamil Nadu	Sivakasi	01
6	Tamil Nadu	Trichy	01
7	Tamil Nadu	Vellore	01
	Total Units		07

K) Siddha Units in ESIS Dispensaries

Sr. No.	State	Location of Siddha Units	No. of Siddha Units
1	Tamil Nadu	Tambaram, Chennai	01
2	Tamil Nadu	Tiruvotriyur, Chennai	01
3	Tamil Nadu	Triplicane, Chennai	01
4	Tamil Nadu	Avadi, Chennai	01
5	Tamil Nadu	Koratur, Chennai	01
6	Tamil Nadu	Sriperumputhur, Chennai	01
7	Tamil Nadu	Rajapalayam, Madurai	01
8	Tamil Nadu	Kovilpatti, Madurai	01
9	Tamil Nadu	Thoothukudi, Madurai	01
10	Tamil Nadu	Dindigul, Madurai	01
11	Tamil Nadu	Thirunagar, Madurai	01
12	Tamil Nadu	Pollachi, Coimbatore	01
13	Tamil Nadu	Thudialur, Coimbatore	01
14	Tamil Nadu	Tiruppur I, Coimbatore	01
15	Tamil Nadu	Udumalaipet, Coimbatore	01
16	Tamil Nadu	Kattur I, Coimbatore	01
17	Tamil Nadu	Kumbakonam, Salem	01
18	Tamil Nadu	Ambur, Salem	01
19	Tamil Nadu	Ranipet, Salem	01
20	Tamil Nadu	Pallipalayam, Salem	01
	Total Units		20



क.रा.बी निगम एवं क.रा.बी. योजना में आयुष इकाइयों की स्थिति

क्र.सं.	आयुष इकाइयां	क.रा.बी निगम अस्पताल	क.रा.बी निगम औषधालय	क.रा.बी योजना अस्पताल	क.रा.बी योजना औषधालय	कुल
1	आयुर्वेद	38	18	47	59	162
2	योग	19	-	09	-	28
3	यूनानी	-	-	02	01	03
4	सिद्ध	-	-	07	20	27
5	होमियोपैथी	33	16	22	17	88
6	पंचकर्म	08	-	07	-	15
7	क्षार-सूत्र	04	-	00	-	04
8	आयुर्वेदिक आईपीडी को आबंटित बिस्तर	57	-	20	-	77

दिनांक 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार देश के विभिन्न राज्यों में क.रा.बी. निगम/क.रा.बी योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराई जा रही आयुष (आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी) सुविधाओं को दर्शाता विवरण

क्र.सं.	राज्य	आयुर्वेद		यूनानी		सिद्ध		होमियोपैथी		योग		सभी आयुष पद्धति
		क.रा.बी. निगम	क.रा.बी. योजना	क.रा.बी. निगम	क.रा.बी. योजना	क.रा.बी. निगम	क.रा.बी. योजना	क.रा.बी. निगम	क.रा.बी. योजना	क.रा.बी. निगम	क.रा.बी. योजना	
1	आन्ध्र प्रदेश	-	06	-	-	-	-	-	06	-	-	12
2	असम	01	-	-	-	-	-	01	-	01	-	03
3	बिहार	01	02	-	01	-	-	-	02	-	-	06
4	दिल्ली	22	-	-	-	-	-	20	-	02	-	44
5	गोवा	-	01	-	-	-	-	-	01	-	-	02
6	गुजरात	04	48	-	-	-	-	03	-	02	07	64
7	हरियाणा	03	03	-	-	-	-	03	-	02	-	11
8	हिमाचल प्रदेश	01	-	-	-	-	-	01	-	-	-	02
9	जम्मू और कश्मीर	01	-	-	-	-	-	01	-	-	-	02
10	झारखंड	02	-	-	-	-	-	01	-	01	-	04
11	कर्नाटक	02	01	-	-	-	-	02	-	-	-	05
12	केरल	03	11	-	-	-	-	03	13	03	-	33
13	मध्य प्रदेश	01	-	-	-	-	-	01	-	01	-	03
14	महाराष्ट्र	01	08	-	-	-	-	01	-	-	-	10
15	ओडिशा	01	01	-	-	-	-	-	-	01	-	03
16	पंजाब	02	07	-	-	-	-	02	-	-	-	11
17	राजस्थान	02	-	-	-	-	-	02	-	01	-	05
18	तमिलनाडु	02	07	-	02	-	27	02	02	02	02	46
19	तेलंगाना	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01
20	उत्तर प्रदेश	05	07	-	-	-	-	05	09	02	-	28
21	पश्चिम बंगाल	01	04	-	-	-	-	01	06	01	-	13
22	कुल	56	106	-	03	-	27	49	39	19	9	308



Status of AYUSH Units in ESIC and ESIS

Sr. No.	AYUSH UNITS	ESIC Hospitals	ESIC Dispensaries	ESIS Hospitals	ESIS Dispensaries	Total
1	Ayurveda	38	18	47	59	162
2	Yoga	19	-	09	-	28
3	Unani	-	-	02	01	03
4	Siddha	-	-	07	20	27
5	Homeopathy	33	16	22	17	88
6	Panchakarma	08	-	07	-	15
7	Kshar -Sutra	04	-	00	-	04
8	Beds allotted to Ayurvedic IPD	57	-	20	-	77

Facilities provided In Ayush (Ayurvedic, Yoga, Unani, Siddha & Homeopathy) in the various states of the country as on 31/3/2020 In ESIC/ESIS.

Sr. No.	State	Ayurveda		Unani		Siddha		Homeopathy		Yoga		All AYUSH System
		ESIC	ESIS	ESIC	ESIS	ESIC	ESIS	ESIC	ESIS	ESIC	ESIS	
1	Andhra Pradesh	-	06	-	-	-	-	-	06	-	-	12
2	Assam	01	-	-	-	-	-	01	-	01	-	03
3	Bihar	01	02	-	01	-	-	-	02	-	-	06
4	Delhi	22	-	-	-	-	-	20	-	02	-	44
5	Goa	-	01	-	-	-	-	-	01	-	-	02
6	Gujarat	04	48	-	-	-	-	03	-	02	07	64
7	Haryana	03	03	-	-	-	-	03	-	02	-	11
8	Himachal Pradesh	01	-	-	-	-	-	01	-	-	-	02
9	Jammu & Kashmir	01	-	-	-	-	-	01	-	-	-	02
10	Jharkhand	02	-	-	-	-	-	01	-	01	-	04
11	Karnataka	02	01	-	-	-	-	02	-	-	-	05
12	Kerala	03	11	-	-	-	-	03	13	03	-	33
13	Madhya Pradesh	01	-	-	-	-	-	01	-	01	-	03
14	Maharashtra	01	08	-	-	-	-	01	-	-	-	10
15	Orissa	01	01	-	-	-	-	-	-	01	-	03
16	Punjab	02	07	-	-	-	-	02	-	-	-	11
17	Rajasthan	02	-	-	-	-	-	02	-	01	-	05
18	Tamil Nadu	02	07	-	02	-	27	02	02	02	02	46
19	Telangana	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01
20	Uttar Pradesh	05	07	-	-	-	-	05	09	02	-	28
21	West Bengal	01	04	-	-	-	-	01	06	01	-	13
22	Total	56	106	-	03	-	27	49	39	19	9	308



परिशिष्ट-III-ज

वर्ष 2019.20 के दौरान कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों में बिस्तरों की अधिभोग प्रतिशतता और प्रतिदिन प्रति बिस्तर औसत आवर्ती लागत

क्र.सं.	अस्पताल का नाम	चिकित्सा अधिकारी		संस्वीकृत/चालू बिस्तरों की संख्या				वर्ष के दौरान उपयोग हुए बिस्तरों का प्रतिशत	वर्ष के दौरान प्रतिदिन प्रति बिस्तर लागत ₹ में	अभ्युक्तियां
		संस्वीकृत	तैनात	सामान्य	प्रसूति	क्षय रोग	कुल			
1	आंध्र प्रदेश									
I	विशाखापत्तनम	26	18	92	18	15	125	88%	1,269	
II	राजमहेन्द्रवरम	18	13	40	10	0	50	71%	3,987	
III	तिरुपति	17	17	44	6	0	50	68%	6,684	
IV	विजयवाड़ा	24	19	85	15	10	110	40%	4,421	
	कराबी नैदानिक केंद्र						0			
V	विजयनगरम	16	8	10	0	0	10	13%		
VI	अदोनी	10	6	10	0	0	10			
VII	सुल्लुरपेट	17	6	10	0	0	10		2,061	
कुल		128	87	291	49	25	365			
2	असम									
I	बेलतोला	44	44	65	10	0	75	94%	6,757	
कुल		44	44	65	10	0	75			
3	बिहार									
I	फुलवारी शरीफ (क.रा.बी.नि.)	43	28	40	10	0	50	73%	15,000	
II	बिहटा (क.रा.बी.नि.)	39	15	50	0	0	50	3%	-	
III	डालमिया नगर									
IV	मुंगेर									
कुल		82	43	90	10	0	100			
4	चंडीगढ़									
I	रामदरबार चंडीगढ़	49	43	52	6	2	60	77%	17,170	आकस्मिक दुर्घटना हेतु संस्वीकृत/चालू 10 बिस्तर
कुल		49	43	52	6	2	60			
5	छत्तीसगढ़									
I	कोरबा (क.रा.बी.नि.)	59	2	-	-	-	-	-	-	हाल ही में शुरू हुआ
II	रायपुर (क.रा.बी.नि.)	39	1	-	-	-	-	-	-	हाल ही में शुरू हुआ
कुल		98	3	0	0	0	0	-	-	
6	दिल्ली									
I	बसईदारापुर (ओडीसी)	420	313	423	161	16	600	77%	18,462	
II	झिलमिल	159	123	260	30	10	300	75%	15,752	
III	ओखला	154	106	181	54	16	251	99%	12,135	
IV	राहिणी	153	90	273	7	20	300	68%	15,738	
कुल		886	632	1137	252	62	1451			
7	गोवा									
I	मडगॉंव	34	19	52	6	0	58	16%	20,530	
कुल		34	19	52	6	0	58			
8	गुजरात									
I	बापूनगर (क.रा.बी.नि.)	93	74	228	36	0	264	62%	10,067	
II	अकलेश्वर (क.रा.बी.नि.)	54	23	100	0	0	100	36%	18,205	
III	बड़ोदा	40	35	200	0	0	200	58%	3,268	
IV	भावनगर	11	9	30	0	0	30	16%	37,232	
V	जामनगर	15	12	50	0	0	50	15%	10,147	



APPENDIX-III-H

Percentage bed occupancy and average recurring cost per bed per day in ESI Hospital during year 2019-20

Sl. No.	Name of Hospital	Medical Officers		No. of bed Sanctioned/ Commissioned				% of occupancy during the year	Cost per bed per day during the year in ₹	Remarks
		Sanctioned	In-position	General	Maternity	T.B.	Total			
1	Andhra Pradesh									
I	Visakhapatnam	26	18	92	18	15	125	88%	1,269	
II	Rajamahendravaram	18	13	40	10	0	50	71%	3,987	
III	Tirupati	17	17	44	6	0	50	68%	6,684	
IV	Vijayawada	24	19	85	15	10	110	40%	4,421	
	ESI Diagnostic Centers						0			
V	Vizianagaram	16	8	10	0	0	10	13%		
VI	Adoni	10	6	10	0	0	10			
VII	Sullurpet	17	6	10	0	0	10		2,061	
Total		128	87	291	49	25	365			
2	Assam									
I	Beltola	44	44	65	10	0	75	94%	6,757	
Total		44	44	65	10	0	75			
3	Bihar									
I	Phulwari Sharif (ESIC)	43	28	40	10	0	50	73%	15,000	
II	Bihta (ESIC)	39	15	50	0	0	50	3%	-	
III	Dalmia Nagar									
IV	Munger									
Total		82	43	90	10	0	100			
4	Chandigarh									
I	Ramdarbar Chandigarh	49	43	52	6	2	60	77%	17,170	10 Beds sanctioned/ Commissioned to casualty
Total		49	43	52	6	2	60			
5	Chattisgarh									
I	Korba (ESIC)	59	2	-	-	-	-	-	-	Recently Started
II	Raipur (ESIC)	39	1	-	-	-	-	-	-	Recently Started
Total		98	3	0	0	0	0	-	-	
6	Delhi									
I	Basaidarapur ODC	420	313	423	161	16	600	77%	18,462	
II	Jhilmil	159	123	260	30	10	300	75%	15,752	
III	Okhla	154	106	181	54	16	251	99%	12,135	
IV	Rohini	153	90	273	7	20	300	68%	15,738	
Total		886	632	1137	252	62	1451			
7	Goa									
I	Margao	34	19	52	6	0	58	16%	20,530	
Total		34	19	52	6	0	58			
8	Gujarat									
I	Bapunagar (ESIC)	93	74	228	36	0	264	62%	10,067	
II	Ankleshwar (ESIC)	54	23	100	0	0	100	36%	18,205	
III	Baroda	40	35	200	0	0	200	58%	3,268	
IV	Bhavnagar	11	9	30	0	0	30	16%	37,232	
V	Jamnagar	15	12	50	0	0	50	15%	10,147	



क्र.सं.	अस्पताल का नाम	चिकित्सा अधिकारी		संस्वीकृत/चालू बिस्तरों की संख्या				वर्ष के दौरान उपयोग हुए बिस्तरों का प्रतिशत	वर्ष के दौरान प्रतिदिन प्रति बिस्तर लागत ₹ में	अभ्युक्तियां
		संस्वीकृत	तैनात	सामान्य	प्रसूति	क्षय रोग	कुल			
VI	कलोल	15	10	40	0	0	40	35%	4,943	
VII	नरोदा (क.रा.बी.नि.)	39	24	46	4	0	50	30%	17,915	
VIII	राजकोट	14	12	50	0	0	50	20%	10,403	
IX	राजपुर हिरपुर	19	18	50	0	0	50	42%	8,321	
X	सूरत	18	13	22	0	0	22	56%	11,108	
XI	वापी (क.रा.बी.नि.)	57	36	80	20	0	100	41%	20,883	
कुल		375	266	896	60	0	956			
9	हरियाणा									
I.	फरीदाबाद (एमसीएण्डएच) (क.रा.बी.नि.)	278	207	422	80	8	510	73%	31,480	
II.	बल्लभगढ़	33	25	32	12	6	50	52%	24,601	
III.	भिवानी	21	10	40	10	0	50	22%	23,423	
IV.	गुरुग्राम (क.रा.बी.नि.)	87	72	119	31	0	150	97%	8,738	
V	जगाधरी	16	13	68	10	2	80	50%	16,292	
VI	मानेसर (क.रा.बी.नि.)	38	18	75	23	2	100	74%	18,549	
VII	पानीपत	14	12	34	6	35	75	58%	6,838	
कुल		487	357	790	172	53	1015			
10	हिमाचल प्रदेश									
I	बद्दी (क.रा.बी.नि.)	64	42	80	20	0	100	51%	20,780	
II	परवानू	10	9	40	4	6	50	92%	5,671	
कुल		74	51	120	24	6	150			
11	जम्मू व कश्मीर									
I	बरी ब्राहमणा (क.रा.बी.नि.)	39	31	40	10	0	50	75%	14,000	
कुल		39	31	40	10	0	50			
12	झारखंड									
I	आदित्यपुर (क.रा.बी.नि.)	39	21	45	4	1	50	92%	10,498	
II	मैथन	14	3	110			110	1%	35,575	
III	रांची (क.रा.बी.नि.)	49	42	42	4	4	50	88%	16,347	
कुल		102	66	197	8	5	210			
13	कर्नाटक									
I	राजाजी नगर (क.रा.बी.नि.)	309	198	390	100	10	500	85%	14,249	
II	बेलगाम	27	6	40	10	0	50	19%	30,551	
III	दानदेली	15	4	25	0	0	25	4%	18,497	
IV	दावनगेरे	28	15	38	8	4	50	59%	8,799	
V	गुलबर्गा (क.रा.बी.नि.)	256	120	430	40	0	470	22%	39,897	
VI	हुबली	29	13	38	12	0	50	31%	39,356	
VII	इंदिरानगर	70	64	160	40	10	210	36%	10,118	
VIII	शाहबाद						0			
IX	मंगलौर	25	6	83	10	7	100	11%	-	
X	मैसूर	43	30	55	25	0	80	46%	-	
XI	पीनिया (क.रा.बी.नि.)	77	65	78	18	4	100	85%	13,140	
कुल		879	521	1337	263	35	1635			



Sl. No.	Name of Hospital	Medical Officers		No. of bed Sanctioned/ Commissioned				% of occupancy during the year	Cost per bed per day during the year in ₹	Remarks
		Sanctioned	In-position	General	Maternity	T.B.	Total			
VI	Kalol	15	10	40	0	0	40	35%	4,943	
VII	Naroda (ESIC)	39	24	46	4	0	50	30%	17,915	
VIII	Rajkot	14	12	50	0	0	50	20%	10,403	
IX	Rajpur Hirpur	19	18	50	0	0	50	42%	8,321	
X	Surat	18	13	22	0	0	22	56%	11,108	
XI	Vapi (ESIC)	57	36	80	20	0	100	41%	20,883	
Total		375	266	896	60	0	956			
9	Haryana									
I.	Faridabad (MC&H) (ESIC)	278	207	422	80	8	510	73%	31,480	
II.	Ballabgarh	33	25	32	12	6	50	52%	24,601	
III.	Bhiwani	21	10	40	10	0	50	22%	23,423	
IV.	Gurgaon (ESIC)	87	72	119	31	0	150	97%	8,738	
V	Jagadhari	16	13	68	10	2	80	50%	16,292	
VI	Manesar (ESIC)	38	18	75	23	2	100	74%	18,549	
VII	Panipat	14	12	34	6	35	75	58%	6,838	
Total		487	357	790	172	53	1015			
10	Himachal Pradesh									
I	Baddi (ESIC)	64	42	80	20	0	100	51%	20,780	
II	Parwanoo	10	9	40	4	6	50	92%	5,671	
	Total	74	51	120	24	6	150			
11	Jammu & Kashmir									
I	Bari Brahma (ESIC)	39	31	40	10	0	50	75%	14,000	
	Total	39	31	40	10	0	50			
12	Jharkhand									
I	Adityapur (ESIC)	39	21	45	4	1	50	92%	10,498	
II	Maithan	14	3	110			110	1%	35,575	
III	Ranchi (ESIC)	49	42	42	4	4	50	88%	16,347	
	Total	102	66	197	8	5	210			
13	Karnataka									
I	Rajajinagar (ESIC)	309	198	390	100	10	500	85%	14,249	
II	Belgaum	27	6	40	10	0	50	19%	30,551	
III	Dandeli	15	4	25	0	0	25	4%	18,497	
IV	Devangare	28	15	38	8	4	50	59%	8,799	
V	Gulbarga (ESIC)	256	120	430	40	0	470	22%	39,897	
VI	Hubli	29	13	38	12	0	50	31%	39,356	
VII	Indiranagar	70	64	160	40	10	210	36%	10,118	
VIII	Shahbad						0			
IX	Mangalore	25	6	83	10	7	100	11%	-	
X	Mysore	43	30	55	25	0	80	46%	-	
XI	Peenya (ESIC)	77	65	78	18	4	100	85%	13,140	
Total		879	521	1337	263	35	1635			



क्र.सं.	अस्पताल का नाम	चिकित्सा अधिकारी		संस्वीकृत/चालू बिस्तरों की संख्या				वर्ष के दौरान उपयोग हुए बिस्तरों का प्रतिशत	वर्ष के दौरान प्रतिदिन प्रति बिस्तर लागत ₹ में	अभ्युक्तियां
		संस्वीकृत	तैनात	सामान्य	प्रसूति	क्षय रोग	कुल			
14	केरल									
I.	एलेप्पी	16	16	50	5	0	55	42%	5,794	
II	आश्रमम (क.रा.बी.नि.)	90	46	172	28	0	200	77%	10,869	
III	एरणाकुलम	19	18	52	13	0	65	55%	5,564	
IV	एजुकोग (क.रा.बी.नि.)	93	43	130	20	0	150	62%	6,585	
V	फेरोक	22	21	100	0	0	100	44%	4,438	
VI	मुलमकुन्नाथुकम	12	8	0	0	90	90	31%	3,827	
VII	ओलारिकारा	21	19	98	4	0	102	49%	2,188	
VIII	पालक्कड	16	10	50	0	0	50	50%	4,500	
IX	पेरुकडा	28	28	118	10	NIL	128	52%	4,375	
X	थोट्टथा	16	10	40	10	0	50	36%	6,129	
XI	उद्योगमंडल (क.रा.बी.नि.)	70	28	76	20	4	100	91%	7,466	
XII	वाडावाथुर	17	14	59	6	0	65	47%	2,148	
कुल		420	261	945	116	94	1155			
15	मध्य प्रदेश									
I	इंदौर (क.रा.बी.नि.)	152	120	260	40	0	300	77%	11,019	
II	भोपाल	25	19	100	0	0	100	20%	11,458	
III	देवास	15	12	50	0	0	50	54%	7,816	
IV	ग्वालियर	25	13	100	0	0	100	21%	9,865	
V	इंदौर (क्षय रोग)	9	9	0	0	75	75	30%	7,279	
VI	नागदा	13	3	50	0	0	50	9%	36,323	
VII	उज्जैन	10	7	50	0	0	50	2%	29,447	
कुल		249	183	610	40	75	725			
16	महाराष्ट्र									
I	अंधेरी (क.रा.बी.नि.)	245	143	150	0	0	150	41%	25,185	
II	औरंगाबाद	35	29	100	0	0	100	32%	12,797	
III	बिबवेवाडी (क.रा.बी.नि.)	57	24	100	0	0	100	-	-	
IV	चिंचवाड	33	19	100	0	0	100	51%	7,537	
V	कांदीवली	40	19	300	0	0	300	8%	3,548	
VI	कोल्हापुर (क.रा.बी.नि.)	57	19	100	0	0	100	-	-	
VII	एमजीएम	92	73	298	17	15	330	2%	27,022	
VIII	मुलुंड	45	25	400	0	0	400	16%	10,849	
IX	नागपुर	34	21	200	0	0	200	35%	7,381	
X	नासिक	37	30	100	0	0	100	40%	12,771	
XI	शोलापुर	32	17	150	0	0	150	32%	6,331	
XII	ठाणे	24	15	100	0	0	100	26%	14,739	
XIII	उल्हासनगर	25	11	100	0	0	100	17%	-	
XIV	वाशी	24	10	100	0	0	100	-	-	
XV	वर्ली	41	24	300	0	0	300	13%	17,380	
कुल		821	479	2598	17	15	2630			
17	ओडिशा									
I	कंसबहल	17	8	40	10	0	50	19%	7,717	
II	भुवनेश्वर	31	27	92	8	0	100	68%	5,198	
III	चौदवार	21	13	71	8	21	100	27%	6,201	
IV	जयकापुर	17	11	25	0	0	25	4%	11,829	
V	बृजराजनगर									



Sl. No.	Name of Hospital	Medical Officers		No. of bed Sanctioned/ Commissioned				% of occupancy during the year	Cost per bed per day during the year in ₹	Remarks
		Sanctioned	In-position	General	Maternity	T.B.	Total			
14	Kerala									
I.	Alleppy	16	16	50	5	0	55	42%	5,794	
II	Asramam (ESIC)	90	46	172	28	0	200	77%	10,869	
III	Ernakulam	19	18	52	13	0	65	55%	5,564	
IV	Ezhukone (ESIC)	93	43	130	20	0	150	62%	6,585	
V	Feroke	22	21	100	0	0	100	44%	4,438	
VI	Mulamkunnathukam	12	8	0	0	90	90	31%	3,827	
VII	Olarikara	21	19	98	4	0	102	49%	2,188	
VIII	Palakkad	16	10	50	0	0	50	50%	4,500	
IX	Perookada	28	28	118	10	NIL	128	52%	4,375	
X	Thottada	16	10	40	10	0	50	36%	6,129	
XI	Udyogmandal (ESIC)	70	28	76	20	4	100	91%	7,466	
XII	Vadavathur	17	14	59	6	0	65	47%	2,148	
Total		420	261	945	116	94	1155			
15	Madhya Pradesh									
I	Indore (ESIC)	152	120	260	40	0	300	77%	11,019	
II	Bhopal	25	19	100	0	0	100	20%	11,458	
III	Dewas	15	12	50	0	0	50	54%	7,816	
IV	Gwalior	25	13	100	0	0	100	21%	9,865	
V	Indore (T.B.)	9	9	0	0	75	75	30%	7,279	
VI	Nagda	13	3	50	0	0	50	9%	36,323	
VII	Ujjain	10	7	50	0	0	50	2%	29,447	
Total		249	183	610	40	75	725			
16	Maharashtra									
I	Andheri (ESIC)	245	143	150	0	0	150	41%	25,185	
II	Aurangabad	35	29	100	0	0	100	32%	12,797	
III	Bibvewadi (ESIC)	57	24	100	0	0	100	-	-	
IV	Chinchwad	33	19	100	0	0	100	51%	7,537	
V	Kandivali	40	19	300	0	0	300	8%	3,548	
VI	Kolhapur (ESIC)	57	19	100	0	0	100	-	-	
VII	MGM	92	73	298	17	15	330	2%	27,022	
VIII	Mulund	45	25	400	0	0	400	16%	10,849	
IX	Nagpur	34	21	200	0	0	200	35%	7,381	
X	Nasik	37	30	100	0	0	100	40%	12,771	
XI	Sholapur	32	17	150	0	0	150	32%	6,331	
XII	Thane	24	15	100	0	0	100	26%	14,739	
XIII	Ulhasnagar	25	11	100	0	0	100	17%	-	
XIV	Washi	24	10	100	0	0	100	-	-	
XV	Worli	41	24	300	0	0	300	13%	17,380	
Total		821	479	2598	17	15	2630			
17	Odisha									
I	Kansbahal	17	8	40	10	0	50	19%	7,717	
II	Bhubaneshwar	31	27	92	8	0	100	68%	5,198	
III	Choudwar	21	13	71	8	21	100	27%	6,201	
IV	Jaykapur	17	11	25	0	0	25	4%	11,829	
V	Brajarajanagar									



क्र.सं.	अस्पताल का नाम	चिकित्सा अधिकारी		संस्वीकृत/चालू बिस्तरों की संख्या				वर्ष के दौरान उपयोग हुए बिस्तरों का प्रतिशत	वर्ष के दौरान प्रतिदिन प्रति बिस्तर लागत ₹ में	अभ्युक्तियां
		संस्वीकृत	तैनात	सामान्य	प्रसूति	क्षय रोग	कुल			
VI	बारबिल									
VII	राजगंजपुर									
VIII	राउरकेला (क.रा.बी.नि.)	50	33	35	10	5	50	61%	25,255	
कुल		136	92	263	36	26	325			
18	पुदुचेरी									
I	गोरीमेडु अस्पताल	23	23	63	12	0	75	62%	6,435	
कुल		23	23	63	12	0	75			
19	पंजाब									
I	अमृतसर	20	15	100	25	0	125	19%	11,553	
II	होशियारपुर	10	10	38	6	6	50	32%	10,510	
III	जालंधर	20	14	79	12	9	100	38%	6,183	
IV	लुधियाना (क.रा.बी.नि.)	101	43	192	52	18	262	99%	22,147	
V	मण्डी, गोबिन्दगढ़	5	2	30	0	0	30			अस्पताल के स्टाफ की कमी के कारण अनुपलब्ध घरेलू सेवा एसडीएच एमजीजी के एमसीएच भवन से चालू है।
VI	मोहाली	10	10	10	7	13	30	54%	5,767	
VII	फगवाड़ा	15	12	34	8	8	50	-	5,643	
कुल		181	106	483	110	54	647			
20	राजस्थान									
I	जयपुर (क.रा.बी.नि.)	145	85	174	78	18	270	50%	12,831	
II	अलवर (क.रा.बी.नि.)	45	16	45	0	0	45	3%	0	
III	भीलवाड़ा	19	11	22	8	0	30	33%	16,930	
IV	भिवाड़ी (क.रा.बी.नि.)	44	29	40	10	0	50	22%	14,723	
V	उदयपुर (क.रा.बी.नि.)	59	6	0	0	0	0	-	-	हाल ही में शुरू हुआ
VI	जोधपुर	22	13	19	6	0	25	27%	31,175	
VII	कोटा	21	20	52	8	0	60	34%	14,676	
VIII	पाली	17	3	20	0	0	20	14%	22,692	
कुल		372	183	372	110	18	500			
21	तमिलनाडु									
I	अयानवरम, चेन्नई	84	73	530	47	39	616	27%	5,178	
II	होसूर	15	14	48	2	0	50	46%	5,797	
III	मदुरै	21	21	165	44	0	209	60%	2,297	
IV	ओ.डी.सी. के. के. नगर (क.रा.बी.नि.)	295	225	340	120	10	340	69%	11025	
V	सेलम	19	17	45	5	0	50	74%	4,752	
VI	शिवाकाशी	19	17	80	10	10	100	65%	2,497	
VII	तिरुचरापल्ली	16	16	40	10	0	50	51%	5,132	
VIII	तिरुनेलवेली (क.रा.बी.नि.)	57	20	80	20	0	100	68%	12,000	
IX	वेल्लूर	11	7	38	12	0	50	66%	4,503	
X	कोयम्बादूर									
कुल		537	410	1366	150	49	1565			
22	तेलंगाणा									
I	नाचारांम	206	179	126	50	24	200	67%	12,509	
II	निजामाबाद	14	7	20	0	0	20	-	-	अस्पताल सह निदान केंद्र



Sl. No.	Name of Hospital	Medical Officers		No. of bed Sanctioned/ Commissioned				% of occupancy during the year	Cost per bed per day during the year in ₹	Remarks
		Sanctioned	In-position	General	Maternity	T.B.	Total			
VI	Barbil									
VII	Rajgangpur									
VIII	Rourkela (ESIC)	50	33	35	10	5	50	61%	25,255	
Total		136	92	263	36	26	325			
18	Puducherry									
I	Gorimedu Hospital	23	23	63	12	0	75	62%	6,435	
Total		23	23	63	12	0	75			
19	Punjab									
I	Amritsar	20	15	100	25	0	125	19%	11,553	
II	Hoshiarpur	10	10	38	6	6	50	32%	10,510	
III	Jalandhar	20	14	79	12	9	100	38%	6,183	
IV	Ludhiana (ESIC)	101	43	192	52	18	262	99%	22,147	
V	Mandi Gobindgar	5	2	30	0	0	30			Indoor service unavailable due to shortage of staff hospital is running from MCH building of SDH MGG.
VI	Mohali	10	10	10	7	13	30	54%	5,767	
VII	Phagwara	15	12	34	8	8	50	-	5,643	
Total		181	106	483	110	54	647			
20	Rajasthan									
I	Jaipur (ESIC)	145	85	174	78	18	270	50%	12,831	
II	Alwar (ESIC)	45	16	45	0	0	45	3%	0	
III	Bhilwara	19	11	22	8	0	30	33%	16,930	
IV	Bhiwadi (ESIC)	44	29	40	10	0	50	22%	14,723	
V	Udaipur (ESIC)	59	6	0	0	0	0	-	-	Recently Started
VI	Jodhpur	22	13	19	6	0	25	27%	31,175	
VII	Kota	21	20	52	8	0	60	34%	14,676	
VIII	Pali	17	3	20	0	0	20	14%	22,692	
Total		372	183	372	110	18	500			
21	Tamil Nadu									
I	Ayanavaram, Chennai	84	73	530	47	39	616	27%	5,178	
II	Hosure	15	14	48	2	0	50	46%	5,797	
III	Madurai	21	21	165	44	0	209	60%	2,297	
IV	ODC K.K. Nagar (ESIC)	295	225	340	120	10	340	69%	11025	
V	Salem	19	17	45	5	0	50	74%	4,752	
VI	Sivakasi	19	17	80	10	10	100	65%	2,497	
VII	Tirucharapally	16	16	40	10	0	50	51%	5,132	
VIII	Tirunelveli (ESIC)	57	20	80	20	0	100	68%	12,000	
IX	Vellore	11	7	38	12	0	50	66%	4,503	
X	Coimbatore									
Total		537	410	1366	150	49	1565			
22	Talengana									
I	Nacharam	206	179	126	50	24	200	67%	12,509	
II	Nizamabad	14	7	20	0	0	20	-	-	Hospital cum Diagnostic Centre



क्र.सं.	अस्पताल का नाम	चिकित्सा अधिकारी		संस्वीकृत/चालू बिस्तरों की संख्या				वर्ष के दौरान उपयोग हुए बिस्तरों का प्रतिशत	वर्ष के दौरान प्रतिदिन प्रति बिस्तर लागत ₹ में	अभ्युक्तियां
		संस्वीकृत	तैनात	सामान्य	प्रसूति	क्षय रोग	कुल			
III	आर.सी. पुरम	61	56	80	20	0	100	45%	13,644	
IV	एस.एस. सनतनगर (क.रा. बी.नि.)	100	78	150	0	0	150	63%	22,651	
V	सनतनगर (क.रा.बी.नि.)	265	263	430	30	10	470	75%	24,341	
VI	सिरपुरकागरनगर	21	9	44	12	6	62	10%	1,17,832	
VII	वारंगल	15	14	38	10	2	50	12%	12,843	
VIII	जीदीमेटला	30	27	10	10	0	20	-	-	अस्पताल सह निदान केंद्र
कुल		712	633	898	132	42	1072			
23	उत्तर प्रदेश									
I	आगरा	12	6	84	16	0	100	38%	5,598	
II	अलीगढ़	14	2	40	10	10	60	22%	15,598	
III	आजादनगर कानपुर (वक्ष)	18	2	0	0	100	100	45%	4,089	
IV	बरेली (क.रा.बी.नि.)	38	14	30	20	0	50	35%	7,255	
V	जजमाऊ-कानपुर (क.रा. बी.नि.)	39	23	38	8	4	50	50%	8,370	
VI	किदवई नगर	14	6	80	20	0	100	23%	8,956	
VII	मोदीनगर	20	10	80	20	24	124	10%	14,278	
VIII	नैनी, इलाहाबाद	12	7	84	16	0	100	37%	5,068	
IX	नोएडा (क.रा.बी.नि.)	140	103	221	69	10	300	94%	10,673	
X	पांडुनगर कानपुर	23	7	130	0	0	130	17%	1,200	
XI	पिपरी	12	3	30	24	6	60	1%	27,750	
XII	सहारनपुर	12	3	42	8	0	50	-	-	
XIII	साहिबाबाद (क.रा.बी.नि.)	59	49	43	15	0	58	62%	27,046	
XIV	सरोजनीनगर, लखनऊ (क.रा.बी.नि.)	46	28	75	0	0	75	27%	27,637	
XV	सर्वोदयनगर, कानपुर (प्रसूति)	18	3	0	100	0	100	15%	20,334	
XVI	वाराणसी (क.रा.बी.नि.)	59	29	150	0	0	150	61%	8,535	
कुल		536	295	1127	326	154	1607			
24	उत्तराखंड									
I	रुद्रपुर (क.रा.बी.नि.)	59	1	-	-	-	-	-	-	हाल ही में शुरू हुआ
कुल		59	1	0	0	0	0			
25	पश्चिम बंगाल									
I	आसनसोल	30	26	85	15	0	100	84%	2,633	
II	बाल्टिकुरी	51	42	220	10	0	230	72%	2,665	
III	बन्देल	43	34	244	6	0	250	71%	1,704	
IV	बेल्लूर बेली	32	23	0	0	200	200	74%	1,394	
V	बज-बज	39	37	280	20	0	300	72%	1,683	
VI	दुर्गापुर	51	39	142	8	0	150	90%	2,450	
VII	गौरहाटी	33	33	216	0	0	216	64%	2,432	
VIII	जोका, ओडीसी (क.रा.बी.नि.)	211	211	400	70	0	470	80%	8,348	
IX	कल्याणी	37	35	250	0	0	250	73%	1,628	
X	कमरहटी	114	63	325	25	0	350	82%	1,984	
XI	माणिकतला	79	75	382	40	0	422	84%	2,806	
XII	सियालदाह	39	33	254	0	0	254	82%	3,564	
XIII	सेरामपुर	36	34	210	6	0	216	79%	1,543	
XIV	उलुबेरिया	34	29	198	18	0	216	75%	1,922	
कुल		829	714	3206	218	200	3624			



Sl. No.	Name of Hospital	Medical Officers		No. of bed Sanctioned/ Commissioned				% of occupancy during the year	Cost per bed per day during the year in ₹	Remarks
		Sanctioned	In-position	General	Maternity	T.B.	Total			
III	R.C. Puram	61	56	80	20	0	100	45%	13,644	
IV	S.S. Sanathnagar (ESIC)	100	78	150	0	0	150	63%	22,651	
V	Santhnagar (ESIC)	265	263	430	30	10	470	75%	24,341	
VI	Sirpurkagarnagar	21	9	44	12	6	62	10%	1,17,832	
VII	Warangal	15	14	38	10	2	50	12%	12,843	
VIII	Jeedimetla	30	27	10	10	0	20	-	-	Hospital cum Diagnostic Centre
Total		712	633	898	132	42	1072			
23	Uttar Pradesh									
I	Agra	12	6	84	16	0	100	38%	5,598	
II	Aligarh	14	2	40	10	10	60	22%	15,598	
III	Azad Nagar, Kanpur (Chest)	18	2	0	0	100	100	45%	4,089	
IV	Bareilly (ESIC)	38	14	30	20	0	50	35%	7,255	
V	Jajmau, Kanpur (ESIC)	39	23	38	8	4	50	50%	8,370	
VI	Kidwai Nagar	14	6	80	20	0	100	23%	8,956	
VII	Modi Nagar	20	10	80	20	24	124	10%	14,278	
VIII	Naini Allahabad	12	7	84	16	0	100	37%	5,068	
IX	Noida (ESIC)	140	103	221	69	10	300	94%	10,673	
X	Pandunagar, Kanpur	23	7	130	0	0	130	17%	1,200	
XI	Pipri	12	3	30	24	6	60	1%	27,750	
XII	Saharanpur	12	3	42	8	0	50	-	-	
XIII	Sahibabad (ESIC)	59	49	43	15	0	58	62%	27,046	
XIV	Sarojini Nagar, Lucknow (ESIC)	46	28	75	0	0	75	27%	27,637	
XV	Sarvodyanagar, Kanpur (MAT)	18	3	0	100	0	100	15%	20,334	
XVI	Varanasi (ESIC)	59	29	150	0	0	150	61%	8,535	
Total		536	295	1127	326	154	1607			
24	Uttarakhand									
I	Rudrapur (ESIC)	59	1	-	-	-	-	-	-	Recently Started
Total		59	1	0	0	0	0			
25	West Bengal									
I	Asansol	30	26	85	15	0	100	84%	2,633	
II	Baltikuri	51	42	220	10	0	230	72%	2,665	
III	Bandel	43	34	244	6	0	250	71%	1,704	
IV	Bellur Belly	32	23	0	0	200	200	74%	1,394	
V	Budge-Budge	39	37	280	20	0	300	72%	1,683	
VI	Durgapur	51	39	142	8	0	150	90%	2,450	
VII	Gourhati	33	33	216	0	0	216	64%	2,432	
VIII	Joka, ODC (ESIC)	211	211	400	70	0	470	80%	8,348	
IX	Kalyani	37	35	250	0	0	250	73%	1,628	
X	Kamarhati	114	63	325	25	0	350	82%	1,984	
XI	Manicktola	79	75	382	40	0	422	84%	2,806	
XII	Sealdah	39	33	254	0	0	254	82%	3,564	
XIII	Serampore	36	34	210	6	0	216	79%	1,543	
XIV	Uluberia	34	29	198	18	0	216	75%	1,922	
Total		829	714	3206	218	200	3624			

वर्ष 2019-20 के दौरान चिकित्सा देखरेख की व्यवस्था पर किया गया व्यय



क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	31.03.2019 को बीमाकृत व्यक्ति	31.03.2020 को बीमाकृत व्यक्ति	बीमाकृत व्यक्तियों का माध्य	राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा क.रा.बी. योजना पर किया गया व्यय (₹ लाख में)	राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा क.रा.बी. योजना पर किया गया व्यय "अन्य" व्यय (₹ लाख में)	क.रा.बी. योजना पर राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र का कुल व्यय (₹ लाख में)	राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा प्रति व्यक्ति व्यय (₹ में)	राज्य सरकार को लेखागत भुगतान (₹ लाख में)	क.रा.बी.निगम द्वारा क.रा.बी. नि. अस्पतालों एवं औषधालयों पर किया गया चिकित्सा व्यय (₹ लाख में)	कुल व्यय (₹ लाख में)	प्रति व्यक्ति व्यय (₹ में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	(8+11)	12	13
				{(3+4)/2}	(6+7)	(8/5)							
1.	अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह*	0	961	-	प्राप्त नहीं किया	प्राप्त नहीं किया	प्राप्त नहीं किया	प्राप्त नहीं किया	-	-	-	-	-
2	आंध्र प्रदेश	1290950	1305590	1298270	10,131.01	9,937.66	20,068.67	1,546.00	17,174.80	6,421.41	26,490.08	2,040.00	
3	असम	257815	281292	269554	1,218.43	3,595.02	4,813.45	1,786.00	3,678.62	9,264.97	14,078.42	5,223.00	
4	बिहार	283220	339530	311375	1,059.94	443.18	1,503.12	483.00	1,645.97	4,798.55	6,301.67	2,024.00	
5	चंडीगढ़ (प्रशा.)	173310	167850	170580	409.56	699.99	1,109.55	650.00	1,687.64	3,587.59	4,697.14	2,754.00	
6	छत्तीसगढ़	620480	502700	561590	3,296.83	4,719.43	8,016.26	1,427.00	8,226.85	1,213.82	9,230.08	1,644.00	
7	दिल्ली	1716640	1596350	1656495	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,857.71	116,857.71	7,055.00	
8	गोवा	285300	209270	247285	3,253.24	729.67	3,982.91	1,611.00	3,196.26	509.17	4,492.08	1,817.00	
9	गुजरात	1627460	1722290	1674875	13,049.51	3,498.75	16,548.26	988.00	14,282.18	17,899.98	34,448.24	2,057.00	
10	हरियाणा	2809260	2406100	2607680	2,065.73	18,784.39	20,850.12	800.00	19,875.85	43,345.10	64,195.22	2,462.00	
11	हिमाचल प्रदेश	340500	348140	344320	4,585.37	1,629.37	6,214.74	1,805.00	5,517.44	5,252.94	11,467.68	3,331.00	
12	जम्मू एवं कश्मीर	238200	133440	185820	872.73	15.99	888.72	478.00	1,025.55	3,048.91	3,937.63	2,119.00	
13	झारखंड	422510	446260	434385	1,883.30	721.48	2,604.78	600.00	1,744.29	8,640.73	11,245.51	2,589.00	
14	कर्नाटक	3473410	3485870	3479640	2,103.97	34,038.31	36,142.28	1,039.00	40,891.19	47,993.25	84,135.53	2,418.00	
15	केरल	1054120	1075010	1064565	16,907.31	8,255.06	25,162.37	2,364.00	19,287.46	28,085.83	53,248.20	5,002.00	
16	मध्य प्रदेश	1047260	1044440	1045850	11,438.09	5,810.45	17,248.54	1,649.00	16,930.20	11,805.30	29,053.84	2,778.00	
17	महाराष्ट्र	4847980	4698620	4773300	20,864.37	3,315.71	24,180.08	507.00	12,717.86	33,292.69	57,472.77	1,204.00	
18	मेघालय	17666	15647	16657	142.26	62.86	205.12	1,231.00	262.47	8.45	213.57	1,282.00	
19	मिजोरम	991	1181	1086	77.45	7.39	84.84	7,812.00	80.83	20.43	105.27	9,693.00	
20	नागालैण्ड	2890	3268	3079	68.81	76.94	145.75	4,734.00	86.75	1.00	146.75	4,766.00	
21	ओडिशा	681980	741390	711685	4,108.61	2,677.69	6,786.30	954.00	5,287.69	7,321.82	14,108.12	1,982.00	
22	पुदुच्चेरी	121570	116729	119150	2,628.54	355.03	2,983.57	2,504.00	1,081.34	297.86	3,281.43	2,754.00	
23	पंजाब	1163700	1182890	1173295	12,996.67	4,378.66	17,375.33	1,481.00	18,413.10	15,505.78	32,881.11	2,802.00	
24	राजस्थान	1492990	1424980	1458985	11,030.23	4,441.32	15,471.55	1,060.00	14,477.13	18,360.99	33,832.54	2,319.00	
25	सिक्किम*	2320	27980	25650	111.40	627.12	738.52	2,879.00	0.00	0.00	738.52	2,879.00	
26	तमिलनाडु	4300200	3969690	4134945	25,929.71	31,692.76	57,622.47	1,394.00	54,673.86	22,606.04	80,228.51	1,940.00	
27	तेलंगाना	1817770	1835360	1826565	16,297.18	4,836.49	21,133.67	1,157.00	21,592.01	28,238.32	49,371.99	2,703.00	
28	त्रिपुरा	14206	15707	14957	49.72	78.00	127.72	854.00	138.90	71.53	199.25	1,332.00	
29	उत्तर प्रदेश	2263350	2448320	2355835	13,086.08	2,150.60	15,236.68	647.00	17,067.89	46,735.62	61,972.30	2,631.00	
30	उत्तराखण्ड	655830	644060	649945	1,353.13	12,784.83	14,137.96	2,175.00	9,470.25	884.06	15,022.02	2,311.00	
31	पश्चिम बंगाल	1922090	1952270	1937180	17,867.41	22,968.33	40,835.74	2,108.00	46,803.84	34,623.18	75,458.92	3,895.00	
	कुल	34966968	34143185	34554598	198,886.59	183,332.48	382,219.07	1,680.10	357,318.22	516,693.03	898,912.10	2,601.00	

* अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में क.रा.बी. निगम द्वारा किये गये चिकित्सा व्यय तथा लेखागत भुगतान का विवरण तमिलनाडु में शामिल है।

सिक्किम में क.रा.बी. निगम द्वारा किये गये चिकित्सा व्यय तथा लेखागत भुगतान का विवरण पश्चिम बंगाल में शामिल है।

अखिल भारतीय औषध प्रति व्यक्ति ₹ 2,801/- है।



APPENDIX-III-I

Expenditure Incurred on Provision of Medical Care during 2019-20

Sl. No.	Name of the State / UT	IPs as on 31.03.2019	IPs as on 31.03.2020	Mean of IPs	Expn. Incurred by State Govt. / U.T. on ESI Scheme "Admn." (₹ in lac)	Expn. Incurred by State Govt. / U.T. on ESI Scheme "Others" (₹ in lac)	Total Expenditure of State Govt. / U.T. on ESI Scheme (₹ in lac)	Per Capita incurred by State Govt. / U.T. (in ₹)	On Account Payment to State Govt. (₹ in lac)	Medical Expn. Incurred by ESIC on ESIC Hospitals & Dispensaries (₹ in lac)	Total Expenditure (₹ in lac)	Total Per Capita (in ₹)
		3	4	{(3+4)/2}	6	7	(6+7)	(8/5)	10	11	(8+11)	(12/5)
1.	Andaman & Nicobar Islands*	0	961	-	Not Received	Not Received	Not Received	Not Received	-	-	-	-
2	Andhra Pradesh	1290950	1305590	1298270	10,131.01	9,937.66	20,068.67	1,546.00	17,174.80	6,421.41	26,490.08	2,040.00
3	Assam	257815	281292	269554	1,218.43	3,595.02	4,813.45	1,786.00	3678.62	9,264.97	14,078.42	5,223.00
4	Bihar	283220	339530	311375	1,059.94	443.18	1,503.12	483.00	1,645.97	4,798.55	6,301.67	2,024.00
5	Chandigarh (Adm.)	173310	167850	170580	409.56	699.99	1,109.55	650.00	1,687.64	3,587.59	4,697.14	2,754.00
6	Chhattisgarh	620480	502700	561590	3,296.83	4,719.43	8,016.26	1,427.00	8,226.85	1,213.82	9,230.08	1,644.00
7	Delhi	1716640	1596350	1656495	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,857.71	116,857.71	7,055.00
8	Goa	285300	209270	247285	3,253.24	729.67	3,982.91	1,611.00	3,196.26	509.17	4,492.08	1,817.00
9	Gujarat	1627460	1722290	1674875	13,049.51	3,498.75	16,548.26	988.00	14,282.18	17,899.98	34,448.24	2,057.00
10	Haryana	2809260	2406100	2607680	2,065.73	18,784.39	20,850.12	800.00	19,875.85	43,345.10	64,195.22	2,462.00
11	Himachal Pradesh	340500	348140	344320	4,585.37	1,629.37	6,214.74	1,805.00	5,517.44	5,252.94	11,467.68	3,331.00
12	Jammu & Kashmir	238200	133440	185820	872.73	15.99	888.72	478.00	1,025.55	3,048.91	3,937.63	2,119.00
13	Jharkhand	422510	446260	434385	1,883.30	721.48	2,604.78	600.00	1,744.29	8,640.73	11,245.51	2,589.00
14	Karnataka	3473410	3485870	3479640	2,103.97	34,038.31	36,142.28	1,039.00	40,891.19	47,993.25	84,135.53	2,418.00
15	Kerala	1054120	1075010	1064565	16,907.31	8,255.06	25,162.37	2,364.00	19,287.46	28,085.83	53,248.20	5,002.00
16	Madhya Pradesh	1047260	1044440	1045850	11,438.09	5,810.45	17,248.54	1,649.00	16,930.20	11,805.30	29,053.84	2,778.00
17	Maharashtra	4847980	4698620	4773300	20,864.37	3,315.71	24,180.08	507.00	12,717.86	33,292.69	57,472.77	1,204.00
18	Meghalaya	17666	15647	16657	142.26	62.86	205.12	1,231.00	262.47	8.45	213.57	1,282.00
19	Mizoram	991	1181	1086	77.45	7.39	84.84	7,812.00	80.83	20.43	105.27	9,693.00
20	Nagaland	2890	3268	3079	68.81	76.94	145.75	4,734.00	86.75	1.00	146.75	4,766.00
21	Odisha	681980	741390	711685	4,108.61	2,677.69	6,786.30	954.00	5,287.69	7,321.82	14,108.12	1,982.00
22	Puducherry	121570	116729	119150	2,628.54	355.03	2,983.57	2,504.00	1,081.34	297.86	3,281.43	2,754.00
23	Punjab	1163700	1182890	1173295	12,996.67	4,378.66	17,375.33	1,481.00	18,413.10	15,505.78	32,881.11	2,802.00
24	Rajasthan	1492990	1424980	1458985	11,030.23	4,441.32	15,471.55	1,060.00	14,477.13	18,360.99	33,832.54	2,319.00
25	Sikkim*	23320	27980	25650	111.40	627.12	738.52	2,879.00	0.00	0.00	738.52	2,879.00
26	Tamil Nadu	4300200	3969690	4134945	25,929.71	31,692.76	57,622.47	1,394.00	54,673.86	22,606.04	80,228.51	1,940.00
27	Telangana	1817770	1835360	1826565	16,297.18	4,836.49	21,133.67	1,157.00	21,592.01	28,238.32	49,371.99	2,703.00
28	Tripura	14206	15707	14957	49.72	78.00	127.72	854.00	138.90	71.53	199.25	1,332.00
29	Uttar Pradesh	2263350	2448320	2355835	13,086.08	2,150.60	15,236.68	647.00	17,067.89	46,735.62	61,972.30	2,631.00
30	Uttarakhand	655830	644060	649945	1,353.13	12,784.83	14,137.96	2,175.00	9,470.25	884.06	15,022.02	2,311.00
31	West Bengal	1922090	1952270	1937180	17,867.41	22,968.33	40,835.74	2,108.00	46,803.84	34,623.18	75,458.92	3,895.00
Total		34966968	34143185	34554598	198,886.59	183,332.48	382,219.07	1,680.10	357,318.22	516,693.03	898,912.10	2,601.00

* Details of On Account Payment and Medical Expenditure incurred by ESIC Corporation in A&N Islands are included in Tamilnadu All India Average per capita is ₹ 2,601/-

* Details of On Account Payment and Medical Expenditure incurred by ESIC Corporation in Sikkim are included in West Bengal



परिशिष्ट III-अ

01.04.2019 से 31.03.2020 तक की अवधि में निर्मित अस्पतालों तथा बिस्तरों की संख्या

क्र.सं.	अस्पताल	बिस्तरों की सं.	परियोजना लागत (₹ करोड़ में)
1.	वाराणसी, उत्तर प्रदेश में अति-विशिष्टता अस्पताल का निर्माण	90	141.98
2.	अंगुल, ओडिशा में क.रा.बी. अस्पताल का निर्माण	100	64.47
3.	रायपुर, छत्तीसगढ़ में क.रा.बी. अस्पताल का निर्माण	100	79.73
4.	कोरबा, छत्तीसगढ़ में क.रा.बी. अस्पताल का निर्माण	100	56.31
5.	रुद्रपुर, उत्तराखंड में क.रा.बी. अस्पताल का निर्माण	100	97.72
6.	उदयपुर, राजस्थान में क.रा.बी. अस्पताल का निर्माण	100	80.10
7.	बाल्टिकुरी, पश्चिम बंगाल में क.रा.बी. अस्पताल का निर्माण	300	187.37
8.	दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल में अतिरिक्त 50 बिस्तरों के लिए क.रा.बी. अस्पताल का उर्ध्वार्धर विस्तारण	50	28.61



APPENDIX-III-J

No. of hospitals and beds constructed for period 01.04.2019 to 31.03.2020

Sl.No.	Hospitals	No. of beds	Project Cost (₹ in crore)
1.	Construction of Super-specialty Hospital at Varanasi, Uttar Pradesh	90	141.98
2.	Construction of ESI Hospital at Angul, Odisha	100	64.47
3.	Construction of ESI Hospital at Raipur, Chhattisgarh	100	79.73
4.	Construction of ESI Hospital at Korba, Chhattisgarh	100	56.31
5.	Construction of ESI Hospital at Rudrapur, Uttarakhand.	100	97.72
6.	Construction of ESI Hospital at Udaipur, Rajasthan.	100	80.10
7.	Construction of ESI Hospital at Baltikuri, West Bengal.	300	187.37
8.	Vertical extension of ESI Hospital for additional 50 beds at Durgapur, West Bengal.	50	28.61



परिशिष्ट-IV-क

वर्ष 2018.2019 तथा 2019.2020 के दौरान बीमारी हितलाभ, विस्तारित बीमारी हितलाभ तथा मातृत्व हितलाभ दावों की घटना-दर (राज्यवार)

राज्य/क्षेत्र	अवधि	बीमारी हितलाभ के लिए जोखिमग्रस्त माने गए कर्मचारियों की संख्या	नकद हितलाभ भुगतानों की कुल संख्या	प्रतिवर्ष प्रति कर्मचारी नकद हितलाभ भुगतानों की औसत संख्या	बीमारी हितलाभ			विस्तारित बीमारी हितलाभ		मातृत्व हितलाभ	
					प्रतिवर्ष प्रति कर्मचारी नए दावों की दर	प्रतिवर्ष प्रति कर्मचारी बीमारी हितलाभ दिनों की औसत संख्या	औसत दैनिक हितलाभ दर	प्रतिवर्ष प्रति 1000 कर्मचारी नए मामलों की दर	प्रति समाप्त मामले की औसत अवधि	प्रति 1000 बीमाकृत महिला कर्मचारी प्रसव की दर	प्रति प्रसव भुगतान की गई औसत राशि (₹)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आंध्र प्रदेश											
i) विजयवाड़ा	2018-19	785141	64646	0.08	0.03	0.50	315.05	0.15	535.79	10.20	61002
	2019-20	845073	63031	0.07	0.03	0.47	293.11	0.18	270.58	7.62	66718
ii) विशाखापट्टनम	2018-19	479878	48492	0.10	0.03	0.52	285.30	0.20	288.85	12.06	66153
	2019-20	510037	48116	0.09	0.02	0.55	301.70	0.28	322.07	10.37	70230
iii) तिरुपति	2018-19	330558	31561	0.10	0.02	0.50	254.30	0.06	133.19	6.29	92031
	2019-20	351459	34036	0.10	0.02	0.50	287.35	0.09	150.90	6.08	89464
असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालेण्ड, सिक्किम, मिजोरम, मणिपुर तथा अरुणाचल प्रदेश	2018-19	386043	15704	0.04	0.01	0.24	243.12	0.13	175.08	9.93	54795
	2019-20	438106	16933	0.04	0.01	0.19	263.16	0.11	411.27	7.42	68167
बिहार	2018-19	330668	90860	0.27	0.00	0.11	328.26	0.04	0.00	5.85	68147
	2019-20	394823	92575	0.23	0.00	0.09	326.07	0.02	0.00	3.38	102954
चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र	2018-19	289289	14839	0.05	0.00	0.14	289.50	0.15	264.82	11.59	77301
	2019-20	246375	14375	0.06	0.01	0.13	295.33	0.17	189.60	11.83	78135
छत्तीसगढ़	2018-19	746127	32485	0.04	0.01	0.16	301.83	0.04	12.48	5.44	76802
	2019-20	762728	40934	0.05	0.01	0.22	317.18	0.07	261.29	4.11	94933
दिल्ली											
(i) क्षे. का. दिल्ली + नंदनगरी	2018-19	925050	60655	0.07	0.00	0.14	429.71	0.22	0.00	5.32	127932
	2019-20	837214	58206	0.07	0.00	0.12	543.20	0.18	0.00	4.88	131560
(ii) ओखला	2018-19	1186687	8222	0.01	0.00	0.10	364.05	0.13	0.00	8.25	84830
	2019-20	1082948	8005	0.01	0.00	0.11	395.56	0.11	0.00	8.01	92976
(iii) रोहिणी	2018-19	332829	11598	0.03	0.01	0.29	320.20	0.27	0.00	7.31	81797
	2019-20	337178	10038	0.03	0.01	0.26	366.46	0.20	0.00	6.66	95663
गोवा	2018-19	350569	21652	0.06	0.01	0.24	343.62	0.11	0.00	18.07	87657
	2019-20	330240	21942	0.07	0.01	0.25	365.69	0.12	0.00	19.96	61981
गुजरात											
(i) अहमदाबाद	2018-19	1052968	143455	0.14	0.02	0.30	305.69	0.33	308.75	7.34	66358
	2019-20	1097038	139138	0.13	0.02	0.27	322.03	0.26	259.43	6.26	69219
(ii) अल्कापुरी बड़ोदरा	2018-19	386037	48355	0.13	0.02	0.46	306.52	0.40	145.03	7.98	65570
	2019-20	465733	52932	0.11	0.02	0.40	324.17	0.43	150.90	6.40	75895
(iii) सूरत	2018-19	635769	23840	0.04	0.01	0.12	363.86	0.09	210.08	8.97	65476
	2019-20	605849	25232	0.04	0.01	0.12	376.96	0.07	280.00	8.91	70270



APPENDIX-IV-A

Incidence of Sickness Benefit, Extended Sickness Benefit and Maternity Benefit Claims during the years 2018-19 & 2019-20 State-wise

STATE/AREA	PERIOD	No. of employees deemed exposed to risk of Sickness Benefit	Total No. of cash benefit payments	Average No. of cash benefit payments per employee per annum	SICKNESS BENEFIT			EXTENDED SICKNESS BENEFIT		MATERNITY BENEFIT	
					Rate of fresh spells p.e.p.a.	Average no. of sickness benefit days p.e.p.a.	Average daily benefit rate	Rate of fresh cases per 1000 employees per annum	Average duration per terminated case	Rate of confinement per 1000 insured women employees exposed	Average amount paid per confinement (₹)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ANDHRA PRADESH											
i) Vijaywada	2018-19	785141	64646	0.08	0.03	0.50	315.05	0.15	535.79	10.20	61002
	2019-20	845073	63031	0.07	0.03	0.47	293.11	0.18	270.58	7.62	66718
ii) Vishakhapatnam	2018-19	479878	48492	0.10	0.03	0.52	285.30	0.20	288.85	12.06	66153
	2019-20	510037	48116	0.09	0.02	0.55	301.70	0.28	322.07	10.37	70230
iii) Tirupati	2018-19	330558	31561	0.10	0.02	0.50	254.30	0.06	133.19	6.29	92031
	2019-20	351459	34036	0.10	0.02	0.50	287.35	0.09	150.90	6.08	89464
ASSAM, MEGHALAYA, TRIPURA, NAGALAND, SIKKIM, MIZORAM, MANIPUR & ARUNACHAL PRADESH	2018-19	386043	15704	0.04	0.01	0.24	243.12	0.13	175.08	9.93	54795
	2019-20	438106	16933	0.04	0.01	0.19	263.16	0.11	411.27	7.42	68167
BIHAR	2018-19	330668	90860	0.27	0.00	0.11	328.26	0.04	0.00	5.85	68147
	2019-20	394823	92575	0.23	0.00	0.09	326.07	0.02	0.00	3.38	102954
CHANDIGARH U.T.	2018-19	289289	14839	0.05	0.00	0.14	289.50	0.15	264.82	11.59	77301
	2019-20	246375	14375	0.06	0.01	0.13	295.33	0.17	189.60	11.83	78135
CHHATTISGARH	2018-19	746127	32485	0.04	0.01	0.16	301.83	0.04	12.48	5.44	76802
	2019-20	762728	40934	0.05	0.01	0.22	317.18	0.07	261.29	4.11	94933
DELHI											
(i) R.O. Delhi+Nand Nagari	2018-19	925050	60655	0.07	0.00	0.14	429.71	0.22	0.00	5.32	127932
	2019-20	837214	58206	0.07	0.00	0.12	543.20	0.18	0.00	4.88	131560
(ii) Okhla	2018-19	1186687	8222	0.01	0.00	0.10	364.05	0.13	0.00	8.25	84830
	2019-20	1082948	8005	0.01	0.00	0.11	395.56	0.11	0.00	8.01	92976
(iii) Rohini	2018-19	332829	11598	0.03	0.01	0.29	320.20	0.27	0.00	7.31	81797
	2019-20	337178	10038	0.03	0.01	0.26	366.46	0.20	0.00	6.66	95663
GOA	2018-19	350569	21652	0.06	0.01	0.24	343.62	0.11	0.00	18.07	87657
	2019-20	330240	21942	0.07	0.01	0.25	365.69	0.12	0.00	19.96	61981
GUJARAT											
(I) Ahmedabad	2018-19	1052968	143455	0.14	0.02	0.30	305.69	0.33	308.75	7.34	66358
	2019-20	1097038	139138	0.13	0.02	0.27	322.03	0.26	259.43	6.26	69219
(II) Alkapuri Baroda	2018-19	386037	48355	0.13	0.02	0.46	306.52	0.40	145.03	7.98	65570
	2019-20	465733	52932	0.11	0.02	0.40	324.17	0.43	150.90	6.40	75895
(iii) Surat	2018-19	635769	23840	0.04	0.01	0.12	363.86	0.09	210.08	8.97	65476
	2019-20	605849	25232	0.04	0.01	0.12	376.96	0.07	280.00	8.91	70270



राज्य / क्षेत्र	अवधि	बीमारी हितलाम के लिए जोखिमग्रस्त माने गए कर्मचारियों की संख्या	नकद हितलाम भुगतानों की कुल संख्या	प्रतिवर्ष प्रति कर्मचारी नकद हितलाम भुगतानों की औसत संख्या	बीमारी हितलाम			विस्तारित बीमारी हितलाम		मातृत्व हितलाम	
					प्रतिवर्ष प्रति कर्मचारी नए दावों की दर	प्रतिवर्ष प्रति कर्मचारी बीमारी हितलाम दिनों की औसत संख्या	औसत दैनिक हितलाम दर	प्रतिवर्ष प्रति 1000 कर्मचारी नए मामलों की दर	प्रति समाप्त मामले की औसत अवधि	प्रति 1000 बीमाकृत महिला कर्मचारी प्रसव की दर	प्रति प्रसव भुगतान की गई औसत राशि (₹)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
हरियाणा											
(i) फरीदाबाद	2018-19	1063533	22704	0.02	0.01	0.25	274.77	0.22	129.82	11.33	65056
	2019-20	1103438	21027	0.02	0.01	0.21	298.15	0.21	106.48	4.74	67654
(ii) गुरुग्राम	2018-19	2393037	38004	0.02	0.00	0.04	298.72	0.03	112.00	4.33	72251
	2019-20	2009418	38507	0.02	0.00	0.04	330.98	0.01	149.30	2.95	69199
iii) अम्बाला	2018-19	335803	4543	0.01	0.00	0.13	282.45	0.07	1.03	4.82	66246
	2019-20	355293	4201	0.01	0.00	0.14	284.09	0.04	1.00	4.49	70078
हिमाचल प्रदेश	2018-19	411562	45165	0.11	0.02	0.49	253.40	0.35	8.28	11.35	46781
	2019-20	437121	48416	0.11	0.02	0.51	270.78	0.55	221.92	10.29	51092
जम्मू एवं कश्मीर	2018-19	360556	13798	0.04	0.01	0.16	242.11	0.11	2778.00	9.59	47319
	2019-20	291142	13225	0.05	0.01	0.17	240.99	0.22	0.00	4.67	68018
झारखंड	2018-19	515718	40687	0.08	0.03	0.34	302.38	0.12	201.14	5.04	61200
	2019-20	571001	42457	0.07	0.02	0.34	307.01	0.13	328.16	4.38	70566
कर्नाटक											
(i) बिन्नी पेट	2018-19	1488799	64654	0.04	0.01	0.20	307.11	0.15	0.00	9.13	71884
	2019-20	1498113	61879	0.04	0.01	0.18	326.57	0.11	0.00	7.63	78106
(ii) बोम्मसान्द्रा	2018-19	1101870	33446	0.03	0.01	0.20	357.32	0.10	295.82	11.61	69891
	2019-20	1075606	29118	0.03	0.01	0.15	402.18	0.05	489.00	7.61	79463
(iii) पीण्णा	2018-19	741303	49709	0.07	0.03	0.45	287.63	0.26	0.00	9.98	78551
	2019-20	723845	48078	0.07	0.02	0.42	307.52	0.20	0.00	8.32	74272
(iv) हुबली	2018-19	427528	69970	0.16	0.05	0.69	300.31	0.21	273.35	8.97	62665
	2019-20	458659	75525	0.16	0.06	0.74	321.92	0.26	196.65	8.35	69877
(v) गुलबर्गा	2018-19	213629	13618	0.06	0.01	0.24	324.91	0.01	0.00	8.88	68811
	2019-20	222013	14298	0.06	0.01	0.26	326.16	0.12	0.00	7.55	60013
vi) मैसूर	2018-19	298031	33348	0.11	0.03	0.43	307.86	0.15	149.72	7.35	75761
	2019-20	322298	27506	0.09	0.02	0.26	124.63	0.13	58.30	7.01	77963
vii) मैंगलुरु	2018-19	267720	20446	0.08	0.02	0.40	291.13	0.10	0.00	28.25	57176
	2019-20	274795	19614	0.07	0.02	0.38	312.61	0.24	0.00	22.09	70683
केरल											
(i) तृशूर	2018-19	222871	80223	0.36	0.12	1.18	352.18	1.31	268.39	27.89	82441
	2019-20	226475	71820	0.32	0.09	1.10	335.36	1.26	273.18	21.15	80585
(ii) एर्णाकुलम	2018-19	580234	107837	0.19	0.04	0.79	325.75	0.49	0.00	32.56	75089
	2019-20	586107	102175	0.17	0.04	0.76	348.97	0.52	0.00	22.70	85403
(iii) कोल्लम	2018-19	194644	71238	0.37	0.07	1.48	265.34	1.35	950.57	19.23	66168
	2019-20	199472	67196	0.34	0.07	1.44	275.44	1.10	346.36	13.05	79142
(iv) कोझिकोड	2018-19	234361	74726	0.32	0.07	1.01	291.93	0.97	282.71	31.33	68150
	2019-20	237265	76229	0.32	0.07	1.05	321.50	1.01	239.27	22.70	85403
v) तिरुवनंतपुरम	2018-19	177116	33396	0.19	0.03	0.91	294.11	0.85	0.00	26.92	74696
	2019-20	190003	32411	0.17	0.03	0.93	303.68	0.89	0.00	17.28	88290



STATE/AREA	PERIOD	No. of employees deemed exposed to risk of Sickness Benefit	Total No. of cash benefit payments	Average No. of cash benefit payments per employee per annum	SICKNESS BENEFIT			EXTENDED SICKNESS BENEFIT		MATERNITY BENEFIT	
					Rate of fresh spells p.e.p.a.	Average no. of sickness benefit days p.e.p.a.	Average daily benefit rate	Rate of fresh cases per 1000 employees per annum	Average duration per terminated case	Rate of confinement per 1000 insured women employees exposed	Average amount paid per confinement (₹)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Haryana											
(i) Faridabad	2018-19	1063533	22704	0.02	0.01	0.25	274.77	0.22	129.82	11.33	65056
	2019-20	1103438	21027	0.02	0.01	0.21	298.15	0.21	106.48	4.74	67654
(ii) Gurugram	2018-19	2393037	38004	0.02	0.00	0.04	298.72	0.03	112.00	4.33	72251
	2019-20	2009418	38507	0.02	0.00	0.04	330.98	0.01	149.30	2.95	69199
(iii) Ambala	2018-19	335803	4543	0.01	0.00	0.13	282.45	0.07	1.03	4.82	66246
	2019-20	355293	4201	0.01	0.00	0.14	284.09	0.04	1.00	4.49	70078
HIMACHAL PRADESH	2018-19	411562	45165	0.11	0.02	0.49	253.40	0.35	8.28	11.35	46781
	2019-20	437121	48416	0.11	0.02	0.51	270.78	0.55	221.92	10.29	51092
JAMMU & KASHMIR	2018-19	360556	13798	0.04	0.01	0.16	242.11	0.11	2778.00	9.59	47319
	2019-20	291142	13225	0.05	0.01	0.17	240.99	0.22	0.00	4.67	68018
Jharkhand	2018-19	515718	40687	0.08	0.03	0.34	302.38	0.12	201.14	5.04	61200
	2019-20	571001	42457	0.07	0.02	0.34	307.01	0.13	328.16	4.38	70566
KARNATAKA											
(i) Binny peth	2018-19	1488799	64654	0.04	0.01	0.20	307.11	0.15	0.00	9.13	71884
	2019-20	1498113	61879	0.04	0.01	0.18	326.57	0.11	0.00	7.63	78106
(ii) Bommasandra	2018-19	1101870	33446	0.03	0.01	0.20	357.32	0.10	295.82	11.61	69891
	2019-20	1075606	29118	0.03	0.01	0.15	402.18	0.05	489.00	7.61	79463
(iii) Peenya	2018-19	741303	49709	0.07	0.03	0.45	287.63	0.26	0.00	9.98	78551
	2019-20	723845	48078	0.07	0.02	0.42	307.52	0.20	0.00	8.32	74272
(iv) Hubli	2018-19	427528	69970	0.16	0.05	0.69	300.31	0.21	273.35	8.97	62665
	2019-20	458659	75525	0.16	0.06	0.74	321.92	0.26	196.65	8.35	69877
(v) Gulbarga	2018-19	213629	13618	0.06	0.01	0.24	324.91	0.01	0.00	8.88	68811
	2019-20	222013	14298	0.06	0.01	0.26	326.16	0.12	0.00	7.55	60013
(vi) Mysore	2018-19	298031	33348	0.11	0.03	0.43	307.86	0.15	149.72	7.35	75761
	2019-20	322298	27506	0.09	0.02	0.26	124.63	0.13	58.30	7.01	77963
(vii) Mangalore	2018-19	267720	20446	0.08	0.02	0.40	291.13	0.10	0.00	28.25	57176
	2019-20	274795	19614	0.07	0.02	0.38	312.61	0.24	0.00	22.09	70683
KERALA											
(i) Thrissur	2018-19	222871	80223	0.36	0.12	1.18	352.18	1.31	268.39	27.89	82441
	2019-20	226475	71820	0.32	0.09	1.10	335.36	1.26	273.18	21.15	80585
(ii) Ernakulam	2018-19	580234	107837	0.19	0.04	0.79	325.75	0.49	0.00	32.56	75089
	2019-20	586107	102175	0.17	0.04	0.76	348.97	0.52	0.00	22.70	85403
(iii) Kollam	2018-19	194644	71238	0.37	0.07	1.48	265.34	1.35	950.57	19.23	66168
	2019-20	199472	67196	0.34	0.07	1.44	275.44	1.10	346.36	13.05	79142
(iv) Kozhikode	2018-19	234361	74726	0.32	0.07	1.01	291.93	0.97	282.71	31.33	68150
	2019-20	237265	76229	0.32	0.07	1.05	321.50	1.01	239.27	22.70	85403
(v) Thiruvanthapuram	2018-19	177116	33396	0.19	0.03	0.91	294.11	0.85	0.00	26.92	74696
	2019-20	190003	32411	0.17	0.03	0.93	303.68	0.89	0.00	17.28	88290



राज्य / क्षेत्र	अवधि	बीमारी हितलाम के लिए जोखिमग्रस्त माने गए कर्मचारियों की संख्या	नकद हितलाम भुगतानों की कुल संख्या	प्रतिवर्ष प्रति कर्मचारी नकद हितलाम भुगतानों की औसत संख्या	बीमारी हितलाम			विस्तारित बीमारी हितलाम		मातृत्व हितलाम	
					प्रतिवर्ष प्रति कर्मचारी नए दावों की दर	प्रतिवर्ष प्रति कर्मचारी बीमारी हितलाम दिनों की औसत संख्या	औसत दैनिक हितलाम दर	प्रतिवर्ष प्रति 1000 कर्मचारी नए मामलों की दर	प्रति समाप्त मामले की औसत अवधि	प्रति 1000 बीमाकृत महिला कर्मचारी प्रसव की दर	प्रति प्रसव भुगतान की गई औसत राशि (₹)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
मध्य प्रदेश											
i) इंदौर	2018-19	861704	117699	0.14	0.03	0.41	282.87	0.14	11389.50	6.97	48685
	2019-20	901805	123092	0.14	0.03	0.40	289.03	0.14	11389.50	5.31	64688
ii) भोपाल	2018-19	407925	44775	0.11	0.02	0.42	266.98	0.24	0.00	5.78	66069
	2019-20	467759	15645	0.03	0.01	0.35	284.37	0.14	0.00	3.81	102258
महाराष्ट्र											
(i) लोअर परेल	2018-19	933731	82046	0.09	0.00	0.12	387.27	0.09	219.18	9.03	102254
	2019-20	877128	80072	0.09	0.00	0.07	760.76	0.07	8.54	5.58	144733
(ii) मरोल	2018-19	1343104	80213	0.06	0.01	0.12	370.69	0.05	561.57	11.49	85364
	2019-20	1285649	81023	0.06	0.01	0.13	417.69	0.08	411.29	10.46	89723
(iii) नागपुर	2018-19	462447	60902	0.13	0.04	0.56	298.95	0.35	881.41	9.80	74025
	2019-20	482086	70700	0.15	0.05	0.62	317.36	0.45	223.98	8.79	70902
(iv) पुणे	2018-19	1828528	154254	0.08	0.01	0.22	309.74	0.08	163.92	9.66	46004
	2019-20	1955407	157342	0.08	0.01	0.20	344.91	0.09	374.00	5.27	89313
(v) ठाणे	2018-19	1044682	101440	0.10	0.01	0.16	369.26	0.13	206.48	9.71	82321
	2019-20	1097029	92638	0.08	0.01	0.15	391.62	0.17	148.54	7.26	97189
vi) औरंगाबाद	2018-19	336548	32495	0.10	0.03	0.40	340.14	0.12	0.00	4.80	65609
	2019-20	368828	31530	0.09	0.02	0.35	320.83	0.07	0.00	3.38	72711
vii) नासिक	2018-19	232163	32920	0.14	0.03	0.46	334.25	0.28	0.00	10.97	68805
	2019-20	260033	34108	0.13	0.02	0.37	369.41	0.24	0.00	8.13	75430
ओडिशा	2018-19	885636	64162	0.07	0.01	0.29	281.14	0.13	271.93	9.14	57419
	2019-20	948693	66228	0.07	0.01	0.28	318.11	0.13	371.85	8.77	61362
पुदुच्चेरी	2018-19	163255	34771	0.21	0.06	0.74	307.32	0.77	272.69	18.85	70353
	2019-20	160867	34248	0.21	0.05	0.74	292.14	0.50	116.65	13.36	78806
पंजाब											
(i) क्षे.का. पंजाब	2018-19	656365	86060	0.13	0.01	0.27	274.19	0.23	737.67	10.48	60032
	2019-20	635276	90136	0.14	0.01	0.27	290.13	0.19	205.42	6.91	66181
(ii) जालंधर	2018-19	342569	64418	0.19	0.01	0.43	247.57	0.20	75.87	10.12	57705
	2019-20	370266	65934	0.18	0.01	0.40	266.01	0.31	193.65	7.67	66685
(iii) लुधियाना	2018-19	551095	43830	0.08	0.01	0.33	263.12	0.38	240.84	8.48	61997
	2019-20	554742	133548	0.24	0.01	0.27	313.94	0.26	189.48	5.83	59838
राजस्थान											
(i) जयपुर	2018-19	1341278	82329	0.06	0.01	0.16	277.91	0.06	73.39	6.61	68587
	2019-20	1362602	85196	0.06	0.01	0.16	293.64	0.08	164.46	5.08	69071
(ii) उदयपुर	2018-19	290241	33174	0.11	0.02	0.30	302.87	0.06	0.00	11.27	46500
	2019-20	299623	31199	0.10	0.01	0.28	347.66	0.11	0.00	6.93	78045



STATE/AREA	PERIOD	No. of employees deemed exposed to risk of Sickness Benefit	Total No. of cash benefit payments	Average No. of cash benefit payments per employee per annum	SICKNESS BENEFIT			EXTENDED SICKNESS BENEFIT		MATERNITY BENEFIT	
					Rate of fresh spells p.e.p.a.	Average no. of sickness benefit days p.e.p.a.	Average daily benefit rate	Rate of fresh cases per 1000 employees per annum	Average duration per terminated case	Rate of confinement per 1000 insured women employees exposed	Average amount paid per confinement (₹)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MADHYA PRADESH											
i) Inodre	2018-19	861704	117699	0.14	0.03	0.41	282.87	0.14	11389.50	6.97	48685
	2019-20	901805	123092	0.14	0.03	0.40	289.03	0.14	11389.50	5.31	64688
ii) Bhopal	2018-19	407925	44775	0.11	0.02	0.42	266.98	0.24	0.00	5.78	66069
	2019-20	467759	15645	0.03	0.01	0.35	284.37	0.14	0.00	3.81	102258
MAHARASHTRA											
(i) Lower Parel	2018-19	933731	82046	0.09	0.00	0.12	387.27	0.09	219.18	9.03	102254
	2019-20	877128	80072	0.09	0.00	0.07	760.76	0.07	8.54	5.58	144733
(ii) Marol	2018-19	1343104	80213	0.06	0.01	0.12	370.69	0.05	561.57	11.49	85364
	2019-20	1285649	81023	0.06	0.01	0.13	417.69	0.08	411.29	10.46	89723
(iii) Nagpur	2018-19	462447	60902	0.13	0.04	0.56	298.95	0.35	881.41	9.80	74025
	2019-20	482086	70700	0.15	0.05	0.62	317.36	0.45	223.98	8.79	70902
(iv) Pune	2018-19	1828528	154254	0.08	0.01	0.22	309.74	0.08	163.92	9.66	46004
	2019-20	1955407	157342	0.08	0.01	0.20	344.91	0.09	374.00	5.27	89313
(v) Thane	2018-19	1044682	101440	0.10	0.01	0.16	369.26	0.13	206.48	9.71	82321
	2019-20	1097029	92638	0.08	0.01	0.15	391.62	0.17	148.54	7.26	97189
vi) Aurangabad	2018-19	336548	32495	0.10	0.03	0.40	340.14	0.12	0.00	4.80	65609
	2019-20	368828	31530	0.09	0.02	0.35	320.83	0.07	0.00	3.38	72711
vii) Nasik	2018-19	232163	32920	0.14	0.03	0.46	334.25	0.28	0.00	10.97	68805
	2019-20	260033	34108	0.13	0.02	0.37	369.41	0.24	0.00	8.13	75430
ODISHA	2018-19	885636	64162	0.07	0.01	0.29	281.14	0.13	271.93	9.14	57419
	2019-20	948693	66228	0.07	0.01	0.28	318.11	0.13	371.85	8.77	61362
PUDUCHERRY	2018-19	163255	34771	0.21	0.06	0.74	307.32	0.77	272.69	18.85	70353
	2019-20	160867	34248	0.21	0.05	0.74	292.14	0.50	116.65	13.36	78806
PUNJAB											
(i) R.O. Punjab	2018-19	656365	86060	0.13	0.01	0.27	274.19	0.23	737.67	10.48	60032
	2019-20	635276	90136	0.14	0.01	0.27	290.13	0.19	205.42	6.91	66181
(ii) Jalandhar	2018-19	342569	64418	0.19	0.01	0.43	247.57	0.20	75.87	10.12	57705
	2019-20	370266	65934	0.18	0.01	0.40	266.01	0.31	193.65	7.67	66685
(iii) Ludhaina	2018-19	551095	43830	0.08	0.01	0.33	263.12	0.38	240.84	8.48	61997
	2019-20	554742	133548	0.24	0.01	0.27	313.94	0.26	189.48	5.83	59838
RAJASTHAN											
(i) Jaipur	2018-19	1341278	82329	0.06	0.01	0.16	277.91	0.06	73.39	6.61	68587
	2019-20	1362602	85196	0.06	0.01	0.16	293.64	0.08	164.46	5.08	69071
(ii) Udaipur	2018-19	290241	33174	0.11	0.02	0.30	302.87	0.06	0.00	11.27	46500
	2019-20	299623	31199	0.10	0.01	0.28	347.66	0.11	0.00	6.93	78045



राज्य / क्षेत्र	अवधि	बीमारी हितलाम के लिए जोखिमग्रस्त माने गए कर्मचारियों की संख्या	नकद हितलाम भुगतानों की कुल संख्या	प्रतिवर्ष प्रति कर्मचारी नकद हितलाम भुगतानों की औसत संख्या	बीमारी हितलाम			विस्तारित बीमारी हितलाम		मातृत्व हितलाम	
					प्रतिवर्ष प्रति कर्मचारी नए दावों की दर	प्रतिवर्ष प्रति कर्मचारी बीमारी हितलाम दिनों की औसत संख्या	औसत दैनिक हितलाम दर	प्रतिवर्ष प्रति 1000 कर्मचारी नए मामलों की दर	प्रति समाप्त मामले की औसत अवधि	प्रति 1000 बीमाकृत महिला कर्मचारी प्रसव की दर	प्रति प्रसव भुगतान की गई औसत राशि (₹)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
iii) जोधपुर	2018-19	225430	35780	0.16	0.03	0.51	309.39	0.12	0.00	7.01	61339
	2019-20	248520	37155	0.15	0.03	0.51	334.23	0.08	0.00	4.10	62964
तमिलनाडु											
(i) चेन्नई	2018-19	3130201	140994	0.05	0.00	0.14	305.86	0.10	141.71	9.09	74013
	2019-20	3002472	135847	0.05	0.00	0.16	317.38	0.13	165.55	7.82	77162
(ii) कोयंबटूर	2018-19	1042392	65809	0.06	0.01	0.15	339.41	0.10	114.50	6.83	73293
	2019-20	1092350	67808	0.06	0.01	0.16	325.05	0.11	0.00	4.62	85902
(iii) मदुरै	2018-19	587060	65189	0.11	0.01	0.32	221.10	0.38	235.57	7.60	52630
	2019-20	599568	72450	0.12	0.01	0.32	236.08	0.37	253.92	6.43	59759
(iv) सेलम	2018-19	562622	38704	0.07	0.01	0.16	274.83	0.09	195.38	9.63	64879
	2019-20	569931	40616	0.07	0.01	0.18	300.54	0.10	913.40	7.01	79886
(v) तिरुनेलवेली	2018-19	287002	28560	0.10	0.01	0.28	256.13	0.35	322.03	9.48	61242
	2019-20	273646	30661	0.11	0.01	0.31	272.59	0.46	275.02	7.92	66329
तेलंगाना	2018-19	2317360	133477	0.06	0.01	0.21	292.70	0.03	237.18	9.33	64811
	2019-20	2388020	123170	0.05	0.01	0.18	304.16	0.02	275.02	6.33	75593
उत्तर प्रदेश											
(i) कानपुर	2018-19	582743	86335	0.15	0.01	0.21	271.07	0.22	0.00	1.83	119420
	2019-20	632778	63170	0.10	0.01	0.32	138.66	0.21	0.00	1.61	81680
(ii) नोएडा	2018-19	1536497	17014	0.00	0.00	0.16	312.49	0.10	0.00	3.84	98883
	2019-20	1605676	93077	0.00	0.00	0.20	278.83	0.14	0.00	3.45	113122
(iii) वाराणसी	2018-19	127217	40859	0.32	0.00	0.08	285.76	0.04	18.91	3.04	41702
	2019-20	155396	39665	0.26	0.00	0.06	275.06	0.05	21.94	4.44	47157
(iv) लखनऊ	2018-19	530934	61749	0.12	0.00	0.07	257.89	0.05	148.00	4.37	63121
	2019-20	621108	68391	0.11	0.00	0.05	277.95	0.03	0.00	2.96	83841
उत्तराखंड	2018-19	838036	14570	0.02	0.01	0.24	320.54	0.02	0.00	6.47	68551
	2019-20	831238	34207	0.04	0.02	0.29	303.82	0.01	0.00	7.54	60233
पश्चिम बंगाल											
(i) कोलकाता	2018-19	1924306	332700	0.17	0.02	0.59	298.90	0.52	131.83	4.53	81242
	2019-20	1929205	329682	0.17	0.02	0.56	315.97	0.70	157.67	5.06	78241
(ii) बैरकपुर	2018-19	431271	191632	0.44	0.02	0.73	291.41	0.85	211.20	4.29	54278
	2019-20	439622	204553	0.47	0.02	0.66	325.99	1.15	224.18	3.83	57143
(iii) दुर्गापुर	2018-19	291333	20755	0.07	0.02	0.46	258.60	0.26	513.51	5.15	50361
	2019-20	320229	21900	0.07	0.01	0.41	272.69	0.36	557.11	3.51	72919
अखिल भारत	2018-19	45341603	3823491	0.08	0.01	0.28	301.41	0.18	356.06	10.30	70013
	2019-20	45824417	3974166	0.09	0.01	0.27	317.87	0.20	275.26	7.85	77971



STATE/AREA	PERIOD	No. of employees deemed exposed to risk of Sickness Benefit	Total No. of cash benefit payments	Average No. of cash benefit payments per employee per annum	SICKNESS BENEFIT			EXTENDED SICKNESS BENEFIT		MATERNITY BENEFIT	
					Rate of fresh spells p.e.p.a.	Average no. of sickness benefit days p.e.p.a.	Average daily benefit rate	Rate of fresh cases per 1000 employees per annum	Average duration per terminated case	Rate of confinement per 1000 insured women employees exposed	Average amount paid per confinement (₹)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
iii) Jodhpur	2018-19	225430	35780	0.16	0.03	0.51	309.39	0.12	0.00	7.01	61339
	2019-20	248520	37155	0.15	0.03	0.51	334.23	0.08	0.00	4.10	62964
TAMIL NADU											
(i) Chennai	2018-19	3130201	140994	0.05	0.00	0.14	305.86	0.10	141.71	9.09	74013
	2019-20	3002472	135847	0.05	0.00	0.16	317.38	0.13	165.55	7.82	77162
(ii) Coimbatore	2018-19	1042392	65809	0.06	0.01	0.15	339.41	0.10	114.50	6.83	73293
	2019-20	1092350	67808	0.06	0.01	0.16	325.05	0.11	0.00	4.62	85902
(iii) Madurai	2018-19	587060	65189	0.11	0.01	0.32	221.10	0.38	235.57	7.60	52630
	2019-20	599568	72450	0.12	0.01	0.32	236.08	0.37	253.92	6.43	59759
(iv) Salem	2018-19	562622	38704	0.07	0.01	0.16	274.83	0.09	195.38	9.63	64879
	2019-20	569931	40616	0.07	0.01	0.18	300.54	0.10	913.40	7.01	79886
(v) Tirunelveli	2018-19	287002	28560	0.10	0.01	0.28	256.13	0.35	322.03	9.48	61242
	2019-20	273646	30661	0.11	0.01	0.31	272.59	0.46	275.02	7.92	66329
TELANGANA	2018-19	2317360	133477	0.06	0.01	0.21	292.70	0.03	237.18	9.33	64811
	2019-20	2388020	123170	0.05	0.01	0.18	304.16	0.02	275.02	6.33	75593
UTTAR PRADESH											
(i) Kanpur	2018-19	582743	86335	0.15	0.01	0.21	271.07	0.22	0.00	1.83	119420
	2019-20	632778	63170	0.10	0.01	0.32	138.66	0.21	0.00	1.61	81680
(ii) Noida	2018-19	1536497	17014	0.00	0.00	0.16	312.49	0.10	0.00	3.84	98883
	2019-20	1605676	93077	0.00	0.00	0.20	278.83	0.14	0.00	3.45	113122
(iii) Varanasi	2018-19	127217	40859	0.32	0.00	0.08	285.76	0.04	18.91	3.04	41702
	2019-20	155396	39665	0.26	0.00	0.06	275.06	0.05	21.94	4.44	47157
(iv) Lucknow	2018-19	530934	61749	0.12	0.00	0.07	257.89	0.05	148.00	4.37	63121
	2019-20	621108	68391	0.11	0.00	0.05	277.95	0.03	0.00	2.96	83841
UTTARAKHAND	2018-19	838036	14570	0.02	0.01	0.24	320.54	0.02	0.00	6.47	68551
	2019-20	831238	34207	0.04	0.02	0.29	303.82	0.01	0.00	7.54	60233
WEST BENGAL											
(i) Kolkata	2018-19	1924306	332700	0.17	0.02	0.59	298.90	0.52	131.83	4.53	81242
	2019-20	1929205	329682	0.17	0.02	0.56	315.97	0.70	157.67	5.06	78241
(ii) Barrackpore	2018-19	431271	191632	0.44	0.02	0.73	291.41	0.85	211.20	4.29	54278
	2019-20	439622	204553	0.47	0.02	0.66	325.99	1.15	224.18	3.83	57143
(iii) Durgapur	2018-19	291333	20755	0.07	0.02	0.46	258.60	0.26	513.51	5.15	50361
	2019-20	320229	21900	0.07	0.01	0.41	272.69	0.36	557.11	3.51	72919
ALL INDIA	2018-19	45341603	3823491	0.08	0.01	0.28	301.41	0.18	356.06	10.30	70013
	2019-20	45824417	3974166	0.09	0.01	0.27	317.87	0.20	275.26	7.85	77971



परिशिष्ट-IV-ख

वर्ष 2018-2019 एवं 2019-2020 के दौरान स्वीकृत स्थायी निःशक्तता हितलाम, अस्थायी निःशक्तता हितलाम तथा आश्रितजन हितलाम दावों की घटना-दर (राज्यवार)

राज्य / क्षेत्र	अवधि	रोजगार चोट में जोखिमग्रस्त माने गए कर्मचारियों की संख्या	अस्थायी निःशक्तता हितलाम			स्थायी निःशक्तता हितलाम				आश्रितजन हितलाम	
			प्रतिवर्ष प्रति कर्मचारी नए दावों की दर	प्रतिवर्ष प्रति कर्मचारी दिनों की संख्या	अस्थायी निःशक्तता हितलाम की औसत दैनिक दर (₹ में)	स्वीकृत नए मामलों की संख्या	प्रतिवर्ष प्रति 1000 कर्मचारी नए मामलों की दर	एकमुश्त भगु तान के लिए संराशीकृत मामलों की संख्या	वर्ष के अंत में हित लाभार्थियों की संख्या	मृत्यु के स्वीकृत मामलों की संख्या	वर्ष के अंत में हित लाभार्थियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आंध्र प्रदेश											
i) विजयवाड़ा	2018-19	560445	0.000	0.03	321.53	126	0.22	124	2202	75	1355
	2019-20	584495	0.000	0.03	367.48	113	0.19	69	2308	34	1431
ii) विशाखापट्टनम	2018-19	331935	0.000	0.09	314.41	94	0.28	39	1791	33	766
	2019-20	355515	0.000	0.06	342.60	135	0.38	36	1916	35	851
iii) तिरुपति	2018-19	232975	0.000	0.04	301.48	13	0.06	0	8	20	52
	2019-20	243225	0.000	0.04	334.13	35	0.14	4	24	74	173
असम, मेघालय नागालैण्ड, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश	2018-19	278910	0.000	0.03	248.05	18	0.06	0	524	4	730
	2019-20	308905	0.000	0.03	299.16	19	0.06	0	552	16	763
बिहार	2018-19	236875	0.000	0.04	389.58	20	0.08	0	4684	39	1861
	2019-20	285645	0.000	0.03	351.29	18	0.06	0	4700	42	2009
चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र	2018-19	187385	0.000	0.04	357.02	28	0.15	4	7914	20	753
	2019-20	155790	0.000	0.05	332.83	45	0.29	7	7931	12	783
छत्तीसगढ़	2018-19	540690	0.000	0.04	315.18	102	0.19	0	1215	128	1982
	2019-20	511975	0.000	0.05	351.41	98	0.19	0	1289	139	2357
दिल्ली											
(i) राजेन्द्र प्लेस	2018-19	583280	0.000	0.04	509.94	64	0.11	0	5915	31	4838
	2019-20	562035	0.000	0.04	514.84	74	0.13	0	6678	40	4977
(ii) ओखला	2018-19	808735	0.000	0.01	524.62	23	0.03	0	1287	19	730
	2019-20	697390	0.000	0.01	799.40	17	0.02	0	1307	42	879
(iii) रोहिणी	2018-19	227885	0.000	0.30	335.25	384	1.69	0	2674	23	752
	2019-20	230645	0.000	0.21	395.34	379	1.64	0	2674	104	856
गोवा	2018-19	236195	0.000	0.05	407.92	25	0.11	5	1092	13	746
	2019-20	221415	0.000	0.05	406.87	26	0.12	0	1119	16	788
गुजरात											
(i) अहमदाबाद	2018-19	733070	0.010	0.15	365.03	474	0.65	94	11268	62	8048
	2019-20	753935	0.000	0.11	379.23	476	0.63	63	11489	99	8301
(ii) अलकापुरी वड़ोदरा	2018-19	268065	0.000	0.13	343.63	42	0.16	0	1953	32	1023
	2019-20	340885	0.000	0.11	361.91	107	0.31	1	2024	25	1075
(iii) सूरत	2018-19	428815	0.000	0.04	420.45	68	0.16	0	1013	70	1416
	2019-20	404810	0.000	0.04	451.93	81	0.20	0	1108	64	1581



APPENDIX-IV-B

Incidence of PDB, TDB and DB Claims admitted during the year 2018-19 & 2019-20 [State-Wise]

STATE/ AREA	Period	No. of employees deemed exposed to E.I.	Temporary Disablement Benefit			Permanent Disablement Benefit				Dependants' Benefit	
			Rate of fresh spells per employee per annum	No. of days per employee per annum	Average daily rate of TDB (₹)	No. of fresh cases admitted	Rate of fresh case per 1000 employees per annum	No. of cases commuted for lump-sum	No. of beneficiaries at the end of the year	No. of death cases admitted	No. of beneficiaries at the end of the year
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Andhra Pradesh											
i) Vijayawada	2018-19	560445	0.000	0.03	321.53	126	0.22	124	2202	75	1355
	2019-20	584495	0.000	0.03	367.48	113	0.19	69	2308	34	1431
ii) Vishakhapatnam	2018-19	331935	0.000	0.09	314.41	94	0.28	39	1791	33	766
	2019-20	355515	0.000	0.06	342.60	135	0.38	36	1916	35	851
iii) Tirupati	2018-19	232975	0.000	0.04	301.48	13	0.06	0	8	20	52
	2019-20	243225	0.000	0.04	334.13	35	0.14	4	24	74	173
ASSAM, MEGHALAYA, NAGLAND, SIKKIM, MANIPUR, TRIPURA, MIZORAM & ARUNACHAL PRADESH	2018-19	278910	0.000	0.03	248.05	18	0.06	0	524	4	730
	2019-20	308905	0.000	0.03	299.16	19	0.06	0	552	16	763
BIHAR	2018-19	236875	0.000	0.04	389.58	20	0.08	0	4684	39	1861
	2019-20	285645	0.000	0.03	351.29	18	0.06	0	4700	42	2009
CHANDIGARH U.T.	2018-19	187385	0.000	0.04	357.02	28	0.15	4	7914	20	753
	2019-20	155790	0.000	0.05	332.83	45	0.29	7	7931	12	783
CHHATTISGARH	2018-19	540690	0.000	0.04	315.18	102	0.19	0	1215	128	1982
	2019-20	511975	0.000	0.05	351.41	98	0.19	0	1289	139	2357
Delhi											
(i) Rajindra Place	2018-19	583280	0.000	0.04	509.94	64	0.11	0	5915	31	4838
	2019-20	562035	0.000	0.04	514.84	74	0.13	0	6678	40	4977
(ii) Okhla	2018-19	808735	0.000	0.01	524.62	23	0.03	0	1287	19	730
	2019-20	697390	0.000	0.01	799.40	17	0.02	0	1307	42	879
(iii) Rohini	2018-19	227885	0.000	0.30	335.25	384	1.69	0	2674	23	752
	2019-20	230645	0.000	0.21	395.34	379	1.64	0	2674	104	856
GOA	2018-19	236195	0.000	0.05	407.92	25	0.11	5	1092	13	746
	2019-20	221415	0.000	0.05	406.87	26	0.12	0	1119	16	788
Gujarat											
(i) Ahmedabad	2018-19	733070	0.010	0.15	365.03	474	0.65	94	11268	62	8048
	2019-20	753935	0.000	0.11	379.23	476	0.63	63	11489	99	8301
(ii) Alkapuri Baroda	2018-19	268065	0.000	0.13	343.63	42	0.16	0	1953	32	1023
	2019-20	340885	0.000	0.11	361.91	107	0.31	1	2024	25	1075
(iii) Surat	2018-19	428815	0.000	0.04	420.45	68	0.16	0	1013	70	1416
	2019-20	404810	0.000	0.04	451.93	81	0.20	0	1108	64	1581



राज्य / क्षेत्र	अवधि	रोजगार चोट में जोखिमग्रस्त माने गए कर्मचारियों की संख्या	अस्थायी निःशक्तता हितलाभ			स्थायी निःशक्तता हितलाभ				आश्रितजन हितलाभ	
			प्रतिवर्ष प्रति कर्मचारी नए दावों की दर	प्रतिवर्ष प्रति कर्मचारी दिनों की संख्या	अस्थायी निःशक्तता हितलाभ की औसत दैनिक दर (₹ में)	स्वीकृत नए मामलों की संख्या	प्रतिवर्ष प्रति 1000 कर्मचारी नए मामलों की दर	एकमुश्त भगु तान के लिए संराशीकृत मामलों की संख्या	वर्ष के अंत में हित लाभार्थियों की संख्या	मृत्यु के स्वीकृत मामलों की संख्या	वर्ष के अंत में हित लाभार्थियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
हरियाणा											
(i) फरीदाबाद	2018-19	742645	0.000	0.14	294.31	685	0.92	0	18383	73	5987
	2019-20	757205	0.000	0.09	325.43	485	0.64	0	19021	74	6199
(ii) गुरुग्राम	2018-19	1559155	0.000	0.01	296.44	253	0.16	0	2811	83	688
	2019-20	1268035	0.000	0.01	341.32	143	0.11	0	2965	36	787
(iii) अम्बाला	2018-19	237680	0.000	0.09	304.83	48	0.20	3	407	8	295
	2019-20	244145	0.000	0.07	298.34	32	0.13	0	500	22	347
हिमाचल प्रदेश	2018-19	287420	0.000	0.15	286.77	292	1.02	8	1466	60	1130
	2019-20	303220	0.000	0.15	317.38	207	0.68	2	1699	43	1237
जम्मू एवं कश्मीर	2018-19	245380	0.000	0.04	289.82	35	0.14	2	560	19	707
	2019-20	174375	0.000	0.05	351.70	26	0.15	0	593	15	751
झारखंड	2018-19	367435	0.000	0.05	311.88	36	0.10	0	1511	29	921
	2019-20	400560	0.000	0.05	347.17	31	0.08	0	1544	11	954
कर्नाटक											
(i) बिन्नी पेट	2018-19	1022680	0.000	0.03	372.85	62	0.06	3	6159	26	2761
	2019-20	1017555	0.000	0.02	387.73	69	0.07	0	6203	18	2798
(ii) बोम्मसान्द्रा	2018-19	741285	0.000	0.01	366.85	28	0.04	0	1129	0	194
	2019-20	726530	0.000	0.01	544.91	10	0.01	0	1200	10	218
(iii) पीण्पा	2018-19	503765	0.000	0.04	372.48	56	0.11	12	5997	4	221
	2019-20	486755	0.000	0.03	392.32	21	0.04	1	6037	4	230
(iv) हुबली	2018-19	297975	0.000	0.12	346.08	75	0.25	14	2562	41	1475
	2019-20	320330	0.000	0.09	393.14	86	0.27	6	2655	53	1607
(v) गुलबर्गा	2018-19	146620	0.000	0.02	425.32	7	0.05	1	500	17	134
	2019-20	153140	0.000	0.04	403.76	8	0.05	0	510	18	180
vi) मैसूर	2018-19	208600	0.000	0.04	354.53	29	0.14	2	176	6	122
	2019-20	225245	0.000	0.03	466.77	31	0.14	1	191	8	137
vii) मैंगलुरु	2018-19	185630	0.000	0.04	342.98	19	0.10	0	36	15	81
	2019-20	187810	0.000	0.04	439.19	9	0.05	0	43	30	179
केरल											
(i) तृशूर	2018-19	155700	0.010	0.28	318.07	38	0.24	1	4280	11	2014
	2019-20	153420	0.010	0.31	336.51	67	0.44	1	4326	18	2054
(ii) कोझिकोड	2018-19	164295	0.010	0.27	287.77	56	0.34	0	1236	12	167
	2019-20	159770	0.010	0.24	354.33	52	0.33	0	1260	9	188
(iii) एर्णाकुलम	2018-19	399480	0.000	0.19	359.71	70	0.18	0	2666	18	468
	2019-20	398305	0.000	0.17	376.81	35	0.09	1	2754	45	572
(iv) कोल्लम	2018-19	136675	0.010	0.25	264.27	4	0.03	1	2297	5	269
	2019-20	135035	0.000	0.22	293.81	26	0.19	2	2327	6	289
v) तिरुवनंतपुरम	2018-19	123195	0.000	0.11	285.31	18	0.15	0	30	6	51
	2019-20	132785	0.000	0.16	321.69	22	0.17	0	31	10	83



STATE/ AREA	Period	No. of employees deemed exposed to risk to E.I.	Temporary Disablement Benefit			Permanent Disablement Benefit				Dependants' Benefit	
			Rate of fresh spells per employee per annum	No. of days per employee per annum	Average daily rate of TDB (₹)	No. of fresh cases admitted	Rate of fresh case per 1000 employees per annum	No. of cases commuted for lump-sum	No. of beneficiaries at the end of the year	No. of death cases admitted	No. of beneficiaries at the end of the year
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Haryana											
(i) Faridabad	2018-19	742645	0.000	0.14	294.31	685	0.92	0	18383	73	5987
	2019-20	757205	0.000	0.09	325.43	485	0.64	0	19021	74	6199
(ii) Gurugram	2018-19	1559155	0.000	0.01	296.44	253	0.16	0	2811	83	688
	2019-20	1268035	0.000	0.01	341.32	143	0.11	0	2965	36	787
iii) Ambala	2018-19	237680	0.000	0.09	304.83	48	0.20	3	407	8	295
	2019-20	244145	0.000	0.07	298.34	32	0.13	0	500	22	347
HIMACHAL PRADESH	2018-19	287420	0.000	0.15	286.77	292	1.02	8	1466	60	1130
	2019-20	303220	0.000	0.15	317.38	207	0.68	2	1699	43	1237
JAMMU & KASH-MIR	2018-19	245380	0.000	0.04	289.82	35	0.14	2	560	19	707
	2019-20	174375	0.000	0.05	351.70	26	0.15	0	593	15	751
JHARKHAND	2018-19	367435	0.000	0.05	311.88	36	0.10	0	1511	29	921
	2019-20	400560	0.000	0.05	347.17	31	0.08	0	1544	11	954
Karnataka											
(i) Binney peth	2018-19	1022680	0.000	0.03	372.85	62	0.06	3	6159	26	2761
	2019-20	1017555	0.000	0.02	387.73	69	0.07	0	6203	18	2798
(ii) Bommasandra	2018-19	741285	0.000	0.01	366.85	28	0.04	0	1129	0	194
	2019-20	726530	0.000	0.01	544.91	10	0.01	0	1200	10	218
(iii) Peenya	2018-19	503765	0.000	0.04	372.48	56	0.11	12	5997	4	221
	2019-20	486755	0.000	0.03	392.32	21	0.04	1	6037	4	230
(iv) Hubli	2018-19	297975	0.000	0.12	346.08	75	0.25	14	2562	41	1475
	2019-20	320330	0.000	0.09	393.14	86	0.27	6	2655	53	1607
(v) Gulbarga	2018-19	146620	0.000	0.02	425.32	7	0.05	1	500	17	134
	2019-20	153140	0.000	0.04	403.76	8	0.05	0	510	18	180
vi) Mysore	2018-19	208600	0.000	0.04	354.53	29	0.14	2	176	6	122
	2019-20	225245	0.000	0.03	466.77	31	0.14	1	191	8	137
vii) Mangalore	2018-19	185630	0.000	0.04	342.98	19	0.10	0	36	15	81
	2019-20	187810	0.000	0.04	439.19	9	0.05	0	43	30	179
Kerala											
(i) Thrissur	2018-19	155700	0.010	0.28	318.07	38	0.24	1	4280	11	2014
	2019-20	153420	0.010	0.31	336.51	67	0.44	1	4326	18	2054
(ii) Kozhikode	2018-19	164295	0.010	0.27	287.77	56	0.34	0	1236	12	167
	2019-20	159770	0.010	0.24	354.33	52	0.33	0	1260	9	188
(iii) Ernakulam	2018-19	399480	0.000	0.19	359.71	70	0.18	0	2666	18	468
	2019-20	398305	0.000	0.17	376.81	35	0.09	1	2754	45	572
(iv) Kollam	2018-19	136675	0.010	0.25	264.27	4	0.03	1	2297	5	269
	2019-20	135035	0.000	0.22	293.81	26	0.19	2	2327	6	289
v) Thiruvananthapuram	2018-19	123195	0.000	0.11	285.31	18	0.15	0	30	6	51
	2019-20	132785	0.000	0.16	321.69	22	0.17	0	31	10	83



राज्य / क्षेत्र	अवधि	रोजगार चोट में जोखिमग्रस्त माने गए कर्मचारियों की संख्या	अस्थायी निःशक्तता हितलाम			स्थायी निःशक्तता हितलाम				आश्रितजन हितलाम	
			प्रतिवर्ष प्रति कर्मचारी नए दावों की दर	प्रतिवर्ष प्रति कर्मचारी दिनों की संख्या	अस्थायी निःशक्तता हितलाम की औसत दैनिक दर (₹ में)	स्वीकृत नए मामलों की संख्या	प्रतिवर्ष प्रति 1000 कर्मचारी नए मामलों की दर	एकमुश्त भगु तान के लिए संराशीकृत मामलों की संख्या	वर्ष के अंत में हित लाभार्थियों की संख्या	मृत्यु के स्वीकृत मामलों की संख्या	वर्ष के अंत में हित लाभार्थियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
मध्य प्रदेश											
i) इंदौर	2018-19	598755	0.000	0.13	314.07	257	0.43	8	9262	95	5079
	2019-20	622865	0.000	0.12	346.29	277	0.44	6	9454	58	5195
ii) भोपाल	2018-19	306370	0.000	0.11	303.86	72	0.24	0	90	0	0
	2019-20	326095	0.000	0.09	320.27	55	0.17	0	90	2	5
महाराष्ट्र											
(i) लोअर परेल	2018-19	627160	0.000	0.02	420.20	56	0.09	5	9128	19	10257
	2019-20	583705	0.000	0.01	471.50	45	0.08	0	9180	10	10285
(ii) मरोल	2018-19	908465	0.000	0.03	398.72	152	0.17	25	3656	53	689
	2019-20	859810	0.000	0.03	406.74	156	0.18	2	3851	71	858
(iii) नागपुर	2018-19	324135	0.000	0.14	337.59	64	0.20	0	1471	54	1865
	2019-20	330325	0.000	0.14	345.17	62	0.19	2	1551	161	1928
(iv) पुणे	2018-19	1275730	0.000	0.07	366.37	300	0.24	15	13383	20	3120
	2019-20	1362720	0.000	0.06	410.77	516	0.38	7	13824	135	3474
(v) ठाणे	2018-19	735640	0.000	0.04	404.75	224	0.30	7	4063	19	1029
	2019-20	752760	0.000	0.05	430.19	194	0.26	3	4209	73	1206
vi) औरंगाबाद	2018-19	233910	0.000	0.09	381.93	92	0.39	0	1282	22	350
	2019-20	260650	0.000	0.08	394.47	63	0.24	0	1343	43	461
vii) नासिक	2018-19	162095	0.010	0.21	406.55	123	0.76	3	255	8	165
	2019-20	185095	0.000	0.12	421.46	94	0.51	4	346	24	229
ओडिशा	2018-19	624940	0.000	0.05	320.30	55	0.09	0	2620	63	2313
	2019-20	655835	0.000	0.04	385.61	74	0.11	0	2764	69	2490
पुदुच्चेरी	2018-19	112120	0.000	0.12	346.18	32	0.29	1	739	14	367
	2019-20	108085	0.000	0.11	374.12	50	0.46	6	779	17	409
पंजाब											
(i) क्षे.का. पंजाब	2018-19	446335	0.000	0.16	300.51	376	0.84	48	10207	81	7415
	2019-20	424355	0.000	0.17	323.56	283	0.67	49	10474	110	7727
(ii) लुधियाना	2018-19	376865	0.000	0.41	230.91	1212	3.22	172	15613	68	1262
	2019-20	378085	0.000	0.28	297.02	987	2.61	147	16518	48	1392
(iii) जालंधर	2018-19	237300	0.000	0.11	255.60	136	0.57	2	705	42	811
	2019-20	259785	0.000	0.11	307.25	111	0.43	0	916	53	1085
राजस्थान											
(i) जयपुर	2018-19	933725	0.000	0.06	293.84	242	0.26	17	7296	128	5586
	2019-20	927005	0.000	0.06	330.04	193	0.21	11	7489	133	5913
(ii) उदयपुर	2018-19	201210	0.000	0.10	345.71	65	0.32	0	1556	13	431
	2019-20	205855	0.000	0.08	416.49	40	0.19	1	1615	17	467
(iii) जोधपुर	2018-19	161195	0.000	0.10	478.00	62	0.38	1	267	25	622
	2019-20	173860	0.000	0.09	428.15	31	0.18	0	335	72	895



STATE/ AREA	Period	No. of employees deemed exposed to risk to E.I.	Temporary Disablement Benefit			Permanent Disablement Benefit				Dependants' Benefit	
			Rate of fresh spells per employee per annum	No. of days per employee per annum	Average daily rate of TDB (₹)	No. of fresh cases admitted	Rate of fresh case per 1000 employees per annum	No. of cases commuted for lump-sum	No. of beneficiaries at the end of the year	No. of death cases admitted	No. of beneficiaries at the end of the year
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Madhya Pradesh											
i) Indore	2018-19	598755	0.000	0.13	314.07	257	0.43	8	9262	95	5079
	2019-20	622865	0.000	0.12	346.29	277	0.44	6	9454	58	5195
ii) Bhopal	2018-19	306370	0.000	0.11	303.86	72	0.24	0	90	0	0
	2019-20	326095	0.000	0.09	320.27	55	0.17	0	90	2	5
Maharashtra											
(i) Lower Parel	2018-19	627160	0.000	0.02	420.20	56	0.09	5	9128	19	10257
	2019-20	583705	0.000	0.01	471.50	45	0.08	0	9180	10	10285
(ii) Marol	2018-19	908465	0.000	0.03	398.72	152	0.17	25	3656	53	689
	2019-20	859810	0.000	0.03	406.74	156	0.18	2	3851	71	858
(iii) Nagpur	2018-19	324135	0.000	0.14	337.59	64	0.20	0	1471	54	1865
	2019-20	330325	0.000	0.14	345.17	62	0.19	2	1551	161	1928
(iv) Pune	2018-19	1275730	0.000	0.07	366.37	300	0.24	15	13383	20	3120
	2019-20	1362720	0.000	0.06	410.77	516	0.38	7	13824	135	3474
(v) Thane	2018-19	735640	0.000	0.04	404.75	224	0.30	7	4063	19	1029
	2019-20	752760	0.000	0.05	430.19	194	0.26	3	4209	73	1206
vi) Aurangabad	2018-19	233910	0.000	0.09	381.93	92	0.39	0	1282	22	350
	2019-20	260650	0.000	0.08	394.47	63	0.24	0	1343	43	461
vii) Nasik	2018-19	162095	0.010	0.21	406.55	123	0.76	3	255	8	165
	2019-20	185095	0.000	0.12	421.46	94	0.51	4	346	24	229
ODISHA	2018-19	624940	0.000	0.05	320.30	55	0.09	0	2620	63	2313
	2019-20	655835	0.000	0.04	385.61	74	0.11	0	2764	69	2490
PUDUCHERRY	2018-19	112120	0.000	0.12	346.18	32	0.29	1	739	14	367
	2019-20	108085	0.000	0.11	374.12	50	0.46	6	779	17	409
Punjab											
(i) RO Punjab	2018-19	446335	0.000	0.16	300.51	376	0.84	48	10207	81	7415
	2019-20	424355	0.000	0.17	323.56	283	0.67	49	10474	110	7727
(ii) Ludhiana	2018-19	376865	0.000	0.41	230.91	1212	3.22	172	15613	68	1262
	2019-20	378085	0.000	0.28	297.02	987	2.61	147	16518	48	1392
(iii) Jalandhar	2018-19	237300	0.000	0.11	255.60	136	0.57	2	705	42	811
	2019-20	259785	0.000	0.11	307.25	111	0.43	0	916	53	1085
Rajasthan											
(i) Jaipur	2018-19	933725	0.000	0.06	293.84	242	0.26	17	7296	128	5586
	2019-20	927005	0.000	0.06	330.04	193	0.21	11	7489	133	5913
(ii) Udaipur	2018-19	201210	0.000	0.10	345.71	65	0.32	0	1556	13	431
	2019-20	205855	0.000	0.08	416.49	40	0.19	1	1615	17	467
(iii) Jodhpur	2018-19	161195	0.000	0.10	478.00	62	0.38	1	267	25	622
	2019-20	173860	0.000	0.09	428.15	31	0.18	0	335	72	895



राज्य / क्षेत्र	अवधि	रोजगार चोट में जोखिमग्रस्त माने गए कर्मचारियों की संख्या	अस्थायी निःशक्तता हितलाम			स्थायी निःशक्तता हितलाम				आश्रितजन हितलाम	
			प्रतिवर्ष प्रति कर्मचारी नए दावों की दर	प्रतिवर्ष प्रति कर्मचारी दिनों की संख्या	अस्थायी निःशक्तता हितलाम की औसत दैनिक दर (₹ में)	स्वीकृत नए मामलों की संख्या	प्रतिवर्ष प्रति 1000 कर्मचारी नए मामलों की दर	एकमुश्त भगु तान के लिए संराशीकृत मामलों की संख्या	वर्ष के अंत में हित लाभार्थियों की संख्या	मृत्यु के स्वीकृत मामलों की संख्या	वर्ष के अंत में हित लाभार्थियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
तमिलनाडू											
(i) चेन्नई	2018-19	2154645	0.000	0.03	357.95	228	0.11	6	6454	76	6028
	2019-20	1992805	0.000	0.03	399.82	257	0.13	10	6660	109	6298
(ii) सेलम	2018-19	396275	0.000	0.03	370.36	78	0.20	2	1844	15	544
	2019-20	383850	0.000	0.04	316.75	57	0.15	0	1893	29	611
(iii) कोयम्बटूर	2018-19	719330	0.000	0.03	424.02	76	0.11	0	2638	55	1815
	2019-20	756590	0.000	0.03	407.58	68	0.09	2	2675	92	2022
(iv) मदुरै	2018-19	404055	0.000	0.06	267.71	112	0.28	6	2342	46	2019
	2019-20	410200	0.000	0.06	275.41	189	0.46	6	2531	97	2242
(v) तिरुनेलवेली	2018-19	195920	0.000	0.06	328.08	29	0.15	0	711	27	359
	2019-20	180490	0.000	0.08	330.88	56	0.31	1	778	26	427
तेलंगाना	2018-19	1594965	0.000	0.02	288.64	144	0.09	32	7448	99	6664
	2019-20	1642760	0.000	0.02	318.19	140	0.09	17	7561	92	6878
उत्तर प्रदेश											
(i) कानपुर	2018-19	407610	0.000	0.04	288.74	78	0.19	0	10075	55	6159
	2019-20	443385	0.000	0.04	296.97	89	0.20	0	15649	57	6344
(ii) वाराणसी	2018-19	93360	0.000	0.02	325.50	2	0.02	0	3687	3	168
	2019-20	112590	0.000	0.02	308.18	1	0.01	0	3696	6	189
(iii) नोएडा	2018-19	1056845	0.000	0.04	326.90	199	0.19	0	6060	39	2259
	2019-20	1111675	0.000	0.05	317.58	275	0.25	0	6341	118	2592
(iv) लखनऊ	2018-19	383230	0.000	0.02	365.35	19	0.05	84	348	43	375
	2019-20	444175	0.000	0.02	352.36	29	0.07	5	376	22	438
उत्तराखंड	2018-19	577690	0.000	0.05	312.84	107	0.19	0	1574	103	807
	2019-20	558665	0.000	0.04	306.36	146	0.26	0	2300	27	885
पश्चिम बंगाल											
(i) कोलकाता	2018-19	1326700	0.010	0.44	361.11	2925	2.20	1216	39406	49	8539
	2019-20	1304480	0.010	0.38	369.54	2878	2.21	1470	41912	85	8731
(ii) बैरकपुर	2018-19	293645	0.020	1.18	348.47	1767	6.02	1055	21168	17	565
	2019-20	302130	0.020	0.96	397.38	2327	7.70	1251	23554	57	694
(iii) दुर्गापुर	2018-19	209205	0.000	0.09	322.31	52	0.25	2	237	35	443
	2019-20	222855	0.000	0.09	340.71	67	0.30	0	283	54	568
अखिल भारत	2018-19	31260300	0.002	0.09	337.02	12628	0.40	3020	281331	2388	120842
	2019-20	31184425	0.002	0.08	365.76	12793	0.41	3194	299925	3139	128572



STATE/ AREA	Period	No. of employees deemed exposed to risk to E.I.	Temporary Disablement Benefit			Permanent Disablement Benefit				Dependants' Benefit	
			Rate of fresh spells per employee per annum	No. of days per employee per annum	Average daily rate of TDB (₹)	No. of fresh cases admitted	Rate of fresh case per 1000 employees per annum	No. of cases commuted for lump-sum	No. of beneficiaries at the end of the year	No. of death cases admitted	No. of beneficiaries at the end of the year
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tamil Nadu											
(i) Chennai	2018-19	2154645	0.000	0.03	357.95	228	0.11	6	6454	76	6028
	2019-20	1992805	0.000	0.03	399.82	257	0.13	10	6660	109	6298
(ii) Salem	2018-19	396275	0.000	0.03	370.36	78	0.20	2	1844	15	544
	2019-20	383850	0.000	0.04	316.75	57	0.15	0	1893	29	611
(iii) Coimbatore	2018-19	719330	0.000	0.03	424.02	76	0.11	0	2638	55	1815
	2019-20	756590	0.000	0.03	407.58	68	0.09	2	2675	92	2022
(iv) Madurai	2018-19	404055	0.000	0.06	267.71	112	0.28	6	2342	46	2019
	2019-20	410200	0.000	0.06	275.41	189	0.46	6	2531	97	2242
(v) Tirunelveli	2018-19	195920	0.000	0.06	328.08	29	0.15	0	711	27	359
	2019-20	180490	0.000	0.08	330.88	56	0.31	1	778	26	427
TELANGANA	2018-19	1594965	0.000	0.02	288.64	144	0.09	32	7448	99	6664
	2019-20	1642760	0.000	0.02	318.19	140	0.09	17	7561	92	6878
Uttar Pradesh											
(i) Kanpur	2018-19	407610	0.000	0.04	288.74	78	0.19	0	10075	55	6159
	2019-20	443385	0.000	0.04	296.97	89	0.20	0	15649	57	6344
(ii) Varanasi	2018-19	93360	0.000	0.02	325.50	2	0.02	0	3687	3	168
	2019-20	112590	0.000	0.02	308.18	1	0.01	0	3696	6	189
(iii) Noida	2018-19	1056845	0.000	0.04	326.90	199	0.19	0	6060	39	2259
	2019-20	1111675	0.000	0.05	317.58	275	0.25	0	6341	118	2592
(iv) Lucknow	2018-19	383230	0.000	0.02	365.35	19	0.05	84	348	43	375
	2019-20	444175	0.000	0.02	352.36	29	0.07	5	376	22	438
UTTRAKHAND	2018-19	577690	0.000	0.05	312.84	107	0.19	0	1574	103	807
	2019-20	558665	0.000	0.04	306.36	146	0.26	0	2300	27	885
West Bengal											
(i) Kolkata	2018-19	1326700	0.010	0.44	361.11	2925	2.20	1216	39406	49	8539
	2019-20	1304480	0.010	0.38	369.54	2878	2.21	1470	41912	85	8731
(ii) Barrackpore	2018-19	293645	0.020	1.18	348.47	1767	6.02	1055	21168	17	565
	2019-20	302130	0.020	0.96	397.38	2327	7.70	1251	23554	57	694
(iii) Durgapur	2018-19	209205	0.000	0.09	322.31	52	0.25	2	237	35	443
	2019-20	222855	0.000	0.09	340.71	67	0.30	0	283	54	568
ALL INDIA	2018-19	31260300	0.002	0.09	337.02	12628	0.40	3020	281331	2388	120842
	2019-20	31184425	0.002	0.08	365.76	12793	0.41	3194	299925	3139	128572



परिशिष्ट-IV-ग

वर्ष 2018-2019 एवं 2019-2020 के दौरान स्वीकृत स्थायी निःशक्तता हितलाभ (पीडीबी) दावों की घटना-दर (उद्योग-वार)

क्रसं.	उद्योग	उद्योग कोड संख्या	अवधि	जोखिमग्रस्त माने गए कर्मचारियों की अनुमानित संख्या	नए स्वीकृत मामलों की संख्या	प्रतिवर्ष प्रति 1000 कर्मचारी स्थायी निःशक्तता हितलाभ मामलों की दर
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1	खाद्य, पेय तथा तम्बाकू	0	2018-19	1584864	682	0.43
			2019-20	1287802	4535	3.52
2	कपड़ा	1	2018-19	4721055	2567	0.54
			2019-20	2244841	3160	1.41
3	चमड़ा एवं रबड़	2	2018-19	862396	203	0.24
			2019-20	612623	233	0.38
4	रसायन एवं रसायन उत्पाद	3	2018-19	1695270	213	0.13
			2019-20	713831	186	0.26
5	गैर-धात्विक खनिज	4	2018-19	942319	653	0.69
			2019-20	216157	113	0.52
6	धात्विक खनिज	5	2018-19	1792972	703	0.39
			2019-20	592622	901	1.52
7	अभियांत्रिकी	6	2018-19	3955300	1317	0.33
			2019-20	2299774	1096	0.48
8	परिवहन	7	2018-19	868124	1012	1.17
			2019-20	625157	468	0.75
9	कागज एवं मुद्रण	8	2018-19	942575	402	0.43
			2019-20	318985	209	0.66
10	विविध	9	2018-19	3871503	3675	0.95
			2019-20	4052012	658	0.16
11	वाणिज्यिक स्थापनाएं	10	2018-19	9062882	913	0.10
			2019-20	14214674	1154	0.08
12	होटल एवं रेस्तरां	11	2018-19	785582	49	0.06
			2019-20	717573	30	0.04
13	सिनेमा तथा थियेटर	12	2018-19	88933	57	0.64
			2019-20	32516	2	0.06
14	शैक्षणिक संस्थान	13	2018-19	114073	79	0.69
			2019-20	1261205	28	0.02
15	अस्पताल, नर्सिंग होम आदि	14	2018-19	114072	103	0.90
			2019-20	1777158	20	0.01
अखिल भारत			2018-19	31401920	12628	0.40
			2019-20	30966930	12793	0.41



APPENDIX-IV-C

Incidence of Permanent Disablement Benefit Claims admitted during 2018-19 and 2019-20 Industry-wise

S.No.	Industry	Industry Code No.	Period	Estimated No. of Employees exposed to risk	No. of fresh cases admitted	Rate of PDB cases per 1000 employees per annum
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1	Food Beverages & Tobacco	0	2018-19	1584864	682	0.43
			2019-20	1287802	4535	3.52
2	Textiles	1	2018-19	4721055	2567	0.54
			2019-20	2244841	3160	1.41
3	Leather & Rubber	2	2018-19	862396	203	0.24
			2019-20	612623	233	0.38
4	Chemicals & Chemical Products	3	2018-19	1695270	213	0.13
			2019-20	713831	186	0.26
5	Non-Metalic Minerals	4	2018-19	942319	653	0.69
			2019-20	216157	113	0.52
6	Metallic Minerals	5	2018-19	1792972	703	0.39
			2019-20	592622	901	1.52
7	Engineering	6	2018-19	3955300	1317	0.33
			2019-20	2299774	1096	0.48
8	Transport	7	2018-19	868124	1012	1.17
			2019-20	625157	468	0.75
9	Paper & Printing	8	2018-19	942575	402	0.43
			2019-20	318985	209	0.66
10	Miscellaneous	9	2018-19	3871503	3675	0.95
			2019-20	4052012	658	0.16
11	Commercial Establishments	10	2018-19	9062882	913	0.10
			2019-20	14214674	1154	0.08
12	Hotels & Restaurants	11	2018-19	785582	49	0.06
			2019-20	717573	30	0.04
13	Cinemas & Theatres	12	2018-19	88933	57	0.64
			2019-20	32516	2	0.06
14	Educational Institutions	13	2018-19	114073	79	0.69
			2019-20	1261205	28	0.02
15	Hospitals, Nursing Homes etc.	14	2018-19	114072	103	0.90
			2019-20	1777158	20	0.01
All INDIA			2018-19	31401920	12628	0.40
			2019-20	30966930	12793	0.41



परिशिष्ट-VII

कैलेंडर वर्ष 2019 (दिनांक 01.01.2020 तक की स्थिति अनुसार) के दौरान अनु. जाति/
अनु. जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व दर्शाते हुए वार्षिक विवरण

क्र. सं.	विवरण	कर्मचारियों की संख्या समूह क					कर्मचारियों की संख्या समूह ख					कर्मचारियों की संख्या समूह ग				
		अनु. जाति	अनु. जन जाति	अ.पि.व.	अन्य	कुल	अनु. जाति	अनु. जन जाति	अ.पि.व.	अन्य	कुल	अनु. जाति	अनु. जन जाति	अ.पि.व.	अन्य	कुल
क	01.01.2020 तक कुल प्रस्तुतिकरण	416	182	675	1563	2836	37	19	12	185	253	3924	1347	5091	10963	21325
ख	2019 के दौरान सीधी भर्ती द्वारा	26	15	69	73	183	0	0	0	0	0	359	135	589	1017	2100
ग	2019 के दौरान पदोन्नति द्वारा	0	0	0	0	0	5	2	0	18	25	147	60	115	818	1140
घ	2019 के दौरान प्रतिनियुक्ति द्वारा	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल (ख+ग+घ)		26	15	69	76	186	5	2	0	18	25	506	195	704	1835	3240

APPENDIX-VII

Annual statement showing the representation of SCs, STs and OBCs for the calender year 2019 (as on 01.01.2020)

Sl. No.	Particular	Number of Employees GROUP A					Number of Employees GROUP B					Number of Employees GROUP C				
		SCs	STs	OBCs	Other	Total	SCs	STs	OBCs	Other	Total	SCs	STs	OBCs	Other	Total
a	Total Representation as on 01.01.2020	416	182	675	1563	2836	37	19	12	185	253	3924	1347	5091	10963	21325
b	By Direct Recruitment during 2019	26	15	69	73	183	0	0	0	0	0	359	135	589	1017	2100
c	By Promotion during 2019	0	0	0	0	0	5	2	0	18	25	147	60	115	818	1140
d	By Deputation during 2019	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total (b+c+d)		26	15	69	76	186	5	2	0	18	25	506	195	704	1835	3240



Published by
Director General

कर्मचारी राज्य बीमा निगम Employees' State Insurance Corporation

Panchdeep Bhawan, C.I.G. Marg, New Delhi-110002

Toll Free No.1800-11-2526, Medical Helpline No. 1800-11-3839

Website: www.esic.nic.in, www.esic.in, www.esichospitals.gov.in

www.facebook.com/esichq [@esichq](https://twitter.com/esichq)

Compiled & Produced by
Public Relations Divn., ESIC